लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
5th LOK SABHA DEBATES

[पहला सत्र
First Session]

Preservation Unit
Fumigated On 8.2.84
Parliament Library

[खंड 1 में अंक 1 से 12 तक हैं
Vol. I contains Nos. 1 to 12]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 12, शुक्रवार, 2 अप्रैल, 1971/12 चैत्र, 1893 (शक)
No. 12, Friday, April 2, 1971/Chaitra 12, 1893 (Saka)

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण	MEMBER SWORN	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	1—32
91. सामान्य बीमे का राष्ट्रीयकरण	Nationalisation of General Insurance	1—3
92. पी० एल० 480 की निधियों का उपयोग	Utilisation of PL 480 Funds	3—6
93. विमान अपहरण की घटनाओं को रोकने के लिये रक्षकों को विशेष प्रशिक्षण	Special Training to Guards to stop Hijacking	6—8
95. आयकर की बकाया राशि की वसूली	Realisation of Arrears of Income Tax	8—13
96. सफदरजंग हवाई अड्डे का स्थान परिवर्तन	Shifting of Safdarjang Airport from its present site	13—14
97. ऋणों को "इक्विटी" शेयरों में में परिवर्तित करना	Conversion of Loans into Equity Shares	14—15
99. 1970-71 तथा 1971-72 में उड़ीसा में पर्यटन केन्द्रों का विकास	Development of places of Tourist Importance in Orissa during 1970-71 and 1971-72	15—17
100. केन्द्रीय वेतन आयोग का प्रतिवेदन	Central Pay Commission's Report	17—21

* किसी नाम पर अंकित यह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

* The sign + marked above the name of a Member indicated that the Question was actually asked on the floor of the House by him.

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
102. लाहौर हवाई अड्डे पर इण्डियन एयरलाइन्स के विमान के नष्ट किये जाने के पश्चात् बीमे का दावा किया जाना	Insurance Claims made after the Destruction of Indian Airlines Plane at Lahore Airport	21—22
104. सेन्ट्रल स्कूल	Central Schools	22—24
अल्प-सूचना प्रश्न	SHORT NOTICE QUESTION	24—32
2. इण्डियन एक्सप्लोसिव्ज लिमिटेड गोमिया में हड़ताल	Strike in Indian Explosives Limited, Gomia	24—25
3. ग्वालियर के श्री माधवराव सिंधिया के सम्पदा शुल्क संबंधी मामले की जांच	Enquiry into Estate Duty case of Shri Madhavrao Scindia of Gwalior	25—32
प्रश्नों के लिखित उत्तर	WRITTEN ANSWERS TO QUETIONS	32—79
ता० प्र० संख्या S. Q. No.		
94. राष्ट्रीयकृत बैंकों की नई शाखाओं का खोला जाना	Opening of New Branches of Nationalised Banks	32—33
98. देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये नए प्रस्ताव	New proposals to promote Tourism in the Country	33
101. विश्वविद्यालयों में शिक्षा का माध्यम	Medium of Instruction in Universities	33
103 केरल में मुस्लिम लीग के एक नेता के पुत्र का तस्करी में कथित हाथ होना	Alleged involvement of the son of a Muslim League Leader of Kerala in Smuggling	34
105. बैंक में खाता रखने वालों के लिये बीमा योजना	Insurance Scheme for Bank Depositors	34—35
106. संयुक्त राष्ट्रसंघ विकास कार्यक्रम से सहायता	Aid from United Nations Development Programme	35—36
107. राजस्थान में पर्यटन का विकास	Development of Tourism in Rajasthan	36
108. होटल उद्योग में संयुक्त उद्यम	Joint Venture in Hotel Industry	36

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
109. इण्डियन एयरलाइन्स में इलैक्ट्रोनिक आरक्षण व्यवस्था	Electronic Reservations in Indian Airlines	36—37
110. तमिलनाडु में पामबान पुल परियोजना का निर्माण करने की मंजूरी देना	Sanction for construction of the Pamban Bridge project in Tamil Nadu	37
111. दिल्ली विश्वविद्यालय के ढाँचे को लोक तंत्रात्मक बनाने के बारे के विचारगोष्ठी	Seminar on Democratisation of Delhi University Structure	37—38
112. स्कूल स्तर पर विज्ञान की शिक्षा	Science Education at School Level	38—39
113. राज्य सरकारों द्वारा घाटे का बजट बनाना	Preparation of Deficit Budgets by the State Governments	39—40
114. चम्पारन जिले में दुमरियाघाट पर नारायणी नदी पर ऊपरी पुल का पूरा किया जाना	Completion of over bridge over Naraini river at Dumaria Ghat in Champaran District	40
115. बम्बई, मद्रास और कलकत्ता के बन्दरगाहों पर तस्कर व्यापार	Smuggling at Bombay, Madras and Calcutta Ports	41
116. खम्बात बन्दरगाह का विकास	Development of Cambay Port	41
117. पश्चिम बंगाल में शिक्षण संस्थाओं का बन्द होना	Closure of Educational Institutions in West Bengal	42
118. पर्यटन से होने वाली भारत को आय	India's earnings from Tourism	42—43
अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.		
156 राष्ट्रीयकृत बैंको में अनुसूचित जातियों । अनुसूचित जन जातियों के लिये पदों का आरक्षण	Reservations of Posts for Scheduled Castes/Scheduled Tribes in Nationalised Banks	43
157. मध्य प्रदेश को वित्तीय सहायता	Financial Assistance to Madhya Pradesh	43—44

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

158. दिल्ली के उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के प्रधानाचार्यो तथा उप-प्रधानाचार्यों के पदों के चयन का ढंग	Mode of Selection of Posts of Principals and Vice Principals of Higher Secondary Schools, Delhi	44—45
159. भारत में सोने का तस्कर व्यापार रोकने के लिये उपाय	Measures to check smuggling of gold into India	45—46
160. बड़े औद्योगिक गृहों द्वारा कलकत्ता में इमारतों का बेचा जाना	Sale of buildings in Calcutta by Big Industrial Houses	46
161. एल्यूमिनियम तथा इसके उत्पादों की मूल्य निर्धारण नीति संबंधी कार्यकारी दल	Working Group on Pricing Policy for Aluminium and its products	46
162 छोटी जोत वाले किसानों को कृषि योग्य भूमि पर सम्पत्ति कर की अदायगी से छूट	Exemption from payment of Wealth Tax on Agricultural Lands to Farmers of Small Holdings	47
163. इण्डियन एयरलाइन्स के एक फोक्कर फ्रेंडशिप विमान का श्रीनगर हवाई अड्डे से जबरन पाकिस्तान ले जाया जाना	Hijacking of a Fokker Friendship Plane of Indian Airlines from Srinagar Airport to Pakistan	47
164. परीक्षा सुधार	Examination Reform	47—48
165. नई केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कलक्टरी का खोला जाना	Opening of New Central Excise Collectorates	48
166. पेंशन में वृद्धि करने की मांग	Demand for increase in Pension	48
167. सेवा निवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों को अन्तरिम सहायता की बकाया राशि का भुगतान	Payment of arrears of interim Relief to retiring Government Employees	49
168. अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्य	Prices of Essential Commodities	49—50
169. विदेशों में स्नातकोत्तर अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति	Scholarship for Post-Graduate Studies Abroad	51
170. भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन	Devaluation of Indian Currency	51

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
अता०प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
171. मूल्यों में वृद्धि का चौथी योजना पर प्रभाव	Effect of rise in prices on Fourth Plan	51—52
172. मध्य प्रदेश में अफीम की खेती करने वाले किसान	Opium Cultivators in Madhya Pradesh	52—53
173. ग्वालियर नगर का दर्जा बढ़ाया जाना	Upgradation of Gwalior City	53
174. कर भार	Incidence of Taxation	53
175. महालेखापाल, बिहार के कार्यालय के रांची में तैनात कर्मचारियों को परियोजना भत्ता	Project Allowance to the Employees of A. G., Bihar posted in Ranchi City	53—54
176. रांची स्थित राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्मचारियों को परियोजना भत्ता दिये जाने की मांग	Demand for Project Allowance to employees of Nationalised Banks, Ranchi	54
177. राष्ट्रीयकृत बैंकों के लाभ तथा हानि	Profits and Losses of Nationalised Banks	54—55
178. राजस्थान में पाली जिले के व्यक्तियों द्वारा आयकर की अदायगी	Payment of Income-tax by persons of Pali District in Rajasthan	55
179. सरकारी कर्मचारियों द्वारा मकान किराया रसीदें पेश किया जाना	Production of House Rent Receipts by Government Employees	56
180. अन्दमान प्रशासन द्वारा अध्यापकों तथा प्राध्यापकों की पदोन्नति	Promotion of Teachers and Lectures by Andaman Administration	56
181. अण्डमान प्रशासन के अधीन ड्राइंग अध्यापकों को स्नातकोत्तर अध्यापक ग्रेड	Post Graduate Teachers' Grade to Drawing Teachers under Andaman Administration	56—57
182. उचर माध्यमिक पाठ्यक्रमों में फारसी	Persian in Higher Secondary Courses	57
183. अण्डमान में छुट्टी पर गये हुए अध्यापक	Teachers on Leave in Andaman	57

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या U. S. Q.Nos.		
184. अकादमियों के कार्यसंचालन सम्बन्धी आयोग	Commission on Working of Akademies	57—58
185. मुर्तियों की चोरी	Stolen Idols	58
186. मध्य प्रदेश में कृषि कार्यों के लिये स्टेट बैंक आफ इण्डिया द्वारा ऋणों का दिया जाना	Advancing of Loans by State Bank of India for Agricultural Purnoses in Madhya Pradesh	58
187. सरकारी उपक्रमों में डेपुटेशन पर गये केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी	Central Government Employees Serving on Deputation in Public Undertakings	58—59
188. शिक्षा प्रणाली का पुनर्गठन	Reorientation of Education System	59—60
189. कलकत्ता ट्रामवेज कम्पनी का अधिग्रहण करने के लिये मुआवजा	Compensation for taking over Calcutta Tramways Company	60
190. दिल्ली में जामेयर एयरलाइन्स के डकोटा विमान की दुर्घटना के बारे में रिपोर्ट	Report on accident to Dakota Aircraft of Jamair Airlines in Delhi	60 – 61
191. राज्यों को विशेष सहायता	Special Assistance to States	61—62
192. राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा केन्द्रीय अनुदानों का उपयोग	Utilisation of Central Grants by Rajasthan University	62
193. राजस्थान में शिक्षण संस्थाओं द्वारा केन्द्रीय अनुदानों का उपयोग	Utilisation of Central Grants by Educational Institutions in Rajasthan	63
194. लोक-सभा के चुनाव के दौरान उद्योगपतियों द्वारा राजनीतिक दलों को चन्दा	Contributions to Political Parties by Industrialists during Lok Sabha Elections	63
195. 100 रुपये के नोट को बदलने का प्रस्ताव	Proposed Chage in Hunderd Rupees note	63
196. भारतीय प्रकाशकों के दल द्वारा विदेशों का दौरा	Visit Abroad of Team of Indian Publishers	64
197. इण्डियन ओवरसीज बैंक के कर्मचारियों की मांगें	Demands of Employees of Indian Overseas Bank	64

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
198. कोचीन से बोइंग विमान सेवा	Boeing Service from Cochin	64—65
199. अन्दमान तथा निकोबार द्वीप-समूह में शिक्षा अधिकारी का पद	Post of Education Officer in Andaman and Nicobar Islands	65
200. पुस्तकें लिखने के लिये शिक्षा वृत्तियां देना	Grant of Fellowships for Writing Books	65—66
201. पटना सिटी का दर्जा बढ़ाया जाना	Upgradation of Patna City	66
202. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का पुनर्गठन	Reorganisation of University Grants Commission	66—67
203 राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दिल्ली में टैक्सी तथा स्कूटर चालकों को ऋण दिया जाना	Advancing of Loans to Taxi and Scooter Drivers in Delhi by Nationalised Banks	67—68
204. 1969 में मद्रास में आयोजित हुए सचेतकों के सम्मेलन की शिफारिशें	Recommendations of the Whips Conference held in Madras in 1969	68
205. बिकासेत्तर-कार्यो पर व्यय	Non-Development Expenditure	68—70
206. भारत में करों का भार	Incidence of Taxation in India	70
207. प्राथामक स्कूल भवनों के निर्माण के लिये निधियां	Funds for Construction of Primary School Buildings	70—71
208. बिहार में पटना और मुज्जफरपुर के बीच विमान सेवा	Air Service befween Patna and Muzaffarpur	71
209. कोठारी आयोग की सिफारिशों की क्रियान्विति	Implementation of Kothari Commission's Recommendations	71
210. उत्तर प्रदेश द्वारा शिक्षा आयोग की सिंफारिशों का क्रियान्वित किया जाना	Implementation of Education Commission's Recommendations by U. P.	71—72
211. रांची और जमशेदपुर का दर्जा बढ़ाया जाना	Upgradation of Ranchi and Jamshedpur	72
212. गैर तामिल भाषियों को तमिल भाषा पढ़ाने हेतु वित्तीय सहायता	Financial help for Teaching Tamil Language to Non-Tamilians	72

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
213. पर्यटकों के आकर्षण के लिये उड़ीसा में हीराकुण्ड को दर्शनीय स्थल बनाया जाना	Beautification of Hirakund in Orissa for Tourist Attraction	72—73
214. कमी वाले क्षेत्रों में राहत कार्यों के लिये गुजरात को दी गई सहायता की जांच	Enquiry into Assistance given to Gujarat for Relief Works in Saracity Areas	73
215. राष्ट्रीय राजपथ संख्या 34 (कलकत्ता सिलीगुडी) को चौड़ा करने पर खर्च की गई और स्वीकृत राशि	Amount sanctioned and spent on the widening of National Highway No.34 (Calcutta Siliguri)	73—74
216. सरकारी उपक्रमों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारियों की प्रतिशतता	Percentage of Scheduled Castes and Scheduled Tribes Employees in Public Undertakings.	74—75
217. दरभंगा स्थित के० सी० विश्वविद्यालय का पुनर्गठन	Reorganisation of K.C. University, Darbanga	75
218. सरकारी क्षेत्र के कारखानों की बेकार क्षमता	Idle capacity of public Undertakings	75—76
219. भारत में उर्दू भाषा का स्थान	Place of Urdu Language in India	76—78
220. पूर्वी पाकिस्तान के साथ व्यापार	Trade with East Pakistan	78
221. निःस्रावित एल्युमिनियम पर उत्पादन शुल्क	Excise duty on Aluminium Extrusions	78—79
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	79—81
ध्यानाकर्षण सूचना के बारे में (प्रश्न)	Re. Call Attention (Query)	81—87
प्राक्कलन समिति	Estimates Committee	87
132 वां तथा 133 वां प्रतिवेदन	Hundred and thirty second or Hundred and Thirty third Reports	87
विधेयक पर अनुमति	Assent to Bills	87—88
चाणक्यपुरी स्थिति नई दिल्ली नगरपालिका होस्टल का उपयोग न किये जाने के बारे में 16-11-70 के तारांकित प्रश्न संख्या 131 के उत्तर में शुद्धि	Correction of Answer to S Q No. 131 dated 16-11-70 Non utilisation of NDMC Hostel in Chankyapuri	88—89

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
दिल्ली में संयुक्त समाजवादी दल द्वारा निकाले गये जलूस के सम्बन्ध में घटी घटनाओं सम्बन्धी आयोग के निष्कर्षों के बारे में वक्तव्य	Statement Re. Findings of Commission on Incidents in respect of SSP Procession in Delhi	89—91
राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव	Motion of Thanks on President's Address	91—99
श्रीमती इन्दिरा गांधी	Shrimati Indira Gandhi	91—98
निधन सम्बन्धी उल्लेख	Obituary Reference	100
(श्री धीरेन्द्र नाथ दत्ता)	(Shri Dhirendra Nath Datta)	
श्रमिक भविष्य निधि-विधि (संशोधन) विधेयक	Labour Provident Fund Laws (Amendment) Bill	101—110
विचार करने के लिए प्रस्ताव	Motion to consider	
श्री आर०के० खाडिलकर	Shri R. K. Khadilkar	101—102
श्री ज्योतिर्मय बसु	Shri Jyotiormoy Bosu	103—104
श्री के०एम० मधुकर	Shri K. M. Madhukar	104
श्री आर०एल० पाण्डेय	Shri R. S. Pandey	105
श्री मयावान	Shri Mayavan	105
श्री सी०एम० स्टीफन	Shri C. M. Stephen	106
श्री हुकम चन्द कछवाय	Shri Hukam Chand Kachwai	106—107
श्री एम०रामगोपाल रेड्डी	Shri M. Ram Gopal Reddy	107
खण्ड 2 से 32 और 1	Clauses 2 to 32 and 1	
पास करने के लिए प्रस्ताव	Motion to pass	
श्री आर०एन० शर्मा	Shri R. N. Sharma	110
श्री एस०आर० दमानी	Shri S. R. Damani	111
श्री एन०के० सांघी	Shri N. K. Sanghi	111
श्री रामवतार शास्त्री	Shri Ramavatar Shastri	111
श्री आर०के० खाडिलकर	Shri R. K. Khadilkar	111
सभा के कार्य के बारे में	Re. Business of the House	111—112
हिमाचल प्रदेश राज्य (संशोधन) विधेयक	State of Himachal Pradesh (Amendment) Bill	112
विचार करने के लिये प्रस्ताव	Motion to consider	
श्री कृष्ण चन्द्र पन्त	Shri K. C. Pant	112

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
श्री फूल चन्द वर्मा	Shri Phool Chand Verma	112—113
श्री प्रताप सिंह	Shri Pratap Singh	113
श्री नारायण चन्द	Shri Narain Chand	113
खण्ड 2 से 4 और 1	Clauses 2 to 4 and 1	
पास करने के लिये प्रस्ताव	Motion to pass	
श्री कृष्ण चन्द्र पन्त	Shri K. C. Pant	113
राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान सदस्य के आचरण के बारे में प्रस्ताव	Motion Re. Conduct of Member during President's Address	115
श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा	Shri Inder J. Malhotra	115
श्री अटल बिहारी वाजपेयी	Shri Atal Bihari Vajpayee	115
श्री ए०के० गोपालन	Shri A. K. Gopalan	115
श्री इन्द्रजीत गुप्त	Shri Indrajit Gupta	117
श्री के० मनोहरन	Shri K. Manoharan	117—119
श्री आर०डी० भण्डारे	Shri R. D. Bhandare	119
श्री श्यामनन्दन मिश्र	Shri Shyamnandan Mishra	119—120
श्री के०डी मालवीय	Shri K. D. Malviya	
डा० कर्णी सिंह	Dr. Karni Singh	121
श्री एन०के०पी० साल्वे	Shri N. K. P. Salve	121—122
श्री उन्नी कृष्णन	Shri Unni Krishnan	122
श्री मोहन धारिया	Shri Mohan Dharia	122—123
श्री सुरेन्द्र महन्ती	Shri Surendra Mohanty	123
श्री आर०एस० पाण्डेय	Shri R. S. Pandey	123—124
श्री एस०डी० सिंह	Shri S. D. Singh	
श्री स०मो० बनर्जी	Shri S. M. Banerjee	126
भारतीय खाद्य निगम में सेवा के बारे में सांविधिक संकल्प-स्वीकृत	Statutory Resolution Re. Service in Food Corporation of India-Adopted	126
श्री अन्नासाहिब शिन्दे	Shri Annasahib P. Shinde	126
श्री स०मो० बनर्जी	Shri S. M. Banerjee	126—127
श्री डी०एन० भट्टाचार्य	Shri D. N. Bhattacharyya	127
श्री के०एन० तिवारी	Shri K. N. Tiwary	127

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही	Shri Chintamani Panigrahi	127
श्री हुकम चन्द कछवाय	Shri Hukam Chand Kachwai	127
दण्ड प्रक्रिया संहिता विधेयक	Code of Criminal Procedure Bill	128
संयुक्त समिति में शामिल होने के लिये राज्य सभा में की गई सिफारिश पर सहमति लेने के बारे में प्रस्ताव	Motion to concur in Rajya Sabha recommendation to join in Joint Committee	128
विधेयक पुरस्थापित	Bills introduced	
1. संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 120, 210, 343 आदि का संशोधन) श्री मुरासोली मारन	Constitution (Amendment) Bill (Amendment of articles 120, 210, 343 etc.) by Shri Murasoli Maran	131
संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेन 81, 82 का संशोधन तथा नये अनुच्छेद 281 क का अन्तःस्थापन) श्री मुरासोली मारन	Constitution (Amendment) Bill (Amendment of Articles 81, 82 and insertion of New Article 281-A) by Shri Murasoli Maran	132
संविधाम (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 120, 210 तथा भाग 17 का संशोधन) श्री मुरासौली मारन	Constitution (Amendment) Bill (Amendment of Articles 120, 210 and Part XVII) by Shri Murasoli Maran	132
संविधान (संशोधन) विधेयक, 1971 (अनुच्छेद 368 का संशोधन) श्री चिन्तामणि पाणिग्रही	Constitution (Amendment) Bill (Amendment of Ar icle 368) by Shri Chintamani Panigrahi)	132
कम्पनी (संशोधन) विधेयक, 1971 (नयी धारा 224 क, 224 ख और 224 ग का अन्त:स्थापन) श्री चिंतामणि पाणिग्रही	Constitution (Amendment) Bill (Amendment of New Sections 224 A, 224 B and 224 C) by Shri Chintamani Pandigrahi	133
संविधान (संशोधन) विधेयक, 1971 (अनुच्छेद 16 क का अन्तःस्थापन) डा० कर्णी सिंह	Constitution (Amendment) Bill (Insertion of New Article 16 A) by Dr. Karni Singh	134
संविधान (संशोधन) विधेयक, 1971 (नये अनुच्छेद 23 क और 23 ख का अन्त:स्थापन) डा० कर्णी सिंह	Constitution (Amendment) Bill Insertion of new Articles 23 A and 23 B) Dr. Karni Singh	134

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
संविधान (संशोधन) विधेयक, 1971 (अनुच्छेद 335 का संशोधन) श्री एस०एम० सिद्दया	Constitution (Amendment) Bill (Amendment of Article 335) by Shri S. M. Siddayya	134—135
संविधान (संशोधन) विधेयक, 1971 (अनुच्छेद 338 का संशोधन) श्री एस०एम० सिद्धया	Constitution (Amendment) Bill (Amendment of Article 338) by Shri S. M. Siddayya	135
संविधान (संशोधन) विधेयक, 1971 (नये अनुच्छेद 330 क का अन्तः स्थापन और अनुच्छेद 332 आदि का संशोधन) श्री एस० एम० सिद्धया	Constitution (Amendment) Bill (Insertion of new Article 330 A and amendment of Article 332 etc.) by Shri S. M. Siddayya	135—136
सिविल विमानन (लाइसेंस देना) विधेयक, 1971 श्री एस० सी० सामन्त	Civil Aviation (Licensing) Bill by Shri S. C. Samanta	136
संसद ग्रन्थालय विधेयक, 1971 श्री एस० सी० सामन्त	Parliament Library Bill by Shri S. C. Samanta	136
कम्पनी (संशोधन) विधेयक, 1971 (नयी धारा 43 ख का अन्तः-स्थापन और धारा 224, 237 आदि का संशोधन) श्री एस०सी० सामन्त	Companies (Amendment) Bill (Insertion of new Section 43 B and amendment of Sections 224, 237 etc.) by Shri S. C. Samanta	137
दान कर (संशोधन) विधेयक, 1971 (धारा 22, 23 आदि का संशोधन) श्री एस०सी० सामन्त	Gift tax (Amendment) Bill(Amendment) of Sections 22, 23 etc.) by Shri S. C. Samanta	137
विधिक सहायता विधेयक, 1971, डा० कर्णी सिंह	Legal Assistance Bill by Dr. Karni Singh	137—138
मृत्यु दण्ड उत्सादन विधेयक, 1971 श्री एन०के० सांघी	Abolition of Capital Punishment Bill by Shri N. K. Sanghi	138
संविधान (संशोधन) विधेयक, 1971 (अनुच्छेद 368 का संशोधन) श्री ओ०म० दण्दावते	Constitution (Amendment) Bill (Amendment) of Article 368) by Shri Madhu Dandavate	138—141
पश्चिम बंगाल से केन्द्रीय सेनाओं के हटाये जाने के बारे में संकल्प-अस्वीकृत	Resolution Re. Withdrawal of Central Forces from West Bengal-Negatived	142

विषय	SUBJECT	पृष्ठ /PAGE
श्री कृष्ण चन्द्र पन्त	Shri K. C. Pant	142—145
श्री ज्योतिर्मय बसु	Shri Jyotirmoy Bosu	147
केन्द्रीय ऋण आयोग के बारे में संकल्प	Resolution Re. Federal Debt Commission	150
श्री मुरासोली मारन	Shri Murasoli Maran	150—151
गन्ना उत्पादकों को देय बकाया राशि के बारे में चर्चा	Discussion Re. Arrears payable to Sugarcane Growers	151
श्री कल्यानसुन्दरम्	Shri Kalyanasundaram	151—152
श्री आनन्द सिंह	Shri Anand Singh	153
श्री एन०एन० पाण्डेय	Shri N. N. Pandey	153—154
श्री ज्योतिर्मय बसु	Shri Jyotirmoy Bosu	154
श्री गेण्डा सिंह	Shri Genda Singh	154—155
डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय	Dr. Laxminarain Pandey	155
श्री अन्नासाहिब शिन्दे	Shri Annasahib P. Shinde	156—157

लोक-सभा
LOK SABHA

शुक्रवार, 2 अप्रेल, 1971/12 चैत्र, 1893 (शक)
(Friday, April, 2, 1971 Chaitra 12, 1893 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Speaker *in the Chair*]

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण
MEMBER SWORN

श्री ए० केवीचुसा (नागालैंड) :

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

सामान्य बीमे का राष्ट्रीयकरण

*91. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सामान्य बीमे का राष्ट्रीयकरण करने हेतु इस बीच कोई अन्तिम निर्णय किया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री आर० के० गणेश) : (क) सरकार, विविध बीमा कारोबार का राष्ट्रीयकरण करने के मामले में अपने पूर्व निर्णय से सिद्धान्ततः वचनबद्ध है।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता है।

Shri Ramavatar Shastri : Mr. Speaker, nationalisation is the policy of the Government but it is a matter of concern that undue delay is being done in the matter of nationalisation of General Insurance business. I would like to know the reason for this undue

delay? Is it a fact that the representatives of the capitalists who are still there in the Government and some of them who are outside the Government, are pressurising the Government not to nationalise this business? If so, inview of their opposition and to break their monopoly. Why a decision for nationalisation thereof is not being taken by the Government?

श्री के० आर० गणेश : श्रीमान जी उत्तर में यह बात कही गई है कि सरकार सामान्य बीमे के राष्ट्रीयकरण के लिए सैद्धान्तिक रूप से वचनबद्ध है। सरकार जिस बात की घोषणा सदन के समक्ष कर चुकी है उसके बारे में निहित स्वार्थी के दबाव डालने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

Shri Ramavatar Shastri: Is it a fact that an audit report regarding Ruby and New Asiatic Insurance Companies run by Seth Birla, has been received by the Government, if so what are the points in regard to mismanagement raised in it and what is the hitch in publishing that report?

अध्यक्ष महोदय : यह एक अलग प्रश्न है और मैं इसकी अनुमति नहीं देता। यह तो सामान्य प्रश्न है, विशिष्ट नहीं।

Shri Ramavatar Shastri: In view of the mismanagement indicated in the report nationalisation should be expedited by them. What is the hitch in publishing that report? Why they are not publishing that?

श्री के० आर गणेश : श्रीमान जी, बीमा उद्योग में कुप्रबन्ध तथा उसके द्वारा निधियों के दुरुपयोग के प्रश्न को दृष्टिगत रखते हुए ही तो सरकार ने सामान्य बीमे की राष्ट्रीयकरण का निर्णय किया है ताकि सरकारी क्षेत्र की स्थिति सुदृढ हो सके। जहां तक इसके बारे में विशिष्ट प्रश्न का सम्बन्ध है, उससे सम्बद्ध तथ्यों की जानकारी प्राप्त करने के लिए कुछ पूर्व सूचना आवश्यक है।

श्री आर० डी० भंडारे : इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुये कि सरकार काफी समय पहले से सामान्य बीमे के राष्ट्रीयकरण के लिए कटिबद्ध है, मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूँ कि सामान्य बीमे का अविलम्ब राष्ट्रीयकरण करने के बारे में क्या कठिनाई है ?

श्री के० आर गणेश : मेरा विचार है कि माननीय सदस्य और सदन की इस प्रकार के मामले सरकार पर छोड देने चाहिये ताकि वह उपयुक्त समय पर उनके बारे में निर्णय कर सके। हमारे समक्ष कोई कठिनाई नहीं है। हम इस नीति के लिऐ वचनबद्ध हैं और माननीय सदस्य को यह बात वित्त मंत्री पर छोड देनी चाहिये, ताकि वह उपयुक्त समय पर राष्ट्रीयकरण करें।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : में यह जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार मुआवजे को देकर राष्ट्रीयकरण करेगी या बिना मुआवजे दिये ? यदि सरकार की नीति मुआवजा देकर राष्ट्रीयकरण करने की है तो मुआवजे की मात्रा क्या होगी ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : जो कुछ अभी होना है, माननीय सदस्य उसके बारे में पहले से ही प्रश्न पूछ रहे हैं। मैं भी माननीय मित्र से एक प्रश्न पूछता हूँ। क्या वह इस मामले में हमारा समर्थन करेंगे ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : श्रीमान जी, मैं मंत्री नहीं हूँ। मेरी व्यवस्था का प्रश्न है जब मंत्री महोदय से प्रश्न पूछा जाता है तो उन्हें उत्तर देना चाहिये। प्रति प्रश्न नहीं करना चाहिये।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या वह संविधान में परिवर्तन करेंगे ताकि वह उच्चतम न्यायालय का द्वार न खटका सकें ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : क्या मंत्री महोदय सभी कुछ मेरी सलाह से करेंगे।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : कई बार प्रति प्रश्न ही उत्तर होता है।

अटल बिहारी वाजपेयी : मैं आपका निर्णय चाहता हूँ। मैंने यह सीधा प्रश्न पूछा है कि क्या मुआवजा दिया जायेगा या नहीं और मुआवजे की मात्रा क्या होगी ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : इस समय यह प्रश्न काल्पनिक है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मेरे इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया गया है कि यदि राष्ट्रीयकरण किया जाता है तो मुआवजे की मात्रा क्या होगी ?

अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करता हूँ कि वह प्रतिप्रश्न को ही उत्तर मान लें।

श्री स० मो० बनर्जी : हम किसी प्रकार का मुआवजा दिये जाने के पक्ष में नहीं है।

पी० एल० 480 निधियों का उपयोग

*92. **श्री एच० एन० मुकर्जी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमेरिका सरकार ने भारत स्थित अमरीकी दूतावास में एकत्रित पी० एल० 480 की रुपया-निधियों के निपटान के बारे में कोई प्रस्ताव किये हैं।

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, और

(ग) उनके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (ग). संयुक्त राज्य अमेरिका की संचयी रुपया निधियों को तकनीकी शिक्षा और कृषि सम्बन्धी शिक्षा तथा आवासन और नगर विकास के काम में लाये जाने के लिये अमरीकी अधिकारियों के साथ अनौपचारिक रूप से बातचीत की जा रही है। इस संदर्भ में, इन प्रयोजनों के लिए अक्षय-निधियों के निर्माण के प्रश्न पर भी

विचार-विमर्श किया गया। अभी तक इस बातचीत के कोई औपचारिक परिणाम नहीं निकले हैं।

श्री एच० एन० मुकर्जी : क्या मंत्री महोदय सदन को इस बारे में सूचना देंगे कि भारत स्थित संयुक्त राज्य दूतावास पर खर्च करने के लिए तथा संयुक्त राज्य सूचना सेवा जैसे विभिन्न संगठनों पर व्यय करने के लिए उक्त दूतावास को कितनी धनराशि उपलब्ध की गई है ? सदन में पहले जो रिपोर्ट दी गई थी उसके अनुसार तो भारत स्थित संयुक्त राज्य दूतावास को पी० एल० 480 की रुपया निधियों से जो धनराशि उपलब्ध करवाई गई है वह विदेश स्थित हमारे सम्पूर्ण दूतावासों के लिए आवंटित धनराशि से अधिक है या हमारे सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सूचना अनुभाग से भी अधिक है, तो क्या इस वस्तुस्थित के सम्बन्ध में मंत्री महोदय कुछ तथ्य तथा आंकड़े प्रस्तुत करेंगे ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : यहाँ की सम्पूर्ण निधियों की जो धनराशि दूतावास के कार्यो के लिए निश्चित की जाती हैं, मैं इसका प्रतिशत बता सकता हू। परन्तु उनके व्यय का विवरण देना बहुत कठिन है क्योंकि वह तो तैयार ही नहीं किया जाता। इससे सम्बद्ध सम्पूर्ण व्यौरा भी मेरे पास नहीं है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : वे इन्हें बताते ही नहीं।

श्री एच० एन० मुकर्जी : मैं व्यय का विवरण नहीं पूछना चाहता। मैं तो केवल यह पूछना चाहता हूँ कि भारत स्थित अमरीकी दूतावास के लोगों को व्यय करने के लिए कितनी धनराशि उपलब्ध की गई है ? वह इसे किस प्रकार व्यय करते हैं, यह तो जानना इनका काम नहीं है क्योंकि यह सम्भवत: समझौते की ही शर्त है परन्तु क्या इससे सम्बद्ध आंकड़े उनके पास हैं।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : इसके कुछ आँकड़े मेरे पास हैं। जहाँ तक संयुक्त राज्य दूतावास को उपलब्ध की गई उस धनराशि का सम्बन्ध है जिसका उपयोग वह कर सकते हैं उसकी प्राप्ति तथा आबंटन 513.19 करोड रुपये हैं इसमें से अब तक 229.53 करोड रुपये की धनराशि का व्यय तथा भुगतान किया गया है। यह आंकड़े अब तक की सम्पूर्ण कार्यावधि के हैं।

श्री एच० एन० मुकर्जी : भारत स्थित संयुक्त राज्य के दूतावास द्वारा व्यय किये जाने वाले धन पर नियन्त्रण करने और डालरों में संयुक्त राज्य का ऋण लौटाने के सम्बन्ध में भारत को जिस कठिनाई का सामना करना पड रहा है उसे दृष्टिगत रखते हुये, मैं सरकार से यह पूछना चाहता हू कि क्या वह आस्थगित भुगतान के बारे में किन्हीं ऐसे सुझावों पर विचार कर रही है जिससे हमें बाद में यह पता लग सके कि अमरीकी विदेश नीति अपनी सहायता का प्रयोग शोषण के लिए करती है, वास्तव में अपनी विदेश नीति के लिए करती है।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : यह प्रश्न बहुत उचित है और मैं विस्तारपूर्वक इसका उत्तर देने का प्रयत्न करूंगा। इस प्रश्न के दो पहलू हो सकते हैं। इसका एक पहलू रुपये वाला है

और उसे हम और अधिक नहीं बढने देगे । इसलिए हमने अपनी नीति में अब यह स्पष्ट कर दिया है कि बाद का सम्पूर्ण भुगतान डालरो में ही किया जायेगा । जिस समझौते के अन्तर्गत हमने यह भुगतान आँशिक रूप से रुपये में करना था, उसका यह अन्तिम वर्ष है और अगले वर्ष से रुपये में भुगतान नहीं किया जायेगा । यह तो हुआ प्रश्न का एक भाग ।

दूसरा भाग यह है कि भारत में एकत्रित उनका रुपया कितना है और भारत में रुपये से सम्बद्ध उनके करार कितने हैं । इसी सम्बन्ध में मैं यह भी बताना चाहता हू कि संयुक्त राज्य सरकार ने रुपये की समस्या को समझने में दिलचस्पी व्यक्त की है । मुझे आशा है कि वह इस मामले में निर्माणात्मक दृष्टिकोण अपनायेंगे । इसमें कोई संदेह नहीं कि इस समस्या को स्थाई रूप से सुलझाने के लिए दोनों देशों को परस्पर सूझ-बूझ से कार्य करना पड़ेगा ।

Shri Ram Chandra Vikal : May I know from the Finance Minister as to when negotiating will be started and when they are likely to be completed?

Shri Yashwantrao Chavan : Negotiations came to an end with the agreement of P. L. 480. I have already said that its mode will be changed next year. But when it will be made permanent, it will take a long time.

श्री एस० एम० बनर्जी : क्या माननीय मंत्री को मालूम है कि संयुक्त राज्य के दूतावास में पी० एल० 480 के अन्तर्गत एकत्रित निधियों में से मध्यावधि चुनावों के समय बहुत सा धन निकलवाया गया और उसे अत्यधिक प्रतिक्रियावादी राजनीतिक दलों को दिया गया······

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : भारतीय साम्यवादी दल को,

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

श्री एस० एम० बनर्जी : मुझे जानकारी चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : इसका सम्बन्ध निधियों के निपटान से है ।

श्री एस० एम० बनर्जी : मैं यह जानना चाहता हू कि क्या हाल ही के चुनावों में इस रुपये का प्रयोग किया गया था ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : नहीं, मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है ।

श्री सुरेन्द्र महन्ती : प्रश्न पी० एल० 480 कार्यक्रम के अन्तर्गत एकत्रित निधियों के निपटान के बारे में है । क्या यह सच है कि कुछ समय पूर्व संयुक्त राज्य सरकार ने इन एकत्रित निधियों से एक ऐजूकेशन फाऊन्डेशन की स्थापना करने का प्रस्ताव किया था ? यदि हां तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया हैं ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मेरा ख्याल है कि यह प्रश्न सदन में अनेक बार पूछा जा चुका है । सरकार द्वारा इस प्रकार के किसी भी प्रस्ताव के समर्थन का कोई प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री ज्योतिर्मयबसु : खाद्य सामग्री के अतिरिक्त सरकार पी एल 480 योजना के अन्तर्गत

ग्रौर किन-किन वस्तुग्रों का ग्रायात कर रही है । गत तीन वर्षों में सरकार ने पी एल 480 योजना के ग्रन्तर्गत भारत में ग्रमरीकी दूतावास के व्यय को वहन करने के ग्रतिरिक्त ग्रौर किन-किन मदों को लिया है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : दूसरी वस्तुग्रों में तिलहन तथा रुई ग्राती हैं । ये बहुत महत्वपूर्ण वस्तुयें हैं । दूसरी मदों के ग्रन्तर्गत समझौतों के ग्रनुरूप भारत ग्रमरीकी सहयोग से स्थापित किये गये उद्योग ग्राते हैं ।

श्री कार्तिक उरांव : क्या सरकार को इस बात का पता है कि पी एल 480 निधि का वितरण ईसाई मिशन केन्द्रों के द्वारा की एक क्षेत्र विशेष में कि धर्मान्तिरण को प्रोत्साहन देने हेतु तथा समस्त देश में निर्धन तथा सीधे साधे ग्रादिवासियों में ईसाई धर्म के विस्तार के हेतु किया जा रहा है ग्रौर इस प्रकार देश की धर्म निर्पेक्षता के महत्व को घटाया जा रहा हैं......

ग्रध्यक्ष महोदय : जी नहीं ।

श्री कार्तिक उरांव : यदि हां तो सरकार ग्रपने द्वारा इस धन का उचित रूप से पिछड़ी जातियों में वितरण करने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है जिससे इस धन के विषमतापूर्ण वितरण को रोका जा सके ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मेरे विचार से उनका यह ग्रारोप ठीक नहीं है । पी एल 480 निधि का उपयोग जिस प्रकार से किया जा रहा है वह सरकार की ग्रनुमति से किया जा रहा है सम्भवतया उनका तात्पर्य ग्रनुदानों से है जो मिश्नरियों को किसी ग्रन्य स्थान से प्राप्त हो रही है ।

विमान ग्रपहरण की घटनाग्रों को रोकने के लिए रक्षकों को विशेष प्रशिक्षण

*93. **श्री जी० विश्वनाथन** : क्या **पर्यटन तथा ग्रसैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भविष्य में बिमान ग्रपहरण की घटनाग्रों को रोकने के लिए रक्षकों (गार्डों) को विशेष प्रशिक्षण दे रही है; ग्रौर

(ख) सरकार ने ग्रन्य क्या पूर्वोपाय किये हैं ?

पर्यटन तथा ग्रसैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) ग्रौर (ख). सुरक्षा व्यवस्था को ग्रौर ग्रधिक परिपुष्ट किया जा रहा है तथा कई कड़े उपाय प्रवर्तित कर दिये गये हैं जिनमें यात्रियों एवं उनके दस्ती सामान की हथियारों की दृष्टि से तलाशी व जांच पड़ताल भी शामिल है । सम्बन्धित पुलिस कर्मचारियों को विशेष हिदायतें दे दी गयी हैं ।

श्री जी० विश्वनाथन : हाल ही में इन्डियन एयरलाइन्स के विमान का जो ग्रपहरण किया गया उससे सरकार को सतर्क हो जाना चाहिए ग्रौर विशेषतया ग्रसैनिक उड्डयन मंत्रालय को सतर्क हो जाना चाहिये । यह उपहास्पद बात हैं कि विमान हर्ताग्रों में से एक सीमा सुरक्षा

दल का सदस्य था और कथित राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चे का भी। भारत सरकार तथा जम्मू और काश्मीर सरकार इस तोड फोड की कार्यवाही तथा विमान अपहरण के लिये उत्तरदाई है।

मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि क्या श्रीनगर में हवाई अडड़े के अधिकारियों को विमान अपहरण के रोकने के लिये सतर्कता बरतने के जो अनुदेश दिये गये थे क्या वे इन्हें क्रियान्वित करने में असफल रहे, और यदि हां तो सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार ने विमान हर्ताओं को, चाहे वे संसार के किसी भी भाग के निवासी हों और किसी भी वर्ग से सम्बद्ध हों, दंड देने के लिये अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय का प्रस्ताव करने का विचार कर रही है ?

डा० कर्णसिंह : वास्तव में विमान अपहरण के सम्बन्ध में विस्तृत अनुदेश विमान अपहरण की इस घटना के बाद में दिये गये। अत: यह प्रश्न ही नहीं उठता कि अधिकारियों ने अनुदेशों का पालन नहीं किया।

श्री जी विश्वनाथन : ऐसी घटनायें पिछले तीन, चार वर्षों से हो रही हैं।

डा० कर्ण सिंह : सामान्यतः हम इसकी ओर ध्यान तो देते रहे हैं परन्तु विमान अपहरण की इस घटना के पश्चात् अधिक दृढ़ कार्यवाही की गई है।

जहां तक संहिता का सम्बन्ध है विमान अपहरण के सम्बन्ध में एक अन्तर्राष्ट्रीय कानून है जिसके अनुसार ऐसी घटनायें आपराधिक हैं और यही कारण है कि हमने किसी नई संहिता के लिये कोई प्रस्ताव नहीं किया है।

श्री जी० विश्वनाथन : जैसा कि मंत्री महोदय ने बताया है इसमें कोई संदेह नहीं है कि यात्रियों की तलाशी ली जाती है और हम भली भांति जानते हैं कि किस प्रकार सिर से पैर तक तलाशी ली जाती है। यात्रियों को इस परेशानी से बचाने के लिये क्या सरकार देश के सभी हवाई अडडों पर मेटल डिटेक्टरस लगाने के सम्बन्ध में विचार करेगी।

डा० कर्णसिंह : जी हां कुछ बिशेष अड्ड़ों पर ऐसी व्यवस्था की जा रही है। परन्तु तलाशी लेने की आवश्यकता फिर भी बनी रहेगी क्योंकि प्रत्येक हवाई अड्ड़े पर ऐसी व्यवस्था कर पाना संभव नहीं है। ऐसी भी संभावनायें हैं कि बहुत सी चीजों का मेटल डिटेक्टरों से पता नहीं लगाया जा सकता। अत: इस कार्यवाही के साथ साथ तलाशी लेने का कार्य भी जारी रहेगा।

श्री के० लकप्पा : हाल ही में हुये मध्यावधि चुनावों के दौरान स्वतन्त्र दल के मुख्य सचिव वितरण करने के लिये धनराशि ले जा रहे थे और उस धनराशि को जब्त कर लिया गया है।

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया मूल प्रश्न तक ही सीमित रहें।

श्री के० लकप्पा : मैं यह जानना चाहता हूँ कि सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है, क्या इस सम्वन्ध में कोई जांच कराई गई है ?

अध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है कि आपका प्रश्न संगत नहीं है ।

श्री के० लकप्पा : यह आधिकारिक सूचना है ।

अध्यक्ष महोदय : आप इसके लिये अलग से सूचना दें सकते हैं वर्तमान प्रश्न से आपके प्रश्न का कोई सम्बन्ध नहीं है । मैं इसके लिये अनुमति नहीं दे रहा हूँ ।

श्री के० लकप्पा : प्रश्न विषय से सम्बद्ध है, मुझे हां या नहीं में उत्तर दिया जाय ।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न विषय से संबद्ध नहीं है ।

श्री के० लकप्पा : मैं आपका संरक्षण चाहता हू । ऐसी बातें प्रकाश में आई हैं ।

अध्यक्ष महोदय : मुझे ही आपके संरक्षण की आवश्यकता है ।

श्री एस० यू० शमीम : क्या यह सच है कि विमानहर्ता हमीम कुरैशी सीमा सुरक्षा पुलिस का कर्मचारी था ? क्या यह भी सच है कि उसने राज्य सरकार को सूचित किया था कि पाकिस्तान द्वारा विमान का अपहरण किया जायगा और जब राज्य सरकार ने उससे जानकारी प्राप्त करनी चाही, किसी केन्द्रीय ऐजेन्सी ने ऐसा करने की अनुमति नहीं दी ? इस बात को ध्यान में रखते हुये सतर्कता संबन्धी क्या कार्यवाही की गई ?

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संरक्षकों के विशिष्ट प्रशिक्षण तथा सतर्कता संबंधी कार्यबाही के विषय में है । किसी व्यक्ति के सम्बन्ध में प्रश्न नहीं किया गया है ।

श्री एस० ए० शमीम : विमान अपहरण रोकने के लिये जिस प्रशिक्षण निकाय का गठन किया गया था कुरैशी भी उसका एक सदस्य था ।

अध्यक्ष महोदय : आप उसके लिये अलग से सूचना दे सकते हैं ।

आयकर की बकाया राशि की वसूली

95. **श्री चन्द्रप्पन :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय आयकर की कुल कितनी राशि वकाया है;

(ख) बकाया राशि को वसूल करने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ;

(ग) क्या इन उपायों के परिणामस्वरूप बकाया राशि की वसूली में कुछ प्रगति हुई है ; और

(घ) यदि हां तो कितनी प्रगति हुई हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) 31 दिसम्बर 1970 को आयकर की बकाया वसूली होनी रकमें 565.73 करोड़ रुपये थीं ।

(ख) अपेक्षित सूचना सभा की मेज पर रखे गये विवरण पत्र में दी गयी हैं।

(ग) और (घ) : जी हां। बकाया मांग में से 31 दिसम्बर 1970 तक 119.52 करोड रुपया वसूल हुआ है, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में 98.74 करोड रुपये की वसूली हुई थी।

विवरण

आयकर की बकाया की शीघ्र वसूली के लिए निम्नलिखित विशिष्ट उपाय किये गये हैं:—

(i) वसूली का जो कार्य अब तक राज्य सरकारों के कर्मचारियों द्वारा किया जाता था, उसे केन्द्र सरकार ने अपने हाथ में ले लिया है। दिल्ली, आंध्र प्रदेश, गुजरात तथा राजस्थान के आयुक्तों के अधिकार क्षेत्रों में तो विभाग ने यह कार्य पूर्णतः अपने हाथ में ले लिया है। पश्चिम बंगाल, मद्रास, मैसूर, उत्तर प्रदेश, बम्बई तथा पूना, के आयुक्तों के अधिकार क्षेत्रों में यह कार्य अभी आंशिक रूप में लिया गया है।

सरकार ने हाल में ही कर वसूली अधिकारियों के 68 पद बनाने की मंजूरी की है, जिससे उपर्युक्त शेष आयकर आयुक्तों के अधिकार क्षेत्रों में भी वसूली का कार्य विभाग द्वारा पूरी तरह अपने हाथ में ले लिया जा रहा है।

(ii) कर्त्तव्य के अनुसार कार्य विभाजन योजना 1966 में लागू की गई थी जिसके अधीन करों की वसूली का कार्य रेंज में एक अथवा एक से अधिक आयकर अधिकारियों का विशेष कार्य बना दिया गया है। इस योजना का पिछले वर्ष विस्तार किया गया है।

(iii) कर की अदायगी में विभाग द्वारा अब रेखांकित चैक स्वीकार किये जाते हैं तथा इस प्रयोजन के लिए आयकर कार्यालयों में विशेष प्राप्ति काउण्टर खोले गये हैं।

(iv) कुछ निर्धारित सीमाओं से अधिक करों की अदायगी करने में चूक करने वाले कर-निर्धारितियों के नाम प्रकाशित किये जाते हैं।

(v) सारे देश में बकाया बेबाकी पखवाड़े आयोजित किए जाते हैं। इस दौरान अनिर्णित समायोजनों मूल सुधारों को पूरा करने, अपीलीय आदेशों के पालन तथा निर्धारितियों की तरफ बकाया शुद्ध माँगों की वसूली पर विशेष बल दिया जाता है।

(vi) बम्बई और कलकत्ता के आयुक्तों के अधिकार क्षेत्रों में केवल वसूली के कार्य के लिए दो-दो अपर आयकर आयक्त (वसूली) नियुक्त किये गये हैं। इसी प्रकार दिल्ली तथा मद्रास के आयुक्तों के अधिकार क्षेत्रों

में एक एक अपर आयकर आयुक्त (वसूली) नियुक्त किया गया है।

(vii) बकाया मांगों के काम को निपटाने के कार्य के लिए सरकार ने हाल ही में 60 पद आयकर अधिकारी (वसूली) के मंजूर किये हैं।

श्री चन्द्रप्पन : मंत्री महोदय ने जो विवरण प्रस्तुत किया है उससे यह प्रकट होता है कि आयकर की बकाया राशि 565.73 करोड़ तक पहुच गई है जबकि 1969 में दिये गये विवरण में यह राशि 554 करोड रुपये बताई गयी थी। उस समय 20 व्यक्ति अथवा कम्पनियां ऐसी थी जिन पर आयकर की बकाया राशि एक करोड रुपये से अधिक थी। इन कम्पनियों से बकाया राशि वसूल करने के लिये कौन से कदम उठाये गये हैं और क्या सरकार ने इस बकाया की कुछ राशि बट्टे खाते में डाल दी है।

श्री विद्याचरण शुक्ल : प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर में जो विवरण सदन के पटल पर रखा गया है उसमें बकाया राशि को वसूल करने सम्बन्धी कार्यवाही का उल्लेख किया गया है। जहां तक व्यक्ति विशेष का संबन्ध है, यदि माननीय सदस्य ऐसे कुछ व्यक्तियों के नाम बताते हैं तो में उनके संबन्ध में सूचना प्राप्त करके बता सकता हूँ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यह सूचना तो सरकार को देनी चाहिये।

श्री विद्या चरण शुक्ल : मुझे पता नहीं माननीय सदस्य का तात्पर्य किस कम्पनी से है। यदि वह कोई ब्यौरा दें तो सूचना एकत्र की जा सकती है। हम कोइ भी सूचना छुपाना नहीं चाहते हैं।

जहां तक बकाया धनराशि की वसूली का प्रश्न है, मेंने अपने उत्तर में बताया हैं कि सरकार ने क्या नई कार्यवाही की है। बकाया धनराशि की वसूली तीव्र गति से की जा रही है। और अब बकाया राशि पहले की अपेक्षा बहुत कम है।

श्री एस० एम० बनर्जी : यह प्रश्न पूछा गया है कि सरकार ने बकाया राशि में से कितनी बट्टे खाते में डाल दी है।

अध्यक्ष महोदय : वह स्वयं पूछेंगे।

श्री चन्द्रप्पन : कितनी धनराशि बट्टे खाते में डाल दी गई है।

विद्याचरण शुक्ल : यदि उनका तात्पर्य यह है कि एक करोड़ रुपये से अधिक की कुछ विशेष कम्पनियों पर बकाया आयकर की कितनी राशि बट्टे खाते में डाल दी गई है, तो सारी स्थिति बताने के लिये कम्पनियों के नाम बताये जाने आवश्यक हैं। यदि सामान्य रूप से पूछना चाहते हैं तो मैं यह बता सकता हूँ कि यह धनराशि क्यों बट्टे खाते में डाल दी गई है, इसके कारण ये हैं कि इसे वसूल नहीं किया जा सका कम्पनियों का दिवाला निकल गया था अथवा

व्यक्तियों को खोजा नहीं जा सका। कुछ आंकड़े इस प्रकार हैं। 1967-68 में 33.66 रुपये की राशि बट्टे खाते में ड़ाल दी गई। 1968-69 में 62.42 लाख रुपये की 1969-70 में 238.28 लाख रुपये तथा 1970-71 में 415.27 लाख रुपये की राशी बट्टे खाते में डाल दी गई यह बोर्ड के स्तर पर किया गया है। (व्यवधान)

श्री चन्द्रप्पन : मंत्री महोदय ने उन कम्पनियों के नाम जानने की इच्छा प्रकट की है जिन पर 1 करोड़ रुपये से अधिक आयकर बकाया है। 16-12-1969 को राज्य सभा में श्री प्रकाश चन्द सेठी ने जो उत्तर दिया है में उसी में से पढता हूँ। उत्तर में कहा गया है कि इस संबंध में कलकत्ता के श्री काशीराम अग्रवाल अग्रगण हैं। उनपर 3.3 करोड रुपये बकाया है। इसके पश्चात् बालाराम, तोलूराम पर 2.9 करोड, जयन्ती शिपिंग कारपोरेशन के भूतपूर्व अध्यक्ष श्री धरमतेजा पर 2.89 करोड और दिल्ली के श्री र० डालमिया पर 2.04 करोड़ रुपये की राशियां बकाया हैं। यदि मंत्री महोदय को आवश्यकता हो तो यह सूची उन्हे दे सकता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : जी हां (व्यवधान)

श्री चन्द्रप्पन : मैं यह जानना चाहता हू कि इन व्यवसायियों की तरफ बकाया राशि में से कितनी वसूली हुई है और कितनी राशि बट्टे खाते में डाल दी गई है।

श्री विद्याचरण शुक्ल : यदि इस सम्बन्ध में कोई विशिष्ट प्रश्न किया जाता है तब मैं माननीय सदस्य को तथा सदन को यह सूचना दे सकता हूँ।

डा० राणेनसेन : राज्य सभा में यह प्रश्न 1967 में पूछा गया था और इसका उत्तर भी दिया गया था। अतः मंत्री महोदय को सदन में विषय से सम्बद्ध पूरी जानकारी के साथ उपस्थित होना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न सामान्य पूछा गया है। यदि कुछ नाम बताये जाते तो मंत्री द्वारा उत्तर दिया जा सकता था। अब वह कहते हैं कि इस सम्बन्ध में पहले सूचित किया जाना चाहिये। नोटिस देने के पश्चात वह सूचना दे सकेंगे।

श्री चन्द्रप्पन : प्रश्न बिलकुल स्पष्ट है। मैंने यह प्रश्न पूछा है कि बकाया राशि को वसूल करने के लिये क्या कार्यवाही की गई और क्या इस कार्यवाही के फलस्वरूप बकाया राशि की वसूली में कोई सुधार हुआ है मैं समझता हूँ कि मंत्री महोदय को उत्तर के लिये तैयार होकर आना चाहिये था।

अध्यक्ष महोदय : वह कुल अनुपात बता सकते हैं कुछ विशेष कम्पनियों आदि के बारे में नहीं। यदि इसकी सूचना अलग से दी जाय तो अच्छा है। (व्यवधान) मेरे विचार से माननीय सदस्यों के लिये यह ठीक ही होगा। यदि विशिष्ट नाम लेकर प्रश्न पूछा जाय तो उत्तर सही सही प्रांप्त हो सकता है।

Shri Ishaq Sambhali : They are trying to save the capitalists. This is the only meaning of all this **(interruptions).**

श्री चन्द्रप्पन : मंत्री महोदय ने अपने विवरण में कहा है....

अध्यक्ष महोदय : आप अपना प्रश्न समाप्त कर चुके हैं । श्री नाहाटा

श्री अमृत नाहाटा : जब सरकारी शेष राशि छोटे लोगों तथा अन्य व्यक्तियों पर बकाया नहीं रहती तो बड़े व्यवसाईयों पर देय राशि बकाया क्यों रहती है । क्या सरकार के पास कोई ऐसी सांविधिक शक्ति है जिससे आयकर की यह बकाया राशि वसूल की जा सके । यदि सरकार के पास ऐसी कोई शक्ति है तो उस शक्ति का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है । यदि सरकार के पास ऐसी कोई शक्ति नही हैं तो इस बकाया राशि को शीघ्र वसूल करने के उद्देश्य से क्या सरकार ऐसी संविधिक शक्ति प्राप्त करेगी ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : सरकार के पास शक्ति है और ऐसी शक्तियों के उपयोग के कारण ही बकाया राशि की स्थिति में सुधार हुआ है । जो मैंने प्रश्न के भाग (ग) और (घ) के उत्तर में बताया हैं । हमें बकाया राशि को भू-राजस्व की बकाया राशि के रूप में वसूल करने का अधिकार है । हमारी यह कठिनाई भी कि वसूली की कार्यवाही राज्य सरकारों के माध्यम से की जानी थी और राज्य की व्यवस्था के माध्यम से आयकर की वकाया राशि वसूल करने में हमें बहुत कठिनाई हुई । अब हमने अधिकार अपने हाथ में ले लिये हैं और कई आयकर आयुक्तों के संकलों में धन वसूल किये जाने के लिये स्टाफ नियुक्त किया गया है । कइ संकलों में यह कार्य आंशिक रूप से किया गया है और कई अन्य संकलों में हम इसे शीघ्र ही लागू करने वाले हैं । इसे सभी संकलों में सीधे लागू करना सम्भव नहीं है क्योंकि हमें ऐसे योग्य अधिकारियों को नियुक्त करना पड़ता है जो वसूली की कार्यवाही को अदालतों में भी ले जा सकें और इसी प्रकार के कदम उठा सकें । मैं श्री सम्भली की इस वात का पूरी तरह खंडन करता हूँ कि कोई व्यक्ति बड़े साहूकारों को संरक्षण देने का प्रयास कर रहा हैं । श्रीमन्, जैसा आपने कहा कि जब तक कोई विशेष प्रश्न नहीं पूछा जाता है तब तक इसी समय सारी सूची देना मेरे लिये सम्भव नहीं है । परन्तु यह कहना सही नहीं है कि सरकार किसी को संरक्षण देना चाहती है । हमारे पास जितनी जानकारी है हम उसे सदन को देने के लिये तत्पर हैं ।

श्री एस० बी० गिरि : क्या मैं जान सकता हूँ कि आयकर अपवंचन के कारण कितने लोगों को जेल भेजा गया और उनके क्या नाम हैं ।

अध्यक्ष महोदय : कृपया उसके लिये अलग सूचना दीजिए ।

श्री एस० बी० गिरि : उन्होंने कहा कि सरकार ने कानूनी अधिकार अपने हाथ में ले लिये हैं कितने मामलों में आयकर अपवंचकों के विरुद्ध कार्यवाही की गई ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : यदि कोई विशेष प्रश्न किया जाये तो मैं सारी जानकारी दूंगा ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : श्रीमन् हम आपका संरक्षण चाहते हैं । प्रश्न को टाला जा रहा है । यदि वह विस्तार पूर्वक नहीं बता सकते हैं तो कम से कम इस अपराध के कारण जेल भेजे

गये व्यक्तियों की कुल संख्या तो बता सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि एक भी आयकर अपवंचक को जेल में नहीं डाला गया हो।

Shri Jharkhande Rai: The Hon. Minister has said about the arrears of income-tax. May I know the names of the parties, factories or companies against which arrears are outstanding and the amount which is outstanding against them? What is their total number and which are 10 out of them against which the largest amounts are outstanding?

श्री विद्याचरण शुक्ल : मुख्य प्रश्न बकाया राशि, उसे वसूल करने के लिये की गई कार्यवाही तथा क्या बकाया राशि की स्थिति इन कार्यवाहियों के पश्चात सुधरी है अथवा नहीं, के बारे में है। में इसका उत्तर दे चुका हूँ। अब माननीय सदस्य पार्टियों के नाम, प्रत्येक पार्टी के नाम बकाया राशि आदि के बारे में प्रश्न पूछ रहे हैं। भारतीय साम्यवादी दल के नेता को यह कहने में बड़ी खुशी हुई कि पर्याप्त जानकारी नहीं दी जा रही है और जानकारी देने में टाल मटोल की जा रही है। यह बात बिलकुल गलत है। हम किसी भी जानकारी को देने में टाल मटोल नही करना चाहते हैं। सही वात तो यह है कि हमारी यह नीति है कि जितनी अधिक जानकारी कर अपवंचकों के बारे में सम्भव हो उतनी अधिक जानकारी उनके नामों के बारे में दी जाय ताकि देश को यह मालूम हो सके कि कर अपवंचक कौन हैं।

अध्यक्ष महोदय : यदि आप प्रश्न का उत्तर देने की स्थिति में नहीं हैं तो उन्हे लम्बा स्पष्टीकरण देने की अपेक्षा अलग सूचना देने के लिये कह दें।

श्री विद्याचरण शुक्ल : एक ही प्रश्न को माननीय सदस्य बार बार पूछ रहे हैं। आपके माध्यम से मैं उनसे अनुरोध करना चाहूँगा कि वे विशेष मामलों पर विशेष प्रश्न पूछें ताकि मैं सारी जानकारी दे सकूं।

श्री एस० एम० बनर्जी : जब आपने उन्हे नाम बताने को कहा तो किसी अलग सूचना की आवश्यकता नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : यह एक सामान्य प्रश्न है। यदि आपने नामों के बारे में पूछा होता तो वह नाम बता सकते थे।

Shri Jharkhande Rai: Mr. Speaker, Sir, I asked a specific question from the Hon. Minister and that was about the total amount and how many parties are in arrears? Has it also become a general question now?

श्री विद्याचरण शुक्ल : मैंने आयकर की कुल बकाया राशि के बारे में बता दिया है। इस समय मुझे यह मालूम नहीं है कि कितनी पार्टियों के नाम राशि बकाया है। यदि विशेष प्रश्न पूछा जायेगा तो में उसकी सारी जानकारी दे दूंगा।

सफदरजंग हवाई अड्डे का स्थान परिवर्तन

***96. श्री इसहाक सम्भली : क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा **करेंगे कि :**

(क) क्या सरकार ने सफदरजंग हवाई अड्डे को उसके वर्तमान स्थान से हटा कर अन्यत्र बनाने के प्रश्न पर विचार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी निर्णय क्या है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख). सफदरजग विमानक्षेत्र के स्थानान्तरण के प्रश्न की जांच की जा रही है। इस बीच यह निर्णय किया गया है कि 1 मई 1971 से सफदरजंग से डी० सी०-3 अथवा बडे परिवहन विमानों द्वारा यात्री सेवाओं के परिचालन बन्द करके दिल्ली (पालम) विमान क्षेत्र पर ले जाये जायेंगे।

Shri Sarjoo Pandey: May I know from the Hon. Minister the reasons for shifting these aircraft from the Safdarjung aerodrome? After all why did the Government consider about it ? Would the Hon. Minister reply to it ?

Dr. Karan Singh: The Safdarjung aerodrome is located at such a place which has now been surrounded by the buildings and, therefore, we decided that it would be more convenient if the operation of big and heavy aeroplanes was shifted to Palam Aerodrome. Apart from this, there are so many other reasons. For them the Safdarjung Aerodrome is not suitable.

ऋणों की इक्विटी शैयरों में परिवर्तित करना

*97. **श्री तेजा सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं द्वारा गैर-सरकारी उद्योगों को दिये गये ऋणों को इक्विटी शेयरों में परिवर्तित करने सम्बन्धी निर्णय कार्यान्वित किया गया है; और

(ख) यदि हाँ तो इसका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) : औद्योगिक लाइसेंस नीति विषयक जांच समिति की सिफारिशों पर सरकार के उस निर्णय को सरकारी क्षेत्र की वित्तीय संस्थाओं ने नोट कर लिया है जिसमें उन संस्थाओं से यह उपेक्षा की गई है कि वे भविष्य में जो भी ऋण दें और जो भी ऋण -पत्र खरीदें उन्हें सहायता प्राप्त कम्पनियों की शैयर पूंजी में परिवर्तित करने के लिए अपने बिकल्पाधिकार का प्रयोग करें, और ये संस्थाएं संगत मामलों में इस निर्णय का पालन कर रही है। इस विषय में विस्तृत मार्गदर्शक सिद्धान्तों पर सरकार तत्परता से विचार कर रही है और आशा है उन्हें शीघ्र ही अन्तिम रूप दे दिया जायगा।

श्री चिन्तामणि प्राणीग्रही : इक्विटी शेयर के सम्बन्ध में ऐसे कौन से संगत मामले हैं जिन पर आगे कार्यवाही की जा रही है?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : जब मैंने संगत मामलों का उल्लेख किया था तो मेंरा तात्पर्य उन मामलों से था जिनके बारे में नियमित वित्त पोषक संस्थाओं द्वारा आवेदन-पत्र प्राप्त कर लिये गये हैं और जहां पूंजी का वृहतर भाग उनके द्वारा जुटाया जायेगा। जैसा कि मैंने कहा

हैं, इन मामलों में सरकारी वित्त पोषक संस्थाओं के प्रयोग के लिये कुछ विस्तृत मार्गदर्शन आवश्यक हैं। उन्हें मंत्रालय स्तर पर चर्चा के पश्चात अन्तिम रूप दिया जाता हैं। हमने रिजर्व बैंक से कुछ सिफ़ारिशें मांगी थी जो हमें प्राप्त हो गई हैं। मैं समझता हूँ कि अब इसे अन्तिम रूप दिये जाने की ही अवस्था है।

श्री चिन्तामणि प्राणिग्रही : मैं जानना चाहता हूँ कि क्या उन्होंने उपलब्ध सामग्री पर आगे कार्यवाही की है और क्या कम्पनियां इक्विटी भागिता के लिये सहमत हो गई हैं ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : जब तक मुझे विशेष मामलों के बारे में जानकारी न हो तब तक मैं कोई जानकारी नहीं दे सकता हूँ।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : विचाराधीन मामले बिना ब्याज के ऋण देने के बारे में है अथवा ब्याज सहित ऋण देने के बारे में है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मेरे विचार से तो कोई ऐसा ऋण नहीं होता है जिस पर ब्याज न लिया जाता हो।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : ऐसे मामले हैं।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : शायद आप मुझ से अधिक जानते हैं।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : कतिपय मामले आपके विचाराधीन है, मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या ऋण बिना व्याज के दिया जायेगा अथवा ब्याज पर दिया जायेगा यही मेरा प्रश्न है। कृपया उत्तर देने में टाल मटोल न कीजिये।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : स्वभावत: ऋण के ये ऐसे मामले हैं जिन पर ब्याज लगता है।

1970-71 तथा 1971-72 में उड़ीसा में पर्यटन केन्द्रों का विकास

*99. **श्री चिण्तामणि प्राणिग्रही** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे। कि :

(क) क्या 1970-71 तथा 1971-72 में उड़ीसा में चिल्का झील, भुवनेश्वर, पुरी, कोणार्क आदि जैसे पर्यटन के महत्व के स्थानों के विकास के लिए कोई प्रावधान किया गया है; और

(ख) यदि हां तो तत्सम्बन्धी योजनाओं का ब्यौरा क्या है। और इन स्थानों के लिए क्या प्रावधान किया गया है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क). राज्य सरकार ने उड़ीसा **में पर्यटन स्कीमों के लिये 1970-71 के दौरान 7 लाख रुपये की तथा 1971-72 के लिये 10 लाख रुपये की अवस्था की। इस प्रयोजनार्थ कुल दो लाख रुपये के उपबन्ध में से 1971-72 के दौरान कोणार्क के लिये केन्द्रीय क्षेत्र में भी 0.50 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है।**

(ख); एक विवरण संलग्न है।

विवरण

क्रम संख्या	स्कीम	(आंकड़े लाख रुपयों में) बजट व्यवस्था	
		1970-71	1971-72
केन्द्रीय क्षेत्र			
(क)	कोणार्क	—	0.50
राज्य क्षेत्र			
(ख)			
1.	चिलका झील में मनोरंजन सुविधायें।	7.00	10.00
2.	भुवनेश्वर तथा पुरी में पर्यटक स्वागत केन्द्रों का निर्माण।		
3.	पुरी से कोणार्क तक मेरीन ड्राइव का निर्माण।		
4.	संभलपुर में पर्यटक बंगले तथा अन्य सुविधाओं का निर्माण।		
5.	भुवनेश्वर, पुरी, चंडीपुर में पर्यटक बंगलों का बिस्तार तथा इन स्थानों पर स्टाफ़ क्वार्टरों का निर्माण।		
6.	पर्यटन स्कीमों के क्रियान्वयन के लिये कर्मचारी वर्ग।		
7.	पर्यटन सम्बन्धी प्रचार।		
8.	परिवहन तथा संदर्शित पैकेज टूर।		
9.	स्थानीय महत्व के स्थानों के विकास के लिए स्थानीय संस्थाओं को अनुदान।		

श्री चिन्तामणि प्राणिग्रही : क्या चौथी पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष में 3 लाख रुपये और दूसरे वर्ष में 2 लाख रुपये की व्यवस्था चिल्का झील पर मनोरंजन की सुविधाओं का विकास करने के लिये की गई थी और क्या अब तक इस परियोजना को क्रियान्वित कर दिया गया है और यदि नहीं तो क्यों नहीं किया गया हैं ?

डा० कर्ण सिह : चिल्का झील परियोजना राज्य क्षेत्र के अन्तर्गत आती है। कोणार्क के लिये केन्द्रीय व्यवस्था है। उसे हम चालू वित्तीय वर्ष में लागू करने की आशा कर रहे है।

श्री चिंतामणी पाणिग्रही : मंत्री महोदय को स्मरण कराने के लिये क्या मैं बता सकता हूँ कि योजना के भाग 1, 2 तथा 3 में अभी हाल में परिवर्तन किया गया है। उड़ीसा सरकार द्वारा ऐसा संकेत दिया गया है कि उड़ीसा में पर्यटन के बिकास के लिये चौथी योजना के व्यय किये जाने वाले 36 लाख रुपये में से भारत सरकार 30 लाख रुपये देने जा रही है। चिल्का झील योजना केन्द्र क्षेत्र का एक भाग है और 3 लाख रुपये में से 2 लाख रुपये उसे वहन करने हैं। क्या उसने अपना व्यय का भाग दिया है और यदि नहीं, तो क्यों नहीं दिया और पर्यटक आकर्षण के सुन्दर स्थल चिल्का झील पर मनोरंजन की सुविधायें क्यों नहीं दी हैं? मैं जानना चाहूँगा कि ऐसा क्यों नहीं किया गया है?

डा० कर्णसिंह : इस समय राज्य योजनायें और केन्द्र योजनायें चल रही हैं। चिल्का झील परियोजना को राज्य योजना में शामिल किया गया है। राज्य सरकार ने हाल ही में उसे केन्द्रीय क्षेत्र में शामिल करने का प्रस्ताव हमें भेजा है। सीमित साधनों के कारण हम ऐसा नहीं कर सकें। यदि योजना के मध्यावधि पुनर्मूल्लांकन में कोई और संसाधन मिलने वाले हैं तो हम जो कुछ कर सकते हैं उसे करने का प्रयास करेंगे।

श्री पी० जी० देव : श्रीमन्, आपको ज्ञात ही है कि उड़ीसा में हीराकुद बांध हीराकुद झील के साथ होने से एक सुन्दर स्थल हैं, क्या मैं जान सकता हूँ कि आगामी पंचवर्षीय योजना में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिये वहां पर कोई विकास किया जाने वाला है।

डा० कर्ण सिंह : इस समय कम से कम हीराकुद परियोजना को केन्द्रीय क्षेत्र में शामिल करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। यह निश्चय ही सुन्दर है। परन्तु देश में इतने अधिक रमणीक स्थल हैं कि सभी रमणीक स्थलों का विकास करना संभव नहीं है।

केन्द्रीय वेतन आयोग का प्रतिवेदन

*100. **श्री एस० एम० बनर्जी :**

श्री कल्याणसुन्दरम :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय वेतन आयोग ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) यदि नहीं, तो उपयुक्त प्रतिवेदन कब तक प्रस्तुत किया जायेगा; और

(ग) क्या अन्तरिम सहायता की राशि बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी नहीं।

(ख) यह बताना संभव नहीं है कि रिपोर्ट कब पेश होगी। यह ध्यान में रखना होगा कि वर्तमान आयोग के निर्देशीपद द्वितीय वेतन आयोग की अपेक्षा अत्यधिक विस्तृत हैं, क्योंकि तृतीय वेतन आयोग को रक्षा सेवाओं और अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों के वेतन ढांचे आदि

की जांच भी करनी है। आयोग से कहा गया है कि अपनी सिफारिशें यथा संभव शीघ्र पेश कर दे और आशा है कि वह ऐसा यथा संभव शीघ्रता से करेगा।

(ग) जी नहीं।

श्री एस० एम० बनर्जी : सरकारी स्तर पर उपलब्ध विभिन्न आंकड़ों से ज्ञात होता है कि देश में वस्तुओं की कीमतें अत्यधिक बढ़ गई हैं। सभा के भंग होने से पूर्व स्वयं वित्त मंत्री ने भी इस बात को स्वीकार किया था।

निम्न श्रेणी के कर्मचारियों को दी गई अन्तरिम राहत की अल्प-राशि को देखते हुये तथा वेतन आयोग के द्वारा विस्तृत विचारार्थ विषयों के कारण, प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने में होने वाले विलम्ब को ध्यान में रखते हुए, क्या सरकार तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को अंतरिम राहत की एक और किश्त देने के सम्बन्ध में विचार करेगी ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : संभवतः माननीय सदस्य को याद होगा कि दूसरे वेतन आयोग को सिफारिशें करने में दो वर्ष लग गए थे और हम आशा करते हैं कि यह आयोग इससे अधिक समय नहीं लेगा। जहाँ तक अन्तरिम राहत का प्रश्न है वेतन आयोग द्वारा उन सभी बातों को ध्यान में रखा गया था जिनका उल्लेख माननीय सदस्य ने किया है और सरकार ने इन सिफारिशों को ज्यों का त्यों स्वीकार कर लिया। उसके बाद यद्यपि कुछ वर्गों द्वारा अंतरिम राहत में संशोधन करने की मांग की गई थी किन्तु अन्ततः प्रायः सभी कर्मचारियों द्वारा यह अन्तरिम राहत बिना किसी विरोध के स्वीकार कर ली गई।

एक माननीय सदस्य : नहीं यह ठीक नहीं है।

श्री विद्याचरण शुक्ल : मेरे विचार में अन्तरिम राहत द्वारा उन्हें वह राहत मिली है जो हम उन्हें देना चाहते थे। जैसे ही वेतन आयोग की सिफारिशें हमें प्राप्त होंगी हम मामले पर अन्तिम रूप से विचार करेंगे। इस दौरान अन्तरिम राहत की एक और किश्त देना अथवा उसमें संशोधन करना संभव नहीं।

श्री एस० एम० बनर्जी : मंत्री महोदय ने यह तर्क दिया है चूंकि पहले वेतन आयोग ने 2 वर्ष का समय लिया और दूसरे ने 2½ वर्ष का, अतः तीसरे आयोग को तीन वर्ष का समय लेना चाहिए। यही उनके तर्क का सार है। किन्तु में यह बताना चाहता हूँ कि पहले वेतन आयोग के जल्दी प्रतिबेदन न प्रस्तुत कर पाने का कारण आंकड़ों की अनुपलब्धता थी। किन्तु दूसरे वेतन आयोग के पास सभी प्रकार के आंकड़े मौजूद थे। अब तो सेना की भी एक समिति नियुक्त की गई हैं और उसने अपनी पूरी रिर्पोट इन्हें दे दी है। मैं यह जानना चाहता हूँ, कि वेतन आयोग को उपलब्ध आंकड़ों को दृष्टि में रखते हुए क्या उन्हें शीघ्र से शीघ्र प्रतिवेदन प्रस्तुतकर ने के लिए कहा जाएगा तथा क्या सरकार इन सिफारिशों को वर्ष 1971 के भीतर क्रियान्वित कराने का प्रयत्न करेंगी ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : जैसा कि आपने सुना होगा, मैंने किसी प्रकार का कोई तर्क नहीं दिया। मैंने केवल यही कहा हैं कि दूसरें वेतन आयोग ने 2 वर्ष का समय लिया। इसका अर्थ

यह नहीं कि तीसरे वेतन आयोग को इससे अधिक समय लेना चाहिए। अपितु मैंने तो यह आशा व्यक्त की है कि यद्यपि तीसरे वेतन आयोग के विचारार्थ विषय दूसरे आयोग की अपेक्षा कहीं अधिक विस्तृत हैं फिर भी यह आयोग अपना कार्य इस समय के भीतर पूरा करने में समर्थ होगा और मैं समझता हूँ इसमें किसी प्रकार का कोई तर्क नहीं दिया गया।

जहाँ तक मामले को जल्द से जल्द निपटाने का प्रश्न है, हमने इस सम्बन्ध में आयोग के सदस्यों से अनौपचारिक रूप से बात-चीत की है तथा उन्हें शीघ्र से शीघ्र निर्णय लेने की आवश्यकता बताई है, ताकि हम भी उनकी रिर्पोट पर शीघ्र कार्यवाही कर सकें और मुझे विश्वास है कि वेतन आयोग के सदस्य स्वयं इसके महत्व से अपरिचित नहीं हैं।

श्री एस०एम० बनर्जी : संभव है वह इसमें देरी कर दें।

श्री कल्याणसुन्दरम् : मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार को इस बात का ज्ञान है कि कुछ वर्षों के भीतर मूल्य सूचकाक में दस अंकों की वृद्धि हो गई है और इस कारण उन्हें महंगाई भत्ते से वृद्धि करनी पड़ेगी ? क्या सरकार का विचार कहीं अन्तरिम राहत के नाम पर महंगाई भत्ते को टालने का तो नहीं है जिसके लिए सरकारी कर्मचारी विधितः अधिकृत है ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : माननीय सदस्य संभवतः गजेन्द्रगडकर के उप-भोक्ता मूल्य सूचकांक सूत्र का उल्लेख कर रहे हैं, जिसके अनुसार यदि सूचकांक में दस अंकों की वृद्धि हो जाए तो मंहगाई भत्ता स्वयमेव एक निश्चित सीमा तक बढ़ जाता है। इस समय यही सूत्र है और इसका इस विशेष प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं। यह औद्योगिक श्रमिकों तथा कर्मचारियों से सम्बद्ध पृथक प्रश्न है, और अभी तक इस सूचकांक में 10 अंकों की वृद्धि भी नहीं हुई। यदि कथित वृद्धि हो जाती तो महंगाई भत्ता स्वयमेव बढ़ जाता, क्योंकि सरकार ने इस सूत्र को अपना लिया है और यह प्रचलन में भी है। यदि यह दस अंकों की वृद्धि मासिक औसत पर नहीं अपितु वार्षिक औसत पर हो तो महंगाई भत्ता स्वयं बढ़ा दिया जाएगा। इसे कोई रोक नहीं सकता। मेरे विचार में माननीय सदस्य को ठीक सूचना प्राप्त नहीं हुई। क्योंकि अभी तक सूचकांक में दस अंकों की वृद्धि नहीं हुई है।

श्री ए०पी० शर्मा : पहले, वेतन आयोग में श्रमिकों के एक प्रतिनिधि को भी आयोग की सदस्यता प्रदान की जाती थी और इस आयोग में भी उनके प्रतिनिधि को स्थान देने का आश्वासन दिया गया था पर साथ ही यह शर्त भी लगाई गई कि सभी कार्मिक संघ मिलकर एक ऐसे व्यक्ति का नाम भेजें जो सब को स्वीकार्य हों।

अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्य से प्रार्थना करता हूँ कि वह प्रश्न की तर्कसंगतता बनाए रखें।

श्री ए० पी० शर्मा : मैं वेतन आयोग में श्रमिकों के प्रतिनिधि को शामिल किए जाने के सम्बन्ध में पूछ रहा हूँ। क्योंकि अभी तक उनके किसी प्रतिनिधि को आयोग का सदस्य नहीं

बनाया गया हैं और श्रमिक निरन्तर यह मांग कर रहे हैं कि उनके प्रतिनिधि को आयोग की सदस्यता क्यों नहीं प्रदान की जा रही । क्या इस स्थिति में श्रमिकों के प्रतिनिधि को आयोग का सदस्य बनाना संभव है ?

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न वेतन आयोग के प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में है नाकि आयोग के संगठन के विषय में ।

श्री विद्याचरण शुक्ल : माननीय सदस्य स्वयं इस बात को जानते हैं कि सिद्धान्ततः वेतन आयोग में कार्मिक संघों के एक प्रतिनिधि को भी शामिल किया जाता है । इसलिए हमने किसी एक विशेष संगठन से प्रतिनिधि लेने की अपेक्षा एक ऐसे व्यक्ति का नाम मांगा जो देश के सभी कार्मिक संगठनों को स्वीकार्य हो, और यह कार्य हमने श्रम तथा रोजगार मंत्री को सौंपा ताकि वह विभिन्न कार्मिक संगठनों के प्रतिनिधियों से बात-चीत करके एक ऐसे व्यक्ति का नाम दे सके जिसे सब सर्वसम्मति से स्वीकार कर लें । किन्तु दुर्भाग्यवश ऐसा एक नाम पेश नहीं किया जा सका । फलस्वरूप श्रमिकों के किसी भी प्रतिनिधि को आयोग की सदस्यता प्राप्त नहीं हो सकी । किन्तु यदि इस अवस्था में भी सर्वसम्मति से कोई नाम रखा जाता है तो हम निश्चय ही उस पर विचार करेंगे ।

जहाँ तक माननीय सदस्य ने वेतन आयोग के धीरे-धीरे कार्यवाही करने के सम्बन्ध में शिकायत की है मैं यह बताना चाहता हूँ कि वेतन आयोग अपना कार्य जल्द से जल्द निपटाने की कोशिश में है । अतः उसकी कार्यवाही में किसी प्रकार का ,विलम्ब अथवा शिथिलता नहीं है ।

Shri Hukam Chand Kachwai: The rise in prices has not only affected the Central Government employees but it has hit the State Government employees as well. They have not satisfied the demands of the Central Government employees. Is it not a fact that they have not given them what they wanted and instead they have imposed their decision on them saying that they cannot give them anything better?

I want to know if they are prepared to give financial assistance to the State Governments in case they desire to give interim relief to their employees? How many State Governments have asked for such an assistance?

Mr. Speaker: You raise so many points in your question.

Shri Vidya Charan Shukla: Such a question had been asked previously to and we had made our position clear. So far as the demands of State Governments' employees are concerned, we are not allowed to .interfere because that is not our responsibility nor we are prepared to shoulder such a responsibility. Such a demand was made by Kerala and some other State Governments and we had told them that it was none of our responsibility. If State Governments are willing to give interim relief, they should do so with their own resources. Central Government dose not come into the picture.

No decision has been imposed upon Central Government employees. We have agreed to the recommendations of pay commission without any hesitation and I think these recommendations have been welcomed by Government Servants.

Shri Hukam Chand Kachwai: No, this is not a fact:

श्री एम०राम गोपाल रेड्डी : गत दो वर्षों में विकास से जो व्यय की राशि बढ़कर 750 करोड़ हो गई है। मंहगाई तथा हमारे साधनों को ध्यान में रखकर क्या आयोग द्वारा कुछ उपायों का सुझाव दिया जायेगा ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : जो कुछ माननीय सदस्य ने कहा है वह बिल्कुल ठीक है, योजना से भिन्न व्यय बहुत बढ़ गया है। इस बढ़ते हुये व्यय को रोकने के लिये हमने बहुत से उपाय किये हैं और इस मामले में हमें थोड़ी सी सफलता भी मिली है।

मैं माननीय सदस्य के विचारों से सहमत हूँ कि बढ़ते हुए योजना से भिन्न व्यय को रोका जाए, ऐसा करना देश की आर्थिक व्यवस्था के हित में होगा।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 101 सदस्य उपस्थित नहीं।

लाहौर हवाई अड्डे पर इण्डियन एयरलाइन्स के विमान के नष्ट किये जाने के पश्चात् बीमे का दावा किया जाना

*102. **श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा :** क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 जनवरी, 1971 को श्रीनगर तथा जम्मू के बीच उड़ान कर रहे इण्डियन एयरलाइन्स के अपहृत विमान को लाहौर हवाई अड्डे (पाकिस्तान) पर नष्ट किये जाने के बाद क्या किसी बीमा कम्पनी से विमान के बीमे की राशि का दावा किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख). विमान का 'अपहरण' के दृष्टिकोण से बीमा नहीं कराया गया था।

श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा : इस बात को ध्यान में रखते हुये कि संसार के अन्य भागों में ऐसी घटनायें हो रही हैं सरकार ने विमान अपहरण की घटना से बचने के लिए इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के सभी विमानों का बीमा करना आवश्यक क्यों नहीं समझा ?

डा० कर्ण सिंह : विमान अपहरण से बचने के उद्देश्य से विमानों का बीमा कराना बहुत मंहगा पड़ता है। हमारे बेड़े का साधारण बीमा हुआ है जिसके लिए 2 करोड़ रुपया वार्षिक किश्त का देना होता है। इस घटना के बाद कुछ पुराने विमानों को छोड़कर, हमने अपने बेड़े का बीमा करा दिया है जिसके लिए हमें एक करोड़ रुपये की अतिरिक्त धन राशि विमान अपहरण किश्त के रूप में देनी होगी।

श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा : उन कम्पनियों के नाम क्या हैं, जिन्होंने यह बीमा किया है ?

डा० कर्ण सिंह : यह जीवन बीमा निगम से कराया गया है। जीवन बीमा निगम ने कुछ विदेशी कम्पनियों तथा विदेशीमुद्रा की सहायता के आधार पर विमान अपहरण के विरुद्ध आश्वासन दिया है, परन्तु हमारा सम्बन्ध केवल जीवन बीमा निगम स है :

नरेन्द्र कुमार सांघी : मंत्री महोदय ने जो उत्तर दिया है उससे स्पष्ट है कि दूसरे देशों में विमान अपहरण की घटनायें होने पर भी विमान अपहरण से बचने के उद्देश्य से इन विमानों का बीमा नहीं कराया गया। क्या यह सरकार की गलती थी ?

डा० कर्ण सिंह : जैसा कि मैं बता चुका हूँ संसार के दूसरे देशों में विमान अपहरण की घटना होने पर भी हमने अपने विमानों का बीमा कराना आवश्यक नहीं समझा। परन्तु अब बीमा करवाया गया है।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न;

डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डे : मैं प्रश्न संख्या 104 पूछता हूँ।

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री एस० मोहनकुमारमंगलम्) : शिक्षा मंत्री के अनुपस्थित होने के कारण मैं उनकी तरफ़ से प्रश्न का उत्तर देने की अनुमति चाहता हूँ।

सेन्ट्रल स्कूल

*104. **डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डे** : क्या **शिक्षा तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिनमें केन्द्र सरकार ने सेन्ट्रल स्कूल खोले हैं तथा वे स्कूल कहां-कहां खोले गये हैं;

(ख) इन सेन्ट्रल स्कूलों के खोले जाने का क्या प्रयोजन है;

(ग) विभिन्न राज्यों में इन स्कूलों पर प्रति वर्ष, कितना व्यय किया जा रहा है; और

(घ) इन में कितने विद्यार्थी शिक्षा पा रहे हैं ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री एस० मोहन कुमारमंगलम्) : (क) नागालैंड, लंकादीव, मिनिकाय और अमीनदीव द्वीप समूह तथा दादर और नगर हवेली को छोड़कर, प्रत्येक राज्य और संघीय क्षेत्र में केन्द्रीय विद्यालय (केन्द्रीय स्कूल) खोले गये हैं। विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है, जिसमें विभिन्न राज्यों और संघीय क्षेत्रों में उन स्थानों को जिनमें ये स्थित हैं, दिखाया गया है। [**ग्रंथालय में रखा गया देखिए संख्या एल० टी० 97/71**]

(ख) इसका प्रयोजन रक्षा कर्मचारियों स्थानान्तरणीय केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी तथा एक स्थान से दूसरे स्थान को आने जाने वाले अन्य व्यक्तियों के राज्यों को, सामान्य पाठ्यचर्या और शिक्षा के माध्यम से शिक्षा सम्बन्धी सुविधाएं प्रदान करना है।

(ग) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है, जिसमें केन्द्रीय विद्यालयों पर 1969-70 वर्ष के दौरान राज्यवार और संघीय-क्षेत्रवार हुए खर्च को दिखाया गया है। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 97/71**]

(घ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है, जिसमें केन्द्रीय विद्यालयों में 1-8-1970

को दाखिल बच्चों की संख्या दिखाई गई है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 97/71**]

श्री अटलबिहारी वाजपेयी : शिक्षा मंत्री उपस्थित नहीं हैं। इस बात को स्पष्ट किया जाय कि क्या आपने इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री को प्रश्न का उत्तर देने की अनुमती दी है।

अध्यक्ष महोदय : हाँ, अनुमति दी गई है।

श्री एम० मोहनकुमारमंगलम : 'आपकी अनुमति से' कह कर ही मैंने आरम्भ किया है।

श्री अटलबिहारी वाजपेयी : ठीक है आपने ऐसा कहा है, परन्तु अनुपूरक प्रश्नों का क्या होगा ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : वह अनुपूरक प्रश्नों का भी उत्तर देंगे।

श्री अटलबिहारी वाजपेयी : शिक्षा मंत्री को क्या हुआ है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री को प्रश्न का उत्तर देने की अनुमति दी है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : साधारणतया ऐसी प्रक्रिया रही है कि जब वह मंत्री अनुपस्थित होता है, जिसे उत्तर देना है और उस मंत्रालय का कोई उप-मंत्री या राज्य मंत्री भी उपस्थित नहीं होता है तो वह प्रश्न मंत्री के द्वारा उत्तर दिये जाने के लिए किसी दूसरे दिन के लिये रख दिया जाता है। समझ में नहीं आता कि शिक्षा मंत्रालय से सम्बन्ध प्रश्न के अनुपूरकों का उत्तर देने के लिये किसी इस्पात अथवा रेल-मंत्री को क्यों बुलाया जाना ऐसे प्रतीत होता है जैसा वह 'सब जानने वाला' अथवा बहु विभागीय मंत्री हो।

श्री एस० मोहनकुमारमंगलम् : यदि माननीय सदस्य नहीं चाहते कि मैं उत्तर दूं तो मैं उत्तर देने के लिए बहुत उत्सुक नहीं हूँ। अनुपूरक प्रश्नों का उत्तर देने की मेरी कोई इच्छा नहीं है।

श्री अटलबिहारी वाजपेयी : शिक्षा मंत्री को क्या हुआ है। प्रश्न का सूचना बहुत पहले दी गयी थी थी।

संसद कार्य और पोतपरिवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री राजबहादुर) : प्रश्न को स्थगित करने के बजाय हमने सोचा कि आज सत्र का अन्तिम दिन है अतः उत्तर देना ही ठीक होगा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इस सम्बन्ध में कोई जल्दी नहीं थी। आज की कार्य-सूची में मेरे बहुत से प्रश्न समाविष्ट नहीं है।

Mr. Speaker : Today is the last day of the session. I thought the question to be answered by somebody is better than to have no answer at all.

Shri Hukam Chand Kachwai : If the Minister concerned is absent the Prime Minister should reply to the question. Let the answer be given by the Prime Minister.

श्री अटलबिहारी ब.जपेयी : श्रीमन्, आपने बहुत बुरी परम्परा बनादी है ।

अध्यक्ष महोदय : यहां बुरी परम्परा का कोई प्रश्न नहीं है। अब प्रश्नोत्तर काल समाप्त होता है ।

अध्यक्ष महोदय : हर संभव प्रयत्न करने तथा अनुपूरक प्रश्नों की संख्या 2 या तीन तक सीमित रखने के उपरान्त भी हम आज 10 से अधिक-प्रश्न नहीं ले सके। मैं इसका कारण जानने का प्रयत्न कर रहा हूँ। मेरे विचार से प्रश्न बहुत अधिक लम्बे थे तथा उत्तर भी लम्बे हो रहे हैं। यदि प्रश्नों को छोटा कर दिया जाय तो और अधिक प्रश्न लिये जा सकते हैं ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : अब कुछ सुधार हुआ है ।

अध्यक्ष महोदय : सदन में भी सुधार हुआ है ।

श्री एस० एम० बनर्जी : यदि इस प्रकार प्रश्न किये जायेंगे तो उत्तर 'हाँ या नहीं' में अथवा 'प्रश्न ही नहीं उठता' कहकर दिये जायेंगे । मुझे इस बात का पूरा विश्वास है ।

अध्यक्ष महोदय : अनुपूरक प्रश्नों द्वारा और आगे की सूचना उपलब्ध की जा सकती है । मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि यदि प्रश्न की प्रस्तावना बहुत अधिक लम्बी है और उत्तर भी एक लम्बे भाषण के रूप में दिया जाता है तो दूसरे सदस्य अपने प्रश्न पूछने से वंचित रह जाते हैं ।

अल्प-सूचना प्रश्न

SHORT NOTICE QUESTION

इण्डियन एक्सप्लोसिव्ज लिमिटेड, गोमिया में हड़ताल

अ०सू०प्र०/2 श्री सी०ई० भट्टाचार्य : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और अलोह धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोमिय स्थित इण्डियन एक्सप्लोसिव्ज लिमिटेड के कर्मचारियों की हड़ताल के कारण, कोयला, अभ्रक, स्वर्ण तथा तांबे को खानों से निकालने के लिए उपलब्ध कराये जाने वाली विस्फोटक सामग्री की सप्लाई में और अधिक कमी हो जायेगी;

(ख) क्या गत अनेक महीनों से विस्फोटक सामग्री की सप्लाई में निरन्तर कमी रही है जिसके फलस्वरूप आंशिक रूप से खानें बन्द हो गई हैं तथा परिणामतः कारीगर बेकार हो गये हैं; और

(ग) क्या ऐसी परिस्थिति का आपातिक आधार पर मुकाबला करने हेतु, विस्फोट सामग्री के आयात द्वारा, समीकरण भण्डार स्थापित करने के लिए कोई कार्यवाही की गई है ?

पैट्रोलियम, रसायन तथा अलौह धातु मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) इण्डियन एक्सप्लोजिव्स लि० में चल रही हड़ताल अगर जारी रही, तो खनन उद्योग के लिए विस्फोटक सामग्री की उपलब्धता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना अवश्यम्भावी है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) जी, हां।

श्री सी० भट्टाचार्य : विस्फोटक पदार्थों की वार्षिक कमी कितनी रही है ?

श्री नीतिराज सिंह चौधरी : देश में विस्फोटक पदार्थों की कुल मांग लगभग 33,000 मीटरीटन है, जिसमें से 28,000 मीटरी टन का उत्पादन गोमिया फैक्टरी द्वारा होता है और इण्डियन डेटोनेटर्स 3,000 मीटरी टन सामग्री का उत्पादन करते हैं। शेष मांग की पूर्ति आयात द्वारा होती है।

श्री सी० भट्टाचार्य : आयात होने के बावजूद भी खनन उद्योग के लिए विस्फोटक सामग्री की दीर्घकालिक कमी के क्या कारण हैं ?

श्री नीतिराज सिंह चौधरी : मेरे विचार में उद्योग के लिए विस्फोटक सामग्री की दीर्घ, कालिक कमी नहीं रही है। किसी भी खान का कार्य विस्फोटक सामग्री की कमी की वजह से नहीं रुका है।

श्री एस० एम० बनर्जी : मंत्री महोदय ने केवल यह कहा है कि गोमिया स्थित इण्डियन एक्सप्लोजिव्स के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल करने के कारण कमी की स्थिति उत्पन्न हुई है। क्या उन्हें पता है कि गोमियां स्थित कारखाने में हड़ताल के अलावा कानपुर स्थित इण्डियन एक्स्प्लोजिव्स लि० में भी हड़ताल चल रही है ? इस हड़ताल को समाप्त कराने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही किये जाने का विचार है ? क्या सरकार ने यह मामला श्रम मंत्रालय को प्रेषित किया है, ताकि विचार विमर्श से समझौता किया जा सके, क्योंकि यह कारखाना पूरी तरह से गैर सरकारी क्षेत्र में है, यद्यपि कुछ नियन्त्रण सरकार का भी है। यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई हैं कि हड़ताल के कारण कोई कमी न होने पाये और क्या विचार विमर्ष द्वारा कोई समझौता किया जा चुका है अथवा समझौता अभी होना है ?

श्री नीतिराज सिंह चौधरी : गोमिया और कानपुर दोनों की स्थिति के सम्बन्ध में मामला श्रम मन्त्रालय के विचाराधीन है।

उत्पादन में होने वाली कमी की पूर्ति करने के लिए सरकारी क्षेत्र में विस्फोटक सामग्री का एक कारखाना स्थापित करने का निर्णय सरकार पहले ही कर चुकी है। सम्भाव्यता व्यवहार्यता रिपोर्ट इस सप्ताह में प्राप्त हो जायगी।

Enquiry into Estate Duty Case of Shri Madhavrao Scindia of Gwalior

S. N. Q. 3 Shri Shashi Bhushan : Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether Government are conducting an enquiry into the estate duty of Shri Madhavrao Scindia of Gwalior and if so, the conclusion arrived at so far;

(b) whether the Maharaja of Gwalior has sold ornaments of the value of about rupees one crore in the last three months during pendency of the enquiry; and

(c) whether he had sought the prior permission of Government before effecting the above sale and if not, the action being taken by Government in regard to this sale during the pendency of the enquiry?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) The assessment under the Estate Duty Act of the estate of late Shri Jiwaji Rao M. Scindia of Gwalior, which was completed on 22-9-66 has been reopened by the Income-tax Department. The reasons for reopening the assessments are :

(i) Adoption of correct status of the deceased, namely, individual or Hindu Undivided Family;

(ii) Correct valuation of assets.

The legal heirs of the late Shri Scindia have since filed a writ petition before the Bombay High Court. The proceedings are pending.

(b) The Government are not aware of any sale of jewellery.

(c) In view of the reply to Part (b), the question does not arise.

Shri Atal Bihari Vajpayee : Sir, I rise on a point of order. The question relates to Shri Madhavrao Scindia, whereas the reply is being given about Shri Jiwaji Rao M. Scindia. It is a wrong name.

श्री विद्याचरण शुक्ल : चूंकि मैंने अपना उत्तर हिन्दी में दिया था इसलिए माननीय सदस्य सम्भवतः नहीं समझ सके ? मैं अब अंग्रेजी में बोलूंगा ।

Shri Atal Bihari Vajpayee : Please tell about the name.

श्री विद्याचरण शुक्ल : प्रश्न इस प्रकार है :

"क्या सरकार ग्वालियर के श्री माधवराव सिन्धिया के सम्पदा शुल्क के सम्बन्ध में कोई जांच कर रही है, और यदि हाँ तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या निष्कर्ष निकले हैं ।"

उसी व्यक्ति की सम्पत्ती पर शुल्क लगाया जाता है जिसकी मृत्यु हो चुकी है । यह सौभाग्य की बात हैं कि श्री माधवराव सिन्धिया अभी भी जीवित हैं ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मगर श्री जीवनीराव सिन्धिया तो श्री माधवराव सिन्धिया के पितामह हैं ।

Mr. Speaker : How could Estate Duty be levied, unless a person has not breathed his last?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : प्रश्न तो यह है कि :

"क्या सरकार श्री माधवराव सिन्धिया के सम्पदा शुल्क के बारे में कोई जांच कर रही है..."

ये माधवराव सिन्धिया कौन है ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : सम्पदा शुल्क की अदायगी श्री माधवराव सिन्धिया द्वारा की जानी है...

अध्यक्ष महोदय : जो जीवित हैं।

श्री विद्याचरण शुक्ल : — अपने पिता से सम्पत्ति प्राप्त करने के कारण।

Shri Shashi Bhushan : Mr. Speaker, I understand Shri Atal Bihari Vajpayee's sympathy for Shri Scindia, and he would have sympathy for him, because he is under obligation to Rajmata.

During the last few years, sixty to seventy hon'ble Members of Parliament submitted a Memorandum to the President as well as the Prime Minister, in which they had demanded the re-assessment of their whole estate as was done in the case of the Nawab of Hyderabad, because property worth millions of rupees is being sold at less than the market value. I want to inform the House that recently he sold a palace in Bombay for Rs. 60 lakhs and two thirds portion of that palace was resold for 4 crores of rupees, whereas one third portion has not been disposed of. This palace was sold at less than the market value. I want to know whether Government has enquired into the matter. They have sold jewellery worth one crore of rupees in the open market at Gwalior, this is being enquired into. If they go on selling like that, where this process is going to end? All the land near the palace at Shivpuri was under-sold. When the merger of the State took place, huge amount of wealth was not surrendered. Now a trust is being created out of that property. Whole income of the Trust is spent on running a political newspaper. I want to know as to why the re-assessment of their estate was delayed for so long? If the Department of the hon'ble Minister is unable to do it, why does he not get it investigated through C. B. I?

Shri Vidya Charan Shukla : We would have to get this matter investigated under Income Tax Act and Estate Duty Act etc., which have been passed by our Parliament. The hon'ble Member has rightly pointed out that this matter was investigated only after a Memorandum was submitted to the hon'ble Prime Minister as well as the then Finance Minister and it was found that the procedure for assessment of Estate duty had certain defects. That is why this matter was re-opened and it is being enquired into whether imposition of one. Third Estate Duty on the basis of Hindu Undivided Family was correct or not or it should have been imposed on individual basis.

One thing more appeared in the mean time. The High Court of Gujarat has said in one of its judgements that ex-rulers could not be treated as a Hindu Undivided Family on co-parcenery basis for imposition of Estate Duty, instead they should be treated as individuals. When the High Court Judgement was brought to our notice, we got this matter further examined by the Ministry of Law from this point of view and the matter is being processed according to their advice.

The Tikamgarh Retreat, one of their palaces was under-assessed for the purpose of Estate Duty. We have re-opened this case for setting right the under assessment so that Estate Duty due may be realised from them. This action is being taken. But as I had stated in reply to the original question, these people have filed a Writ Petition in Bombay High Court against this action, and hence the requisite progress could not be made in this matter.

Shri Shashi Bhushan : Mr. Speaker, Sir, when one property has been sold at less than the market value, an enquiry should be held regarding the rest of the property. Ten thousand gold coins are in their possession, which were looted from the treasuries of Maha-

rani Lakshmi Bai and Bahadur Shah Zafar. This is in the knowledge of the Government. What precautionery steps have been taken by the Government so that these coins are not sold or converted and how could Estate Duty be levied when jewellery has already been disposed of? In the last two three months they have sold property in this manner, because they know very well that Privy purses and privileges are going to be abolished. What preventive measures have been taken by the Government in this direction and why this case is not being referred to C. B. I. for an enquiry?

Shri Vidya Charan Shukla : As I have already stated that when an assessment was made for imposition of the Estate Duty; the cost of Jewellery was assessed at Rs. 17 lakhs, whereas Primary Gold and Silver Jewellery was found worth twelve lakhs of rupees. Whatever Estate Duty could be levied was realised from them. As I have already stated, unit for imposition of tax was taken as a Hindu Undivided Family, and therefore only one third tax was levied on them, Now we are re-considering this matter. So far as coins of historical importance are concerned, it was found that 9,816 gold-coins and 1409 tolas of thinner coins of archeological and historical importance are in the possession of this family and hence Estate Duty was not levied on them. We hope that these coins are still in their possession. I want to clarify in this connection that there are certain rules and regulations which prohibit transfer abroad as well as sale and conversion of article, having historical archeological importance.

An hon'dle Member : These could be taken from them?

Shri Vidya Charan Shukla : There is no such provision in the law. This was also examined whether such articles could be taken over by Government or not. It is clearly provided in Section 33 of Estate Duty Act that such articles, could remain in their possession and no Estate Duty is required to be levied on them.

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : जवाहरात के मूल्यांकन के मन्त्री द्वारा प्रस्तुत आंकड़े आश्चर्य जनक हैं। मैं माननीय मन्त्री से यह जानना चाहता हूँ कि क्या यह मूल्यांकन विभाग और लेखादेय व्यक्ति के बीच ही हुआ था अथवा किसी मान्यताप्राप्त मूल्यांकन द्वारा यह कार्य किया गया था ? दूसरी बात यह कि अगर सम्पदा शुल्क के निर्धारण के मामले की फिर से चालू किया जाना इस आरोप पर आधारित हैं कि सम्पदाओं का बाजार भाव से कम मूल्य पर हस्तान्तरण अथवा स्वामित्व परिवर्तन किया गया तो आयकर अधिनियम 1951 की धारा 50 के अन्तर्गत स्वतः कार्यवाही होनी चाहिए। में जानना चाहता हूँ कि उन सम्पदाओं के बारे में आयकर वसूली की कार्यवाहियों को फिर से चालू किया गया है जिनके सम्बन्ध में यह आरोप है कि उनका हस्तान्तरण वास्तविक बाजार मूल्य से कम मूल्य पर किया गया। अगर इन कार्यवाहियों को प्रारम्भ नहीं किया गया है, तो मैं जानना चाहता हूँ कि क्या इस मामले में उपयुक्त कार्यवाही की जायेगी ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : जवाहारात के मूल्यांकन का कार्य विभागीय प्रतिनिधि और लेखादेय व्यक्ति के बीच ही सम्पन्न हुआ था और इस कार्य के लिए किसी मूल्यांकन की सहायता नहीं ली गई थी। दूसरे प्रश्न के उत्तर में मुझे यह कहना है कि यह सच है कि अगर न्यून कर निर्धारण पाया जाता है, तो आयकर अधिनियम की कतिपय धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही की जा सकती है और हमारी जांच में यह सावित हो गया कि आरोप सच हैं, तो इसके लिए जिम्मेदार व्यक्ति के विरुद्ध आयकर अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की जायगी।

Shri S. M. Banerji : Mr. Speaker, Sir, according to the Minister's statement, Shri Madhav Rao Scindia has filed a Writ Petition in the High Court. I want to know whether the Estate Duty would be realised only from Shri Madhav Rao Scindia or it would also be realised from the adopted son of the Rajmata?

श्री मोहन धारिया : श्रीमान जी यह मालूम पड़ता है कि अभी भी सरकार ने मामले पर गम्भीरतापूर्वक विचार नहीं किया है। बम्बई में 3-4 करोड़ रुपये की सम्पत्ति को 60 लाख रुपये की नाममात्र की कीमत पर बेचा हुआ दिखाया गया है और इस मामले में ग्वालियर के महाराजा द्वारा काला धन भी प्राप्त किया गया है। इन परिस्थितियों में मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि क्या मन्त्री महोदय इस मामले की शीघ्र ही जांच करवायेंगे और साधारण कार्यवाही करने के बजाय इस देश के साथ धोखाधड़ी करने वाले व्यक्तियों पर मुकदमा चलायेंगे ?

अध्यक्ष महोदय, मैं व्यक्तिगत तौर पर तथा अन्य स्रोतों से यह जानता हूँ कि इस मामले में अनेक पार्टियां अन्तर्ग्रस्त है और ग्वालियर के सिन्धिया परिवार को 3 करोड़ रुपये की मात्रा में काला धन अदा किया गया है और इन परिस्थितियों में क्या सरकार का यह कर्त्तव्य नहीं है कि इस मामले में अन्तर्ग्रस्त व्यत्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करे ? सरकार क्या कर रही है ? इस प्रश्न को राज्य सभा में भी उठाया गया था, परन्तु मुझे यह कहते हुए खेद है कि सरकार द्वारा कुछ भी नहीं किया गया है, सरकार तो सिर्फ यह कहती है कि समुचित कर-निर्धारण किया जायगा, यही पर्याप्त नहीं है। हम चाहते हैं कि मामले की जांच हो और इस देश को धोखा देने वाले व्यक्तियों पर फौजदारी का मुकदमा चलाया जाय (**व्यवधान**) इन्हें फाँसी पर लटकाया जाना चाहिए।

श्री विद्याचरण शुक्ल : यह सच है कि ग्वालियर भवन के कुछ सम्पदा को लगभग 60 लाख रु० में बेचा गया था और छः महीने के अन्दर ही उस सम्पत्ति के कुछ अंश को 4 करोड़ रुपये में फिर से बेच दिया गया। (**व्यवधान**)

कुछ माननीय सदस्य : शर्म ! शर्म !

श्री विद्याचरण शुक्ल : हमने इस तथ्य को ध्यान में रखा है और माननीय सदस्य को मैं यह आश्वासन देना चाहता हूँ कि यह किस प्रकार से हुआ, इस सम्बन्ध में हम कानून के अन्तर्गत सब प्रकार की जांच पड़ताल करेंगे और यह भीं मालूम करेंगे कि इन सम्पत्ति विक्रय के सम्बन्ध में कानून के अधीन क्या कार्यवाही की जा सकती है।

श्री मोहन धारिया : सरकार ने कभी भी कोई कार्यवाही नहीं की : (**व्यवधान**)

श्री विद्याचरण शुक्ल : मैं यह आश्वासन देना चाहता हूँ कि हम इस मामले की जांच करेंगे और यह भी मालूम करेंगे कि कानून के अन्तर्गत हम क्या कार्यवाही कर सकते है; और इस सदन के माननीय सदस्यों को मैं यह आश्वासन भी देना चाहता हूँ कि इसे ठीक करने के लिए हम सभी आवश्यक कार्यवाही करेंगे।

एक माननीय सदस्य : कब ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : शीघ्र ही।

Shri Atal Bihari Vajpayee : Mr. Speaker. Sir, the hon'ble Minister of State has just now stated that Estate Duty on the property of Late Maharaja was under assessed and the whole case was re-opened when some hon'ble Members made certain allegations. I would like to know in this connection as to whether it is a fact that Estate Duty was under-assessed then because Rajmata Vijaya Raje Scindia was a member of Congress Party at that time and now the whole case is being re-opened because she is actively working against Congress?

Shri Amrit Nahata : It is also possible that she might have joined the Congress because of the under-assessment of duty.

Shri Vidya Charan Shukla : Mr. Speaker. Sir, I am very sorry to find that a responsible Member of Parliament is making an allegation which is absolutely wrong and baseless. The law operates on an individual irrespective of his allegiance to a political party and just now our honourable Member, Shri Nahata has stated that it may also be alleged from the other side that she had joined Congress Party only for having such benefits.

Shri Atal Bihari Vajpayee : Why did you allow her to join your party?

Shri Vidya Charan Shukla : I do not think either of the allegations is correct. I do not find any weight in them, but I do admit that there have been certain loop-holes, which are required to be looked into and we have been enquiring about them.

Shri Satpal : In reply to part (b) of the question, the hon'ble Minister said that the Government were not aware of any sale of jewellery. First, I want to know whether or not ex-rulers have to seek the permission of the Government for sale of jewellery? Secondly have they sold jewellery worth one crore of rupees and if so, whether or not Government is having a separate inquiry ? Thirdly, several ex-rulers of this country are transferring their jewellery and unaccounted money to Delhi, Bombay and Calcutta, whether Government is aware of this fact or not? Fourthly, these rulers have employed certain agents abroad, who sell their jewellery in the markets of U. S. A. whether Government is aware of this or not?

Shri Vidya Charan Shukla : Mr. Speaker. Sir, they need not seek any kind of permission for the sale of their personal jewellery ......

Shri Shashi Bhushan : But they are worth crores of rupees.

Shri Vidya Charan Shukla : But they belong to them and they can dispose them of and, therefore, the question of an inquiry regarding them does not arise. But there are certain rules and regulations which prohibit sale or transfer of Gold, Silver and other jewellery abroad. If any such case comes to our notice or hon'ble Member brings to our notice any such information, we would certainly inquire into that case.

Shri R. S. Pandey : All are aware in the country that Gwalior princely family is a very old family and possesses huge amount of wealth. But the wealth declared or assessed was very low in relation to that huge wealth. One of the servants, who had been in the service of this family, told me that if these princely palaces are confiscated and excavation is carried out, huge amounts of under ground property could be found out which would suffice the resources for one five year plan. Not only that, the Gwalior State is a dacoit infested area and they are in constant touch with those dacoits. Whatever wealth is looted by these dacoits is kept hidden in these palaces. A thorough inquiry should be held into this and excavations should be carried out after confiscating the palaces and under ground Wealth should be found out.

Shri Sohan Lal : Mr. Speaker. Sir, there are certain rules for imposition of Estate Duty. An authority appointed by the Government issues a valuation certificate

after verifying all of their wealth and articles. I would like to know from the Government whether the valuation certificate regarding buildings and other articles, issued by the Government official was correct or not?

Shri Vidya Charan Shukla : Mr. Speaker. Sir, I have already stated that the last certificate regarding their property is being examined once again in the light of the new information brought to our notice. When a decision has been taken as to whether previous assessment was right or wrong, a fresh assessment would be initiated and for this purpose old certificate does not come into the picture.

Shri R. S. Pandey : He has not replied regarding the under ground wealth, please tell something about that also.

Mr. Speaker : You have made a speech only.

श्री एस० बी० गिरि : मैं यह जानना चाहता हू कि क्या राजाओं के पास जो जवाहरात हैं उसके बारे में पुनर्निर्धारण करने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव है और क्या उन पर कर लगाया जायगा ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : यह सीमित प्रश्न एक विशिष्ट भूतपूर्व शासक के बारे में है। मैंने पहले ही आश्वासन दे चुका हू कि हम मामले की जांच करेंगे।

Shri B. P. Maurya : Mr, Speaker. Sir, the Maharani of Gwalior has sold certain jewellery, which is also linked with the question of wealth, in the market of Ceylon and certain objections have been raised by the Government of that country. I would like to know from the hon'ble Minister as to whether any communication has been addressed to the Government of India in this connection and if so, the action being taken on that letter?

Shri Vidya Charan Shukla : Mr. Speaker, Sir, I do not have much information at present with me, I will try to collect and lay it on the Table of the House.

Mr. Speaker : Sir, Shri Pandey has asked many a time regarding wealth kept under the ground. I think it would be proper if this question is put to the department of Mines and Metals.

Shri Atal Bihari Vajpayee : The grave-diggers may also be informed.

Shri Jagannathrao Joshi : Len A lot of discussion has taken place regarding the private property of the ex-rulers. It has also been mentioned in the course of the discussion that Nizam of Hyderabad had transferred large amount of jewellery to a certain Bank of England, similar thing has been pointed out regarding Maharaja of Kashmir— I am not making any allegation against any person, but I would like to point out that Government should frame an effective law for this purpose applicable to all and their private property, jewellery and palaces should be dealt with in accordance with a single law. It is a wrong practice as our hon'ble Member, Shri Vajpayee had stated that when the rulers are associated with the ruling party, no action is taken against them, but as soon as they join the opposition, they are harassed. A question regarding the tax-evasion by out-going President of your Party was raised, but nothing happened in that case and it was replied that

> "The Income-tax Officer has got discretionary power to a waive the penalty".

Therefore, we want that there should be a strict law for all, under which all the rulers and big capitalists, should be dealt with uniformally.

Shri Vidya Charan Shukla : There is no need of any assurance for this purpose. We all know that law is equally applied to all the citizens of India. The hon'ble Member

is the General Secretary of Jana Sangh and he does not know that different laws are not there for different categories of persons. The law, which applies to the Nizam of Hyderabad is applicable to Shri Jagannath Rao Joshi as well. There are no exceptions in such matters.

Shri Jagannath Rao Joshi : But in case of Shri Jagjivan Ram, it was replied that "The Income-tax Officer has got the discretionary power to waive the penalty".

Shri Shashi Bhushan : Now issue is being changed for concealing their own sin.

अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न ने काफी समय ले लिया है और सभी पहलुओं पर विचार कर लिया गया है। अब मैं अगले विषय को ले रहा हूँ।

श्री विद्याचरण शुक्ल : एक विशिष्ट विषय के बारे में मैं उत्तर देना चाहता हूँ। माननीय सदस्य ने कहा था कि डा० कर्ण सिंह के विरुद्ध कुछ आरोप लगाये गये थे। यह पूर्णतया गलत है। डा० कर्णसिंह के विरुद्ध आज तक कभी कोई आरोप नहीं लगाया गया। यह बुनियाद बात है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

राष्ट्रीयकृत बैंकों की नयी शाखाओं का खोला जाना

* 94. **डा० कर्ण सिंह** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बैंकों के राष्ट्रीयकरण से पहले वाले वर्ष में राष्ट्रीयकृत बैंकों की कितनी नयी शाखाएं खोली गयी थीं और 1967-68 के मुकाबले में इस वर्ष उनमें जमा कुल राशि में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई थी;

(ख) वर्ष 1969-70 में इन बैंकों की कितनी नयीं शाखाएं खोली गयी और इस वर्ष इससे पहले वर्ष के मुकाबले में कुल जमा राशि में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई; और

(ग) जमा राशि में वृद्धि करने में राष्ट्रीयकृत बैंक किस हद तक सफल हुए हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) से (ग). एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

उन 14 बैंकों द्वारा खोले गये नये कार्यालयों की संख्या, जिनका राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 को किया गया था और राष्ट्रीयकरण से पहले के वर्ष तथा राष्ट्रीयकरण के बाद के एक वर्ष में जमा की रकमों में हुई वृद्धि का ब्यौरा इस प्रकार है:—

	19 जुलाई 1968 और 18 जुलाई 1969 के बीच	18 जुलाई 69 और 17 जुलाई 1970 के बीच
(1) 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा खोले गये नये कार्यालय	701	1248

(2) 14 बैंकों की जमा राशि में होने वाली वृद्धि (एक बैंक से दूसरे बैंक में जमा की गयी रकमों को छोड़कर)	401.6 करोड़ रुपये	378.9 करोड़ रुपये
प्रतिशत में	(18.1 प्रतिशत)	(14.2 प्रतिशत)

(18 जुलाई 1969 से लेकर जुलाई 1970 तक खोले गये कार्यालय)

राष्ट्रीयकरण के एकदम बाद कुछ महीनों तक प्रारम्भिक कमी के बाद 1970 में जमा की रकमों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। 1970-71 के वित्तीय वर्ष में 5 मार्च 1971 तक (सबसे हाल की तारीख जिस तक जमा रकमों के आंकड़े उपलब्ध हैं) के अनुसार 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों की जमा रकमों में 471 करोड़ रुपये अथवा 16.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो 500 करोड़ रुपया या 17.7 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि होती है।

देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नए प्रस्ताव

*98. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये सरकार किन्हीं नए प्रस्तावों पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख). चौथी योजना की अवधि के दौरान पर्यटन की अभिवृद्धि के लिये जो प्रस्ताव हैं, उनमें विदेशी मार्किटों में जोरदार विक्रयोन्मुख अभियान, तथा देश में सरलीकरण क्रियाविधि में संशोधन एवं पर्यटन के आधारभूत-तन्त्र को परिपुष्ट करने के प्रस्ताव सम्मिलित हैं।

विश्वविद्यालयों में शिक्षा माध्यम

*101. **श्री डी० एस० अफजलपुरकार :** क्या **शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने विश्वविद्यालयों शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी है और उनके नाम क्या हैं; और

(ख) क्या क्षेत्रीय भाषा को शिक्षा के माध्यम के रूप में प्रयोग करने हेतु कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री सिद्धार्थ शंकर रे) : (क) जहां शिक्षा के माध्यम के हेतु अंग्रेजी की अनुमति है ऐसे विश्वविद्यालयों (जिनमें विश्वविद्यालय समझे जाने वाली संस्थाएं शामिल हैं, की संख्या और नामों को व्यक्त करने वाला विवरण लोक सभा पटल पर रख दिया गया है [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 98/71**]

(ख) जी हां।

केरल की मुस्लिम लीग के एक नेता के पुत्र का तस्करी में कथित हाथ होना

*103. **ज्योतिर्मय वसु** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमा शुल्क विभाग ने केरल की मुस्लिम लीग के एक नेता के पुत्र पर तस्करी का अभियोग लगाया था ;

(ख) यदि हां, तो मामले का ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में सीमाशुल्क विभाग की रिपोर्ट का व्यौरा क्या हैं;

(ग) तस्करी के अभियोग में पकड़े गये व्यक्ति अथवा व्यक्तियों को किस प्रकार का दण्ड दिया गया है ; और

(घ) इस बारे में यदि कोई कार्यवाही करने का विचार है तो वह क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (घ). केरल मुस्लिम लीग के अध्यक्ष के पुत्र सैयद मोहम्मद बफाकी तंगल पर दो मामलों के आरोप लगाये गये थे जिनका ब्यौरा इस प्रकार है ।

(1) 22-4-1970 को एम० एस० वी० रत्नसागर जहाज़ की तलाशी ली गई थी और कोई 4 लाख रु० मूल्य के विदेशी कपड़ों के 32 बंडल पकड़े गये । उपर्युक्त जहाज भी पकडा लिया गया था । विदेशी कपड़ों के 32 बंडल पूर्णतः जब्त कर लिये गये । श्री तंगल पर 2 लाख रुपये का दण्ड लगाया गया था । इसके अलावा, ज़हाज के परिचारक श्री उस्मान हुसैन पर 10,000/-रु० का तथा कर्मीदल के पांचों सदस्यों पर सौ-सौ रुपये का दन्ड लगाया गया था । यह जहाज भी जब्त कर लिया गया था तथा उसे एक लाख रुपये के जुर्माने पर छुड़ाने का विकल्प दिया गया था । जुर्माना अदा हो जाने से उसे छोड़ देने के आदेश दिये गये । केन्द्रीय उत्पादन शुल्क समाहर्ता कोचीन द्वारा श्री तंगल के विरुद्ध इस्तगामे की कार्यवाही भी की जा रही है ।

(2) कालीकट में 9-7-1970 को विदेशी सोने की 198 छड़ें पकड़ी गई थीं जिनका मूल्य कोई 2 लाख रुपये था । ग्राहकों के बयान से मालूम होता है कि उनके पास से जब्त किया गया निसिद्ध सोना श्री सैयद मोहम्मद बफाकी तंगल के लिये था जिन्हें रुपया लगाने वाला कहा जाता है । इस मामले में न्याय-निर्णय की कार्यवाही की जा रही है ।

बैंकों में खाता रखने वालों के लिये बीमा योजना

*105. **श्री एम० आर० गोपाल रेड्डी** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन बीमा निगम ने हाल में एक बीमा योजना लागू की है जिसके अन्तर्गत बैंक में खाता रखने वालों के उत्तराधिकारियों को जमाकर्ता की मृत्यु के बाद उनके खाते की राशि से दुगनी राशि मिलेगी ; और

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क). जी हां। जीवन बीमा निगम ने बैंक में जमाकर्ताओं के लिये बीमे की दो योजनाएं चालू करने का निर्णय किया है, जो संरक्षण तथा दुर्घटना लाभ के साथ सम्बद्ध हैं। एक के अन्तर्गत दावे का भुगतान तभी हो सकेगा जब मृत्यु किसी दुर्घटना से हो। दूसरों के अन्तर्गत दावे का भुगतान मृत्यु होने पर हो सकेगा, मृत्यु चाहे किसी भी कारण से हो।

(ख) पालिसियां बैंकों को जारी की जाती हैं, जो प्रीमियम की अदायगी के लिये जिम्मेदार होते हैं। योजनाओं की रूपरेखा की प्रतियां सभापटल पर रख दी गयी हैं [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 99/71**]

संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम से सहायता

*106. **श्री नरेन्द्र कुमार साधी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे। कि :

(क) भारत में नई परियोजनाओं को प्रारम्भ करने के लिये संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम द्वारा हाल ही में स्वीकृत की गयी अतिरिक्त सहायता की मात्रा कितनी है ;

(ख) क्या नई परियोजनाओं में पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों में भूमिगत जल की संभावना की खोज और अध्ययन करने सम्बन्धी परियोजनाएं भी शामिल होंगी और यदि हाँ, तो इस नियत की जाने वाली सम्भाबित सहायता की राशि कितनी होगी ; और

(ग) प्रस्तावित की जाने वाली अन्य परियोजनाओं के नाम क्या हैं और इन परियोजनाओं के लिये किन-किन राज्यों को चुना गया है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क). जनवरी 1971 में संयुक्तराष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रम की प्रबन्ध परिषद ने चार नयी भारतीय प्रायोजनाओं के लिये 2,956, 500 डालर की सहायता मंजूर की।

(ख). जी हां। प्रबन्ध परिषद ने राजस्थान और गुजरात में भूमिगत जल का सर्वेक्षण करने की एक संयुक्त परियोजना का अनुमोदन किया है, जिसके अन्तर्गत गुजरात के मेहसाना और बनसकण्ठा जिलों के अर्ध-शुष्क क्षेत्र तथा पश्चिमी राजस्थान के शुष्क क्षेत्र के पांच इलाकों में भूमिगत जल के सम्बन्ध में, तकनीकी और आर्थिक सम्भावनाओं का पता लगाया जायगा। आवंटित सहायता की रकम 664,900 डालर है।

(ग). अन्य परियोनाएं और उनके निर्धारित स्थान इस प्रकार है :—

(i) उत्तर प्रदेश के उत्तरी और दक्षिणी जिलों में औद्योगिक खनिजों के सम्बन्ध में आर्थिक सम्भाव्यता अध्ययन (683,000 डालर) ;

(ii) आधुनिक उपकरणों की व्यवस्था करके तथा कर्मचारियों को तटीय इंजीनियरी और सामान्य पन-बिजली कार्यक्रमों का प्रशिक्षण देकर महाराष्ट्र में पूना स्थित केन्द्रीय जल और बिजली गवेषणा केन्द्र को मजबूत बनाना (936,300 डालर)

(iii) बिहार में जमशेदपुर स्थित राष्ट्रीय धातुक्रमक-शाला में केन्द्रीय सर्पण परीक्षण केन्द्र की स्थापना (671,600 डालर)।

Development of Tourism in Rajasthan

*107. **Shri Shivnath Singh :** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) The place of Rajasthan in India so far as development of tourism in the country is concerned;

(b) the names of schemes for development of tourism in Rajasthan which Government propose to undertake at present and during the next two years; and

(c) the percentage of amount expended in Rajasthan out of the amount expended on the development of tourism in the country during the last three years, year-wise?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) Rajasthan has an important place amongst the tourist attractions of the country. Places of historical and cultural interest like Jaipur, Chittor, Uddaipur and Ranakpur, and places of wild life interest like the Sariska Game Sanctuary and the Bharatpur Bird Sanctuary are most popular with tourists.

(b) The following schemes are being taken up in the Central Sector :—

1. A Youth Hostel at Jaipur.
2. A Tourist Reception Centre at Jaipur.
3. A Tourist Bungalow at Jaisalmer.
4. Additional accommodation and transport at the Bharatpur Game Sanctuary.

(c) Tourist schemes are taken up not on a State-wise or regional basis, but having regard to the actual or potential tourist attraction of a place, existing facilities etc.

होटल उद्योग में संयुक्त उद्यम

*108. **श्री दण्डपाणि :** क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत तथा इटली की सरकारें होटल उद्योग में संयुक्त उद्यम शुरू करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या किसी करार पर हस्ताक्षर किये गये हैं; और

(ग) इस बारे में अन्तिम निर्णय कब तक किया जायेगा ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्णसिंह) : (क). जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

इण्डियन एयरलाइन्स में इलैक्ट्रोनिक-आरक्षण-व्यवस्था

*109. **श्री पी०जी० देव :** क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इण्डियन एयरलाइन्स के तेजी से बढ़ते हुए यातायात को देखते हुए आरक्षण करने तथा हवाई अड्डे की अन्य क्रियाओं के लिए इलैक्ट्रोनिक व्ययस्था अपनाने की योजना बना रहा है;

(ख) यदि हां, तो बढ़ते हुए यात्रियों की समस्या का समाधान करने के लिए अन्य क्या उपाय किये जा रहे हैं; और

(ग) इन उपायों से स्थिति में कहां तक सुधार होगा ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्णसिंह) : (क) से (ग).

इण्डियन एयरलाइन्स 1974 के अंत तक कम्प्यूटर द्वारा आरक्षण की प्रणाली चालू करने की योजना बना रहे हैं। इसका ब्यौरा तैयार किया जा रहा है। फिलहाल विमान क्षेत्र कार्य संचालन की इलैक्ट्रोनिक प्रणाली प्रचालित करने की कोई योजना नहीं है।

तमिलनाडु में पापबान पुल परियोजना का निर्माण करने की मंजूरी देना

*110. **श्री मुरासोली मारन** : क्या **पोतपरिवहन तथा परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु सरकार ने तमिलनाडु में पामबान पुल परियोजना का निर्माण करने के लिए मंजूरी मांगी है,

(ख) यदि हां, तो क्या मंजूरी दे दी गई है, और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

संसद्कार्य, पोतपरिवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी, हां। राज्य सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय राज-मार्ग सं० 49 पर पमवन में पहुँच-मार्गों सहित पुल के निर्माण के लिए एक विस्तृत परियोजना पेश की।

(ख) और (ग). परियोजना की तकनीकी जांच कर ली गई है और अब मंजूरी देने की कार्यवाही की जा रही है।

दिल्ली विश्वविद्यालय के ढांचे को लोकतन्त्रात्मक बनाने के बारे में विचारगोष्ठी

*111. **श्री अमरनाथ चावला** : क्या **शिक्षा तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक एसोसिएशन ने मार्च, के दूसरे सप्ताह में, दिल्ली विश्वबिद्यालय के ढांचे को लोकतन्त्रात्मक बनाने के सम्बन्ध में एक विचार-गोष्ठी का आयोजन किया था;

(ख) क्या इस गोष्ठी में भाग लेने वालों ने विश्वविद्यालय की किसी कालेज को अपने नियन्त्रण में लेने का सामर्थय प्रदान करने हेतु नियमों में संशोधन करने का अनुरोध किया था क्योंकि उनका विचार था कि किसी कालेज को चलाने का अधिकार विश्वविद्यालय के पास होना चाहिए;

(ग) उस गोष्ठी में भाग लेने वालों ने अन्य क्या-क्या सुझाव दिये; और

(घ) इस गोष्ठी में दिये गये सुझावों तथा की गई सिफारिशों के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा इन्हें कब तक क्रियान्वित कर दिये जाने की संभावना है ?

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री सिद्धार्थ शंकर रे) : (क) से (ग). कुछ समाचार पत्रों में, इस सेमिनार के बारे में प्रकाशित खबरों के अतिरिक्त, दिल्ली विश्वविद्यालय और सरकार दोनों ही को इसके विषय में अथवा वहां की कार्यवाही की कोई जानकारी नहीं है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

स्कूल स्तर पर विज्ञान की शिक्षा

*112. **श्री मोहम्मद शरीफ** : क्या **शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्च स्तर पर विज्ञान तथा टेक्नोलोजी में प्रवीणता प्राप्त करने के लिए स्कूल स्तर पर विज्ञान की शिक्षा का दर्जा बढ़ाने हेतु कोई विशेष प्रयास किये गये है, और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किये गये हैं ?

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री सिद्धार्थ शंकर रे) : (क) तथा (ख) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

स्कूल स्तर पर विज्ञान शिक्षा की कोटि को उन्नत करने के लिए पिछले एक दशक से भी अधीक समय से बिशेष प्रयत्न किये जा रहे हैं।

(1) द्वितीय तथा तृतीय योजना के दौरान, उच्च तथा उच्चतर माध्यमिक स्कूलों की प्रयोगशालाओं के लिए विज्ञान उपकरणों तथा ग्रीष्म कालीन संस्थाओं के एक कार्यक्रम के जरिए माध्यमिक स्कूल के विज्ञान-अध्यापकों को सेवारत प्रशिक्षण प्रदान करने के हेतु प्रयत्न किये गये थे।

(2) केवल मात्र विज्ञान की शिक्षा को उन्नत करने की समस्याओं को निपटाने के लिए राजकीय विज्ञान शिक्षा संस्थाओं की स्थापना में राज्यों को भी सहायता दी गई थी।

(3) 1965 में पाठ्यचर्या के विकास का एक व्यापक कार्यक्रम शुरू किया गया था, जिसकी मुख्य बातें निम्नलिखित हैं:—

(i) विज्ञान के विषयों में सुधरा और समुन्नत पाठ्य विवरण का निर्माण।

(ii) पाठ्य पुस्तकें, अध्यापकों के हेतु गाईडों और अन्य सम्बन्धित अनुदेशात्मक सामग्री का विकास।

(iii) विज्ञान के सरल देशज उपकरणों की मूल आकृतियों का विकास।

(iv) दृश्य साधनों का निर्माण।

(v) सेवारत प्रशिक्षण-सामग्रियों का विकास।

उपरोक्त योजनाओं के लिए येनेस्को और युनीसिफ से सहायता प्राप्त की गई है।

(4) नवीन पाठ्य विवरण, पाठ्यपुस्तकें और अध्यापक गाइडें, जो इस कार्यक्रम के अन्तर्गत तैयार की गई थी, देश भर के करीब 1,000 चुने हुए प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में 1970-71 के शिक्षा वर्ष से प्रायोगिक आधार पर प्रारम्भ की गयी है। चुने हुए स्कूलों को प्रायोगात्मक कार्यों के लिए नये विज्ञान-किट प्रदान किये गये है। इन स्कूलों के अध्यापकों को नवीन विज्ञान के अध्यापन में अनुस्थापित किया गया है। राज्य और संघीय क्षेत्र चुने हुए स्कूलों के लिए पृथक पूर्णकालिक विज्ञान पर्यवेक्षकों की नियुक्ति के लिए सहमत हो गये हैं। इस परियोजना को ठीक-ठीक कार्यान्वित करने के लिए 79 प्रमुख संस्थाओं को, जिनमें विज्ञान शिक्षा के राजकीय संस्थान, शिक्षा के राजकीय संस्थान के साथ-साथ प्राथमिक और माध्यमिक अध्यापक प्रशिक्षण संस्था भी है, अब तक प्रयोगशाला उपकरण मुहैया कर दिये गये हैं। इसी प्रकार का अन्य 500 सुख संस्थाओं को इसी भांति सज्जित किया जा रहा है। इस प्रायोगिक परियोजना के उपलब्ध होने वाले पुनर्निवेशन के परिणाम स्वरूप पाठ्यपुस्तकों अध्यापक गाईडों, और प्रयोगशाला-किटो को सुधारा जायेगा और उन्हें क्रमानुसार राज्यों और संघ क्षेत्रों द्वारा सभी स्कूलों में लागू करने की संभावना है।

(5) स्कूलों में नवीन विज्ञान-पाठ्यचर्या के शुरू किये जाने के इस कार्यक्रम के अलावा राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद द्वारा राष्ट्रीय विज्ञान प्रतिमा की खोज सम्बन्धी एक योजना परिचालित की जा रही है, जिसमें विज्ञान के प्रति रुचि रखने वाले 330 छात्रों को माध्यमिक स्कूल का चरण समाप्त होने पर प्रत्येक वर्ष चुना जाता है और पूर्व स्नातक, उत्तर स्नातक और डाक्टरेट स्तर पर विज्ञान के अध्ययन के लिए छात्रवृतियां प्रदान की जाती है।

(6) नौजवान पीढी में विज्ञान अध्ययन के प्रति और वैज्ञानिक प्राणालियों के सम्बन्ध के अभिरुचि उत्पन्न करने के हेतु विज्ञान क्लबों, विज्ञान-प्रर्दशनियों और अन्य प्रकार की पाठ्येतर कार्य कलापों को भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

(7) स्वेछिक शिक्षा संगठनों को सहायता देने के लिए भारत सरकार की एक योजना है, जिसके अधीन प्रयोगशालाओं का निर्माण, फर्नीचर, पुस्तकें और प्रयोगशाला उपकरणों की खरीद के लिए अनुदान दिये जाते है।

(8) स्कूल और विश्वविद्यालय स्तर पर विज्ञान शिक्षा सम्बन्धी कार्याकलापों को समन्वित करने के लिए एक राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा परिषद स्थापित की गई है।

(9) विज्ञान को मानक पुस्तकों के सस्ते संस्करणों को निकालने से संवद्ध 10 वर्ष से अधिक से एक पृथक योजना चालू है।

राज्य सरकारों द्वारा घाटे का बजट बनाना

*113. **श्री एस० राधाकृष्णन् :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों को उनके राज्यों में घाटे के बजट बनाने के बारे में और राज्यों द्वारा रिजर्व बैंक ग्राफ इण्डिया से जमा राशि से अधिक धन निकलवाने के बारे में कोई निर्देश अथवा परामर्श दिये गये थे; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) और (ख). भारत सरकार राज्य सरकारों को उनके बजट बनाने की रीति के बारे में कोई निर्देश नहीं दे सकती। फिर भी भारत सरकार सभी राज्यों से इस बात के लिए आग्रह करती रही है कि वे अपनी बजट स्थिति की लगातार समीक्षा करते रहें, ताकि बारबार जमा राशि से अधिक धन निकलवाने से बचा जा सके जो बचनबद्ध व्यय और उपलब्ध साधनों के बीच लगातार असंतुलन बने रहने के कारण निकालना पड़ता है। राज्य सरकारों को पूरी तरह से मालूम है कि वे अपने घाटे को पूरा करने के लिए किसी प्रकार की सहायता की आशा नहीं कर सकतीं सिवाय ऐसी विशेष सुविधा (ऋण के रूप में) के जो योजना आयोग द्वारा अपरिहार्य समझी गयी साधनों की कमी के सम्बन्ध में स्वीकार की जाय।

Completion of over-bridge over Naraini River at Dumaria Ghat in Champaran District

***114. Shri K. M. Madhukar :** Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) whether Government have fixed any time limit for completion of the over-bridge on the national highway (connecting Saran and Champaran Districts of Bihar) being constructed over Naraini river at Dumaria Ghat;

(b) if so, the details thereof and the extent to which construction work of the bridge is progressing according to the said time schedule;

(c) in case construction work of the bridge is not progressing satisfactorily, whether the responsibility therefor, lies on Government or the contractor; and

(d) if some other factors are responsible for the delay, the remedial action Government propose to take and the time by which the over-bridge is likely to be constructed?

Minister of Parliamentary Affairs, Shipping and Transport (Shri Raj Bahadur) : (a) to (d). Presumbly, the Hon'ble Member is referring to the construction of Gandak bridge on N. H. 28 at Dumariaghat. The contract agreement stipulated the original target date of completion of the work as 31-12-1967. This target date of completion, however, was subsequently extended to 31-12-1970 due to certain difficulties encountered in well sinking. But the contractor has not been able to complete the work as yet and it has been reported by the State P. W. D. that the bridge is now likely to be completed some time towards the end of 1972. This further delay is partly due to the inadequate application of resources and equipment by the contractor for carrying out the work of well sinking expeditiously and partly due to the presence of difficult clayey strata in the bed of the river and excessive tilts in one of the wells, the rectification of which has not only been difficult but time consuming. The contractor is, however, being pursued to complete the work as early as possible and constant watch is being exercised to expedite completion of the bridge.

बम्बई, मद्रास और कलकत्ता के बन्दरगाहों पर तस्कर व्यापार

*115. **श्री सामिनाथन** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सीमाशुल्क तथा उत्पादन शुल्क प्राधिकारियों ने गत तीन महीनों में बम्बई, मद्रास तथा कलकत्ता के बन्दरगाहों से कुल कितने मूल्य का निषिद्ध माल पकड़ा ;

(ख) ऐसी गतिविधियों में कौन कौन से देश अन्तग्रस्त हैं ; और

(ग) सरकार द्वारा इनको रोकने के लिये किये गये उपायों का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) दिसम्बर 1970 से फरवरी 1971 तक की अवधि के दौरान बम्बई, मद्रास तथा कलकत्ता में सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क प्राधिकारियों द्वारा पकड़े गये माल का कुल मूल्य 328 लाख रुपये था ।

(ख) ऐसी गतिविधियों में बाहरी देशों के अन्तर्गत होने के बारे में सरकार अवगत नहीं है ।

(ग) निषिद्ध वस्तुओं के तस्कर आयात-निर्यात को रोकने के लिये निम्नलिखित उपाय किये गये हैं: व्यवस्थित ढंग से सूचना एकत्रित करना तथा उस पर अनुवर्ती कार्यवाही करना, जिन व्यक्तियों के बारे में तस्कर आयात-निर्यात करने का सन्देह है, उन पर निगरानी रखना, जिन जहाजों अथवा वायुयानों पर सन्देह हो उनकी तलाशी लेना, और तटवर्ती तथा स्थल सीमाओं के सुगमता से पार करने योग्य क्षेत्रों की गश्त की व्यवस्था । सीमा शुल्क के अपर समाहर्ताओं तथा सहायक समाहर्ताओं जैसे कुछ वरिष्ठ श्रेणी के अधिकारियों को अनन्य रूप से तस्कर आयात-निर्यात विरोधी कार्य की निगरानी करने के लिये सुगमता से पार करने योग्य क्षेत्रों में तैनात किया गया है । कुछ वस्तुओं के अवैध आयात तथा निर्यात को रोकने तथा उनके पकड़ने के कार्य को सुविधाजनक बनाने के प्रयोजन से विशेष उपाय करने के लिये सीमाशुल्क अधिनियम 1962 में अतिरिक्त उपबन्ध जोड़कर उसे संशोधित किया गया है । इकट्ठी की गयी सूचना के आधार पर उपयुक्त कार्यवाही के लिये स्थिति की प्रायः समीक्षा भी की जाती है ।

खम्बात बन्दरगाह का विकास

*116. **श्री पी० एन० सालंकी** : क्या **पोत परिवहन तथा परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में पश्चिमी तट पर खम्बात बन्दरगाह का विकास करने की कोई योजना है, और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

संसदकार्य पोतपरिवहन तथा परिवहन मन्त्री (श्री राजबहादुर) : (क) बड़े पत्तनों के अलावा अन्य पत्तन संविधान की समवर्ती सूची में हैं । उनके विकास की कार्यकारी उत्तरदायित्व संवधित राज्य सरकारें का है । गुजरात सरकार जो खम्बात पत्तन के विकास से सम्बन्धित है ने सूचना दी है कि इस पत्तन के विकास करने की कोई योजना नहीं है

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

पश्चिम बंगाल में शिक्षण संस्थाओं का बन्द होना

*117. **श्री त्रिदिव चौधरी :** क्या **शिक्षा तथा समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में हिंसात्मक उपद्रव अथवा राजनीतिक उग्रवादियों की गतिविधियों के कारण अब तक कितने कालेज, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, इंजीनियरिंग तथा अन्य शैक्षिक संस्थायें बन्द रहीं हैं ; और

(ख) सरकार ने उनको पुनः खोलने के लिए क्या कार्यवाही की है तथा ऐसी शैक्षिक संस्थाओं की संख्या कितनी है जो हाल ही में खोली गई थीं परन्तु अब फिर बन्द हो गई हैं ।

शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री सिद्धार्थ शंकर रे) : (क) और (ख). शिक्षा निदेशालय, पश्चिम बंगाल सरकार में उपलब्ध सूचना के अनुसार, प्रशिक्षण कालेज से संलग्न एक प्रायोगिक कालेज के प्राथमिक प्रवर्ग, एक अवर बुनियादी प्रशिक्षण संस्थान दो प्रशिक्षण संस्थानों एक सौ नौ गैर सरकारी माध्यमिक स्कूलों, तेरह सरकारी माध्यमिक स्कूलों, तीन सरकार द्वारा प्रायोजित माध्यमिक स्कूलों, कला विज्ञान के दो सरकारी डिग्री कालेजों, कला और विज्ञान के लगभग पच्चीस निजी और सरकार द्वारा प्रायोजित कालिजों, दो इंजीनियरिंग डिग्री कालेजों, उन्नीस पोलीटेक्निकों और छः अवर तकनीकी स्कूलों पर उग्रबादियों ने विभिन्न अवसरों पर छापे मारे थे। इन छापों से सम्बन्धित संस्थानों को विभिन्न कालों के लिए बन्द होने पर वाध्य होना पड़ा। सूचना मिली है कि एक सरकारी स्कूल, एक सरकार द्वारा प्रायोजित स्कूल, चौरासी गैर सरकारी माध्यमिक स्कूल पुनः खोलने के बाद फिर से बन्द कर दिये गये हैं। दिसम्बर 1970 में हिंसात्मक कार्यवाही के कारण कला और विज्ञान के जो दो सरकारी कालेज तथा एक सरकारी इन्जीनियरी डिग्री कालेज बन्द कर दिये गये थे वे फिर से खोले नहीं गये हैं। उग्रवादियों के छापे के कारण शारीरिक शिक्षा का सरकारी स्नात्तकोत्तर कालेज भी अनेक सप्ताहों के लिए बन्द कर दिया गया है। पश्चिमी बंगाल सरकार अवैधता को समाप्त करने के लिए प्रयत्न कर रही है और जहां सामान्य स्थिति पुनः स्थापित करना सम्भव है बहां शैक्षिक संस्थाएं पुनः खुल गई है ।

पर्यटन से होने वाली भारत की आय

*118. **श्री राम सहाय पांडे :** क्या **पर्यटन और असैनिक उडडयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पर्यटन से होने वाली विश्व की आय में भारत का भाग बहुत क़म है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या भारत में पर्यटन की प्रगति के मार्ग में अन्य बातों के साथ साथ केन्द्र और राज्यों के सम्बन्ध में मुख्य बाधाएं हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख). पर्यटन से होने वाली विश्व की आय में भारत का हिस्सा यद्यपि निःसंदेह रूप से बढ़ रहा हैं तथापि निम्नलिखित कारणों से अभी अल्प है:—

(i) विश्व के प्रमुख पर्यटन स्रोत रूस देशों से भारत आने में अत्यधिक व्यय ।

(ii) आवास स्थान और आन्तरिक परिवहन जैसी पर्यटन सम्बन्धी आधार-भूत सुविधाओं की अपर्याप्तता ।

(ग) जी नहीं ।

राष्ट्रीयकृत बैंकों में अनुसूचित जातियों । अनुसूचित जनजातियों के लिए पदों का आरक्षण

156. **श्री एस० एम० सोलंकी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में इस समय राष्ट्रीयकृत बैंकों में कार्य कर रहे अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिपिकों, चपरासियों और अधिकारियों की संख्या कितनी है ; और

(ख) क्या वर्ष 1970 के दौरान राष्ट्रीयकृत बैंकों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षण के प्रतिशत का अनुपालन किया गया है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क). बैंकों के पास जो सूचना उपलब्ध है वह इकट्ठी की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जायगी ।

(ख) 14 बड़े बड़े वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई, 1969 को किया गया था । सरकार के इस निर्णय को भूतपूर्व बैंकिग कम्पनियों के शेयर होल्डरों ने उच्चतम न्यायालय मैं याचिका दायर करके चुनौती दी थी । सरकार ने न्यायालय को यह वचन दिया था कि जब तक उक्त याचिका पर निर्णय नहीं हो जाता तब तक सरकार बैंकों के आन्तरिक प्रबन्ध में किसीं प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगी । 10 फरवरी, 1970 को जब उच्चतम न्यायालय ने समबद्ध अधिनियम को अवैध करार दे दिया तो बैंक अपने भूतपूर्व मालिकों के अधिकार में फिर आ गये । 14 फरवरी 1970 को एक अध्यादेश जारी किया गया जिसके मातहत इन 14 बैंकों का नियंत्रण 19 जुलाई 1970 की भूतलक्षी तारीख से सरकार ने अपने हाथ में ले लिया । इस अध्यादेश का स्थान 1970 के अधिनियम संख्या 5 ने ले लिया जिसे 31 मार्च, 1970 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल गयी ।

उसके बाद राष्ट्रीयकरण से पहले बैंकों द्वारा कर्मचारियों की भर्ती के संबंध में जिस पद्धति का अनुसरण किया जाता था उसे ध्यान में रखते हुए अनुसूचित जातियों अनुसूचित आदिम जातियों के लिये पद सुरक्षित रखने के बारे में विचार किया गया और नवम्बर 1970 में बैंकों की सीधी भर्ती करने के सम्बन्ध में अनुसूचित जातियों अनुसूचित आदिम जातियों के लिये पद सुरक्षित रखने के लिये नियम अपनाने की सलाह दी गयी थी । चूंकि सरकार के परामर्श के अनुसार बैंकों को भर्ती के तरीकों में उपयुक्त फेर बदल करना पड़ा था इसलिये 1970 के वर्ष में इन समुदायों के लिये सुरक्षित रखे जाने वाले पदों के प्रतिशत का ध्यान नहीं रखा जा सका ।

Financial Assistance to Madhya Pradesh

157. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Finance** be pleasetod state :

(a) the amount of financial assistance sought by the Government of Madhya Pradesh for the implementation of their schemes during the current Five Year Plan and

(b) whether the Central Government have so far taken any decision about the quantum of assistance to be provided to the State Government and if so, the details thereof?

Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) and (b). Central assistance to States for their Fourth Five Year Plan has been determined in accordance with the norms prescribed by the National Development Council. In accordance with these criteria. the Government of Madhya Pradesh have been allocated Central assistance of Rs. 262 crores for their Fourth Five Year Plan. The State Government have not requested for any increase in Central assistance.

दिल्ली के उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के प्रधानाचार्यों तथा उप-प्रधानाचार्यों के पदों के चयन का ढंग

158. **श्री शशि भूषण :** क्या **शिक्षा तथा समाज कल्याण** मंत्री दिल्ली के उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के प्रधानाचार्यों तथा उप-प्रधानाचार्यों के पदों के चयन के तरीके के बारे में 20 नवम्बर 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1724 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन से अपेक्षित जानकारी इस बीच एकत्र कर ली गयी है ;

(ख) यदि हां तो इसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं तो, विलम्ब के क्या कारण हैं और उक्त जानकारी के कब तक एकत्र हो जाने तथा सप्लाई की जाने की सम्भावना हैं ?

शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री सिद्धार्थ शंकर रे) : (क) जी हाँ।

(ख) विवरण संलग्न है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

20-11-70को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 1724 के सम्बन्ध में दिल्ली प्रशासन द्वारा पूर्ति की गई अपेक्षित सूचना नीचे दी गई है।

(क) दिल्ली के हायर सेकेन्डरी स्कूलों के प्रिंसिपलों तथा वाइस प्रिंसिपलों के पदों के लिए चयन किस तरीके से किया जाता है।	(क) प्रधानाचार्यों के पदों के चयन करने का तरीका 50 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा तथा 50 प्रतिशत सीधे चयन द्वारा है। उप-प्रधानाचार्यों की नियुक्ति शत प्रतिशत पदोन्नति द्वारा की जाती है।
(ख) क्या एक जुलाई, 1970 को दिल्ली नगर निगम के द्वारा दिल्ली प्रशासन को स्कूलों का प्रबन्ध सौंपे जाने पर स्थानान्तरित वरिष्ठ अध्यापकों के लिए इन पदों में से कुछ पर आरक्षित करने का प्रस्ताव है ; यदि हां तो उसका ब्यौरा क्या हैं ;	(ख) जी हां, नगर निगम से स्थानान्तरित अध्यापन स्टाफ के लिए आरक्षित कोटा के ब्यौरा अभी भी दिल्ली प्रशासन द्वारा तैयार किये जा रहे हैं।

(ग) क्या यह सच हैं कि दिल्ली प्रशासन को इस प्रकार स्थानान्तरित अध्यापकों को नई नियुक्ति पर लिया जा रहा हैं जबकि ये अध्यापक दिल्ली नगर निगम में स्थायी हैं तथा 1958 में नगर निगम में स्थानान्तर से पूर्व दिल्ली प्रशासन में भी स्थाई थे ; और

(ग) विशेष संवर्ग के कर्मचारियों की खपत की शर्तों के अन्तर्गत जिन कर्मचारियों को उनके बनाने से पहले स्थाई कर दिया गया था, उन्हें स्थाई हुआ समझा जायेगा। सेवा-पुस्तिका से उनके सेवाओं का सत्यापन होने के पश्चात जो दिल्ली नगर निगम द्वारा वेतन नियतन आदि के लिए रख ली गई हैं; ओपचारिकताऐं पूरी की जागगी।

(घ) यदि हा, तो सरकार विचार इनकी वरिष्ठता किस प्रकार निश्चित करने का है तथा उनकी शिकायतों को किस प्रकार दूर करने का है ; जिससे उनके साथ न्याय हो सके ?

(घ) दिल्ली नगर निगम से आया हुआ स्टाफ खपत की शर्तों के अन्तर्गत विशेष संवर्ग में रहेगा तथा विशेष संबर्ग में किसी भी कर्मचारी की, वरिष्ठता में कि उसके दिल्ली प्रशासन में खपत होसे से पहले दिल्ली नगर निगम में नियत की गई है, कोई बाधा नहीं डाली जायेगी।

भारत में सोने के तस्कर व्यापार को रोकने के लिए उपाय

15०. **श्री शशि भूषण** : क्या **वित्त मंत्री** भारत में सोने के तस्कर व्यापार के बारे में 20 नवम्बर 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1726 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ब्रिटेन स्विटजरलैंड और फ्रांस की शोधशालाओं के अंकित चिह्न वाले सोने के भारत में तस्कर व्यापार को रोकने के लिये सरकार द्वारा क्या निश्चित उपाय किये गये हैं ;

(ख) अब तक किये गये उपायों के परिणामस्वरूप सरकार को कितनी सफलता मिली है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा किये जाने वाले अधिक कठोर उपायों का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) सरकार ने देश में माल के तस्कर आयात को रोकने के लिए, जिसमें ब्रिटिश, स्विस तथा फ्रेंच परिशोधन-शालाओं के मार्केट का सोना भी शामिल है, विभिन्न उपाय किये हैं; जैसे स्वर्ण नियन्त्रण अधिनियम का अधिनियमन, व्यवस्थित ढंग से सूचना एकत्रित करना तथा उस पर अनुवर्ती कार्यवाही करना, जिन व्यक्तियों के बारे में तस्कर-आयात-निर्यात करने का सन्देह है उन पर निगरानी रखना, जिन जहाजों अथवा वायुयानों पर सन्देह हो उनकी तलाशी लेना और तटवर्ती तथा स्थल सीमाओं के सुगमता से पार करने योग्य क्षेत्रों की गश्त की व्यवस्था। सीमाशुल्क के समाहर्ता तथा अपर समाहर्ता जैसे वरिष्ठ अधिकारियों को अनन्य रूप से तस्कर आयात-निर्यात विरोधी कार्य की निगरानी के लिए तैनात किया गया हैं। इन उपायों की निरन्तर समीक्षा की जाती है।

(ख) वर्ष 1967 तथा 1968 में पकड़े गये माल तथा गिरफ्तारी किये गये व्यक्तियों की तुलना में वर्ष 1969 तथा 1970 में, सीमाशुल्क सम्बन्धी मामलों में पकड़े गये अपेक्षाकृत अधिक मूल्य के माल तथा गिरफ्तार किये गये अधिक व्यक्तियों की संख्या से यह जाहिर होता है कि अब तक किये गये उपायों के कारण सफलता प्राप्त हो रही है।

(ग) तस्कर आयात-निर्यात विरोधी कार्यवाही के लिए कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि करने तथा उपयुक्त समुद्री नौकाओं को प्राप्त करने के प्रश्न पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है।

बड़े औद्योगिक गृहों द्वारा कलकत्ता में इमारतों का बेचा जाना

160. **श्री शशि भूषण** : क्या **वित्त मंत्री** बड़े औद्योगिक गृहों द्वारा कलकत्ता में इमारतों की बिक्री के बारे में 18 दिसम्बर, 1970 के तारांकित प्रश्न संख्या 819 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा बड़े औद्योगिक गृहों की इमारतों की खरीद के बारे में इस बीच जानकारी एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उक्त जानकारी एकत्र करने में और कितना समय लगने की सम्भावना है ?

वित्त मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रीयकृत बैंकों ने ऐसी कोई इमारतें नहीं खरीदी है

(ग) यह प्रश्न नहीं उटता है।

अल्यूमिनियम तथा इसके उत्पादों की मूल्य निर्धारण नीति सम्बन्धी कार्यकारी दल

161. **श्री डी० एन० भट्टाचार्य** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अल्यूमिनियम तथा इसके उत्पादों की समस्याओं, लागतों तथा उनकी मूल्य निर्धारण नीति की जांच करने के लिए एक कार्यकारी दल की नियुक्ति की थी;

(ख) यदि हां, तो क्या इस दल ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है तथा अल्यूमिनियम निःस्त्रवण के लिये टैरिफ़ मूल्य का पुनः निर्धारण करने की सिफारिश की है;

(ग) उक्त दल की मुख्य सिफारिशें तथा निष्कर्ष क्या हैं; और

(घ) उन पर क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) तक. एल्यूमिनियम सम्बन्धी कार्यकारी दल ने अपनी रिपोर्ट दे दी है। इस दल का गठन सरकार ने एल्यूमिनियम के मूल्यों से सम्बद्ध मामलों की जांच करने और इस सम्बन्ध में सरकार को अपनी सिफारिशें देने के लिए अप्रेल, 1970 में किया था। यह रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है।

Exemption from payment of Wealth Tax on Agricultural Lands to Farmers of Small Holdings.

162. **Shri Mulki Raj :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the reasons for which the farmers whose sons are adult, married and family-men are brought within the purview of wealth-tax on agricultural lands, when the land is in the name of father and his sons undertake cultivation separately; and

(b) whether Government purpose to exempt such small farmers from the aforesaid tax?

Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) Wealth-tax is charged on the net Wealth, on the valuation date, owned by an individual or Hindu Undivided Family. The agricultural lands of the value over and above the exemption limit, standing in the name of a person, either individually or as karta Hindu Undivided Family, have to be assessed in his hands. The mere fact that the lands are being cultivated separately by the sons of a person is of no consequence, unless it is established that the ownership of the lands has also since passed on from the father to the sons. If the agricultural lands belonging to a Hindu Undivided Family have passed on from the father, who was the karta of the family, to the sons. on a partition, it is for the father to establish this fact so as to claim they may be considered for assessment in the hands of the sons in question.

(b) No, Sir, in view of what is stated above.

इण्डियन एयरलाइन्स के एक फोकर फ्रेंडशिप विभाग का श्रीनगर हवाई अड्डे से जबरन पाकिस्तान ले जाया जाना

163. **श्री एच०एन० मुकर्जी : श्री एस०एल० सक्सैना :**
श्री एम०आर० गोपाल रेड्डी :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत फरवरी मास में इण्डियन एयरलाइन्स के एक फोकर फ्रेंडशिप विमान को श्रीनगर हवाई अड्डे से जबरन पाकिस्तान ले जाया गया था;

(ख) क्या उक्त अपहरण ऐसी घटनाओं के विरुद्ध कड़े सुरक्षा-प्रबन्धों के बावजूद किया गया;

(ग) क्या सरकार ने वह पता लगाने के लिए कोई जांच की है कि सुरक्षा-प्रबन्ध इस घटना को रोकने में विफल क्यों हुए; और

(घ) यदि हां, तो इस जांच के क्या परिणाम निकले, और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क). जी, हां।

(ख) से (घ). सरकार ने इस मामले के विभिन्न पहलुओं की जांच करने के लिए एक उच्च स्तरीय सरकारी समिति नियुक्त की है।

परीक्षा-सुधार

164. **श्री चंद्रप्पन : क्या शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड द्वारा स्थापित की गई परीक्षा-सुधार सम्बन्धी समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है।

(ख) यदि हां, तो समिति की मुख्य सिफारिशें क्या है, और

(ग) उन पर क्या निर्णय किया गया है ?

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री सिद्धार्थ शंकर रे) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

नई केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क कलैक्टरी का खोला जाना

165. **श्री चिंतामणि पाणिग्रही** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि राजस्व तथा व्यय मंत्री ने उड़ीसा में केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क कलैक्टरी खोलने की पहले ही अपनी सहमति दे दी थी;

(ख) यदि हां, तो क्या इसको 1 अप्रैल 1971 से खोल दिया जायेगा; और

(ग) क्या सरकार ने मदुरै, गुन्टूर तथा अहमदाबाद में केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क कलैक्टरी खोलने का निर्णय किया है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) तथा (ख). जी, नहीं। राजस्व तथा व्यय मंत्री ने उर्डीसा में केन्द्रीय उत्पादन शुक्ल समाहर्ता-कार्यालय खोलने के लिए सहमति नहीं दी थी।

(ग) 1 अप्रेल, 1971 से तीन नये समाहर्ता-कार्यालयों के निर्माण के लिए पहले ही आदेश जारी किये जा चुके है, जिनके मुख्यालय मदुरै, गुन्टूर तथा अहमदाबाद में होंगे।

पेंशन में वृद्धि करने की माँग

166. **श्री एस०एम० बनर्जी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक सरकारी पेंशनभोगी संगठनों ने पेंशन में वृद्धि करने के बारे में विचार करने के लिए सरकार से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस सामले को केन्द्रीय वेतन आयोग को सौंपने का है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग). पेंशनरों तथा उनकी संस्थाओं से विभिन्न अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। उन अभ्यावेदनों में मुख्य निवेदन पेंशनरों को राहत दिये जाने के सम्बन्ध में थे तथ इस प्रश्न को तृतीय वेतन आयोग को सौंपने के बारे में थे। जबकि आयोग के निदेश-पदों में पेंशनरों के मामलों को शामिल करने का कोई प्रस्ताव नहीं है, परन्तु आयोग, सेवा-रत सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन सम्बन्धी लाभों के सम्बन्ध में जो भी सामान्य सिफारिशें करेगा, उनको ध्यान में रखते हुए पेंशनरों को राहत मंजूर करने के प्रश्न पर यथा समय विचार करने का सरकार का प्रस्ताव है।

सेवा निवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों को अन्तरिम सहायता की बकाया राशि का भुगतान

167. **श्री एस०एम० बनर्जी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अन्तरिम सहायता की बकाया राशि का भुगतान उन सरकारी कर्मचारियों को नहीं किया गया है जो सरकार के निर्णय की घोषणा से पूर्व सेवा निवृत्त हो गये थे;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) जो कर्मचारी पहली मार्च, 1970 को या उससे बाद में सेवा में थे किन्तु जो अन्तरिम सहायता के बारे में सरकार की घोषणा से पूर्व ही सेवा से निवृत्त हो गये थे, क्या उन्हें अन्तरिम सहायता की बकाया राशि के लाभ से वंचित रखा गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस स्थिति में सुधार के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (घ). जो केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी 1 मार्च, 1970 को सेवा में थे परन्तु जो अन्तरिम राहत मंजूर करने के आदेश जारी होने की तारीख से पहले ही सेवा-निवृत्त हो गये थे, वे अपनी सेवा-निवृत्ति की तारीख तक उक्त लाभ पाने के हकदार हैं। इस सम्बन्ध में सम्बधित कर्मचारियों को बकाया रकम की अदायगी की व्यवस्था करना प्रशासनिक मंत्रालयों/कार्यालयों का काम है। वित्त मंत्रालय के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है कि किसी खास मामले में देय बकाया रकमें अभी तक नहीं दी गई हों।

अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्य

168. **श्री एस०एम० बनर्जी** : **श्री मायावन** :

श्री मुरासोली मारन :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्यों में एक न्यायोचित सीमा तक कमी लाने के लिये क्या ठोस कार्यवाही की गई है;

(ख) क्या यह सच है कि जमाखोरी और चोर बाजारी के कारण मूल्य बढ़ते जा रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो ऐसी समाज विरोधी गतिविधियों को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) सरकार देश की मूल्य सम्बन्धी स्थिति पर बराबर नजर रख रही है और मूल्यों को नियन्त्रण में रखने के लिये विभिन्न उपाय किये जा रहे हैं। कपास, तेलहनों और खाद्य तेलों, इस्पात आदि जैसी वस्तुओं की कमी की पूर्ति आयात द्वारा की जा रही है। अत्यावश्यक आयातित कच्चे माल का संग्रह करने के लिए औद्योगिक कच्चा माल सहायता केन्द्र की स्थापना की गई है; कपास, जूट और काजू का

कुशलतापूर्वक आयात किये जाने की व्यवस्था करने के उद्देश्य से सरकारी क्षेत्र में अलग-अलग अभिकरणों की स्थापना की गयी है।

अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्यों की निरन्तर समीक्षा की जाती है। रेयन के धागे, टायरों के काम आने वाले रेयन के धागे और ट्रकों के टायरों की कीमतें, हाल ही में कम की गई है। 1970-71 के दौरान मिट्टी के तेल और पैट्रोल के खुदरा मूल्यों में भी कमी की गई। नियन्त्रित मूल्यों पर मुख्य अनाजों का वितरण उचित मूल्य राशन की दुकानों के बिछाये गये जाल के माध्यम से किया जाता है। सूती कपड़े की काफी किस्मों के मूल्यों पर अब भी नियन्त्रण जारी है। जिस किसी क्षेत्र में किसी वस्तु की सप्लाई में अस्थायी कमी होती है केन्द्रीय असैनिक आपूर्ति संगठन उसी क्षेत्र में शीघ्रता से पूर्ति करने का प्रबन्ध करता है।

1970-71 के दौरान, भेषजों और दवाओं पर सांविधिक मूल्य नियन्त्रण लागू किया गया और कई भेषजों और दवाओं के मूल्यों में कमी की गई। सरकार ने, बिजली की तारों और केबलों के मूल्य निर्धारित करने की शक्तियां भी प्राप्त कर ली हैं।

बढ़ते हुए मूल्यों को रोकने के लिए, पिछले वर्ष मुद्रा सम्बन्धी कई उपाय किये गये। तेलहनों, रुई और कपास तथा अनाज़ के सम्बन्ध में बैंक द्वारा दिये जाने वाले ऋणों पर पाबन्दी लगा दी गई है, जबकि ब्याज की कम से कम दर निर्धारित करके ऋण की लागत बढ़ा दी गयी है। बैंकों के नकदी या नकदी जैसी परिसम्पत्ति के शुद्ध अनुपात में विभिन्न चरणों में 30 से 34 प्रतिशत तक की वृद्धि की गयी है और जनवरी के पिछले महीने से अर्थात् 8 जनवरी, 1971 से बैंक दर एक प्रतिशत बढ़ा दी गई है।

(ख) और (ग). बेईमान व्यापारी/निर्माता कभी-कभी अत्यावश्यक वस्तुओं की पूर्ति की अस्थायी कमी का नाजायज फायदा उठाने के लिये लालच में आ सकते है और जमाखोरी तथा चोर बाजारी कर सरते हैं। इस प्रकार के भ्रष्टाचार से निपटने के लिये सरकार ने अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत सभी राज्य सरकारों और संघीय राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्यों, उनकी पूर्ति और वितरण को नियन्त्रित करने के लिये शक्तियों का प्रत्यायोजन किया है।

1967 में किये गये संशोधन के द्वारा उक्त अधिनियम के अधीन कुछ अपराधों के लिए कैद की अधिकतम अवधि 3 वर्ष से बढ़ा कर 5 वर्ष तक बढ़ा दी गई, और दौबारा तथा उसके बाद किये जाने वाले अपराधों के लिये कम से कम एक महीने की कैद की सजा अनिवार्य कर दी गई। अधिनियम के अन्तर्गत जारी किये गये आदेशों का उल्लंघन किये जाने पर जिला अधिकारियों को अत्यावश्यक वस्तुओं को जब्त करने के अधिकार हैं और अपराधी को ऐसी वस्तुओं का व्यापार करने से कम से कम छः महीने की अवधि के लिये वंचित किया जा सकता है। फिलहाल अधिनियम के अन्तर्गत संक्षिप्त विचारण (समरी ट्रायल) की अवधि और दो वर्ष के लिए अर्थात् 31 दिसम्बर, 1971 तक बढ़ा दी गई है।

विदेशों में स्नातकोत्तर अध्ययन के लिये छात्रवृत्ति

169. **श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा :** क्या **शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंजीनियरिंग तथा अन्य विषयों में विदेशों में जाकर स्नातकोत्तर अध्ययन करने हेतु 50 सरकारी छात्रवृत्तियों देने के लिये आय की सीमा निर्धारित कर दी गई है;

(ख) यदि हां तो निर्धारित की गई आय की सीमा क्या है और इसके क्या कारण है; और

(ग) क्या आय-सीमा निर्धारित करने से भेदभाव नहीं होगा।

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री सिद्धार्थ शंकर रे) : (क) जी, हां।

(ख) सभी सोत्रों से रु० 1,000 प्रतिमास है। क्योंकि इस योजना का अभिप्राय ऐसे योग्य छात्रों को वित्तीय सहायया प्रदान करना है जो कि भारत के नागरिक हैं और जिनके पास आगे अध्ययन के हेतु विदेश जाने के लिए साधन नहीं हैं, अतः एक आय सीमा निश्चित कर दी गयी है।

(ग) इससे भेदभाव नहीं होगा।

भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन

170. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भारतीय मुद्रा का और अवमूल्यन करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

मूल्यों में वृद्धि का चौथी योजना पर प्रभाव

171. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मूल्यों में अभी हाल में हुई वृद्धि का चौथी योजना पर प्रभाव पड़ेगा; और

(ख) यदि हां, तो मूल्य-वृद्धि को रोकने के लिए क्या प्रभावी उपाय किये जा रहे हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) मूल्यों में हाल में हुई वृद्धि के बावजूद, सरकार का इरादा, योजना में शामिल मुख्य कार्यक्रमों को निर्धारित समय-सारणी के अनुसार कार्यान्वित करने का है।

(ख) मूल्यों को स्थिर बनाये रखना सरकार की नीति का मुख्य उद्देश्य है। इस उद्देश्य की पूर्ति कृषि और औद्योगिक उत्पादन के कार्यक्रमों को तेजी से कार्यान्वित करने की सुनिश्चित

व्यवस्था करने के अलावा, राजस्व तथा मुद्रा सम्बन्धी अनुकूल नीतियों तथा वास्तविक और प्रशानिक नियन्त्रणों के माध्यम से की जाती है। राजस्व सम्बन्धी उपायों में मुद्रा विस्फीतिकारी ढंग से साधन जुटाने के उपाय शामिल हैं जबकि मुद्रा सम्बन्धी उपायों में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा चयनात्मक आधार पर किये जाने वाले ऋण-नियन्त्रण के उपाय शामिल हैं, ताकि जिन जिन्सों के मूल्यों पर दबाव पड़ता है, उनके बदले दिये जाने वाले बैंक अग्रिमों पर नियन्त्रण रखा जा सके। ऋण नियन्त्रण के सामान्य उपाय के रूप में जनवरी, 1971 में बैंक-दर 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 6 प्रतिशत कर दी गयी थी और रिजर्व बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंकों के लिए की जाने वाली पुनर्वित्त व्यवस्था की लागत भी बढ़ा दी गयी।

कपास, खाद्य तेलों और इस्पात जैसी कम मात्रा में उपलब्ध होने वाली वस्तुओं के मामले में, सरकार उनकी उपलब्धि बढ़ाने के लिए आयात की व्यवस्था कर रही है। कई औद्योगिक वस्तुओं के मामले में, मूल्य तथा वितरण सम्बन्धी नियन्त्रणों का सहारा लिया जाता है ताकि मूल्यों को स्थिर रखा जा सके। सरकार वायदे के सौदों का भी विनियमन करती है और अनाजों तथा मुख्य खाद्यतेलों के वायदे के सौदों पर प्रतिबन्ध लगा है।

सरकार ने अनाज का काफी बड़ा संकट निरोधक भण्डार बनाया है—फरवरी 1971 के अन्त तक केन्द्र और राज्य सरकारों के पास 58 लाख मैट्रिकटन अनाज के भण्डार थे और वितरण की एक कुशल व्यवस्था कायम की है। असैनिक पूर्ति आयुक्त का संगठन अनाज, खाद्य तेलों, सूती वस्त्रों, भेषजों आदि जैसी अत्यावश्यक वस्तुओं की उपलब्धता और उनके मूल्यों की प्रवृत्तियों पर बराबर नज़र रखता रहता है।

Opium Cultivators in Madhya Pradesh

172. **Shri Laxmi Narain Pandey :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) the number of opium cultivators in Mandsaur and Ratlam Districts of Madhya Pradesh in the year 1969-70;

(b) the average per acre production of opium in the aforesaid two districts during this year;

(c) the rules or criteria governing the setting up of procurement centres at the time of procurement of opium by Government in the said districts;

(d) whether the Central Government propose to modify the rules regarding cultivation of opium; and

(e) if so, the details thereof?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Vidya Charan Shukla : (a) and (b) : The requisite information is given below :—

Opium Year.	Name of district.	No. of opium cultivators.	Average yield per acre at 70 consistence.
1969-70	Mandsaur	56,612	12.29 Kg
,,	Ratlam	11,460	11.13 Kg.

(c) Main principles for fixing procurement centres are :—

(i) Proximity to the poppy growing villages,

(ii) Availability of accommodation and water facilities,

(iii) Adequacy of security arrangements for safe custody of cash and opium.

Preference is given to Tehsil/Pargana headquarters or some big villages where generally facilities for conducting weighments are available.

(d) No, Sir.

(e) Does not arise.

Upgradation of Gwalior City

173. **Shri Atal Bihari Vajpayee :** Will the Minister of **Finance** be pleased state :

(a) whether Government have under consideration any proposal to declare Gwalior as 'B' class city; and

(b) if the answer to part (a) above be in the negative, the reasons therefor?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) No. Sir.

(b) Gwalior does not satisfy the criterion adopted for the selection of towns for revision of classification during the mid-census review. The question of its re-classification will have to await the results of the 1971 Census.

Incidence of Taxation

174. **Shri Laxmi Narain Pandey :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the per capita income during the year 1969-70;

(b) the per capita tax burden (Central Taxes) during this year; and

(c) the percentage increase or decrease in the per capita income and tax burden the year 1969-70 as compared to 1968-69?

The Minister of Finance (Shri Y. B. Chavan) : (a) Official estimates of per capita income for 1969-70 are not yet available.

(b) Per capita tax burden (Central taxes, inclusive of States' share) worked out to Rs. 52 for 1969-70.

(c) The increase in the per capita tax burden between 1968-69 and 1969-70 was of the order of 9.7 per cent.

महालेखापाल बिहार के कार्यालय के रांची में तैनात कर्मचारियों को परियोजना भत्ता

175. **श्री पी०के० घोष :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के महालेखापाल कार्यालय के रांची नगर में नियुक्त किये गये कर्मचारी परियोजना भत्ते की मांग कर रहे हैं तथा उन्होंने इस सम्बन्ध में सरकार को बार-बार अभ्यावेदन दिये है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले में कोई निर्णय किया गया है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) तथा (ख). बिहार में महालेखाकार के कर्मचारियों ने उस कार्यालय के सभी कर्मचारियों को परियोजना भत्ता मिलने की मांग की थी।

सरकार में उन लेखापरीक्षा कर्मचारियों को 28 फरवरी, 1970 तक परियोजना भत्ता मंजूर किया था जो वस्तुतः परियोजना के समवर्ती लेखापरीक्षा में नियोजित हैं, और परियोजना क्षेत्र में ही अथवा समीपस्थ बस्ती में रहते हैं। महालेखाकार, बिहार के कर्मचारियों को परियोजना भत्ता मंजूर नहीं किया गया था क्योंकि वे परियोजना के कार्य के लिये नियुक्त नहीं थे और यह उन्हें मिल सकता था।

रांची स्थित राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्मचारियों को परियोजना भत्ता दिये जाने की मांग

176. **श्री पी०के० घोष** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रांची में रह रहे राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्मचारियों ने 31 फरवरी, 1971 को, जब प्रधान मंत्री ने रांची का दौरा किया था, उन्हें नगर में नितुक्त किये गये राष्ट्रीयकृत बैंकों के सभी कर्मचारियों को परियोजना भत्ता दिये जाने के लिए एक अभ्यावेदन दिया था; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मामले में कोई निर्णय किया है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख). माननीय सदस्य द्वारा भिजवाया गया रांची जिला बैंक कर्मचारी संघ का अभ्यावेदन प्रधान मंत्री को मिला है। चूंकि बैंक कर्मचारियों को भत्ते बैंकों के प्रबन्धक वर्ग और कर्मचारी यूनियनों के बीच आपसी बात-चीत के बाद किये गये करारों के अनुसार दिये जाते हैं, इसलिए इस मामले पर सरकार द्वारा निर्णय नहीं लिया जा सकता।

राष्ट्रीयकृत बैंकों के लाभ तथा हानि

177. **श्री एम०आर० गोपाल रेड्डी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1967-68, 1969-70 और 1970-71 में 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों को कितना लाभ तथा हाति हुई; और

(ख) उक्त अवधि में इन बैंकों के 'कर्मचारियों एवं अधिकारियों के वेतन और भत्ते' शीर्ष के अन्तर्गत खर्च की गई राशि क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख). राष्ट्रीयकृत बैंक अपने खाते प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष के अन्त में बन्द करते हैं। 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों में से हर एक बैंक ने 1967, 1968 और 1969 के लेखावर्ष के सम्बन्ध में जो अपने-अपने लाभ और हानि के लेखें प्रकाशित किये हैं उनमें जो शुद्ध लाभ तथा वेतन और भत्ते शीषर्क में नाम डाली गयी खर्च की रकमें दिखायी गयी हैं वे विवरण में दी गयी हैं। इन बैंकों ने 1970 के लेखा वर्ष से तलपट और लाभ-हानि लेखों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया है।

विवरण

बैंक का नाम	वर्ष के प्रकाशित लाभ हानि खाते में दिखाया गया वर्ष का शुद्ध लाभ ।			वर्ष के प्रकाशित लाभ हानि खाते में वर्ष के वेतन और भत्ते शीर्षक में नामे डाला गया व्यय ।		
	1967	**1968**	**1969**	**1967**	**1968**	**1969**
1. सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया	119.73	118.73	109.07	1158.32	1274.52	1371.82
2. बैंक आफ इण्डिया	149.86	149.83	161.15	680.59	749.58	850.66
3. पंजाब नेशनल बैंक	146.89	146.17	158.71	797.61	891.79	923.00
4. बैंक आफ बड़ौदा	92.17	92.81	56.17	567.14	675.77	820.88
5. यूनाइटेड कमर्शल बैंक	85.89	83.40	79.63	458.37	529.12	569.02
6. कनारा बैंक	39.64	44.48	55.36	324.30	370.44	438.41
7. यूनाइटेड बैंक आफ इण्डिया	26.00	25.73	45.44	422.80	448.45	463.15
8. देना बैंक	33.03	31.48	30.63	235.70	274,67	314.62
9. सिण्डीकेट बैंक	25.26	31.25	28.89	219.62	257.11	370.82
10. यूनियन बैंक आफ इण्डिया	36,29	34.14	31.61	286.31	343.40	389.36
11. इलाहाबाद बैंक	38.59	37.95	40.19	265.45	298.61	313.11
12. इण्डियन बैंक	12.98	13.37	7.33	225.02	256.16	270.46
13. बैंक आफ महाराष्ट्र	21.00	24.49	22.10	109.53	133.35	160.71
14. इण्डियन ओवरसीज बैंक	13.54	15.16	9.24	207.30	238.92	251.55
जोड़	840.87	848.99	835.52	5958.06	6741.89	7507.57

Payment of Income-tax by persons of Pali District in Rajasthan.

178. **Shri Mool Chand Daga** : Will the Minister of Finance be pleased to state the total number of persons in Pali District of Rajasthan who pay income-tax to Government and the total amount of revenue realised by Government therefrom during the last year?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Vidya Charan Shukla) :

(1)	Total number of persons in Pali District of Rajasthan who pay Income-tax.	3405
(2)	Amount of Income-tax realised during 1969-70.	Rs. 28,62,000

Production of House Rent receipts by Government Employees.

179. **Shri Jagannath Rao Joshi :**

Shri Phool Chand Verma :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether the Central Government Employees drawing less than Rs. 500/- per month as pay are not required to produce house rent receipts as per Government orders;

(b) whether the officials of the Central Intelligence Bureau, Central Bureau of Investigation and the Delhi Police have issued Departmental orders asking the employees drawing pay less than Rs. 500/- p. m. to produce house rent receipts; and

(c) if so, the action proposed to be taken by Government so that administrative officers and employees in various Departments of the Ministry of Home Affairs getting 25 per cent house rent and drawing less than Rs. 500]- p. m. as pay are not required to produce house rent receipts?

Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) The Central Government Employees drawing pay upto Rs. 620/- (including dearness pay) are eligible for drawal of house rent allowance without reference to the amount of rent actually paid or contributed, subject to fulfilment of certain prescribed conditions.

(b) and (c) Information is being collected and will be laid on the Table of the House as soon as available.

Promotion of Teachers and Lecturers by Andaman Administration

180. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Education and Social Welfare** be pleased to state :

(a) whether the Andaman Administration have promoted some male and female teachers as Principals/Headmasters/Headmistresses;

(b) whether their educational qualifications are lower than those prescribed for such posts;

(c) whether some teachers and lecturers also have been promoted in violation of rules; and

(d) if so, the direction proposed to be given by Government to the Andaman Administration in this regard?

The Minister of Education and Social Welfare (Shri Siddhartha Shankar Ray) : (a) Yes, Sir.

(b) Minimum essential qualification for Principal's post is Master's Degree with degree or diploma in education. Only one teacher, who is double M. A. with certificate in teaching and having 25 years teaching experience has been appointed as Principal on ad-hoc basis after seeking relaxation from the Central Board of Secondary Education under rule.

(c) No, Sir.

(d) Does not arise.

'Post Graduate Teachers' Grade to Drawing Teachers under Andaman Administration

181. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Education and Social Welfare** be pleased to state:

(a) whether the Andaman Adminstration has given Post-Graduate Teachers' grade to some Drawing Teachers there;

(b) whether the rules do not permit granting of the said grade to the said Teachers in any of the Union Territories;

(c) if so, the number of Teachers who have been given the said grade in Andaman: and

(d) the action proposed to be taken by Government to rectify the irregularity?

Minister of Education and Social Welfare (Shri Siddhartha Shankar Ray) : (a) to (d) : The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha as early as possible.

Persian in Higher Secondary Courses

182. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Education and Social Welfare** be pleased to state :

(a) whether the Central Board of Secondary Education has excluded Persian as a subject from the Higher Secondary Courses;

(b) whether the Andaman Administration still continues to include this subject in its Higher Secondary Courses; and

(c) if so, the reaction of Government thereto and the directions proposed to be given to the Administration in this regard?

Minister of Education and Social Welfare (Shri Siddhartha Shankar Ray) : (a) No, Sir.

(b) Yes, provided requisite number of students offer to study the subject.

(c) Does not arise.

Teachers on Leave in Andaman

183. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Education and Social Welfare** be pleased to state :

(a) whether there are some Teachers under the Andaman Administration who have been on leave continuously for a period of more than three years;

(b) if so, the reasons for their proceeding on leave for such a long period;

(c) whether Government propose to make an enquiry from the said Administration in this regard; and

(d) if so, the action likely to be taken in future?

The Minister of Education and Social Welfare (Shri Siddhartha Shankar Ray) : (a) No, Sir.

(b) to (d) Do not arise.

अकादमियों के कार्य संचालन सम्बन्धी आयोग

184. **श्री विश्वनारायण शास्त्री :** क्या शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तीन अकादमियों अर्थात संगीत नाटक अकादमी, ललित कला अकादमी और सहित्य अकादमी के कार्य की जांच के लिए एक आयोग नियुक्त किया था;

(ख) यदि हां, तो इसके निर्देशपद क्या हैं; और

(ग) आयोग द्वारा अपना प्रतिवेदन कब तक प्रस्तुत किये जाने की सम्भावना है ?

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री सिद्धार्थ शंकर रे) : (क) जी, हां।

(ख) 1. समस्त लक्ष्यों और भाभा समिति की सिफारिशों के संदर्भ में तीन राष्ट्रीय अकादमियों तथा भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्धी की परिषद् के कार्य संचालन का पुनरीक्षण करना।

2. इन निकायों के कार्य संचालन को सुधारने के लिए उपाय सुझाना और व्यापक प्राथमिकताओं से सम्बन्धित उनके क्रियाकलापों को सुदृढ़ करना।

3. स्वायतता की आवश्यकताओं और सार्वजनिक उत्तरदायित्व के अनुरूप संगठन के उपयुक्त स्वरूप के हेतु सिफारिश करना और संगठन के नियमों (नियम-विनियम) के लिए आवश्यक परिवर्तन सुझाना।

(ग) मूलतः समिति से अपनी रिपोर्ट छः महीने के अन्दर प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था। इसका कार्यकाल 18 अगस्त, 1971 तक वढ़ाया गया था, परन्तु अध्यक्ष ने और आगे वृद्धि के लिए अनुरोध किया है।

Stolen Idols

185. **Shri Parihoornanand** : Will the Minister of **Education and Social Welfare** be pleased to state :

(a) the number of those rare and ancient idols which were stolen from various places and were recovered by Government from the idol-thieves during the last three years; and

(b) the era to which each of these idols pertained and also their approximate value?

The Minister of Education and Social Welfare (Shri Siddhartha Shankar Ray) : (a) Out of the sculptures stolen from the Centrally protected archaeological monuments/sites and museums during the last three years, 309 sculptures have been recovered.

(b) These sculptures relate to Post-Gupta and Medieval periods of Indian history. Their valuation has not been done as these are not meant for sale.

Advancing of Loans by State Bank of India for Agricultural purposes in Madhya Pradesh

186. **Shri Phool Chand Verma** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether the State Bank of India has stopped advancing loans for agricultural purposes in Madhya Pradesh; and

(b) if so, since when and the reasons therefor?

The Minister of Finance (Shri Y. B. Chavan) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

सरकारी उपक्रमों में डेपूटेशन पर गये केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी

187. **श्री एम० आर० गोपाल रेड्डी** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एक जनवरी 1971 को केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों में डेपुटेशन पर गये केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की श्रेणीवार संख्या कितनी थी, और

(ख) क्या इन उपक्रमों से उन्हें वापस बुलाने के बारे में सरकार विचार कर रही है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) पिछले तीन महीनों की अवधि में 73 उपक्रमों के समबन्ध में जो आंकड़े इकट्ठे किये गये हैं। उनसे यह पता चलता है कि इन सरकारी उपक्रमों में केन्द्रीय सरकार के 1842 कर्मचारी प्रतिनियुक्त हैं जिनमें से 35 कर्मचारी 2500-3000 रुपये और उससे अधिक के वेतन मान में हैं और शेष कर्मचारी अन्य निचली श्रेणियों के पदों पर प्रतिनियुक्त हैं जिनमें लिपिक वर्गीय कर्मचारी आदि भी शामिल हैं। 22 उपक्रमों के सम्बन्ध में, इस प्रकार की सूचना की प्रतिक्षा की जा रही हैं और जैसे ही वह प्राप्त हो जायगी उसे सभा पटल पर रख दिया जायगा।

(ख) सरकार ने यह निर्णय किया है कि स्थायी असैनिक सेवाओं से सरकारी उपक्रमों में प्रतिनियुक्ति पर आये कर्मचारियों को यह विकल्प करना होगा कि असैनिक सेवा से इस्तीफा देकर सम्बद्ध उपक्रम में स्थायी रूप से नियुक्त होना चाहिये या निर्धारित समय के अन्दर अपने पुराने संवर्ग में वापस जाना चाहिये। आशा है कि इन आदेशों से, सरकारी उपक्रमों की, स्थायी असैनिक सेवाओं से प्रतिनियुक्ति पर आने वाले कर्मचारियों पर निर्भरता कम हो जायगी।

शिक्षा प्रणाली का पुनर्गठन

188. **श्री शिवनाथ सिंह** : क्या **शिक्षा तथा समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का विचार शिक्षा प्रणाली का पुनर्गठन करने का हैं ताकि कोइ भी शिक्षित व्यक्ति अपना अध्ययन पूरा करने के पश्चात बेरोजगार न रहे तथा अपना निजी व्यवसाय आरम्भ कर सकें ?

शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री सिद्धार्थ शंकर रे) : विवरण संलग्न है।

विवरण

शिक्षा को उत्पादकता से सम्बद्ध करने के लिए विभिन्न आयोगों और सम्मितियों द्वारा अनेक सिफारिशें की गयी हैं। शिक्षा आयोग ने, जिसने अपनी रिपोर्ट 1966 में प्रस्तुत की थी, सिफारिश की थी कि निम्नलिखित कार्यक्रमों के विकास के द्वारा शिक्षा तथा उत्पादकता के सम्बन्ध को आकार दिया जा सकता है:—

(1) शिक्षा तथा संस्कृति के बुनियादी अंग के रूप में विज्ञान;

(2) सामान्य शिक्षा के अनिवार्य अंग के रूप में कार्य अनुभव;

(3) वाणिज्य, कृषि और उद्योग की आवश्यकताओं का मुकाबिला करने के लिए, शिक्षा का व्यवसायीकरण, विशेषत: माध्यमिक स्कूल स्तर पर;

(4) कृषि और सम्बद्ध विज्ञानों पर विशेष महत्व देते हुए विश्वविद्यालय स्तर पर वैज्ञानिक और शिल्प-वैज्ञानिक शिक्षा में उन्नति।

(2) इन कार्यक्रमों की उन्नति के लिए बहुत सी योजनाएं अपनायी गयी हैं और ये राज्य सरकारों तथा विभिन्न विश्वविद्यालयों की योजना का अंग है। शिक्षा के व्यावसायीकरण और कार्य

अनुभव के कार्यक्रमों का प्रयोगात्मक आधार पर परीक्षण करने के लिए कुछ चुने हुए जिलो में कुछ प्रायोगिक परियोजनाए प्रारम्भ की गई हैं। इन प्रायोगिक परियोजनाओं के सफल होने के बाद, उन्हें अन्य जिलों में बढ़ाने का प्रस्ताव हैं। तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में अब प्रयोगात्मक प्रशिक्षण वृत्तिकाए प्रदान करने, साँतराल पाठ्यक्रम शुरू करने और तकनीकी शिक्षा को उद्योग से सम्बद्ध करने पर अब अधिक जोर दिया जा रहा है। विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रम भी हैं जो व्यवसायिक प्रकार के विभिन्न विभागों द्वारा आयोजित किये जाते हैं। और शिक्षुता की एक अवधि के बाद संगठित क्षेत्र में रोजगार प्राप्त करने में ये लोगों को प्रत्यक्ष सहायता प्रदान करते हैं।

(3) और किस ढंग से शिक्षा को रोजगार अवसरों से सम्बद्ध किया जाए, इस पर सरकार सक्रिय विचार कर रही है।

कलकत्ता ट्रामवेज कम्पनी का अधिग्रहण करने के लिये मुआवजा

189. **श्री ज्योतिर्मय वसु** : क्या **पोतपरिवहन तथा परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि एक करोड़ रुपये का मुआवजा अदा करके कलकत्ता ट्रामवेज कम्पनी लि० का अधिग्रहण करने की सिफारिश की गई है, यदि हाँ, तो सिफारिशों का ब्यौरा क्या है और उक्त मामले में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है ;

(ख) ब्रिटिश स्वामित्व वाली कम्पनी को इतनी अधिक मात्रा में मुआवजे की अदायगी के लिये सहमत होने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या थोड़ा मुआवजा देकर सरकार का राष्ट्रहित में कलकत्ता ट्रामवेज कम्पनी लि० का राष्ट्रीयकरण करने का विचार है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या हैं; और

(घ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

संसद-कार्य तथा पोतपरिवहन और पोतपरिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) से (घ). पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य सरकार और भारत सरकार के अधिकारियों की एक समीति का गठन कलकत्ता ट्रामवेज कम्पनी की खरीद के लिये न्यायसंगत रूप से दी जाने वाली राशि पर और उपक्रम के लिये उचित मूल्य के निर्धारण में आवश्यक समझे जाने वाले तत्वों पर राज्य सरकांर की सलाह देने के लिये किया गया है। इसकी रिपोर्ट अभी प्राप्त हुई है और राज्य सरकार के विचाराधीन है। राज्य सरकार से उक्त रिपोर्ट की जांच की जाने तक सरकार का सिफारिशों को सर्वविदित करने का प्रस्ताव नहीं है।

दिल्ली में जामेयर एयरलाइन्स के डकोटा विमान की दुर्घटना के बारे में रिपोर्ट

190. **श्री नरेन्द्र कुमार साँधी** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ माह पूर्व, दिल्ली में जामेयर के डकोटा विमान की दुर्घटना के कारणों की जांच करने के लिए नियुक्त समीति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो उसके निष्कर्ष क्या हैं ; और

(ग) भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क), से (ग). दुर्घटना की अभी जांच की जा रही है ।

राज्यों को विशेष सहायता

191. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यों के विशेष सहायता देने हेतु 1970-71 के बजट में रखे गये 175 करोड़ रुपयों में से अब तक राज्यों को कितनी राशि दी जा चुकी है जिससे वे अपने बजट के आय व्यय के अन्तर को पूरा कर सकें ;

(ख) क्या सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिये शेष राशि को 1970-71 में वितरित कर दिया है जिससे इस उपलब्ध की अवधि समाप्त न हो;

(ग) 1970-71 में जिन राज्यों को सहायता दी गई है उसके नाम क्या है तथा प्रत्येक को कितनी कितनी राशि दी गई; और

(घ) राजस्थान में निरन्तर पड़ रहे अकाल तथा सूखे की स्थिति को ध्यान में रखते हुए किन विशेष कारणों से राज्यों को घाटे का बजट संतुलित करने हेतु सहायता देने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग). संभवतः माननीय सदस्य का संकेत, उन राज्यों को (ऋण के रूप में) दी जाने वाली विशेष सहायता की ओर है, जिसके साधन, योजना आयोग के मूल्यांकन के अनुसार, चौथी आयोजना की अवधि ही आवश्यकताओं की की अपेक्षा अपरिहार्य रूप से कम हैं । राज्यों के साधनों की स्थिति का जायजा लेने पर इस बात का पता चला कि 1970-71 के लिए, नौ राज्यों को 170.60 करोड़ रुपये की विशेष सहायता देय होगी । यह पूरी रकम दे दी गयी है । एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है जिसमें राज्यों का नाम और उन्हें दी गयी विशेष सहायता का ब्यौरा दिया गया है ।

(घ) राजस्थान में सूखा सम्बन्धी सहायता कार्यों के बिए 1970-71 में लिये जाने वाले व्यय के सम्बन्ध में केन्द्रीय दल ने जो अधिकतम सीमा की सिफारिश की थी उसके अनुसार केन्द्रीय सहायता की पूरी रकम दी जा चुकी है । दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में दी जाने वाली सहायता सम्बन्धी सामान्य नीति के अन्तर्गत, राज्य सरकारों को ऋण सम्बन्धी मदों पर होने वाले खर्च तथा सहायता सम्बन्धी मदों पर होने वाले व्यय की 25 प्रतिशत रकम को अपने साधनों से पूरा करना पड़ता है । जहां तक राजस्थान का सम्बन्ध है, राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति को देखते हुए, उक्त व्यय भी केन्द्रीय सहायता से पूरा किया गया है ।

विवरण

1970-71 में दी गयी विशेष ऋण सहायता

	करोड़ रुपयों में
1. आन्ध्र प्रदेश	20.82
2. असम	25.41
3. जम्मू और कश्मीर	6.43
4. केरल	24.80
5. मेघालय	0.20
6. मैसूर	18.05
7. उड़ीसा	26.38
8. राजस्थान	23.10
9. पश्चिम बंगाल	25.41
जोड़	170.60

Utilization of Central Grants by Rajasthan University

192. **Shvi Shivnath Singh :** Will the Minister of **Education and Social Welfare** be pleased to state :

(a) the annual amount of grants given to the Rajasthan University, Jaipur by the University Grants Commission during the years 1966-67 to 1969-70 year-wise;

(b) the purposes for which these grants were given as also the details of the works completed with such financial assistance; and

(c) the amount of grants spent on purposes other than those for which the grants were sanctioned?

Minister for Education and Social Welfare (Shri Siddhartha Shankar Ray) : (a) & (b) : A statement showing the grants paid to the University of Rajasthan by the University Grants Commission for different schemes is attached. **[Placed in Library see No. L. T. 10/071.]**

The following building projects, for which financial assistance was provided by the Commission, have been completed :

(i) Arts Block;
(ii) Teachers Hostel;
(iii) Staff Quarters;
(iv) Women's Hostel;
(v) Gandhi Bhavan; and
(vi) Students Home

(c) The Inspection Reports for 1966-67 and 1967-68 do not contain any thing indicating that the grants were utilised for the purposes other than those for which these were granted. The Inspection Reports for 1968-69 and 1969-70 are still awaited.

Utilization of Central Grants by Educational Institutions in Rajasthan

193. **Shri Shivnath Singh :** Will the Minister of **Education and Social Welfare** be pleased to state :

(a) the amount of grants given to each educational institution of Rajasthan by his Ministry during the financial years 1968-69 and 1969-70 indicating the purposes for which those grants were given; and

(b) the number of cases in which the Central Government found that the amounts were utilised for purposes other than those for which those grants were sanctioned?

Minister for Education and Social Welfare (Shri Siddhartha Shankar Ray) : (a) A statement is attached [**Placed in Library** see **No. L. T. 101/71.**]

(b) No such case has so far come to the notice of the Government.

लोक सभा के चुनाव के दौरान उद्योगपतियों द्वारा राजनीतिक दलों को चन्दा

194. **श्री दण्डपाणि** : क्या **समवाय-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोक-सभा के हाल के चुनाव लड़ने के लिए देश में उद्योगपतियों ने राजनीतिक दलों को चन्दे दिये; और

(ख) यदि हां, तो विभिन्न दलों को कुल कितनी धनराशि दी गई ?

समवाय कार्य मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) तथा (ख). अभी हाल ही के लोक सभा के चुनावों के सम्बन्ध में व्यक्तिगत रूप से दिये गये चन्दों के बारे में सरकार के पास कोई जानकारी नहीं है। जबकि कम्पनी (संशोधन) अधिनियम, 1969 के अधीन 28 मई, 1969 में ऐसे चन्दे देने के लिए कम्पनियों पर कानूनी रोक लगादी गई है, तथापि कोई ऐसा कानून नहीं है जिससे कि किसी व्यक्ति द्वारा राजनैतिक दलों को अथवा राजनैतिक उद्देश्यों के लिये चन्दा दिये जाने से रोका जा सके।

सौ रुपये के नोट को बदलने का प्रस्ताव

195. **श्री दण्डपाणि** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार सौ रुपये का नोट बदलने का है।

(ख) यदि हां, तो ऐसा कब तक किये जाने की सम्भावना है; और

(ग) इस निर्णय से सरकार को किस हद तक लाभ होगा ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क), (ख) और (ग). सौ रुपये के नोट का डिजाइन बदलने के बारे में अभी तक कोई निर्णय नहीं किया गया है। मध्य प्रदेश में देवास नामक स्थान पर एक नया बैंक नोट प्रेस स्थापित किया जा रहा है और आशा है कि उसमें 1973-74 से काम शुरू हो जायगा, उस प्रेस में मुद्रण की ऐसी प्रोद्योगिकी का उपयोग किया जायगा, जो नासिक-स्थित इण्डिया सिक्योरिटी प्रेस की प्रोद्यौगिकी से भिन्न और उससे श्रेष्ठ होगी। इस प्रौद्योगिकी से, इस प्रक्रिया द्वारा छापे जाने वाले नोटों के कई उन्नत रूप समाविष्ट करना सम्भव हो सकेगा। ऐसे सुधार करने के लिए, सौ रुपये के नोट सहित सभी मूल्यों के उन नोटों के डिजाइन बदलने पड़ेंगे जो नये बैंक नोट प्रेस में छापे जायेंगे।

भारतीय प्रकाशकों के दल द्वारा विदेशों का दौरा

196. **श्री पी०जी० देव :** क्या **शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय प्रकाशकों के एक सात-सदस्यीय दल ने अफ्रीकी देशों में शिक्षा की स्थिति तथा वहां के व्यापार के व्यापार के बारे में जानकारी प्राप्त करने हेतु उन देशों का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो उक्त दल ने किन-किन देशों का दौरा किया; और

(ग) क्या उन्होंने सरकार को अपना कोई प्रतिवेदन पेश किया है ?

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री सिद्धार्थ शंकर रे) : (क) क्योंकि अन्तिम क्षण पर एक सदस्य जाने के लिए असमर्थ था अत: छ: सदस्यों की एक टीम गई ।

(ख) मोरीशियस, जम्बिया, तनजानिया और कीनिया ।

(ग) अभी हाल ही में प्रतिनिधि मण्डल भारत लौट आया है और उससे रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है ।

इंडियन ओवरसीज बैंक के कर्मचारियों की मांगें

197. **श्री मुरासोली मारन :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन ओवरसीज बैंक के कर्मचारियों से कोई मागें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो उक्त मांगें क्या हैं; और

(ग) उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (ग). यह सूचना मिली है कि इंडियन ओवरसीज बैंक के कर्मचारियों ने व्यक्तिगत ऋण योजना और कर्मचारी आवासन योजना की शर्तों तथा बोनस और सेवा की शर्तों में संशोधन आदि से सम्बद्ध मामलों पर प्रबन्धक वर्ग के सामने बहुत सी मांगे रखी हैं । इन मांगों पर प्रबन्धक वर्ग और कर्मचारियों के बीच बात-चीत चल रही है । इनमें से कुछ मांगें मान ली गयी हैं और बाकी मांगों पर विचार किया जा रहा है । सामान्यत: बैंकों में यह प्रथा है कि कर्मचारियों के संघ और बैंकों के प्रबन्धक वर्ग आपस में बात-चीत करके अपनी मांगों के सम्बन्ध में फैसला करते है ।

कोचीन से वोइंग विमान सेवा

198. **श्री ए०के० गोपालन :** क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन से एक वोइंग विमान सेवा आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में हाल ही में कोई जांच की गई है; और

(ग) यदि हां, तो उक्त जांच के क्या परिणाम निकले ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख). जी, हां।

(ग) इण्डियन एयरलाइन्स का विचार है कि कोचीन के लिए नियमित बोइंग-737 विमान सेवा के परिचालन के लिए धावनपथ की लम्बाई में वृद्धि करने और उसे परिपुष्ट करने, तथा अति उच्च आवृत्ति सर्वपरास की व्यवस्था करने की आवश्यकता है। नागर विमानन विभाग इन प्रस्तावों की जांच कर रहा है।

अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह में शिक्षा अधिकारी का पद

199. **श्री जगन्नाथ राव जोशी :**

श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या **शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मार्च, 1968 से मार्च, 1969 तक की अवधि में अदमान तथा निकोबार द्वीप समूह में शिक्षा अधिकारी के पद के लिए कोई उपयुक्त उम्मीदवार कितने समय तक नहीं मिल सका था,

(ख) उपर्युक्त अवधि के बीच शिक्षा अधिकारी के कृत्यों को निभाने के लिए जिन अधिकारियों को कहा गया था, उनके नाम, पदनाम तथा वेतन मान क्या है, और

(ग) यह व्यवस्था किस अवधि में की गई थी और नियमित उम्मीदवार किस तारीख को भर्ती किया गया था।

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री सिद्धार्थ शंकर रे) : (क) 6 दिसम्बर, 1966 से 20 अगस्त, 1968 तक।

(ख) तथा (ग). 400-900 रुपये के वेतनमान में कुटीर उद्योग अधिकारी श्री आर० नारायण इस अवधि के दौरान में शिक्षा अधिकारी के पद का अतिरिक्त प्रभार सम्भाले हुये थे।

श्री एस०एन० कल्ला 20 अगस्त, 1968 से नियमित पद-धारी के रूप में नियुक्त किये गये थे।

पुस्तकें लिखने के लिए शिक्षावृत्तियां देना

200. **श्री मोहम्मद शरीफ** : क्या **शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने स्नातकपूर्व तथा स्नातकोत्तर अध्ययन के लिए विज्ञान, मानविकी, समाज विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा अन्य विषयों पर पुस्तकें लिखने के लिए शिक्षावृत्तियां देने की किसी योजना को मंजूरी दी है, और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री सिद्धार्थ शंकर रे) : (क) और (ख). भारत सरकार द्वारा राज्य सरकारों के सहयोग से प्रादेशिक भाषाओं में विश्वविद्यालय स्तर की पुस्तकों के उत्पादन एवं अनुवाद के लिये किये जा रहे प्रयत्नों की पूर्ति के लिए भारत सरकार ने चालु वित्तीय वर्ष से प्रति मास 500 रु० प्रति वृत्ति के हिसाब से एक सौ अध्येतावृत्तियां तथा

2,000 रु० वार्षिक के फुटकर अनुदान देने की एक योजना शुरू की है जिससे मास्टर की डिग्री के बाद बिज्ञान, मानविकी तथा सामाजिक विज्ञान के विषयों के प्रतिभाशाली छात्रों का एक अंश विश्वविद्यालय स्तरीय पुस्तकें लिखने के उद्देश्य से स्वयं को विश्वविद्यालल के विख्यात अध्यापकों के साथ सम्बन्ध कर सकने में समर्थ हो सकेगा। इस योजना का अनिवार्य उद्देश्य ऐसी श्रेष्ठ पुस्तकें, निबंध तथा अनुवाद तैयार करना है जिनका उपयोग देश के कुछेक विश्वविद्यालय तथा कालेज पाठ्यपुस्तकों या संदर्भ पुस्तकों के रूप में कर सकें तथा भारत में तैयार की गई श्रेष्ठ देशज पुस्तकों में सक्रिय रुचि रखने वाले समर्थ युवक विद्वानों का वर्ग विकसित किया जा सके। पुस्तकें अंग्रेजी या किसी भी भारतीय भाषा में लिखी जा सकेंगी। यह योजना विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के जरिए कार्यान्वित की जा रही है।

इस वर्ष विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विज्ञान में 46 विषय तथा मानविकी विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में 28 विषयों को चुना है। पुस्तकें लिखने का कार्य विश्वविद्यालय के चुने हुए उन अनुभवी अध्यापकों के सीधे पर्यवेक्षण में अध्येताओं के द्वारा किया जाएगा जिन्हें अध्येता नियुक्त करने तथा कार्य को आगे चलाने के हेतु प्राधिकृत किया गया है।

Upgradation of Patna City

201. **Shri Ramavatar Shastri :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Patna, the capital of Bihar, has qualified itself in every-way for being declared as class B-2 city;

(b) if so, whether it is also a fact that Government have under consideration the question of granting the said status to Patna for the past many years;

(c) if so, the reasons for delay in taking a decision in this regard; and

(d) the time by which Government propose to declare Patna as class B-2 city?

Minister of State in the MInistry of Finance (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) to (d) : Government have decided to upgrade Patna. Formal orders are under issue.

Reorganisation of University Grants Commission

202. **Shri Ramavatar Shastri :** Will the Minister of **Education and Social Welfare** be pleased to state :

(a) whether Government have completed the work regarding the reorganisation of the University Grants Commission in pursuance of the University Grants Commission Act as amended;

(b) if so, the names of members of the reorganised Commission;

(c) whether the Commission has drawn up any scheme to improve the present position of the Universities in the country, if so, the details thereof; and

(d) if not, whether Government propose to formulate any such scheme and if so, when?

Minister of Education & Social Welfare (Sh. Siddhartha Shankar Ray): (a)&(b) The matter is still under consideration.

(c) & (d) The University Grants Commission are already implementing several Schemes for raising the standards of University education in the country. Some of these are

(1) Appointment of Review Committees;

(2) Establishment of Centres of Advanced Study;

(3) Organisation of seminars, Summer Institutes, Academic Conferences, etc;

(4) Examination Reforms;

(5) Improvement of Libraries and Laboratories in Universities and Colleges;

(6) Construction of hostels and staff quarters;

(7) Provision of research fellowships and scholarships;

(8) Student Welfare Programmes like student homes, Students-aid-fund, Text-book libraries, improvement of hostel-facilities, provision of physical amenities, health centres, etc., etc.;

(9) Travel grants to teachers and research scholars;

(10) Utilisation of the Services of retired teachers.

Advancing of Loans to Taxi and Scooter Drivers in Delhi by Nationalised Banks

203. **Shri Ramavatar Shastri :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether the nationalised banks have advanced loans to taxi and scooter drivers in Delhi to expand their business, if so, the details thereof; and

(b) whether Government have formulated any scheme in this regard and if so, the details of the scheme?

The Minister of Finance (Shri Y. B. Chavan) : (a) Yes Sir. Details of the advances made during the year ending June, 1970 are given below :—

(Amount Rs. in Lakhs)

Advances granted to	Year ended June 1970		Balance Outstanding
	No. of accounts	Limits sanctioned.	as on last Friday of June, 1970
(i) Scooter Rickshaw Drivers.	128	7.25	6.39
(ii) Taxi Drivers.	163	26.96	23.24
Total :	291	34.21	29.63

(b) Nationalised banks have formulated schemes to advance credit facilities to road transport operators like taxi, scooter drivers etc. The broad features of schemes are given below :-

Purpose : Loans are granted to individual operators (some banks grant to partnership firms and limited companies also) for purchase of new vehicles or vehicles which are not more than 3 years old.

Amount of loan : The borrowers are required to deposit the margin money, which ranges between 20% and 30% of the cost of the vehicle in the case of new vehicles and 25% and 40% in the case of old vehicles, with the Bank. The bank makes up the balance and pays the cost of the vehicle to the manufacturer/dealer.

Security : (1) Hypothecation of the vehicle purchased with the loan.
(2) Guarantee of the third party in appropriate cases.
(3) Comprehensive insurance of the vehicle.

Period of repayment : The loan is repayable in monthly instalments over a period of 30-36 months. In exceptional cases the period is extended upto 48 months.

Rate of Interest : 9% to 9-1/2%.

Other terms and conditions : (1) the banks lien on the vehicles has to be noted in the registration certificate issued by the transport authorities.
(2) the vehicle has to be produced for the bank's inspection once in 3/6 months.

Recommendations of the Whips' Conference held in Madras in 1969.

204. **Shri Ramavatar Shastri :** Will the Minister of **Parliamentary Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government have considered the recommendations of the Whips' Conference held at Madras during 1969, if so, the decision taken thereon;

(b) if not, the reasons therefor and the time by which a decision is proposed to be taken thereon; and

(c) whether Government propose to convene a new Whips' Conference, if so, when and the venue thereof?

Minister of Parliamentary Affairs, Shipping & Transport (Shri Raj Bahadur) : (a) & (b) The recommendations of the Seventh All India Whips' Conference are still under consideration of the Central Government. The recommendations pertaining to States/Union Territories, were forwarded to the Chief Ministers of States and the Presiding Officers of State Legislatures for appropriate action. The implementation Reports from many of the States/Union Territories are still awaited. As soon as these are received the same will be considered for further necessary action.

(c) No decision has yet been taken.

205. **डा० कर्णीसिंह :**

श्री राज राजसिंह देव :

क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में विकासेत्तर कार्यों पर किये गये व्यय का, विकास कार्यों पर किये गये व्यय से वर्षवार, क्या अनुपात था तथा व्यय की गई राशियां कितनी-कितनी थीं;

(ख) क्या यह सच है कि 1970-71 के दौरान गैर-योजना कार्यों पर किये जाने वाले व्यय में गत दो वर्षों की तुलना में भारी वृद्धि हुई है ;

(ग) यदि हां, तो उसकी प्रतिशतता कितनी है और उस पर कुल कितनी धनराशि व्यय की गई; और

(घ) गैर-योजना व्यय को न्यूनतम करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) (i) विकास और विकास भिन्न व्यय (राजस्व और पूंजीगत), तथा (ii) रक्षा सम्बन्धी व्यय (iii) राज्यों और संघीय राज्य क्षेत्रों को दिये जाने वाले अनुदानों और (iv) राज्यों तथा औरों को दिये जाने वाले ऋणों और अग्रिमों का वर्ष-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग). 1968-69 और 1970-71 के बीच आयोजना-भिन्न व्यय में लगभग 971 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है और यह वृद्धि लगभग 32 प्रतिशत बैठती है। अधिकांश वृद्धि, इन पदों के सम्बन्ध में है: (i) ऐसे वचनबद्ध व्ययों की पूर्ति जैसे ऋण शोधन व्यय (76 करोड़ रुपये) ऋण शोधन व्यय अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि तथा अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक को चन्दों की अदायगी (173 करोड़ रुपये), राष्ट्रीय-कृत बैंकों के सम्बन्ध में मुआवजे की अदायगी (84 करोड़ रुपये), (ii) रक्षण जैसे अत्यावश्यक सेवाओं से सम्बन्धित व्यय (150 करोड़ रुपये), (iii) राज्यों के आयोजना भिन्न साधनों में होने वाली कमी को पूरा करने तथा औरों को अन्य विभिन्न प्रयोजनों के लिए दिया जाने वाले खर्च (195 करोड़ रुपये) तथा (iv) आयोजना के बाहर का विकास सम्बन्धी खर्च आदि (83 करोड़ रुपये)। इस रकम में उन योजनाओं पर किया गया वचनबद्ध व्यय भी शामिल है जिन्हें पहले की आयोजनाओं में पूरा किया जा चुका है।

(घ) सरकार. आयोजना-भिन्न व्यय की वृद्धि की रोकथाम करने के प्रश्न पर बराबर ध्यान देती रही है। खर्च में किफायत करने के उद्देश्य से पिछले कुछ वर्षों में कई उपाय किये गये हैं जैसे इस मंत्रालय के कर्मचारी जांच एकक द्वारा, कर्मचारियों की संख्या निर्धारित करने के सम्बन्ध में आवश्यक अध्ययन करने का काम जोरदार ढंग से पूरा करना, वेतन मानों में वृद्धि करने के सम्बन्ध में प्रतिबन्ध लगाना, यात्रा भत्तों के सम्बन्ध में होने वाले खर्च में किफायत करना और तीसरी तथा चौथी श्रेणी के पदों पर की जाने वाली भरती पर आंशिक प्रतिबन्ध लगाना।

विवरण

भुगतानों का विवरण

(करोड़ रुपयों में)

राजस्व	लेखा 1968-69	लेखा 1969-70	संशोधित 1970-71
1. असैनिक व्यय			
क- विकासात्मक व्यय	343.41	385.31	470.01
ख- अन्य व्यय	904.02	1002.59	1054.09
2. रक्षा व्यय (शुद्ध)	929.05	965.64	1039.89
3. राज्यों और संघीय राज्य क्षेत्रों की सरकारों को अनुदान	535.70	588.32	629.30
जोड़ राजस्व भुगतान	2712.18	2941.86	3193.29

	पूंजी			
1.	विकासात्मक व्यय	498.88	535.54	628.92
2.	अन्य व्यय	(-) 175.11	(-) 22.34	197.01
3.	रक्षा व्यय	104.14	135.24	142.94
4.	ऋण और अग्रिम			
	(i) राज्य और संघीय राज्य क्षेत्र	915.27	1056.34	1039.49
	(ii) अन्य पार्टियां	582.64	401.29	524.22
	जोड़ पूंजी खाते का भुगतान	1925.82	2106.07	2532.58
	जोड़ भुगतान	4638 00	5047.93	5725.87

206. डा० कर्णीसिंह : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्य विकासशील देशों की तुलना में भारत में प्रत्यक्ष तथा परोक्ष करों का भार बहुत अधिक है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या अत्याधिक कर भार के कारण देश में कर अपवंचन तथा काले धन को प्रोत्साहन मिला है; और

(ग) यदि हां, तो कर-अपवचन रोकने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) (क). जी, नहीं। (ख) और (ग). ये प्रश्न उपस्थित नहीं होते।

Funds for Construction of Primary School Buildings

207. **Shri K. M. Madhukar :** Will the Minister of **Education and Social Welfare** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that there is an acute shortage of primary school buildings and the essential equipment for imparting education to the students in the backward States in the country and this situation cannot be improved due to paucity of funds with the State Governments;

(b) if so, whether the Central Government propose to make some specific arrangements for providing funds so that construction and repairs of primary school buildings could be undertaken in the backward States; and

(c) if so, the details thereof?

Minister of Education and Social Welfare (Shri Siddhartha Shankar Ray) : (a), (b) and (c) Government are aware of the problem. On the recommendation of the Central Advisory Board of Education, the Union Minister for Education appointed a Committee to examine the problem of school buildings. The Committee has completed its deliberations and its report along with the various recommendations for finding additional resources for school buildings will be placed before the ensuing meeting of the Board. Further action will be taken on the advice of the Central Advisory Board of Education.

As regards equipment for primary schools the main deficiency is in Science equipment. Arrangements are being made for supply of science kits developed by National Council of Educational Research and Training to all higher primary schools in the country as part of the UNICEF assisted science education scheme.

Air Service between Patna and Muzaffarpur.

208. **Shri K. M. Madhukar :** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) the reasons for not operating a regular air service between Patna and Muzaffar Pur in Bihar so far; and

(b) whether Government propose to operate such an air service in the public interest in the near future and if so, when?

Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) & (b) : Due to shortage of aircraft, Indian Airlines have not been able to provide an air service to Muzaffar Pur. The position will improve when the additional HS-748 aircraft ordered by them are received from September, 1971 onwards.

Implementation of Kothari Commission's Recommendations

209. **Shri K. M. Madhukar :** Will the Minister of **Education and Social Welfare** be pleased to state :

(a) whether the Central Government have enquired from the various State Governments about the extent to which the recommendations of the Kothari Commission in regard to the pay scales of teachers have been implemented by them, if so, the details thereof;

(b) if not, whether Government propose to obtain this information from the State Governments in the near future; and

(c) if so, when and if not, the reason therefor?

Minister of Education and Social Welfare (Shri Siddhartha Shankar Ray) : (a) Yes Sir. According to the information collected in 1970-71 State Governments of Assam Bihar, Haryana, Nagaland, Himachal Pradesh, Punjab and West Bengal have adopted the, pay scales of teachers as recommended by the Kothari Commission with slight variations. The other State Governments have also improved the pay scales of teachers but not to the extrent recommended by the Commission due to limited financial resources. Three statements showing scales of teachers in different States are annexed **[Placed in Library see No. L. T. 102/71.]**

(b) & (c) do not arise.

Implementation of Education Commission's Recommendations by U. P.

210. **Shrimati Sushila Rohatgi :** Will the Minister of **Education and Social Welfare** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Education Commission had recommended uniform scales of pay of teachers;

(b) whether it is also a fact that the scales of pay of teachers in Uttar Pradesh are lower than those of the teachers in other States; and

(c) if so, whether Government propose to implement these recommendations immediately?

Minister of Education and Social Welfare (Shri Siddhartha Shankar Ray) : (a) & (b) Yes Sir.

(c) The matter has been taken up with the U. P. Government. It has proposed to set up a pay commission for Government and local body employees and school teachers.

रांची और जमशेदपुर का दर्जा बढ़ाया जाना

211. **श्री पी०के० घोष** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रांची तथा जमशेदपुर नगरों का दर्जा बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो किस तारीख से उनका दर्जा बढ़ाया जायेगा; और

(ग) उन नगरों के सम्बन्ध में संशोधित वर्गीकरण क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). ये प्रश्न नहीं उठते है।

गैर-तमिल भाषियों को तमिल भाषा पढ़ाने हेतु वित्तीय सहायता

212. **श्री सामिनाथन्** : क्या **शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को कुछ स्वयंसेवी संस्थाओं की ओर से गैर-तमिल भाषियों को तमिल भाषा पढ़ाने हेतु लिंगुआफोन रिकार्डों के निर्माण के सम्बन्ध में वित्तीय सहायतार्थ प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक किस प्रकार की सहायता दी गई है ?

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री सिद्धार्थ शंकर रे) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पर्यटकों के आकर्षक के लिये उड़ीसा में हीराकुड को दर्शनीय स्थल बनाया जाना

213. **श्री पी०जी० देव** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पर्यटकों का आकर्षण केन्द्र बनाने के लिए उड़ीसा राज्य में हीराकुड बहुत अच्छा स्थान है;

(ख) क्या सरकार का विचार विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए इस स्थान को अधिक दर्शनीय बनाने का है;

(ग) यदि हां, तो इस क्षेत्र का कब और किस प्रकार विकास किया जायेगा; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (घ). सरकार को

हीराकुड के पर्यटक आकर्षनों की जानकारी है। चौथी पंचवर्षीय अवधि के दौरान राज्य सरकार की पर्यटन योजनाओं में संभलपुर में एक पर्यटक बंगले का निर्माण शामिल किया गया है।

कमी वाले क्षेत्रों में राहत कार्यों के लिये गुजरात को दी गई सहायता की जांच

214. **श्री पी०एम० जोशी :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1968-69 में कमी वाले क्षेत्रों में राहत कार्यों के लिग बनासकांठा सहित गुजरात के विभिन्न जिलों को कितनी राशि दी गई थी;

(ख) क्या बनासकांठा जिले में राहत कार्य करने में धन के गबन और दुर्विनियोजन के बारे में सरकार को कोई जानकारी मिली है; और

(ग) यदि हां, तो उक्त मामले में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा किये जाने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) राज्य में सूखा पड़ने पर दी जाने वाली सहायता के खर्च के लिए 1968-69 में गुजरात सरकार की कुल 4.50 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता दी गयी थी। सूखा सम्बन्धी सहायता कार्यों सहित दैवी विपत्तियों सम्बन्धी सहायता कार्यों के खर्च के लिए राज्यों को दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता की स्वीकृति कुल खर्च के आधार पर दी जाती है और इसका सम्बन्ध किसी विशिष्ट क्षेत्र या जिले से नहीं होता।

(ख) और (ग). गुजरात सरकार ने सूचित किया है कि जिला पंचायत द्वारा स्थापित जांच समिति ने बनासकांठा जिले में किये गये सहायता कार्यों के क्रियान्वयन में जो अनियमितताएं पाई हैं उनकी जांच राज्य का भ्रष्टाचार निरोधक कार्यालय (ब्यूरो) कर रहा है। यह सूचित किया गया है कि अभी तक चार शिकायतें दर्ज की गयी हैं, आठ अधिकारियों का निलम्बित किया गया है तथा दो अधिकारियों को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। राज्यों को दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता का अन्तिम निर्धारण लेखा परीक्षित व्यय के प्रमाणित आंकड़ों के आधार पर किया जाता है और भारत सरकार द्वारा इस बात का सुनिश्चयन करने के लिए कि उसके द्वारा स्वीकृत सहायता का उपयोग उचित ढंग से किया जाए, सामान्यत: यही ढंग अपनाया जाता है।

राष्ट्रीय राजपथ संख्या 34 (कलकत्ता-सिलीगड़ी) को चौड़ा करने पर खर्च की गई और स्वीकृति राशि

215. **श्री त्रिविध चौधरी :** क्या **पोतपरिवहन तथा परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय राजपथ संख्या 34 (कलकत्ता-सिलीगड़ी) को चौड़ा करने के लिये कुल कितनी राशि मंजूर की गई थी और कितनी ख़र्च की गई थी जैसा कि वर्ष 1967 में वर्षा ऋतु के बाद कई संसद सदस्यों की शिकायतों पर सरकार ने बचन दिया था; और

(ख) क्या उपर्युक्त कार्य पूरा हो गया है और यदि हां, तो यह कार्य किस को सौंपा गया था ?

संसद कार्य तथा पोतपरिवहन और परिवहन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) राष्ट्रीय राजमार्ग 34 कलकत्ता से शुरू होता है धालकोला पर समाप्त होता है ।

राष्ट्रीय राजमार्ग 34 की असंतोषपूर्ण दशा के बारे में शिकायत माननीय सदस्य सहित कुछ संसद सदस्यों से 1968 में प्राप्त हुई । तब से सड़क के निर्माण कार्य (यान मार्ग को चौड़ा । मजबूत करना, पुलियों का पुनर्मिाण । चोड़ा करना इत्यादि) के लिये कुल मिलाकर 2.80 करोड़ रुपये के अनुमान मंजूर किये गये हैं ।

31 मार्च, 1971 तक व्यय राशि के 25.00 लाख रुपये होने की सम्भावना है ।

(ख) निर्माण कार्य जारी हैं और राज्य लोक निर्माण विभाग द्वारा उन्हें करवाया जा रहा है ।

सरकारी उपक्रमों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारियों की प्रतिशतता

216. **श्री उलगनम्बी** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारियों की प्रतिशतता क्या है; और

(ख) भारत सरकार के उपक्रमों में इन समुदायों के व्यक्तियों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने को सुनिश्चित करने हेतु क्या कार्यवाही करने का विचार है

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क). केन्द्रीय सरकार के औद्योगिक और वाणिज्यिक उपक्रमों में काम करने वाले कुल कर्मचारियों के मुकाबले में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारियों का 'अनुमानित प्रतिशत पहली जनवरी, 1970 को इस प्रकार था ।

श्रेणी	कुल कर्मचारियों के मुकाबले में अनुसूचित जातियों । अनुसूचित आदिम जातियों का प्रतिशत
I	0.50
II	0.77
III	5.20
IV (मेहतरों को छोड़कर)	21,35
मेहतर	80.06

(ख) केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों में इन जातियों के पर्याप्त प्रतिनिधित्व का सुनिश्चियन करने के लिए निम्नलिखित कार्यवाही की जा रही है:—

(i) सरकार ने आदेश जारी किया है कि जिस प्रकार सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति के मामले में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों के लिए कोटा आरक्षित किया जाता हैं उसी प्रकार सरकारी उपक्रमों में भी उनके लिए कोटा आरक्षित किया जाय।

(ii) सभी स्तरों पर आरक्षित कोटे की क्रियान्विति के सम्बन्ध में उसकी जिम्मेदारी विशिष्ट अधिकारियों को सौंप कर प्रभावकारी ढंग से क्रियान्विति की समीक्षा करना समय, पर रिपोर्ट देना आदि।

(iii) इन जातियों के सदस्यों को सेवाकालीन प्रशिक्षण अथवा कारखानों में प्रशिक्षण देना।

दरभंगा स्थित के० सी० विश्वविद्यालय का पुनर्गठन

217. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की समिति के निर्णय के अनुसार दरभंगा स्थित के० सी० बिश्वविद्यालय को एक आधुनिक विश्वविद्यालय बनाने के लिए उसका पुनर्गठन करने के सम्बन्ध में अभी तक कोई निर्णय नहीं किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री सिद्धार्थ शंकर रे) : (क) और (ख). यह मामला अभी तक राज्य सरकार के विचाराधीन है।

सरकारी क्षेत्र के कारखानों की बेकार क्षमता

218. **श्री राज राजसिंह देव** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मन्त्रालय के विभिन्न सरकारी कारखानों की बेकार क्षमता का ब्यौरा क्या है;

(ख) उसके क्या कारण हैं;

(ग) उसके परिणामस्वरूप सरकार को कितनी हानि उठानी पड़ रही है; और

(घ) उन कारखानों की पूरी क्षमता पर चलाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है;

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल): (क). माननीय सदस्य का संकेत सम्भवत: केन्द्रीय सरकार के औद्योगिक उपक्रमों के बारे में है। एक बिबरण संलग्न है जिसमें क्षमता के उपयोग के बारे में सूचना दी गयी है [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 103/71**]

(ख) इन कारखानों की क्षमता का पूर्ण रूप से उपयोग न होने के मुख्य कारण ये हैं:—

(i) उपकरणों का उचित रखरखाव न होने के कारण उपकरणों का काफ़ी अधिक समय तक उपयोग में न आना;

(ii) उचित उत्पादन आयोजन और नियंत्रण का अभाव और निर्माण सम्बन्धी डिजाइनों का धीमी गति से विकास;

(iii) श्रम कौशल के धीमे विकास कार्य के मानदण्ड के अभाव और पर्यवेक्षण सम्बन्धी नियंत्रण की कमज़ोरी के कारण उत्पादिता में कमी;

(iv) श्रम सम्बन्धी का अशान्त होना;

(v) कच्चे माल और संघटकों की कमी और उसकी किस्म का घटिया होना;

(vi) बिजली की कमी और उसका बन्द होना;

(vii) कुछ मामलों में मांग का न होना।

वास्तव में, बड़े-बड़े इन्जनियरी कारखाना समूहों को पूरी क्षमता से चलाने के लिए कुछ वर्ष लग जाते हैं जिसका कारण न केवल इन संयंत्रों का जटिल होना है बल्कि कार्य चालन सम्बन्धी तथा तकनीकी कौशल का विकास करने, डिजाइन तैयार करने, औजार लगाने तथा उत्पादन के लिए सहायक सेवाओं आदि की स्थापना करने में काफी लम्बा समय लगता है।

(ग) इन कारखानों में हानि कार्य क्षमता के पूर्णरूप से उपयोग में न लाने के अलावा और कारणों से भी हो सकती है। 1969-70 में जिन कारखानों में हानि हुई है उनका विवरण संलग्न है **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 103/71]**

(घ) क्षमता का इस प्रकार ठीक ढंग से उपयोग करने के उद्देश्य से जिससे कि कार्य-चालन के वित्तीय परिणामों में सुधार हो सके, निम्नलिखित मुख्य दशाओं में कार्यवाही की जा रही है:—

(i) प्रबन्ध और कार्यचालन सम्बन्धी कुशलता में सुधार;

(ii) उचित प्रशिक्षण द्वारा कार्यचालन सम्बन्धी कुशलता का विकास और कार्य सम्बन्धी मापदण्डों की स्थापना;

(iii) उपकरणों का अधिक अच्छे ढंग से रखरखाव;

(iv) पर्याप्त प्रोत्साहन देकर श्रम सम्बन्धी उत्पादिता में वृद्धि करना;

(v) उत्पाद-मिश्र में विविधता लाना;

(vi) निर्यात के लिए अधिक प्रयत्न करना

भारत में उर्दू भाषा का स्थान

219. **श्री एस० एम बनर्जी :** क्या **शिक्षा तथा समाजकल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत में उर्दू भाषा को यथोचित स्थान देने के लिए और आगे क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (श्री सिद्धार्थ शंकर रे) : अपेक्षित सूचना सहित एक विवरण संलग्न है।

विवरण

संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित सरकारी संकल्प, संविधान में उल्लिखित हिन्दी के अतिरिक्त भारतीय भाषाओं के पूर्ण विकास के लिए समायोजित उपाय करने के लिए भारत सरकार पर लागू होता है। उर्दू, देश की सरकारी तथा संवैधानिक मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय भाषाओं में से एक है। इसे वही सम्मान और मान्यता दी जा रही है जो देश की अन्य प्रादेशिक भाषाओं की दी जा रही है। उर्दू, कोई प्रादेशिक भाषा न होने के कारण भारत सरकार ने इसके विकास के लिये सीधी सहायता उपलब्ध करने का निर्णय किया है। जैसा कि लोक सभा में 4 दिसम्बर, 1970 को तारांकित प्रश्न संख्या 539 के उत्तर में उस समय के शिक्षा मंत्री ने कहा था कि भारत सरकार ने पहले ही शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में तरक्की-ए-उर्दू बोर्ड नामक केन्द्रीय बोर्ड की स्थापना की है ताकि भारतीय भाषाओं में साहित्य निर्माण की केन्द्र प्रायोजित योजना के अन्तर्गत उर्दू में शैक्षिक साहित्य के साथ-साथ अन्य प्रकार का साहित्य, आधुनिक ज्ञान के प्रसार के लिए विज्ञान की पुस्तकें उपलब्ध हो सकें। यह बोर्ड बाल-साहित्य, संदर्भ ग्रंथ, विश्वकोश तथा मूल पाठों का भी प्रकाशन करेगा और आधुनिक विषयों पर उर्दू में सामान्य साहित्य निर्माण पर विशेष ध्यान देगा; जिससे उर्दू पढ़ने वाले लोगों की एक बहुत बड़ी संख्या को आधुनिकता के विभिन्न रूपों की सम्पर्कता में आने का अवसर मिलेगा। अन्य भारतीय भाषाओं की तरह बोर्ड को अपने पुस्तक निर्माण कार्यक्रम के लिए एक करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध की है।

विज्ञान और तकनीकी विषयों के लिए उचित शब्दावली का निर्माण करने के लिए बोर्ड ने पहले ही कदम उठाए हैं। अभी तक 20,000 शब्द बनाए गए हैं। राजनीति शास्त्र, इतिहास, परातत्व, भूगोल, कानून और भू-विज्ञान से सम्बन्धित शब्दों को अन्तिम रूप दे दिया है। बोर्ड द्वारा स्थापित विभिन्न विषय-नामिकाओं ने अब तक 606 शीर्षक अनुवाद तथा मौलिक उर्दू में लेखन के लिए चुने हैं; जिनमें से 487 शीर्षक अनुवादकों और लेखकों को दिये जा चुके हैं। अभी तक 2 पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं।

पुस्तक तथा अन्य साहित्य निर्माण की गति तेज करने तथा दिन-प्रति-दिन के कार्य की देख भाल और निर्देशन के लिये बोर्ड की एक स्थाई समिति की स्थापना की गई है।

पुस्तक निर्माण की गति को तेज करने के लिये बोर्ड द्वारा उठाये गये अन्य महत्वपूर्ण कदम निम्नलिखित हैः—

(1) मूलतः उर्दू में पुस्तकें लिखने के लिये शिक्षा-वृत्ति के प्राप्त करने के लिये अर्हता प्राप्त उर्दू अध्येताओं को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को आवेदन पत्र भेजने के लिये प्रोप्साहित किया जा रहा है।

(2) उर्दू प्रेसों की छपाई की क्षमता को सुदृढ़ करने के लिए उर्दू टाइप मेट्रीसिस का आयात करने का प्रबन्ध किया जा रहा है ताकि उर्दू टाईप मशीनों का निर्माण किया जा सके और विभिन्न प्रेसों को मुह्यया की जा सकें।

(3) विभिन्न उर्दू शैक्षिक संस्थाओं के सहयोग से उर्दू लिपि तथा टाईप-रायटिंग में प्रशिक्षण देने के लिये कदम उठाये जा रहे हैं ।

ऊपर उल्लिखित उर्दू भाषा के विकास हेतु सरकार द्वारा उठाये गये कदमों के अलावा, सरकार उर्दू के एक भाषा के रूप में विकास में रत तथा इसके साहित्य को समृद्ध बनाने के लिये विभिन्न स्वेच्छिक संगठनों को उदारता से वित्तीय सहायता दे रही है ।

4 दिसम्बर 1970 को तारांकित प्रश्न संख्या 539 में दियें गये पूर्व उल्लिखित उत्तर में भारत सरकार ने दिल्ली में उर्दू घर के निर्माणार्थ, जिसमें तरक्की-ए-उर्दू-बोर्ड तथा राष्ट्रीय उर्दू पुस्तकालय के कार्यालयों को भी स्थान देगा, अंजुमन-तरक्की-उर्दू हिन्दी, अलीगढ़ को 4 लाख रुपये का अनुदान दिया गया है । उर्दू साहित्य में अनुसंधान कार्य संचालन हेतु देहली में एक गालिब-एकादमी पहले ही स्थापित की गई है ।

पूर्वी पाकिस्तान के साथ व्यापार

220. **श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मेघालय राज्य को पूर्वी पाकिस्तान के साथ व्यापार करने, की अनुमति दे दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी व्यौरा क्या है;

(ग) क्या इसी प्रकार की सुविधायें पश्चिम बंगाल को भी दी जायेंगी; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) मेघालय-राज्य को पूर्वी पाकिस्तान के साथ व्यापार करने की स्वीकृति नहीं दी गई है ।

(ख), (ग) यथा (घ). ये प्रश्न नहीं उठते ।

निःस्त्रावित एल्युमिनियम पर उत्पादन शुल्क

221. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निःस्त्रावित एल्युमिनियम पर उत्पादन शुल्क निर्धारित करने की प्रक्रिया को समाप्त कर दिया है जो कि वस्तु के प्रःशुल्क मूल्य के अनुसार था;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या है; और

(ग) क्या माध्यमिक निर्माताओं द्वारा अनुभव की गई व्यावहारिक कठिनाइयों को देखते हुये निःस्त्रावित एल्युमिनियम पर मूल्यानुसार उत्पादन शुल्क निर्धारण करने के पुराने तरीके को पुनः लागू करने का कोई प्रस्ताव है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां ।

(ख) एल्युमिनियम पर उत्पादन शुल्क लगाने की पद्धति में, जो अंशतः विशिष्ट तथा अंशतः मूल्यानुसार थी, पूर्णतया परिवर्तन करके वित्त अधिनियम, 1970 में उसे मूल्यानुसार कर

दिया गया था। साथ ही, सभी एलमूमीनियम उत्पादों का वास्तविक मूल्य के आधार पर शुल्क निर्धारण कर सकने के लिये टैरिफ मूल्यों को रद्द कर दिया गया था। निःस्त्रावित उत्पादों की अनेक किस्में होने के कारण जिनमें मूल्यों में न केवल विभिन्न निर्माताओं के बीच ही, अपितु एक ही निर्माता के विभिन्न उत्पादों के सम्बन्ध में भी काफी बड़ा अन्तर होने के कारण सस्ते तथा कीमती उत्पादों का उसी मूल्य पर कर निर्धारण किया जाने लगा जिसे टैरिफ-मूल्यों को रद्द करके संशोधित करने का प्रयास किया गया था।

(ग) एल्युमिनियम की मूल्य-नीति से सम्बन्धित मामलों की जांच करने के निमित्त नियुक्त "एल्युमिनियम पर कार्यकारी दल" की सिफारिशों की जांच की जा रही है और जो भी उपाय आवश्यक प्रतीत होंगे, किये जायेंगे।

———

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

सीमेन्ट निगम का वार्षिक प्रतिवेदन आदि

औद्योगिक विकास मंत्री (श्री मोइनुल हक चौधरी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूँ :

(1) कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रतिः—

(एक) भारत के सीमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1969-70 के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारत के सीमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1969-70 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक और महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल०टी० 104/71]

(2) अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रतिः—

(एक) तांबा (बिज़ली केबिल और तार के निर्माण में उपयोग का निषेध) आदेश, 1970 जो भारत के राजपत्र दिनांक 26 दिसम्बर, 1970 में अधिसूचना संख्या एस०ओ० 4092 में प्रकाशित हुआ था।

(दो) बिजली केबिल और तार नियंत्रण आदेश, 1970 जो भारत के राजपत्र दिनांक 26 दिसम्बर, 1970 में अधिसूचना संख्या एस०ओ० 4093 में प्रकाशित हुआ था।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल०टी० 105/71]

बोकारो स्टील लिमिटेड और हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, कलकत्ता आदि का वार्षिक प्रतिवेदन

इस्पात तथा भारी इंजिनियरिंग मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : श्रीमन्, श्री मोहन कुमार मंगलम की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूँ :

(1) कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति:—

(एक) (क) बोकारो इस्पात लिमिटेड के वर्ष 1969-70 के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा।

(ख) बोकारो इस्पात लिमिटेड का वर्ष 1969-70 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेख और उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[**ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल०टी० 106/71**]

(दो) (क) हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1969-70 के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा।

(ख) हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष 1969-70 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[**ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी० 107/71**]

(2) अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत लोहा और इस्पात (नियंत्रण) संशोधन आदेश, 1971 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र दिनांक, 29 मार्च, 1971 में अधिसूचना संख्या एस०ओ० 1421 में प्रकाशित हुआ था।

[**ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 108/71**]

नाविक भविष्य निधि-योजना और लोक सभा में दिये गये आश्वासनों पर की गई कार्यवाही का विवरण

संसद कार्य पोत परिवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री राजबहादुर) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूँ :

(1) नाविक भविष्य निधि योजना, 1966 के संचालन सम्बन्धी वर्ष 1969-70 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

[**ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०— 109/71**]

(2) लोक-सभा के विभिन्न सत्रों के दौरान मंत्रियों द्वारा किये गये विभिन्न आश्वासनों, वचनों कथ प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही के निम्नलिखित विवरण :—

तीसरी लोक सभा

1.	अनुपूरक विवरण संख्या 18	15वां सत्र, 1966

चौथी लोक-सभा

2.	अनुपूरक विवरण संख्या 31	दूसरा सत्र, 1967
3.	अनुपूरक विवरण संख्या 24	तीसरा सत्र, 1967
4.	अनुपूरक विवरण संख्या 31	चौथा सत्र, 1968
5.	अनुपूरक विवरण संख्या 25	पांचवा सत्र, 1968
6.	अनुपूरक विवरण संख्या 18	छठा सत्र, 1968
7.	अनुपूरक विवरण संख्या 23	सातवां सत्र, 1969
8.	अनुपूरक विवरण संख्या 13	आठवां सत्र, 1969
9.	अनुपूरक विवरण संख्या 11	नौवां सत्र, 1969
10.	अनुपूरक विवरण संख्या 12 और 13	दसवां सत्र, 1970
11.	अनुपूरक विवरण संख्या 3 और 4	ग्यारहवां सत्र, 1970
12.	विवरण संख्या 1 और अनुपूरक विवरण संख्या 2	बारहवां सत्र, 1970

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 110/71]

ध्यानाकर्षण सूचना के बारे में (प्रश्न)

RE. CALL ATTENTION (QUESTION)

श्री एच०एन० मुकर्जी (कलकत्ता उत्तर-पूर्व) : श्रीमन्, पश्चिमी पाकिस्तान ने रैडक्रास के उन विमानों को अनुमति नहीं दी जो वहां सहायता-कार्य के लिए जा रहे थे। हमने इस विषय पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना दी है। आज सभा का आखिरी दिन है और यह एक महत्वपूर्ण मामला। क्या आपने उसे प्रधान मंत्री के पास पहुँचा दिया है ताकि वह आज अपने भाषण उसके सम्बन्ध में कुछ कह सकें।

अध्यक्ष महोदय : आपकी बातों को प्रधान मंत्री तक पहुँचा दिया जायेगा।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र-जारी

PAPERS LAID ON THE TABLE-Contd.

अन्तर्राष्ट्रीय प्रति लिप्यधिकार (संशोधन) आदेश, 1971

इस्पात तथा भारी इंजिनियरिंग मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : मैं श्री सिद्धार्थ शंकर रे की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूँ :

(1) प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, 1967 की धारा 43 के अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रीय प्रति-लिप्यधिकार (संशोधन) आदेश, 1971 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक

प्रति, जो भारत के राजपत्र दिनांक, 25 जनवरी, 1971 में अधिसूचना संख्या एस०ओ० 448 में प्रकाशित हुआ था।
[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल०टी० 111/71]

(2) उद्योग इंजीनियरी में प्रशिक्षण के राष्ट्रीय संस्थान, बम्बई के वर्ष 1969-70 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।
[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल०टी० 112/71]

रेलवे सुरक्षा सम्बन्धी आयोग का प्रतिवेदन, 1968-69

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूँ :

(1) रेलवे सुरक्षा सम्बन्धी आयोग के वर्ष 1968-69 के कार्य सम्बन्धी प्रतिवेदन (हिन्दी संस्करण) की एक प्रति।
[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल०टी० 113/71]

(2) उपर्युक्त प्रतिवेदन को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों का एक विवरण।
[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 114/71]

दिल्ली विकास प्राधिकरण का प्रतिवेदन और इससे सम्बन्धित विवरण

निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री आई०के० गुजराल) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूँ :

(1) दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 26 के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रतिः—

(एक) दिल्ली विकास प्राधिकरण का वर्ष 1966-67 का वार्षिक प्रशासन प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) दिल्ली विकास प्राधिकरण का वर्ष 1967-68 का वार्षिक प्रशासन प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(तीन) दिल्ली विकास प्राधिकरण का वर्ष 1968-69 का वार्षिक प्रशासन प्रतिवेदन हिन्दी संस्करण)।
[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 115/71]

(2) उपर्युक्त मद (10) (एक) और (दो) में उल्लिखित प्रतिवेदनों को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों का एक विवरण।
[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 116/71]

अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम 1951, के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स विभाग, परमाणु शक्ति विभाग और विज्ञान तथा प्राद्योगिकी विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० सी० पन्त) : मैं श्री राम निवास मिर्धा की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :

अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संसकरण) की एक-एक प्रति :—

(1) भारतीय वन सेवा (प्रारम्भिक भर्ती) संशोधन विनियम, 1971 जो भारत के राजपत्र दिनाँक, 20 मार्च, 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 353 में प्रकाशित हुए थे ।

(2) भारतीय बन सेवा (भर्ती) संशोधन नियम, 1971, जो भारत के राजपत्र दिन ांक, 20 मार्च, 1971 में अधिसूचना संख्या जी०एस० आर० 354 में प्रकाशित हुए थे ।
[ग्रन्थालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 117/71]

इलायची (लाइसेंस देना और पंजीकरण) संशोधन अधिनियम, 1970

वैदेशिक व्यापार मंत्री (श्री एल०एन० मिश्र) : मैं इलायची अधिनियम, 1965 की धारा 33 की उपधारा (3) के अन्तर्गत इलायची (लाइसैंस देना और पंजीकरण) संशोंधन नियम, 1970 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ, जो भारत के राजपत्र दिनांक 20 मार्च, 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 373 में प्रकाशित हुए थे ।
[ग्रन्थालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 118/71]

पुलिस बल (अधिकारों पर प्रतिबन्ध) संशोधन नियम 1970

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री और इलैक्ट्रानिक्स विभाग परमाणु शक्ति विभाग तथा विज्ञान और प्राद्योगिकी विभाग मे राज्य मन्त्री (श्री के० सी० पन्त) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ ।

(1) पुलिस बल (अधिकारों पर प्रतिबन्ध) अधिनियम, 1966 की धारा 6 की उपधारा (2) के अन्तर्गत पुलिस बल (अधिकारों पर प्रतिबन्ध) संशोधन नियम, 1970 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो भारत के राजपत्र दिनांक 19 दिसम्बर, 1970 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 2049 में प्रकाशित हुए थे ।
[ग्रन्थालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 119/71

(2) विधिविरुद्ध गतिविधियां (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 21 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति:—
(एक) विधिविरुद्ध गतिविधियां (निवारण) संशोधन नियम, 1970, जो भारत

के राजपत्र दिनाँक 3 फरवरी, 1970 में अधिसूचना संख्या 473 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) विधिविरुद्ध गतिविधियां (निवारण) संशोधन नियम, 1971, जो भारत के राजपत्र दिनांक 4 जनवरी, 1971 में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 109 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) विधिविरुद्ध गतिविधियां (निवारण) (दूसरा संशोधन) नियम, 1971 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो भारत के राजपत्र दिनांक 18 जनवरी, 1971 में अधिसूचना संख्या एस०ओ० 359 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल०टी० 120/71]

(3) उपर्युक्त मद (2) (एक) में उल्लिखित अधिसूचना को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों का एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 121/71]

(4) उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1954 की धारा 24 की उपधारा (3) के अन्तर्गत, उच्च न्यायालय न्यायाधीश यात्रा भत्ता (दूसरा संशोधन) नियम, 1970 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र दिनांक 12 दिसम्बर, 1970 में अधिसूचना संख्या जी०एस०आर० 2002 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल०टी० 122/71]

अतारांकित प्रश्न संख्या 2253 के उत्तर में शुद्धि

समवाय कार्य मंत्री (श्री के०वी० रघुनाथ रेड्डी) : मैं इम्पीरियल तम्बाकू कम्पनी आफ इण्डिया लिमिटेड नाम को बदल कर मेसर्स इन्डिया तम्बाकू कम्पनी लिमिटेड रखने के बारे में अतारांकित प्रश्न संख्या 2253 के 11 अगस्त 1970 को दिये गये उत्तर को शुद्ध करने के लिए एक विवरण, (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा-पटल पर रखता हूँ।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 123/71]

भारत के औद्योगिक वित्त निगम के वार्षिक प्रतिवेदन

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूँ :

(1) औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 35 की उपधारा (3) के अन्तर्गत, भारत के औद्योगिक वित्त निगम के 30 जून, 1970 को समाप्त हुये वर्ष के लिए वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा निगम की परिसम्पत्तियों तथा देनदारियों और लाभ तथा हानि लेखे का एक विवरण।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 124/71]

(2) राज्य वित्त निगम अधिनियम, 1951 की धारा 38 की उपधारा (3) के अन्तर्गत दिल्ली वित्त निगम के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा परिसम्पत्तियों और देनदारियों तथा लाभ और हानि लेखे का एक विवरण और वर्ष 1969-70 के लिए लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन, जो दिल्ली राजपत्र दिनांक 5 अगस्त, 1970 में अधिसूचना संख्या एफ० 6/4/70 फिन (जी) में प्रकाशित हुआ था ।

[ग्रंथालय में रखे गये । देखिये संख्या एल०टी० 125/71]

(3) सरकारी बचत बैंक अधिनियम, 1873 की धारा 15 की उपधारा (3) के अन्तर्गत, डाक-घर बचत बैंक (संशोधन) नियम, 1971 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र दिनांक 20 फरवरी, 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 244 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गई । देखिये संख्या एल०टी० 126/71]

(4) सरकारी बचत-पत्र अधिनियम, 1959 की धारा 12 की उपधारा (3) के अन्तर्गत, निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) सरकारी बचत-पत्र (संशोधन) नियम, 1971 जो भारत के राजपत्र दिनांक 15 जनवरी, 1971 में अधिसूचना संख्या जी०एस०आर० 97 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) राष्ट्रीय बचत-पत्र (चौथा नियम) (संशोधन) नियम, 1971, जो भारत के राजपत्र दिनांक 15 जनवरी,1971 में अधिसूचना संख्या जी०एस०आर० 98-99 में प्रकाशित हुये थे ।

(तीन) डाक-घर बचत-पत्र (संशोधन) नियम, 1971, जो भारत के राजपत्र दिनांक 5 फरवरी, 1971 के अधिसूचना संख्या जी०एस०आर० 189 में प्रकाशित हुये थे ।

[ग्रंथालय में रखी गई । देखिये संख्या एल०टी० 127/71]

(5) आसाम पुनर्गठन (मेघालय) अधिनियम, 1969 की धारा 56 की उपधारा (2) के अन्तर्गत, आसाम पुनर्गठन (मेघालय) राजस्व का वितरण आदेश, 1971 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो भारत के राजपत्र दिनांक 20 मार्च, 1971 में अधिसूचना संख्या जी०एस०आर० 397 में प्रकाशित हुआ था ।

[ग्रंथालय में रखी गई । देखिये संख्या एल०टी० 128/71]

(6) केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत जारी की गई निम्नलिखित अधिसूचना हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण की एक-एक प्रति :—

(एक) जी०एस०आर० 87, जो भारत के राजपत्र दिनांक 16 जनवरी, 1971 में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(दो) जी०एस०ग्रार० 217, जो भारत के राजपत्र दिनांक 13 फरवरी, 1971 में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।
[ग्रंथालय में रखी गई । देखिये संख्या एल०टी० 129/71]

(7) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) जी०एस०ग्रार० 2062, जो भारत के राजपत्र दिनांक 26 दिसम्बर, 1970 में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(दो) जी०एस०ग्रार० 2069, जो भारत के राजपत्र दिनांक 26 दिसम्बर, 1970 में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(तीन) जी० एस० ग्रार० 2070, जो भारत के राजपत्र दिनांक 31 दिसम्बर, 1970 में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(चार) जी०एस०ग्रार० 41, जो भारत के राजपत्र दिनांक 1 जनवरी 1971 में प्रकाशित हुई थी, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(पांच) जी०एस०ग्रार० 69, जो भारत के राजपत्र दिनांक 12 जनवरी, 1971 में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(छः) जी०एस०ग्रार० 70, जो भारत के राजपत्र दिनांक 12 जनवरी, 1971 में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(सात) जी०एस०ग्रार० 71, जो भारत के राजपत्र दिनांक 12 जनवरी, 1971 में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(ग्राठ) जी०एस०ग्रार० 72, जो भारत के राजपत्र दिनांक 12 जनवरी, 1971 में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(नौ) जी०एस०ग्रार० 88, जो भारत के राजपत्र दिनांक 16 जनवरी, 1971 में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(दस) जी०एस०ग्रार० 93, जो भारत के राजपत्र दिनांक 15 जनवरी, 1971 में प्रकाशित हुई थी ।

(ग्यारह) जी०एस०ग्रार० 118, जो भारत के राजपत्र दिनांक 21 जनवरी, 1971 में प्रकाशित हुई थी, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(बारह) जी०एस०ग्रार० 221, जो भारत के राजपत्र दिनांक 13 फरवरी, 1971 में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(तेरह) एस०ग्रो० 99 ग्रौर 100, जो भारत के राजपत्र दिनांक 1 जनवरी, 1971 में प्रकाशित हुई थी, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।
[ग्रंथालय में रखी गई । देखिये संख्या एल०टी० 130/71]

(8) पश्चिमी बंगाल राज्य विधान मण्डल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) अधिनियम, 1970 की धारा 3 की उपधारा (3) के अन्तर्गत, अन्तर्राज्यीय नदी घाटी प्राधिकार विद्युत पर पश्चिमी बंगाल शुल्क अधिनियम, 1971 (1971 का राष्ट्रपति का अधिनियम संख्या 5) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र दिनांक 1 अप्रेल, 1971 में प्रकाशित हुआ था।
[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल०टी० 131/71]

पारपत्र (तीसरा संशोधन) नियम, 1970

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : मैं पारपत्र अधिनियम, 1967 की धारा 24 की उपधारा (3) के अन्तर्गत, पारपत्र (तीसरा संशोधन) नियम, 1970 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो भारत के राजपत्र दिनांक 13 अक्तूबर, 1970 में अधिसूचना संख्या जी०एस०आर० 1793 में प्रकाशित हुए थे, सभा-पटल पर रखता हूँ।
[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल०टी० 132/71]

प्राक्कलन समिति

ESTIMATES COMMITTEE

132 वां तथा 133 वां प्रतिवेदन सचिव : मैं प्राक्कलन समिति (चौथी लोक सभा) के निम्नलिखित दो प्रतिवेदन सभा-पटल पर रखता हूँ जो 26 दिसम्बर, 1970 को प्राक्कलन समिति के सभापति द्वारा अध्यक्ष को प्रस्तुत किये गये थे :—

(1) श्रम रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय (श्रम तथा रोजगार विभाग)—कर्मचारी भविष्य निधि संगठन-सम्बन्धी समिति के 116वें प्रतिवेदन में दर्ज सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में 131वां प्रतिवेदन।

(2) श्रम रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय (श्रम तथा रोजगार विभाग)—कर्मचारी राज्य बीमा निगम-सम्बन्धी समिति के 123 वें प्रतिवेदन में दर्ज सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में 133वां प्रतिवेदन।

विधेयकों पर अनुमति

ASSENT TO BILLS

सचिव : मैं चालू सत्र के दौरान संसद् की दोनों सभाओं द्वारा पास किये गये तथा अनुमति प्राप्त निम्नलिखित तेरह विधेयक सभा-पटल पर रखता हूँ :

(1) विनियोग (रेल) लेखानुदान विधेयक, 1971

(2) विनियोग (रेल) विधेयक, 1971

(3) मणिपुर विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1971

(4) मणिपुर विनियोग विधेयक 1971
(5) विनियोग विधेयक, 1971
(6) विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1971
(7) आयात तथा निर्यात (नियन्त्रण) संशोधन विधेयक, 1971
(8) उड़ीसा विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1971
(9) उड़ीसा विनियोग विधेयक, 1971
(10) मैसूर विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1971
(11) मैसूर विनियोग विधेयक, 1971
(12) पश्चिमी बंगाल विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1971
(13) पश्चिमी बंगाल विनियोग विधेयक, 1971

चाणक्यपुरी स्थित नई दिल्ली नगरपालिका के होस्टल का उपयोग न किये जाने के बारे में दिनांक 16-11-70 के तारांकित प्रश्न संख्या 131 के उत्तर में शुद्धि

CORRECTION OF ANSWER TO S. Q. NO. 131 DATED 16-11-70 RE. NON-UTILISATION OF N. D. M. C. HOSTEL IN CHANAKYAPURI

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री अ०क० किस्कु): श्री हरदयाल देवगुण द्वारा 16 नवम्बर, 1970 को लोक सभा में पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 131 के उत्तर भाग (ग) में यह बताया गया था कि नई दिल्ली नगरपालिका ने चाणक्यपुरी स्थित होस्टल का लाइसेंस देने के लिए पांच बार टेंडर जारी किये गये थे। वस्तुतः नगरपालिका ने छः बार टेंडर मांगे थे। छठी बार जो टेंडर प्राप्त हुए थे, उनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

क्र०	पार्टी का नाम	दिया गया मूल्य प्रस्ताव	टिप्पणी
1	2	3	4
1.	मैसर्स होटल प्रेजीडैंट दिल्ली गेट, नई-दिल्ली।	(क) प्रति वर्ष 12 लाख रुपये, यदि भवन में विस्तार के लिए निर्माण कार्य पार्टी अपने खर्च से करेगी।	पूरे भवन के लिए।
		(ख) प्रति वर्ष 15 लाख रुपये, यदि भवन में विस्तार के लिए निर्माण-कार्य और परिवर्तन नई-दिल्ली नगरपालिका द्वारा की जायेगी।	पूरे भवन के लिए।

1	2	3	4
2.	मैसर्स फ्लरीज स्वीस कन्फेकश्नरी प्राइवेट लिमिटेड, 18 पार्क स्ट्रीट कलकत्ता-16 (मैसर्स अभीनचन्द प्यारेलाल की सहायक फर्म)	(क) 1 सितम्बर, 1970 से शुरू होने वाले पहले वर्ष के लिए 3 लाख रुपये। (ख) बाद के पांच वर्षों के लिए 10 लाख रुपये प्रति वर्ष। (ग) तत्पश्चात 10 वर्ष के लिए 15 लाख रुपये प्रति वर्ष। (घ) तत्पश्चात् 10 वर्षों तक 18 लाख रुपये प्रतिवर्ष। (ड-) शेष चार वर्षों के लिए 21 लाख रुपये प्रति वर्ष।	पूरे भवन के लिए।
3.	मैसर्स नेशनल मिनरल डेवलपमैंट कारपोरेशन।	2.50 रुपये प्रति वर्ग फुट प्रति मास।	पांचवी और छटी मंजिलों के होटल से इतर उपयोग के लिए।

दिल्ली में संयुक्त समाजवादी दल द्वारा निकाले गये जलूस के सम्बन्ध में घटी घटनाओं सम्बन्धी आयोग के निष्कर्षों के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE. FINDINGS OF COMMISSION ON INCIDENTS IN RESPECT OF S.S.P. PROCESSION IN DELHI

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : सदन को याद होगा कि संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी द्वारा 6 अप्रेल, 1970 को दिल्ली में निकाले गये जलूस से सम्बन्धित जो घटनायें घटी थीं उनकी जांच कराने के लिए जांच अधिनियम, 1952 के आयोगों के अधीन आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के श्री न्यायाधीश अल्लादी कुप्पास्वामी की अध्यक्षता में आयोग नियुक्त किया गया था। आयोग की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है। रिपोर्ट के पैरा 275 में आयोग द्वारा निर्णयों का सार दिया गया है और इसकी प्रतियां सदन के सभा-पटल पर रख दी गई है। रिपोर्ट छपवाई भी जा रही है और इसकी छपी प्रतियां मान्यवर सदस्यों को यथा समय दे दी जायेंगी।

सरकार ने आयोग के निष्कर्षों को स्वीकार कर लिया है। रिपोर्ट की प्रति लिपि उस राज्यपाल, दिल्ली को भी आवश्यक कार्यवाही हेतु भेज दी गई है।

पटेल चोक, नई दिल्ली में 6 अप्रैल, 1970 को हुई घटना से संबन्धित जांच आयोग की रिपोर्ट के पैराग्राफ 275 की प्रतिलिपि ।

सार रूप में मैं निम्नलिखित निष्कर्षो पर पहुंचा हूँ :—

(1) यह सिद्ध नहीं हो सका कि पटेल चौक में 6 अप्रैल, 1970 को हुआ केन-चार्ज पूर्व-निर्धारित और पूर्व-नियोजित अथबा "सरकार" और दिल्ली प्रशासन के बीच किसी षड़यन्त्र का परिणाम था ।

(2) (क) उप आयुक्त द्वारा पटेल चौक पर सभा करने की न तो अनुमति दी गई थी और न ही अस्वीकृति । किन्तु संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी को यह बतला दिया गया था कि जब तक सभा शान्ति पूर्वक चलती रहेगी तब तक उसमें बाधा उपस्थित नहीं की जायगी ।

(ख) आदिवासियों को अपनी परम्परागत पोशाक के भाग के रूप में तीर कमान लेकर चलने की अनुमति दी गई थी, किन्तु तीर-कमान के अतिरिक्त अन्य हथियारों को लेकर चलने के बारे में कोई विशेष अनुमति या अस्वीकृति नहीं दी गई थी ।

(3) सभा शान्तिपूर्वक चल रही थी, परन्तु सभा के लगभग 300 या 400 अनुशासनहीन सदस्यों ने, जिनमें से कुछ के पास लाठी, तकवा, कमान और तीर थे, नारे लगाये और रस्से के घेरे को तोड़ने और संसद भवन की ओर बढ़ने का प्रयत्न किया; इन परिस्थितियों में अश्रु-गैस के गोले छोड़ना और केन-चार्ज करना न्यायोचित था; किन्तु यह सिद्ध नहीं हो सका कि प्रदर्शन कारियों ने वास्तव में तीरों, लाठियों और तकुओं से पुलिस पर आक्रमण किया और उसके फल स्वरूप अनेक पुलिस वाले जख्मी हुए ।

(4) (क) श्री अशोक नाथ, सब-डिविजनल मजिस्ट्रैट, पटेल चौक में उपस्थित थे और उनके द्वारा सभा के गैरकानूनी घोषित किये जाने और आवश्यक चेतावनी दिये जाने के बाद ही केन-चार्ज शुरू किया गया था;

(ख) केन-चार्ज से पहले अश्रु गैस के गोले छोड़े गए थे, हालांकि इनके बीच का समय बहुत ही थोड़ा था;

(ग) अश्रु-गैस का दूसरा दौर भीड़ को दोबारा इक्ट्ठा होने से रोकने के लिए छोड़ा गया था, न कि भीड़ को तंग करने तथा उनको वहां से हटने से रोकने के लिए;

(घ) ऐसा लगता है कि चेतावनी देने के लिए की गई ध्वनि विस्तारक यंत्र सम्बन्धी व्यवस्था ठीक प्रकार से काम नहीं कर रही थी; इस सम्बन्ध में और अधिक सावधानी रखनी चाहिए थी कि ध्वनि विस्तारक यंत्र द्वारा दी गई चेतावनी सभी संबन्धित लोगों को सुनाई दे ।

(ड-) यदि यह भी मान लिया जाय कि चेतावनी नहीं दी गई थी तो भी केन-चार्ज उचित ही सिद्ध होता है क्योंकि यद्यपि यह सभा प्रारम्भ में गैरकानुनी नहीं थी तथापि बाद में जब 300 या 400 व्यक्तियों ने रस्से के घेरे को तोड़ने और संसद भवन की ओर बढ़ने का

प्रयत्न किया, जो आपराधिक दंड संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत जारी किये गये आदेश के अधीन था और इन लोगों के आचरण इस प्रकार के थे जिनसे प्रतीत होता था कि उनका इरादा वहां से हटने का नहीं था और उनके स्वयं जन-शान्ति भंग करने और दूसरों को ऐसा करने के लिए भड़काने की सम्भावना थी।

(क) मामले की परिस्थितियों में साधारण तौर पर अथवा किसी विशेष जख्मी व्यक्ति के बारे में प्रयोग की गई शक्ति आवश्यकता से अधिक सिद्ध नहीं हुई है।

(ख) पुलिस ने केवल बेंतो का प्रयोग किया, लाठियों का नहीं;

(6) जार्ज फर्नाड़ीज को अस्पताल ले जाने के मामले में, जबकि वे जख्मी हो गये थे, परिहार्य विलम्ब हुआ था। पुलिस द्वारा, (I) किस पुलिस सिपाही ने और किन परिस्थतियों में सिर पर चोट पहुँचाई; और (II) श्री मरवाह द्वारा कठोर व्यवहार किये जाने और (III) जार्ज फरनाडीज को अस्पताल ले जाने में विलम्ब जैसे मामलों में उचित जांच की जानी चाहिए थी।

(7) (क) यदि यह सिद्ध नहीं हो सका कि पुलिस ने किसी संसद सदस्य को संसद की ओर जाने से अनुचित रूप से रोका हो;

(ख) श्री अर्जुन सिंह भदौरिया का परिचय-पत्र पुलिस के किसी सिपाही द्वारा फाड़ा गया था, परन्तु जिस सिपाही ने इसको फाड़ा था उसकी पहचान सिद्ध करने के लिए पर्याप्त प्रमाण नहीं है;

श्री अर्जुन सिंह भदौरिया पेट में किसने लात मारी यह जानने के लिए भी प्रमाण नहीं है।

(8) इस बारे में भी कोई पर्याप्त प्रमाण नहीं हैं कि श्री बिहारी पटेल चौक में हुए केन-चार्ज से घायल हुए और उसके फलस्वरूप लगने वाली चोट से ही उनकी मृत्यु हुई थी।

(9) यह सिद्ध करने के लिए पर्याप्त प्रमाण नहीं है कि श्री बाबू लाल, पटेल चौक में प्रदर्शनकारियों में से किसी के द्वारा तीर छोड़े जाने पर, घायल हुए थे।

(10) श्रीमती शान्ति नायक से सम्बन्धित घटना पर प्रतिकूल टिप्पणी करने के लिए कुछ नहीं है।

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद-प्रस्ताव-जारी

MOTION OF THANKS ON PRESIDENT'S ADDRESS-Contd.

प्रधान मंत्री, अणु शक्ति मंत्री, गृह-कार्य मंत्री, योजना मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इन्द्रा गांधी) : अध्यक्ष महोदय! राष्ट्रपति के अभिभाषण पर तीन दिन तक वाद-विवाद हुआ है। बहुत से माननीय सदस्यों ने भाषण दिये हैं। जिन माननीय सदस्यों ने प्रस्ताव का समर्थन किया है तथा जिन्होंने उपयुक्त सुझाव दिये हैं मैं उनकी आभारी हूँ।

मुझे प्रसन्नता है कि कुछ माननीय सदस्यों ने अभिभाषण में महान जागृति के आरम्भ की झलक पाई हैं। नई पीढ़ी ने हमारे प्रति जो विश्वास दिखाया है तथा हमें शक्ति दी है उसके

सहारे अब हम नवीन प्रारम्भ के प्रवेश द्वार पर हैं। जनता ने यह सिद्ध कर दिया है कि देश विदेश में जो निराशाजनक भविष्यवाणियों की जा रही थीं वे सब बनावटी भविष्य-वक्ताओं की फुसफुसाहट मात्र थी।

मैं यह भी कह देना चाहती हूँ कि मैं इस भारी समर्थन को कोई उपलब्धि न मानकर कार्य करने का एक भावना ही मानती हूँ। राष्ट्रपति के अभिभाषण में कुछ ऐसे कार्यों की ओर संकेत किया गया है जिन्हें सरकार इस अवसर का लाभ उठा कर करना चाहती है। साथ ही सरकार रचनात्मक आलोचना का भी स्वागत करती है जिससे हमें अपने कार्यक्रमों में सुधार करने में सहायता मिलेगी।

मैंने अपने प्रत्येक चुनाव-भाषण में सब स्थानों पर कहा था कि अभी हमने बहुत से कार्य करने हैं तथा हमारे मार्ग में बहुत सी बाधाएं भी है। हमें समर्थन देने वालों को कठिन परिश्रम करने तथा सम्भवतः कुछ खतरों का भी मुकाबला करने के लिये तत्पर रहना चाहिये। श्री फतहसिंह राव गायकवाड द्वारा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों की दैनीय स्थिति के प्रति तथा श्रीमती गायत्री देवी द्वारा गरीबों के लिए जो भारी चिन्ता व्यक्त की है उसका मेरे ह्रदय पर भी बहुत प्रभाव पड़ा था। किन्तु निजी थैलियों की तुलना में गरीबों के लिए आंसू बहाना सरल प्रतीत होता है। मैं उन्हें तथा सदन को विश्वास दिला देना चाहती हूँ कि सामन्तवाद के यह चिह्न अधिक दिन तक नहीं रह सकते।... **(व्यवधान)**

वायु, जल और भूमि को दूषित होने से बचाने की मांग का भी मै समर्थन करती हूँ। प्राकृतिक अनियमितताओं से होने वाली कठिनाइयों से भी बचने के सम्बन्ध में मेरी अधिक रुचि है।

कुछ माननीय सदस्यों की इस शिकायत की ओर भी गम्भीरता से ध्यान नहीं दिया जाना चाहिये कि आकाशवाणी तथा टेलीविजन का उपयोग सत्तारुढ़ दल के लक्ष्यों की पूर्ति के लिए किया गया है। मैंने आकाशवाणी से केवल उसी समय प्रसारण किया था जब लोक-सभा भंग किये जाने की घोषणा की गई थी। निर्वाचन आयोग के विरुद्ध शिकायत के सम्बन्ध में मेरे सहयोगी विधि तथा न्याय मंत्री ने उत्तर दे दिया है।

इस अवसर पर गरीबी के सम्बन्ध में बहुत कुछ कहा जाना स्वाभाविक ही था। गरीबी की समस्या हमारे सामने बहुत दिनों से विद्यमान है। मैं इसके प्रति आज ही जागरुक नहीं हुई हूँ। मैं संकोच के साथ इतना निवेदन कर देना चाहती हूँ कि इस गरीबी की समस्या से चिंतित हो कर ही मेरे परिवार ने अपनी अधिकांश सम्पत्ति का त्याग करने का निर्णय किया था तथा 1920-21 में अपनी जीवन चर्या में पूरा परिवर्तन लाने का निर्णय किया था।

स्वतन्त्रा प्राप्ति के पश्चात् बहुत कुछ उपलब्धियां हुई हैं। उन दिनों की तुलना में आज के लोगों का रहन-सहन बहुत अच्छा है। क्या कोई माननीय सदस्य इस बात का दावा कर सकते हैं कि किसी विशिष्ट क्षेत्र में, उदाहरणार्थ, राजस्थान अथवा मध्य प्रदेश में, राजे-महाराजों के समय की तुलना में कम कार्य किया गया है? तथापि यह सच है कि अभी देश में गरीबी है तथा बहुत से लोगों की मूल-आवश्यकताए भी पूरी नहीं हो रहीं है। हमारी विकास योजनाओं के साथ-साथ जनता की आवश्यकताएं भी बढ़ गई हैं तथा बढ़ती ही रहेगीं।

माननीय सदस्य श्री वाजपेयी तथा उनके दल ने तो गरीबी के विरुद्ध संघर्ष का नारा ही लगाया था किन्तु हमारा संघर्ष वास्तविक है। यह उल्लेखनीय बात है कि जनता जनसंघ के इस स्वर्ण मृग की ओर आकर्षित नहीं हुई तथा स्वतन्त्र पार्टी के बचन चातुर्य तथा घिसे पिटे आर्थिक सिद्धान्तों के बहकावे में भी नहीं आई। गाय और बछड़े के चिह्न से यह सिद्ध हो गया है कि यह कोई धार्मिक चिह्न नहीं था अपितु यह चिह्न ग्रामीण और नगरीय जनता की समृद्धि से सम्बन्धित था। विभिन्न दलों के घोषणा पत्रों तथा उनके कार्यों का अध्ययन करने के पश्चात् जनता ने अपनी सम्मति बताई तथा इस सम्बन्ध में निर्णय किया।

माननीय सदस्य श्री गोपालन ने सरकारी नीतियों की आलोचना करते समय कुछ केन्द्रीय परियोजनाओं का भी उल्लेख किया गया था। इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि केरल के साथ न कभी भेद भाव किया गया है और नहीं रखा जा सकता है क्योंकि यह भी देश का एक सुन्दर भाग हैं तथा वहां के लोगों की भी अनेक प्रकार की समस्याएं हैं। यह सच है कि सरकार का यह प्रस्ताव था कि वहां 'प्रिसीजन इस्ट्रूमेंट प्लांट' और 'कीटो कैमीकल्स प्लाँट' की स्थापना की जाये किन्तु पुनःअवलोकन करने पर इन कारखानों के उत्पादों की मांग उपयुक्त नहीं पाई गई। अतः उस प्रस्ताव की क्रियान्विति नहीं हो सकी है। सरकार को औद्योगिक तथा अन्य कार्यक्रमों के बारे में लगातार अध्ययन करना होता है तथा स्थिति के अनुकूल कार्यक्रम बनाने पड़ते हैं।

जहां तक कोचीन शिपयार्ड का सम्बन्ध है श्री गोपालन को उसके बारे में नवीनतम जानकारी नहीं है। शिपयार्ड के लिए डिजाइन तैयार करने तथा इसके निर्माण के लिए सलाह देने के लिए मित्सुबिसी हैवी इण्डस्ट्रीज के साथ करार किया जा चुका है। यह परियोजना पांच वर्ष की अवधि में पूरी होगी तथा इस पर 45.43 करोड़ रुपयों की लागत आने का अनुमान है। 1971-72 के अन्तरिम बजट में तीन करोड़ रुपयों की व्यवस्था भी कर दी गई है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त ने एकाधिकार गृहों तथा उनमें से कुछ को नये लाइसेंस देने के बारे में उल्लेख किया है। एकाधिकार तथा निर्बधात्मक व्यापार प्रक्रिया अधिनियम तथा औद्योगिक लाइसेंस नीति दोनों पें से किसी में भी यह व्यवस्था नहीं है कि व्यापार गृहों को नये लाइसेंस दें या न दिये जायें। इनमें उन सीमाओं और शर्तों का निर्धारण है जिनके अन्तर्गत व्यापार गृह आगे विस्तार कर सकते हैं।

अलग-अलग मामलों में किये गये निर्णयों का कार्य उन नीतियों से हटना नहीं है जिनका स्पष्ट रूप से ब्यौरा दिया गया है। इन नीतियों का उद्देश्य औद्योगिक प्रगति और रोजगार अवसरों में वृद्धि, पिछड़े हुये क्षेत्रों का तेजी से विकास, मूल उद्योगों का शीघ्रता से विकास और आर्थिक दृष्टि से आत्म निर्भरता की प्राप्ति के कई लक्ष्यों में ताल मेल बिठाना है।

सरकार द्वारा किये गये अन्य निर्णयों की उपेक्षा कर के केवल बड़े औद्योगिक गृहों को लाइसेंस दिये जाने की बात पर ही विचार करना उचित नहीं है। लघु उद्योगों के लिये बड़े क्षेत्रों को आरक्षित रखने, मध्यम स्तर के उद्योगों से बड़े उद्योग गृहों को पृथक रखने तथा सरकारी क्षेत्र के विस्तार से सम्बन्धित नीतियां भी बनाई गई हैं।

श्री ए०सी० जार्ज ने नागरीय क्षेत्र में आवास व्यवस्था के सम्बन्ध में कुछ क्रियात्मक सुझाव दिये हैं। सदन इस बात से अवगत है कि हमने इस दिशा में आवास तथा नागरीय विकास वित्त निगम की स्थापना करके पहला कदम उठाया है। हम आगामी दो वर्षों में निगम के कार्यकलाप में विस्तार करने का प्रयत्न करेंगे।

अब मैं संशोधनों के बारे में चर्चा करना चाहूँगी। कुछ संशोधनों के बढ़ते हुये मूल्यों का उल्लेख किया गया है तथा मूल्यों में वृद्धि को रोकने की मांग की गई है। इस मामले से मैं स्वयं तथा मेरे सभी सहयोगी बहुत चिन्तित है। गत वर्ष में मूल्यों से अधिक वृद्धि का कारण यह है कि व्यापारिक फसलों के उत्पादन में वृद्धि नहीं की जा सकी है।

माननीय सदस्य जानते हैं कि सूखा के कारण हमें अपनी पूरी शक्ति खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिये जुटानी पड़ी तथा अन्य फसलों के लिये इस अवधि में उपयुक्त सहायता नहीं दी जा सकी। खाद्यान्नों के मूल्यों में सामान्यतः वृद्धि नहीं हुई जो उनके उत्पादन में वृद्धि के सम्बन्ध में सफलता का द्योतक है।

पारस्परिक निर्भरता वाली अर्थ व्यवस्था में एक क्षेत्र में बढ़ने वाले मूल्यों का दूसरे क्षेत्र पर प्रभाव पड़ता है। अतः आज इस बात की आवश्यकता है कि जनता इसके लिये शीघ्र ही कोई मुआवजा प्राप्त करने पर बल न दे। सरकार समाज के निर्धन वर्ग के हितों की रक्षा करने में पूरी रुचि रखती है क्योंकि इन पर बढ़ते हुये मूल्यों का अधिक प्रभाव पड़ता है।

माननीय सदस्य इस बात का समर्थन करेंगे कि हाल के वर्षों में मूल्यों में वृद्धि होने का आंशिक कारण यह भी था कि सरकार चाहती थी कि किसानों को उनके उत्पादन का उचित मूल्य मिले। इस प्रक्रिया से छोटे स्तर के किसानों अथवा भूमिहीन श्रमिकों तथा गरीब जनता को भी कोई हानि नहीं हुई है। सरकार का यह कर्त्तव्य है कि उपभोक्ताओं और उत्पादकों दोनों ही के हितों में तालमेल बिठाई जाये। मूल्य सम्बन्धी नीति इसी प्रकार सफल हो सकती है।

किसी एक वर्ग की अपेक्षा सम्पूर्ण राष्ट्र के कल्याण को ही श्रेष्ठतम मानना चाहिये। हमें यह भी स्मरण रखना चाहिये कि मूल्यों में वृद्धि की समस्या अन्य देशों में भी अनुभव की जा रही है तथा इन में बहुत से विकसित देश भी सम्मिलित हो। यह सच है कि हमारे सामने यह समस्या अधिक जटिल है क्योंकि हमारे यहां बहुत से लोगों का जीवन स्तर नीचा है। फिर भी विकाशशील देशों में यह समस्या किसी न किसी सीमा तक बनी ही रहती है।

हमें यह भी स्वीकार करना पड़ेगा कि हमारे जैसे विकासशील देश में ऐसी नीति नहीं अपनाई जा सकती जिसमें बजट में बचत दिखा कर मुद्रा-स्फीति को रोका जाये तथा ऐसे उपाय किये जायें जिससे पूंजी-निदेश का स्तर नीचा रखा जाये। ऐसे देशों में पूंजी-निवेश में वृद्धि अवश्य होनी चाहिये। प्रातः ऐसी योजना को कार्यरुप देते समय जो हमारे संशोधनों की तुलना में तो बड़ी है किन्तु जनता की आवश्यकताओं की तुलना में पर्याप्त बड़ी नहीं है, मूल्यों में कुछ वृद्धि होना तो निश्चित ही है।

आम चुनावों के तुरन्त पहले की अवधि में औद्योगिक लाइसेंसों के मामले में भी आलोचना की गई थी। औद्योगिक विकास मंत्री ने इस सम्बन्ध में एक विशिष्ठ प्रश्न का उत्तर दिया

था। इस सम्बन्ध में कोई भी कार्य जल्दवाजी में नहीं किया गया तथा न ही किसी प्रक्रिया का उल्लंघन किया गया है। यह आश्चर्य की बात है कि सरकार को ठीक समय पर लाइसेंस देने पर भी तथा लाइसेंस देने में देरी करने पर दोषी ठरहाया जाता है।

वर्ष 1970 में औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त करने के लिये प्रार्थना-पत्रों की संख्या में भारी वृद्धि हुई हैं जिससे ज्ञात होता है कि औद्योगिक स्थिति में सुधार हुआ है। जून 1970 के पश्चात्, जब एकाधिकार और निर्बधात्मक व्यापार प्रक्रिया अधिनियम लागू किया गया था, तभी सरकार को औद्योगिक लाइसेंसों के सम्वन्ध में व्यवस्था लाने के लिए नीतियों और प्रक्रिया बनानी पड़ी थी। चुनावों से ठीक पहले की अवधि में दिये गये लाइसेंसों के सम्बन्ध में वही प्रक्रिया अपनाई गई थी जो उससे पहले अपनाई जाती थी। तथा जैसा कि मैंने पहले भी निवेदन किया था इस सम्बन्ध में किसी को कोई छूट नहीं दी गई है।

अन्य संशोधनों में शेष बैंकों, विदेश व्यापार, प्रमुख और मूल उद्योगों आदि के राष्ट्रीय-करण की मांग की गई हैं। गत वर्ष भी मैंने इन संस्थाओं के तथा अन्य ऐसी ही संस्थाओं के राष्ट्रीकरण की मांग के बारे में सरकार के दृष्टिकोण का स्पष्टीकरण किया था। सरकार राष्ट्रीय-करण से न तो डरती है और न ही राष्ट्रीयकरण को साध्य ही मानती है। सरकार जिस दिशा में बढ़ना चाहती है वह बिल्कुल स्पष्ट है। हम चाहते हैं कि सरकारी क्षेत्र इतना समर्थ हो कि वह पूंजी-निवेश की दिशा और गति पर प्रभुत्व और नियन्त्रण रख सके, तथा हमारे उपलब्ध संसाधनों का यथासम्भव उपयोग हो सके। किसी उद्योग अथवा गतिविधि के राष्ट्रीयकरण से सम्बन्धित किसी प्रस्ताव को दो कसौटियों पर कसा जाना अत्यन्त आवश्यक है। पहली कसौटी है कि क्या सरकारी क्षेत्र को प्रभावी बनाने के लिए तथा अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करने के लिये किसी उद्योग का राष्ट्रीयकरण करना आवश्यक है। दूसरी कसौटी यह है कि क्या ऐसा करने से हमारे सामाजिक लक्ष्यों की पूर्ति होती है। बैंक राष्ट्रीयकरण इन दोनों कसौटियों पर खरा उतरा था।

इसी प्रकार यदि किसी उद्योग अथवा कारखाने के कार्यकरण से राष्ट्रीय हितों को हानि होती है तो सरकार उसे अपने अधिकार में लेने से नहीं हिचकिचायेगी। लेकिन हमें अपनी प्राथमिकताओं से भी विचलित नहीं होना चाहिये, जो इस समय विकास कार्यक्रमों में तेजी लाना तथा रोजगार अवसरों में वृद्धि करना है। हम जितने भी संसाधन जुटा सकते हैं उन्हें यथा-सम्भव सरकारी क्षेत्र की नई तथा उत्पादक गतिविधियों में लगाना चाहिये। आगामी कुछ वर्षों में हम गरीबी के विरुद्ध कड़े संघर्ष में जुट जायेंगे। हमें लक्ष्यहीन संघर्ष में अपनी शक्ति और संसाधनों का अपव्यय नहीं करना चाहिये क्योंकि उससे केवल आंशिक सफलता ही प्राप्त हो सकती है।

बेरोजगारी की समस्या पर प्रायः सभी वक्ताओं ने गम्भीर चिंता व्यक्त की है। यह समस्या केवल भारत में ही नहीं है अपितु ब्रिटेन तथा अमरीका जैसे विकसित देशों के समक्ष भी विद्यमान है। यह समझने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिये कि भारत में यह समस्या इतनी व्यापक कैसे हो गई। व्यवस्थित क्षेत्र के सम्बन्ध में प्रामाणिक आंकड़े उपलब्ध हैं तथा इनसे ज्ञात हो जाता है कि इस सेवा में सांतवी शताब्दी के पूर्वार्द्ध में रोज़गार अवसरों की वृद्धि दर संतोष-जनक थी अर्थात् तीसरी पंच वर्षीय योजना अवधि में यह दर 6.8 प्रतिशत थी किन्तु 1964-65

से यह दर घटनी आरम्भ हो गई थी तथा 1967-68 में यह नगण्य ही रह गई थी। विशेषकर औद्योगिक क्षेत्र में हुई धीमी प्रगति से ही रोजगार अवसरों में कमी हुई है।

श्री कृष्णमेनन ने अपने भाषण में आंकड़े प्रस्तुत किये हैं। भारत में इस समस्या का अत्यन्त गम्भीर पहलू यह नहीं है कि लोग पूरी तरह बेरोजगार हैं अपितु यह है कि लोगों को पूरा रोजगार नहीं मिला है। अतः समस्या की सीमा बताना कठिन है। माननीय सदस्य जानते हैं कि इस तथ्य का निरुपण कुछ समय पूर्व एक विशेषज्ञ समिति द्वारा किया गया था। अतः विश्वसनीय आंकड़ों के न होने पर हमें अनिश्चित आंकड़ों से चिंतित नहीं होना चाहिये। इस समस्या पर सदन तथा सदन से बाहर भी चिंता व्यक्त की गई है। मैं स्वयं भी इस समस्या से चिंतित हूँ क्योंकि मैं मानती हूँ कि जन शक्ति का उपयोग न किया जाना मूल्यवान राष्ट्रीय संसाधन का अपव्यय मात्र है। शिक्षित नई पीढ़ी जिन गम्भीर कठिनाइयों का सामना कर रही है मैं उनसे अपरिचित नही हूँ।

राष्ट्रपति के अभिभाषण में हमने 'परायेपन' शब्द का उल्लेख किया है। सम्भवतः सभी प्रकार की परायेपन की भावनाओं में, उन योग्य युवकों और युवतियों में निरुत्साह की भावना सबसे अधिक खतरनाक होती है जिन्हें उत्पादक रोजगार से वंचित रहना पड़ता है। यह अर्थ-व्यवस्था तथा मानव के लिए दुःखद घटना है। यदि हमारी सामाजिक व्यवस्था के अन्तर्गत ऐसे व्यक्तियों के लिए कोई स्थान नहीं है तो हम उनके लिये चिंता व्यक्त करने की दुहाई नहीं दे सकते हैं।

जो व्यक्ति यह अनुभव करने लगते हैं कि समाज को उनकी कोई आवश्यकता नहीं है तो वे परायेपन की भावना से ग्रस्त हो जाते हैं। किन्तु कुछ व्यक्ति अन्य प्रकार से भी विदेशी बन जाते हैं जैसे कि नक्सलवादी। कुछ विशेषज्ञ अथवा ऊँचा प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्ति भी स्वदेश में विभिन्न कठिनाइयों का मुकाबला करने तथा अपनी संतान के लिये अच्छी परिस्थिति उत्पन्न करने में सहायक होने की अपेक्षा अच्छे अवसर तथा अधिक आय प्राप्त करने के लिये विदेशों में रहना पसंद करते हैं। मुझे पूरी आशा है कि भारत अन्ततोगत्वा ऐसे लोगों को पुनः स्वदेश में वापस लाने में सफल होगा जो स्वयं को विदेशी या पराया मानते हैं।

कुछ माननीय सदस्यों ने ऐसे लोगों को भत्ते देने की मांग की है जो बेरोजगार हैं। मेरे विचार से उनकी समस्या का यह उपयुक्त समाधान नहीं है। हमें उनको ऐसी सहायता पर निर्भर नहीं होने देना चाहिए। हमें उनको रोजगार देने का प्रयत्न करना चाहिये जिससे उनकी आवश्यकताएं पूरी हो सकें। इस प्रयोजन के लिए हमें यथासम्भव संसाधनों को जुटाना चाहिये तथा सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों में पूंजी-निवेश के स्तर को बढ़ाना चाहिये। हमें योजना का पुनः अवलोकन इस दृष्टिकोण से करना चाहिये कि हमारे विकास कार्यक्रम रोजगार प्रधान हों। मैं इस विचार से भी पूरी तरह सहमत नहीं हूँ कि यदि हम योजना के प्रति सावधानी बरतेंगे तो रोजगार की समस्या स्वयं ही हल हो जायेगी। मैं इस बात को पूरी तरह समझती हूँ कि बेरोजगारी की समस्या इतनी गम्भीर और जटिल है कि उसे हल करने के लिये हमें विशिष्ठ उपाय करने होंगे। यह समझना होगा कि अधिक रोजगार-क्षमता वाले कार्यक्रमो कौन से हैं तथा उनकी क्रियान्विति पर विशेष बल देना होगा।

गत मई मास में सदन के समक्ष नये रूप में प्रस्तुत की गई योजना में इस प्रकार की कुछ योजनाओं के सम्मिलित किया गया है। सदन को छोटे किसानों, भूमिहीन मजदूरों आदि से सम्बन्धित योजनाओं का पता ही है। अब योजना की क्रियान्विति आरम्भ हो चुकी है। योजना अवधि के दौरान विशेष कार्यक्रमों के लिये 235 करोड़ रुपयों की व्यवस्था की गई है। छोटे किसानों तथा कृषि मजदूरों के लिए परियोजनाओं को लगभग 300 करोड़ रुपयों की वित्तीय संस्थानों से अतिरिक्त सहायता मिलेगी। इसी प्रकार बारानी खेती के लिये लगभग 150 करोड़ रुपयों की सहायता दिये जाने की सम्भावना है। गत सप्ताह प्रस्तुत किये गये बजट में वित्त मंत्री ने 50 करोड़ रुपयों की व्यवस्था की और भी संकेत किया है।

मैं जानती हूँ कि प्रायः सभी माननीय सदस्यों ने यह आपत्ति की है कि यह राशि कम है। मैं उन्हें याद दिलाना चाहती हूँ कि इस जोरदार कार्यक्रम के अन्तर्गत आने वाले कार्यक्रम अतिरिक्त रोजगार के अवसर बनाने से सम्बन्धित अन्य कार्यक्रमों के अनुपूरक हैं। सार्वजनिक सभाओं में भाषण देते हुये मैंने घोषणा की है कि ये कार्यक्रम शीघ्र ही आरम्भ कर दिये जायेंगे। श्री वाजपेयी की सूचनार्थ में बताना चाहती हूँ कि इन कार्यक्रमों से सम्बन्धित सभी योजनायें और तैयारियां पूरी हो चुकी हैं तथा कुछ ही दिनों में उनकी क्रियान्विति आरम्भ हो जायेगी।

इस कार्यक्रम को हम बहुत व्यापक बनाना चाहते है। जैसा कि में कह चुकी हूँ की इन कार्यक्रमों का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में अधिक से अधिक रोजगार के अवसर प्रदान करना है किन्तु प्रस्तावित निर्माणकार्यों में शिक्षित व्यक्तियों, तकनीसियनों तथा इन्जीनियरों को भी अवसर प्रदान किये जायेंगे।

हमें इस वात का ध्यान है कि शिक्षित बेरोजगारों को वड़ी संख्या में रोजगार देने के लिए अन्य कार्यक्रम भी बनाने हैं। इसके लिए शिक्षा तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य जैसी क्षेत्रों के लिए योजना परिव्यय में वृद्धि की जानी चाहिये। शिक्षित बेरोजगारों की समस्या के लिये सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों में अधिक से अधिक पूंजी लगाकर औद्योगिक प्रगति में वृद्धि करना ही अत्यन्त प्रभावोत्पादक समाधान है।

इस प्रश्न के साथ ही सरकारी अथवा गैर-सरकारी क्षेत्र में पूंजी निवेश के स्तर को ऊंचा करने का राष्ट्रीय महत्व का प्रश्न भी जुड़ा हुआ है। अधिक पूंजी निवेश की सम्भावना तभी हो सकती हैं जब कार्यकुशलता तथा उत्पादिता में सभी ओर प्रगति होगी। उत्पादन में वृद्धि होने पर ही हम बचत के रूप में उपलब्ध पूंजी को अन्यत्र लगा सकते हैं। अतः रोजगार प्राप्त व्यक्तियों का बेरोजगारों के प्रति यह कर्तव्य है कि वे उत्पादित्त में वृद्धि करें। श्री खाडिलकर ने सदन को बताया है कि सरकार धार्मिक संघों के नेताओं तथा प्रवन्धकों के प्रतिनिधियों के साथ इन प्रश्नों पर विचार-विमर्श करना चाहती है जिससे उत्पादित के स्तर में वृद्धि करने के सम्बन्ध में उनका सहयोग और सहायता मिल सकें।

कई माननीय सदस्यों ने पश्चिम बंगाल में कानून और व्यवस्था के सम्बन्ध में उल्लेख किया है। श्री पी०आर० दास मुन्शी ने अपने व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर बड़ा मार्मिक भाषण दिया है। सरकार इस बात के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है कि वहाँ हिंसा को समाप्त किया जाये,

चाहे उसके लिये कोई भी व्यक्ति उत्तरदायी हो तथा उनके पीछे कोई भी उद्देश्य हो। हमने हिंसा को रोकने के लिये ही उपयुक्त कार्यवाही की है तथा करते रहेंगे। पश्चिम बंगाल की स्थिति केवल पुलिस द्वारा हल नहीं की जा सकती। हमें पता है कि इस सम्बन्ध में अन्य उपाय भी किये जाने चाहिये तथा हम उनकी अपेक्षा नहीं कर रहे हैं।

कलकत्ता तथा उनके आसपास के स्थानों का पुनुरुत्थान करने के लिये बहुत बल दिया गया है तथा बंगाल के अन्य भागों का विकास करना भी उतना ही महत्वपूर्ण समझा गया है। राष्ट्रपति शासन के दौरान भूमि-सुधार कानून को जनता की आकांक्षाओं और सामाजिक न्याय की आवश्यकताओं के अनुकूल बनाने के लिये पहला कदम उठाया गया था। अन्य सरकारों से भी ऐसा ही करने का निवेदन किया जा रहा है

कुछ माननीय सदस्यों ने अपने भाषणों तथा संशोधनों में केन्द्र और राज्य के सम्बन्धों, विशेषकर वित्तीय सम्बन्धों का उल्लेख किया है। केन्द्र-राज्य सम्बन्धों के विषय पर कई अवसरों पर लम्बे वाद-विवाद हुये हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद् की बैठकों तथा मुख्य मंत्रियों की बैठकों में भी इस समस्या पर विचार-विमर्श किया गया है। उनका वित्त आयोग, प्रशासनिक सुधार आयोग तथा अन्य स्तरों पर भी हाल ही में अध्ययन किया गया है। मेरे विचार से शक्तियों के बंटबारे से सम्बन्धित योजना में हमारे संविधान में राज्यों तथा केन्द्र के लिये उपयोगी व्यवस्था की गई है। इसमें समस्याओं को हल करने के लिये वित्तीय व्यवस्था विद्यमान हैं। संविधान में विशेषकर यह भी व्यवस्था है कि राज्य और केन्द्र के बीच वित्तीय सम्बन्धों का समय-समय पर वित्तीय आयोग द्वारा पुनरीक्षण किया जाना चाहिए। आयोग के पंचाट के अन्तर्गत केन्द्र से राज्यों को भारी संसाधन हस्तांतरित किये जा रहे हैं।

सहयोग के बिना केवल नियमों के सहारे कोई भी संघ सफल नहीं हो सकता। समय समय पर सभी राज्यों से बहुत सी वित्तीय कठिनाइयों के बारे में समस्याएं उत्पन्न होती रही हैं; चाहे वहां किसी भी दल की सरकार रही हो अतः समस्या यह नहीं है कि केन्द्र सरकार किसी राज्य के साथ भेदभाव पूर्ण रवैया अपनाता अपितु समस्या यह है कि केन्द्र तथा राज्य परस्पर मिल कर जनता की न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये अधिक से अधिक ससाधनों को जुटाने में किस प्रकार प्रयत्न कर सकती हैं। राष्ट्रीय एकता में रुचि रखने वाले सभी व्यक्तियों को केन्द्र और राज्य के सम्बन्धों को ऐसा बनाने का प्रयत्न करना चाहिये जिससे राष्ट्रीय निर्माण के कार्य में उनका पारस्परिक सहयोग मिल सके।

जिन प्रयत्नों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है राष्ट्रपति ने सदन के सदस्यों से उनमें सहायता देने का अनुरोध किया है। मैं भी उस अनुरोध को दोहराती हूँ। प्रजातन्त्र प्रणाली क्या एक उपदेश यह भी है कि देश के हित की सभी को चिन्ता होनी चाहिये। हम चाहे यहाँ पर अथवा सदन से बाहर एक दूसरे की आलोचना करें किन्तु हमें देश की समृद्धि के लिए कार्य मिलकर करना चाहिये।

श्री इन्द्रजीत गुप्ता (अलीपुर) : पूर्व बंगाल की स्थिति के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (ग्वालियर) : प्रधान मन्त्री को वहां की नवीनतम स्थिति के बारे में कुछ बताना चाहिये क्योंकि आज सभा स्थगित हो रही है।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : मैंने जानबूझ कर इस विषय को नहीं उठाया। इस सम्बन्ध में हमें गहरी चिन्ता है तथा मैं नहीं समझती कि इस अवसर पर क्या कहूँ। **(व्यवधान)** सभा में ऐसे मामलों पर विचार-विमर्श करना कुछ कठिन है। समाचार पत्रों के माध्यम से माननीय सदस्यों को सभी जानकारी है। वहां अभी लड़ाई चल रही है तथा वहां की जनता भारी कठिनाईयों का सामना कर रही है। पारित करके हमने अपनी भावनाओं को शिष्टता पूर्वक व्यक्त कर दिया है। यदि माननीय सदस्य विशेष जानकारी पाना चाहते हैं। तो विपक्षी दलों के नेता मुझसे मिल सकते हैं तथा बहां किसी भी प्रश्न का उत्तर प्राप्त कर सकते है।

अध्यक्ष महोदय : धन्यवाद प्रस्ताव के बारे में 265 संशोधन प्रस्तुत किये गये हैं। मैं उन सभी को मतदान के लिये रखता हूँ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा सभी संशोधन मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुये

The amendments were put and negatived.

श्री एस०एम० बनर्जी (कानपुर) : महोदय ! मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। आपको माननीय सदस्यों से पूछ लेना चाहिये था कि वे किन संशोधन को प्रस्तुत करना चाहते हैं। मैं चाहता था कि संशोधन संख्या 12 अलग से रखा जाये। मुझे अपने अधिकार से वंचित क्यों रखा गया ?

अध्यक्ष महोदय : इस बात की जानकारी मुझे पहले मिलनी चाहिये थी। अब मैं अपना विषय नहीं बदल सकता। **(व्यवधान)**

श्री ए०के० गोपालन (पालघाट) : महोदय ! यह बहुत बुरी बात है। सदन में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ **(व्यवधान)**......मैं इसके विरोध में सभा से उठकर जाता हूँ।

श्री ए०के० गोपालन तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से उठकर बाहर चले गये

Shri A. K. Gopalan and some other hon. Members left the House.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है "कि राष्ट्रपति की सेवा में निम्नलिखित शब्दों में एक समावेदन प्रस्तुत किया जाये :—

> "कि इस सत्र में समवेत लोक-सभा के सदस्य राष्ट्रपति के उस अभिभाषण के लिये, जो उन्होंने 23 मार्च, 1971 को एक साथ समवत संसद की दोनों सभाओं के समक्ष देने की कृपा की है, उनके अत्यधिक अभारी हैं।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

इसके पश्चात् लोक-सभा मध्याह्न भोजन के लिये दो बजकर तीस मिनट म०प० तक के लिये स्थगित हुई)

(The Lok Sabha then adjourned for lunch till thirty minutes past fourteen of the Clock)

(मध्याह्न भोजन के पश्चात लोक-सभा दो बजकर तैंतीस मिनट म०प० पर पुनः समवेत हुई)

(The Lok Sabha reassembled after lunch of Thirty-three minutes past Fourteen of the Clock)

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए ।**
Mr. Deputy Speaker *in the Chair*]

निधन-सम्बन्धी उल्लेख

OBITUARY REFERENCES

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को यह सूचना देनी है कि मुझे श्री समर गुह, संसद सदस्य से यह सूचना मिली है कि श्री धीरेन्द्र नाथ दत्त की जो 1946-47 में संविधान सभा के सदस्य थे, पाकिस्तानी सेना ने पूर्व बंगाल स्थित कोमिला में हत्या कर दी है ।

इस दुःखद मृत्यु पर हमें गहरा दुःख है । स्वतन्त्रता प्राप्ति से पहले श्री दत्त ने स्वतन्त्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान दिया था तथा उसके पश्चात् पूर्व बंगाल के राजनीतिक क्षेत्र में वह एक विख्यात व्यक्ति थे । मुझे विश्वास है कि सभा श्री दत्त की दुःखद मृत्यु पर मेरे साथ मिलकर शोक प्रकट करेगी ।

सदस्यों को अपने विचार व्यक्त करने का अवसर देने से पुर्व मैं यह निवेदन कर देना चाहता हूँ कि पूर्व बंगाल की घटनाएं बहुत भावुकता जन्य हैं । किन्तु हमें इस दुःखद अवसर पर उन घटनाओं का उल्लेख नहीं करना चाहिये ।

इसके पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर के लिये मौन खड़े हुये

The Members then stood in silence for a short while

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमण्ड हार्बर) : महोदय ! मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । नवीनतम जानकारी के अनुसार 'सेन्टो' शक्तियां पश्चिम पाकिस्तान सरकार की सहायता कर रहीं हैं तथा पूर्व पाकिस्तान में हथियारों तथा गोलाबारुद से भरे हुये 65 जहाज आ रहे हैं । सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिये तथा सदन के समक्ष सम्पूर्ण घटना के प्रति सरकार को अपनी प्रतिक्रिया रखनी चाहिये ।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र-जारी

PAPERS LAID ON THE TABLE-Contd.

पश्चिमी बंगाल राज्य के सम्बन्ध में उद्घोषणा का प्रति संहरण

Revocation of proclamation in relation to West Bengal

गृह-कार्य मंत्रालय और इलेक्ट्रानिक्स विभाग, अणु शक्ति विभाग और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्रपन्त) : मैं संविधान के अनुच्छेद 356 (3) के अन्तर्गत, राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 के खण्ड (2) के अधीन जारी की गयी

दिनांक 2 अप्रेल, 1971 की उद्घोषणा की एक प्रति जो भारत के राजपत्र दिनांक 2 अप्रेल, 1971 म अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 493 में प्रकाशित हुई तथा जिसके द्वारा पश्चिमी बंगाल राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 19 मार्च, 1970 को जारी की गई उद्घोषणा को प्रतिसंहृत किया गया है, सभा-पटल पर रखता हूँ।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल०टी० 133/71]

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमण्ड हार्बर) : यह जनता द्वारा दिये गये निर्णय के साथ धोका है।***

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

श्रमिक भविष्य निधि विधि (संशोधन) विधेयक

LABOUR PROVIDENT FUND LAWS (AMENDMENT) BILL.

श्रम रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : इस समय औद्योगिक कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा के लाभ कुछ केन्द्रीय तथा राज्य अधिनियमों के अधीन उपलब्ध हैं। भविष्य निधि की संस्था लगभग 22 वर्ष से चल रही है। किसी औद्योगिक कर्मचारी की असामयिक मृत्यु पर उसके परिवार को लम्बी अवधि तक सुरक्षा प्रदान करने के विचार से कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत आने वाले समस्त कर्मचारियों के लिये जो अपने वेतन में से 8 प्रतिशत की दर से भविष्य निधि अंशदान कर रहे हैं, 1970-71 के बजट सम्बन्धी प्रस्तावों में एक परिवार पेंशन योजना की घोषणा की गई थी। जब श्रमिकों के प्रतिनिधियों ने सुझाव दिया था कि यह योजना :

(एक) कर्मचारी भविष्य निधि के उन सदस्यों पर जो 6-1/4 प्रतिशत की दर से अंशदान दे रहे हैं।

(दो) कोयला खान भविष्य निधि के सदस्यों पर जो पहले ही 8 प्रतिशत की दर से अंशदान दे रहे हैं,

लागू की जानी चाहिये तब इस योजना पर स्थायी श्रम समीति ने विचार किया था। सरकार ने उपयुक्त सुझावों को स्वीकार कर लिया है। सभा के समक्षप्रस्तुत विधेयक ने राष्ट्रपति के द्वारा फरवरी में जारी किये गये अध्यादेश का स्थान लेता है।इसके अन्तर्गत कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत आने वाले संस्थानों के समस्त कर्मचारियों के लिये एक परिवार पेंशन योजना लागू करने का प्रस्ताव है। इस योजना को कोयला खान भविष्य निधि के कर्मचारियों पर भी लागू किया जायेगा। इस उद्देश्य के लिये दोनों अधिनियमों में से प्रत्येक के अन्तर्गत मालिकों तथा कर्मचारियों द्वारा भविष्य निधि में किये गये अंशदान का एक भाग्य निकाल कर उससे, जिसमें केन्द्रीय सरकार द्वारा किया जाने वाला अंशदान भी शामिल किया जायेगा,

---

*** कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

*** Not recorded.

एक परिवार पेंशन निधि बनाने का प्रस्ताव है। जो कर्मचारी 25 वर्ष या उससे कम आयु पर परिवार पेंशन निधि के सदस्य बन जाते हैं, उन्हें निम्नलिखित लाभ होंगे।

(एक) ऐसे सदस्यों के परिवारों के सदस्यों को परिवारिक पेंशन दी जायेगी जो 60 वर्ष की आयु से पहले सेवा में रहते हुए मर जायें।

(दो) परिवारिक पेंशन के अतिरिक्त 60 वर्ष की आयु से पूर्व सेवा में रहते मृत्यु हो जाने की अवस्था में निधि के सदस्यों के परिवारों को अनिवार्य जीवन बीमा के अन्तर्गत 1000 रुपये का भी लाभ दिया जायेगा।

(तीन) 60 वर्ष की आयु पर सेवा निवृत्त हो जाने की अवस्था में कर्मचारी को एक मुश्त राशि दी जायेगी जो अधिकतम 4000 रुपये होगी।

जो व्यक्ति 25 वर्ष की आयु के बाद परिवार पेंशन निधि का सदस्य बन जायेगा, उसे परिवारिक पेंशन तथा अन्य लाभ निर्धारित दर के अनुसार मिलेंगे। अन्तर केवल इतना है कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी एक वर्ष के सेवाकाल के पश्चात परिवार पेंशन के हकदार हो जाते हैं जब कि प्रस्तावित योजना में कर्मचारी परिवार पेंशन निधि में दो वर्ष तक अंशदान करने के पश्चात ही पेंशन के हकदार हो सकते हैं। इस निधि में अंशदान करने के बाद यदि कोई सदस्य दो वर्ष की अवधि से पूर्व ही परिवार पेंशन निधि को छोड़ दे तो उसके द्वारा परिवार पेंशन निधि में किया गया अंशदान और उस पर 5-1/2 प्रतिशत अधिक ब्याज सहित उसको वापिस कर दिया जायेगा। 25 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद परिवार पेंशन निधि के सदस्य बनने वाले कर्मचारियों को परिवार पेंशन की दर केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की तुलना में कम रहेगी।

यह योजना क्रमशः न्यासी बोर्ड, कर्मचारी भविष्य निधि द्वारा कोयला खान भविष्य निधि तथा बोनस स्कीम अधिनियम, 1948 और कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत आने वाले श्रमिकों के लिये चलाई जायेगी। दोनों ही मामलों में प्रशासन का खर्च केन्द्रीय सरकार करेगी। प्रस्तुत योजना के अन्तर्गत परिवार पेंशन ठीक उस महीने के बाद वाले महीने से देय हो जाती है जिसमें निधि के सदस्य की मृत्यु होती है। कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम के अन्तर्गत आने वाले कोयला खान भविष्य निधि के लगभग 4 लाख सदस्यों तथा संस्थानों के 55 लाख कर्मचारियों को नई योजना से लाभ पहुँचेगा।

इस योजना की महत्वपूर्ण बात औद्योगिक कर्मचारियों के लिये सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी लाभों की व्यवस्था में केन्द्रीय सरकार द्वारा धन लगाया जाता है। इन सुविधाओं पर होने वाले व्यय के अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार प्रशासन पर होने वाले व्यय का भी भुगतान करेगी। सरकार की कुल सम्भावित देनदारी लगभग 16 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष हो जायेगी। कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 के अधीन कर्मचारियों की संख्या अधिक हो जाने के कारण देनदारी भी और बढ़ जायेगी।

प्रस्तुत विधेयक भविष्य निधि (संशोधन) अध्यादेश, 1971 का स्थान लेगा। मैं प्रस्ताव करता हूँ "कि कोयला खान भविष्य निधि और बोनस स्कीम अधिनियम, 1948 तथा कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ "कि कोयला खान भविष्य निधि और बोनस स्कीम अधिनियम, 1948 तथा कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

श्री रामनारायण शर्मा (धनबाद) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि कोयला खान भविष्य निधि तथा बोनस योजनाएं अधिनियम, 1948 तथा कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 में यह अग्नेतर संशोधन करने वाले विधेयक को निम्नलिखित 17 सदस्यों की प्रवर समिति को सौंप दिया जाये :—

1. श्री भागवत झा आजाद
1. श्री के० बालाकृष्ण
3. श्री मधु दंडावते
4. श्री वर्की जार्ज
5. श्री एम०एम० जोसेफ़
6. श्री आर०के० खाडिलकर
7. श्री राजा कुलकर्णी
8. श्री जी०एस० मेलकोटे
9. श्री जगन्नाथ मिश्र
10. श्री आर० बाल कृष्ण पिल्ले
11. मु० जमीलुर्रहमान
12. श्री सी०एम० स्टीफन
13. श्री तुलमोहन राम
14. श्री वयालर रवि
15. श्री आर०पी० यादव
16. श्री देवनन्दन प्रसाद यादव और
17. श्री राम नारायण शर्मा

उपाध्यक्ष महोदय : मूल प्रस्ताव तथा तथा प्रवर समिति को सोंपने वाला प्रस्ताव—दोनों सभा के समक्ष है।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : विभिन्न उद्योगों में लगभग 35 लाख श्रमिक नियुक्त हैं। उनमें से 21 लाख श्रमिक अपने वेतन की 6।। से 8।। प्रतिशत तक की राशि इस भविष्य निधि में जमा करवाते हैं। वे अपने जीवन की अनिवार्य आवश्यकताओं का परित्याग करके यह राशि देते हैं। यह अपनी वृद्धावस्था के लिए कुछ राशि जमा रखने के विचार से इस रकम को जमा करवाते हैं। वर्ष 1967-68 में भविष्य निधि लेखों की संख्या 32.63 लाख थी। परन्तु नियोजकों ने अपने हिस्से की राशि इस निधि में जमा नहीं करवाई। इस प्रकार की राशि बढ़ते-बढ़ते अब 14.87 करोड़ रुपये हो गई है। यह राशि केवल कुछ अवधि तक भुगतान न करने के कारण नहीं हुई है अपितु सरकार ने इस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया है। इतना ही नहीं कभी-कभी ये अपराधी 5 या 10 रुपये का जुर्माना दे कर छूट जाते हैं। राज्य सभा में

श्री भागवत झा आज़ाद ने बताया था कि इस प्रकार के अपराधियों को कड़ा दण्ड देने के लिये सरकार एक विधेयक पुरःस्थापित करेगी। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि उस विधेयक को लाने में अभी कितना समय लगेगा ? वर्ष 1968-69 में 21,000 मामले अनिर्णीत पड़े थे। अग्रिम राशि के लिये 5,000 आवेदन-पत्र अभी भी विचाराधीन हैं। बड़े-बड़े एकाधिकारवाहियों पर, जिनमें विदेशी एकाधिकारवादी में भी सम्मिलित हैं, सरकार कोई कार्यवाही नहीं करती। सरकार इस बात का पता लगाया जाना चाहिये कि उन्होंने कितनी राशि का गोलमाल किया है।

जो व्यक्ति अपने खून-पसीने की कमाई में से अंशदान करता है उसे प्रत्येक वर्ष के अन्त में एक विवरण मिलना चाहिये, जिसमें जमा कराई गई तथा निकाली गई राशि का लेखा-जोखा होता है परन्तु इस प्रकार का विवरण उसे कई वर्षों तक नहीं दिया जाता। लेखा बन्द होने की तिथि से तीन महीने की अवधि में इस प्रकार का विवरण देना अनिवार्य किया जाना चाहिये।

भविष्य निधि आयुक्त ने वक्तव्य दिया है कि भविष्य निधि में जमा करवाने वाले प्रत्येक कर्मचारी को पासबुक दिये जाने की बात पर विचार तक नहीं किया जा सकता। यह हैरानगी की बात है। इस प्रकार के कार्य से गोलमाल की राशि में वृद्धि नहीं होगी। ऐसा प्रतीत होता है कि इन गरीब लोगों के साथ धोखा करने वालों ने सरकार के साथ मिली भगत की हुई है। अन्यथा इस राशि में प्रत्येक वर्ष इतनी अधिक वृद्धि नहीं हो सकती। सरकार स्वयं यह अपराध कर रही है। इण्डिया इलैक्ट्रीक वर्क्स, जो एक सरकारी संस्था है, बन्द हो गई है और 2,000 श्रमिक बेरोजगार हो गये हैं और इनमें से 8 श्रमिकों ने आत्महत्या करली है क्योंकि उनके पास भूख से बचने का कोई साधन नहीं था। उन्होंने 18 लाख रुपये का अंशदान किया है परन्तु आज वे भूखे मर रहे हैं। मैं प्रधान मंत्री से कम से कम 20 बार मिल चुका हूँ परन्तु उसका कोई परिणाम नहीं निकला है। सरकार एक ओर सामाजिक लोकतन्त्र की बात कहती है, दूसरी ओर गोलमाल करने वाले इन बड़े उद्योगपतियों को संरक्षण प्रदान करती है। यह उचित नहीं है।

Shri K. M. Madhukar (Kesaria) : The Mill owners and capitalists exercise their influence over the Government machinery and as such they render even the good laws ineffective. There are several cases where the Provident Fund money has not been paid to the persons concerned.

The labourers are not in a position to pay their contribution towards Provident Fund as they are not getting even living wages. Before drafting the Bill Government should have kept in mind the minimum wage of the labourers. The Government should prepare and implement a scheme in such an effected manner whereby the upliftment of the labourers could take place in real terms nothing has been said about the extent of representation of the labourers in the Board whether is going to be constituted as a result of this Bill.

In other developing countries such as Ghana Malaysia and Ceylon even the small establishments with ten or twelve labourers are covered under such laws.

Nothing has been said as to how this Bill will be enforced effectively. In the absence of such measures I would say that it will meet the same fate as several other Bills have met. The amount of the Provident Fund is due even towards the Government establishments. May I know the steps being taken by this Government to ensure the timely

payment of the Provident Fund money from the private and public sector industries. Law breakers are not punished. They should be enforced strictly.

I welcome the Family Pension Scheme. The labourers die for want of medicines and nutritional food and as such there schemes remain on the paper so far as their effectiveness is concerned. Old age pension scheme should also be enforced so that in their time of need old persons may not have to depend upon others. Several labour organisation have sent a memorandum in this regard. I will request the Government to bring a comprehensive Bill in this regard keeping in view all these things. Share of the employees should be reduced and that of the employees should be increased towards the Provident Fund Scheme. The labourers should be represented in there schemes more effectively. The Central Government should also issue instructions to the State Government not to be influenced by the capitalists. The rate of interest on the amount of Provident Fund should also be raised. Exemption limit should also be reduced. I will request the hon. Minister to prepare some Scheme for those labourers who are not going to be covered under this Bill.

Shri Ram Sahai Pandey (Rajnandgaon) : The Provident Fund money deducted from the wages of the employees should be deposited in three days instead of thirty days as has been provided in the Bill. The defaulting employees should be treated as criminals and punished likewise. In this way there is less scope for them to misappropriate the funds.

I will request the hon. Minister to bring a special Bill for this purpose.

श्री मायाबन (चिदाम्बरम) : मैं श्रमिक भविष्य निधि विधिया (संशोधन) विधेयक का समर्थन करता हूँ। सरकार द्वारा इस विधेयक को इतनी जल्दी पेश किये जाने से इस बात का पता लगता है कि वह श्रमिकों की सहायता करने के प्रति गम्भीर हैं। विधेयक के कानून बनने पर यदि सरकार इसके उपबन्धों को प्रभावशाली ढंग से लागू करती है तो यह श्रमिकों के लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होगा।

अनेक मिल मालिक अपना अंशदान समय पर जमा नहीं कराते हैं। इसमें कभी कभी मजदूरों को बहुत कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। भविष्य निधि आयुक्त सीधे केन्द्रीय सरकार के अधीन है। इन योजनाओं को प्रभावशाली ढंग से चलाना सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी होनी चाहिए। मेरा प्रस्ताव है कि इन योजनाओं को चलाने के लिए राज्य सरकारों को पूरी शक्ति दी जानी चाहिए क्योंकि औद्योगिक संस्थान राज्यों में ही स्थित है और वही इन पर प्रभावशाली नियंत्रण रख सकते हैं। केन्द्रीय सरकार को राज्य सरकारों को पूरी सहायता देनी चाहिये जिससे कर्मचारियों के कल्याण के लिए योजनाएं प्रारम्भ की जा सके।

मेरा सुझाव है कि अनिवार्य बीमा की राशि 1,000 रुपये से बढ़ाकर 2,000 रुपये कर दी जानी चाहिए। परिवार पेंशन योजना के नियमों तथा विनिमयों को इस ढंग से बनाया जाना चाहिए जिससे कि मजदूर के परिवार के सदस्यों को लाभ हैं। श्रमिकों की पत्नियों को धन लेने के लिए अनेक फार्म भरने के लिए नहीं कहना चाहिए। इस सम्बन्ध में प्रक्रिया को सरल बनाया जाना चाहिए और लालफीताशाही को समाप्त किया जाना चाहिए। सरकार को इस बात को सुनिश्चित करना चाहिये। कि मजदूरों के परिवार को सहायता तुरन्त तथा आसानी से मिले।

श्री सी०एम० स्टीफन (मुवत्तुपुजा): इस विधेयक का उद्देश्य सीमित है । पेंशन योजना लागू करने हेतु ही कोयला खान भविष्य निधि तथा बोनस योजना अधिनियम में संशोधन किया जा रहा है इन अधिनियमों में विशेषकर राशि रकम करने सम्बन्धी उपबन्धों में बहुत त्रुटियां हैं । दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जानी चाहिए । इसके लिए भारतीय श्रम सम्मेलन में कुछ उपायों का सुझाव दिया गया था । मुझे आशा है कि माननीय मन्त्री अधिनियम में संशोधन करने हेतु आवश्यक उपाय करेंगे जिससे सरकार को पर्याप्त राशि उपलब्ध हो सके ताकि वह उपबन्धों को कठोरता से लागू कर सकें ।

मजदूरों को पेंशन देने के प्रश्न पर राष्ट्रीय श्रम आयोग द्वारा विचार किया गया था । इसमें सिफारिश की गई थी कि भविष्य निधि के कुछ भाग को पेंशन में बदल दिया जाये । परन्तु मजदूर को भविष्य निधि के रूप में 16 प्रतिशत भाग मिलना चाहिए अब किया यह जा रहा है अंशदान में वृद्धि नहीं की जा रही है और इससे मजदूरों को केवल 12 प्रतिशत ही मिलेगा मजदूर चाहते थे कि इनको भविष्य निधि के अतिरिक्त पेंशन का लाभ प्राप्त हो । इसके विकल्प में यह सुझाव दिया गया था कि अंशदान में वृद्धि कर दी जाये और इस बढ़े हुए अंशदान को पेंशन में बदल दिया जाये । परन्तु सरकार ने ऐसा नही किया ।

यह सच है कि संगठित मजदूरों को अधिक लाभ प्राप्त होगा परन्तु देश में बहुत से लोग बेरोगार हैं तथा लघु उद्योगों में हैं ऐसे मज़दूर है जिनका कोई संगठन नहीं है । उनके सामने ऐसी ही समस्यायें हैं ।मैं चाहता हूँ कि सरकार उनके लिए कुछ धन राशि दे ।

मेरा निवेदन है कि इस विधेयक पर पर्याप्त रूप से तथा उचित रूप से विचार नहीं किया गया है । यह ठीक है कि इस पर स्थायी श्रम समिति द्वारा विचार किया गया था । परन्तु इस समय भी योजना का ब्यौरा हमारे समक्ष नहीं है । ऐसा भी कोई उपबन्ध नहीं है जिससे यह योजना पुनः सभा के समक्ष आ सके । मैं चाहता हूँ कि सरकार इस पर कुछ और ध्यान दें तथा श्रम आयोग की सिफारिशों तथा संगठित मजदूरों की सामुहिक इच्छा का उलंघन न करे ।

Shri Hukam Chand Kachwai (Morena) : I support this bill. But I would say one thing that it should have come 10 years earlier.

About the bill I want to say that it should not be joined with Provident Fund. It would have been better if Family pension bill was brought separately. The amount of one thousand as compensation at the time of death is not sufficient. It should be at least three thousand. Arrangements should also be made to give employment to one of the family members of the deceased.

In the amount of Rs. 4,000/- given at the time of retrenchment and retirement their own money should not be added into it. It should also be implemented in other industries like Bidi and Agarbatti workers.

The question of gratuity is very ambiguous. There should be the provision of giving gratuity to the workers at the time of retrenchment or when a worker leaves his job at his own sweetwill.

The worker should get unemployment allowance when his services are dispensed with and until he gets other employment. This arrangement should be made by the Government.

There should be co-ordination among pension, gratuity, provident fund and insurance schemes.

The employers even get the money deducted from the pay of the workers as their contribution towards provident fund. They do not deposit the amount and when they are tried in the court, only a nominal penalty of Rs. 1000, is imposed on them. I would like to suggest that a severe punishment should be given to the offenders. They should be asked to deposit this money with in three days.

There should be lenient rules of giving loans to the workers. They should not face any difficulty in getting loan.

Shri M. R. Gopal Reddy (Nizamabad) : Sir, I want to say only one thing and that is that when now the value of the money is less than what is before the workers should not be paid at the old rate at the time of that retirement.

श्री आर० के खाडिलकर : जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि इस योजना का उद्देश्य औद्योगिक कर्मचारियों के सामाजिक हितों में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को अपना योगदान देने की व्यवस्था करना है । यह तो आरम्भ है ।

कुछ कमियां भी बताई गई है । हम उन्हें दूर करने का प्रयत्न करेंगे ।

इस तथ्य का प्रकटीकरण भी किया गया है कि रोजगार भविष्य निधि की बकाया राशि बढ़ती जा रही है । वास्तव में वह उतनी नहीं है जितनी की बताई गई है, वह केवल 15 करोड़ रुपये है न कि 17 करोड़ रुपये । हमें इस ओर ध्यान देना है कि बकाया राशि अधिक न बढ़े ।

राष्ट्रीय श्रम आयोग की सिफारिशों का हवाला देते हुए इस बात का सुझाव दिया गया था कि भविष्य निधि को 8 प्रतिशत से बढ़ा कर 10 प्रतिशत कर दिया जाना चाहिये और उस अतिरिक्त पैसे से पेंशन तथा बेरोजगारी बीमा आदि जैसी नई योजनाएं चलाई जानी चाहिये । मैं उन्हें बता दूं कि इन सिफारिशों पर सरकार विचार कर रही है ।

इन योजनाओं को अन्य उद्योगों में भी लागू करने की बात कही गई है । इन सभी सुझावों को ध्यान में रखा जायेगा तथा मैं सदन को इस बात का आश्वासन देता हूँ कि हम बढ़ती हुई बकाया राशि को तुरन्त वसूल करने के सम्बन्ध में बड़े चिंतित हैं और इसको कम करने की ओर प्रयत्नशील हैं ।

श्री पाण्डे ने वसूली तीन तारीख तक करने का सुझाव दिया है । यह एक अच्छा सुझाव है । हम स्वयं ऐसा संशोधन करने और कठोर दण्ड देने की व्यवस्था करने का विचार कर रहे हैं । तथा मैं बताना चाहता हूँ कि तत्सम्बन्धी कानून बनाते समय इन सभी सुझावों को ध्यान में रखा जायेगा । सर्कस कर्मचारियों का जिक्र भी किया गया । इस बात पर भी गौर करेंगे और देखेंगे कि इन कर्मचारियों को किस सीमा तक भविष्य निधि योजना में लाया जा सकता है ।

सामाजिक सुरक्षा देने वाले इस विधेयक को आने वाले समय में और आगे बढ़ाया जायेगा । इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक को पारित करने की सिफारिश करता हूँ ।

इस विधेयक की प्रवर समिति को सौंपने सम्बन्धी एक संशोधन पेश किया गया है। इस स्थिति में जबकि सदन आज स्थगित हो रहा है ऐसा करना सम्भव नहीं है। इसलिए हम इस बिल को आज पारित कर रहे है जिससे कि कल यह दूसरे सदन में भी पारित किया जा सके। अतः, मैं इस संशोधन को मानने में असमर्थ हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री आर०एन० शर्मा के संशोधन को प्रस्तुत करता हूँ।

श्री रामनारायण शर्मा : पर वह तो प्रस्तुत नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय के भाषण करने के पश्चात् मैंने उनसे पूछा था कि क्या वे अपना संशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं। तो आपने कहा था 'हां'। अब यदि वे चाहें तो सदन की आज्ञा से उसे वापिस ले सकते हैं।

श्री रामनारायण शर्मा : इसे अस्वीकार करने से पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय : व्यवस्था यह है कि मंत्री के प्रस्ताव प्रस्तुत करने के तुरन्त बाद संशोधन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है। मेरे पूछने पर उन्होंने 'हां' कहा था। संशोधन प्रस्तुत करने का यह अर्थ नहीं कि उन्हें भाषण देना आवश्यक है। उन्हें तर्क नहीं करना चाहिए। वे कृपया नियम सीखें क्योंकि वे अभी नये सदस्य हैं।

श्री रामनारायण शर्मा : मुझे कुछ कहने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : इस समय उसकी अनुमति नहीं दी जा सकती। मंत्री महोदय के उत्तर देने के बाद कोई भाषण नहीं हो सकता। माननीय सदस्य कृपया प्रक्रिया को समझें और सीखें।

अब मैं श्री रामनारायण शर्मा के संशोधन को सभा के मतदान के लिये रखता हूँ !

विधेयक को प्रवर समिति को सौंपने का श्री रामनारायण शर्मा का संशोधन सभा में मतदान के लिये रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

The amendment of Shri R.N. Sharma was put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है। "कि कोयला खान भविष्य निधि तथा बोनस स्कीम अधिनियम, 1948 को कर्मचारी भविष्य-निधि अधिनियम, 1952 में और संशोधन करने वाले विधेयक विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम खण्डों पर विचार करेंगे।

खण्ड 2 (विधेयक के नाम में संशोधन)

श्री कमला मिश्र मधुकर : मैं अपना संशोधन संख्या 3 प्रस्तुत करता हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 3 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

The amendment was put and negatived

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है। "कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 2 was added to the Bill

खण्ड 3-7 विधेयक में जोड़ दिये गय

Clauses 3-7 were added to the Bill

खण्ड 8

श्री कमला मिश्र मधुकर : मैं अपने संशोधन संख्या 4, 5 और 6 प्रस्तुत करता हूँ ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 4, 5 और 6 मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुये ।

The amendments were put and negatived

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है : "कि खण्ड 8 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 8 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 8 was added to the Bill

खण्ड 9-10 विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clauses 9-10 were added to the Bill

खण्ड 11

श्री कमला मिश्र मधुकर : मैं अपना संशोधन संख्या 7 प्रस्तुत करता हूँ :

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 7 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

The amendment was put and negatived

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है। "कि खण्ड 11 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 11 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 11 was added to the Bill

खण्ड 12-17 विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clauses 12-17 were added to the Bill

खण्ड 18

श्री कमल मिश्र मधुकर : मैं अपना संशोधन संख्या 8 प्रस्तुत करता हूँ ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 8 मतदान के लिये रखा गया और अस्वीकृत हुआ ।

The amendment was put and negatived

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है । "कि खण्ड 18 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 18 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 18 was added to the Bill

खण्ड 19-32 विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clauses 19-32 were added to the Bill

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दियें गये ।

Clause 1, the Enacting Formula and Title were added to the Bill

श्री आर०के० खाडिलकर : मैं प्रस्ताव करता हूँ । "कि विधेयक को पारित किया जाये"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ । "कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

Shri R. N. Sharma (Dhanbad) : Mr. Deputy Speaker, Sir, two Provident Fund Acts are being amended by Family Pension Scheme Bill. I suggest that Government should have come forward with one Bill for all the three amending Acts and that too in next session. The Government is committed to make provision in regard to strict legislation for the recovery of provident fund contribution. The Coal Mines Provident Fund and Central Provident Fund trusts have also recommended that recovery procedure should be made more strict.

The figures supplied by the Government relate to Employees Provident Fund but the figures of Coal Mines Provident Fund have not been given in this house. I want to tell that in the amount of 100 crores of Rupees which is to recovered, 20 crores of Rupees are only to be recovered regarding Coal Mines Provident Fund. There are 55 lakhs of workers in Employees Provident Fund. The responsibility for the implementation of these schemes is being entrusted on the employees of both trusts; The Members of the trust board are themselves defaulters. They themselves have not paid their contribution. May I know what efforts the defaulters will make for its recovery? Some legislation must be passed to restrict the number of the members of the trust for defaulters. There are Employees Coal Boards whose capital is less than the arrears of Provident Fund. The contribution of employees and that of employers are lying in the accounts of their companies for the last 6 to 7 years and even their interest has not been paid towards this. Even if these coalmines are auctioned, their sale will not be worth their recoveries. I can quote several such instances.

The Government should abide by the recommendations of National Commission of Labour and their contribution should be raised from 8 to 10 percent and from 6 to 8 percent. With these words, I support the Bill.

श्री एस०ग्रार० दामानी (शोलापुर) : अभी भले ही भविष्य निधि को बैंकों के चालू खाते में रखा जाये परन्तु मैं यह पूछना चाहता हूँ कि क्या भविष्य निधि को राष्ट्रीयकृत बैंकों के साबधि निक्षेप खाते में भी रखा जा सकता है क्योंकि ऐसा करने से मजदूरी को अधिक ब्याज प्राप्त हो सकेगा।

कुछ माननीय सदस्य : उठ खड़े हुये।

उपाध्यक्ष महोदय : आज हमें बहुत काम निपटाना है। गैर-सरकारी सदस्यों की कार्यवाही पर अन्त में विचार किया जायेगा।

श्री नरेन्द्र कुमार सांघी (जालौर) : मैं केवल इस बात का स्पष्टीकरण चाहता हूँ कि कुछ समय पूर्व सदन में यह बात कही गई थी कि एक कानून द्वारा ही कर्मचारी राज्य बीमा अंशदान और भविष्य निधि अंशदान काटा जा सकेगा। ऐसा कानून बनाने में सरकार को अब क्या कठिनाई है और वह कब तक बना दिया जायेगा।

Shri Ramavatar Shastri (Patna) : Mr. Deputy Speaker, Sir, I want to draw the attention of the hon. Minister towards the rude behaviour of the Officers of Regional or Central Provident Fund office. It is high time that the Government should pay proper heed to the 9 Point Charter of Demands submitted by the workers

श्री आर०के० खाडिलकर : मैं पहले ही कह चुका हूँ कि हम वर्तमान अधिनियम की कमियों को दूर करने का प्रयत्न करेंगे। हम माननीय मित्र श्री दामानी के सुझावों पर पूरा-पूरा ध्यान देंगे।

मैं बकाया धनराशि के आंकड़ों में एक शुद्धि की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। वर्ष 1968-69 में कोयला खानों की भविष्य निधि का बकाया 4.78 करोड़ रुपये था जो कि लगभग 5.53 प्रतिशत बनता है।

जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ हम इस योजना में काफी सुधार लाने का प्रयत्न करेंगे और जो भी सुझाव यहां दिये गये हैं, उन्हें विधेयक में निश्चित रूप से स्थान दिया जायेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है : "विधेयक को पारित किया जाये"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

सभा का कार्य

BUSINESS OF THE HOUSE

श्री सेझियान (कुम्बाकोणम) : इससे पूर्व कि अगली कार्यवाही आरम्भ की जाये, मैं आपका ध्यान आज की कार्य-सूची की ओर दिलाना चाहता हूँ। गैर-सरकारी सदस्यों को कार्यवाही का अन्त में रखा गया है और यह पूर्व निश्चित प्रथा के अनुकूल नहीं है। प्रायः 3 बजे या 3.30 बजे मध्याह्न पश्चात् गैर-सरकारी सदस्यों की कार्यवाही पर विचार किया जाता है।

आप पहले गैर-सरकारी सदस्यों की कार्यवाही को ले लीजिये और बाद का समय सरकारी कार्यवाही को दे दीजियेगा।

श्री कल्याण सुन्दरम् (तिरुचिरापल्ली) : इसके अतिरिक्त अभी नियम 193 के अन्तर्गत भी एक चर्चा होनी है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्यों की भावनाओं का आदर करता हूँ परन्तु नियमों के अन्तर्गत यह कहीं नहीं बताया गया है कि गैर-सरकारी सदस्यों की कर्यवाही किसी निश्चित समय पर होगी। उन नियमों के अन्तर्गत तो केवल इतना ही कहा गया है कि सदन शुक्रवार को कार्यवाही के अन्तिम ढाई घंटे गैर-सरकारी सदस्यों की कार्यवाही पर विचार करेगा। सरकारी कार्यवाही समाप्त करने के तुरन्त बाद हम इस पर विचार आरम्भ कर देंगे।

हिमाचल प्रदेश राज्य (संशोधन) विधेयक

STATE OF HIMACHAL PRADESH (AMENDMENT) BILL

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : श्रीमान्, मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1970 में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

5 जनवरी 1971 को राष्ट्रपति द्वारा जो अध्यादेश जारी किया गया था, उसी के स्थान पर प्रस्तुत विधेयक पेश किया जा रहा है। गत दिसम्बर में जब हमने चौथी लोक-सभा के समक्ष हिमाचल प्रदेश से सम्बद्ध विधेयक प्रस्तुत किया था तो हमें मालूम था कि जब तक हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा तब तक चौथी लोक-सभा भंग हो जायेगी। इसीलिए हमने यह व्यवस्था की थी कि हिमाचल प्रदेश से लोक-सभा के लिए निर्वाचित सभी छः सदस्य, अपने राज्य का प्रतिनिधित्व चौथी लोक-सभा होने तक करते रहेंगे। इसके साथ ही यह व्यवस्था भी की गई थी कि यह सभी सदस्य निर्वाचन आयोग के साथ राज्य की हदबंदी करने में भी सहयोग देते रहेंगे। हमारे सभी अनुमान ठीक निकले और हमें इस विधेयक के पास करते ही, आम चुनाव कराने पड़े। यह सभी सदस्य निर्वाचन आयोग को संसदीय चुनाव क्षेत्रों की हदबंदी करने में सहयोग देते रहे। राज्य विधान सभा के चुनाव क्षेत्रों की हदबंदी लोक-सभा के आम चुनावों के बाद होनी थी। इसीलिए हमने यह व्यवस्था कर दी कि पांचवी लोक-सभा के लिए निर्वाचित लोक-सभा के सदस्य इस हदबंदी के लिए आयोग को सहयोग देंगे। इन्हीं लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो अध्यादेश जारी किया गया था, वही अब विधेयक के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है।

Shri Phool Chand Verma (Ujjain) : Mr. Deputy Speaker, Sir, I welcome the bill regarding giving the status of statehood to Himachal Pradesh brought forward by the Government. At the same time I would also like to request the hon. Minister to decide about other Union territories in the same way.

Since the acquisition of Statehood, Himachal Pradesh was a Union Territory and the employees of that Union territory were getting more dearness allowance etc., then that of the Central Government employee's. I hope there will be no impairment in their allowances,

Statehood has not been granted to Delhi. The electorate of Delhi were assured that the statehood would be granted in case the ruling Congress Party won all the seven seats. I request the hon. Minister to fulfil this assurance otherwise people will be compelled to launch agitation and law and order problem will arise.

I must add one thing more. All the States which have been granted statehood by now have attained statehood on political grounds and not due to their problems. In future the Government must pay heed, while granting statehood to any state, towards the economical, geographical and industrial situation as well as the problems of Harijans, tribals and businessmen of that State. In this way the Government will achieve success otherwise if it is done under political pressure more and more states will be coming up creating problems,

Shri Pratap Singh (Simla) : Mr. Deputy Speaker, Sir, the President promulgated the Ordinance inregard to giving the status of a state to Himachal Pradesh. Now the bill has been brought forward before the House for enecting legislation in this regard.

I congratulate the Election Commission which bifurcated the Parliamentary constituencies (within a very short time. In future the number of constituencies) are likely to be increased from 60 to 68. The Election Commission must deal with this work immediately.

Many inadvertencies were there in the electrol rolls used during the last elections. The electrol rolls must be revised on the basis of the electrol rolls of the Panchayat.

श्री नारायण चन्द (हमीरपुर) : श्रीमन् यद्यपि हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया है तथापि बहुत से पर्वतीय क्षेत्र जो भाषा के अनुसार हिमाचल प्रदेश में आने चाहिये, उन्हें हिमाचल प्रदेश में नहीं मिलाया गया है अतः केन्द्रीय सरकार सीमा आयोग नियुक्त करने के पश्चात् कालका, नांगल, मुकेरियां और पठानकोट को जो औपचारिक रूप से कांगड़ा जिले के भाग थे हिमाचल प्रदेश में मिला दे।

इसी प्रकार आर्थिक समस्या को भी सुलझाया जाना चाहिये। रेलवे लाइन को ऊंचा और अन्त में नाँगल तक बढ़ायी जानी चाहिये।

सुरक्षा क्षेत्र होने के कारण हिमाचल प्रदेश में एक सैनिक स्कूल की भी मांग है जो शीघ्र पूरी की जानी चाहिये।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूँ इस विधेयक का उद्देश्य सीमित है। अतः माननीय सदस्यों द्वारा कही गई बातों की पुनरावृत्ति मुझे नहीं करनी है।

इस विधेयक पर चर्चा के दौरान मणीपुर, मेघालय और त्रिपुरा का भी उल्लेख किया गया है, हम देश के सम्पूर्ण उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के विकास और सुरक्षा के लिए ध्यान रखेंगे। कुछ प्रस्ताव विचाराधीन है और उन पर विचार के बाद हम इस सदन में उस बारे में कानून बनायेंगे।

जहां तक दिल्ली को पूरे राज्य का दर्जा देने का सम्बन्ध है, हम इस बात पर माननीय सदस्य से सहमत हैं कि आर्थिक आत्म-निर्भरता और जन-संख्या आदि के आधार पर इसे पूरे

राज्य का दर्जा दिया जाये । ऐसा न करने पर कानून तथा व्यवस्था बिगड़ जाने की धमकी से हम अपना निश्चय नहीं बदलेंगे ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (ग्वालियर) : मैत्री पूर्ण चुनौती है ।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : और मैत्री पूर्ण दबाव पर भी विचार नहीं किया जायेगा ।

Shri Phool Chand Verma (Ujjain) : We remind them their electoral provises.

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : माननीय सदस्य का यह कहना ठीक नहीं है कि हमने चुनाव के समय ऐसे कोई वायदे किये थे । मैंने यह नहीं कहा कि दिल्ली को राज्य नहीं बनाया जायेगा । यदि किसी ने कहा भी है तो मुझे इसकी जानकारी दें ताकि मैं अपने दल से जांच करु कि ऐसा किसने कहा था ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1970 में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम विधेयक पर खंडवार विचार करेंगे । कोई संशोधन प्रस्तुत नहीं किया गया है अतः मैं सभी खण्डों को एक साथ रखता हूं ।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1, 2, 3, 4 अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 1, 2, 3, 4 अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये

Clauses 1, 2, 3, 4 the Enacting Formula and the Title were added to the Bill

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

राष्ट्रपति के अभिभाषण के समय सदस्य का आचरण के बारे में प्रस्ताव

MOTION RE. CONDUCT OF MEMBER DURING PRESIDENT'S ADDRESS

श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा (जम्मू) : में प्रस्ताव करता हूँ :

"कि यह सभा श्री राम देव सिंह के आचरण का पुर जोर निरनुमोदन करती है, जिन्होने संविधान के अनुच्छेद 87 के अधीन 23 मार्च, 1971 को एक साथ समवेत संसद की दोनों सभाओं के समक्ष राष्ट्रपति के अभिभाषण के पुनीत अवसर पर, राष्ट्रपति के कार्य में बाधा डाली और उनके प्रति अनादर का भाव दर्शाया और यह सभा श्री राम देव सिंह के अवांछनीय, अभद्र तथा अशोभनीय व्यवहार की निन्दा करती है।"

मुझे सदन के समक्ष यह प्रस्ताव रखने में कोई प्रसन्नता नहीं है क्योंकि माननीय साथी सदन के सदस्य हैं। माननीय सदस्य ने 23 मार्च, 1971 को राष्ट्रपति के अभिभाषण के समय उनके प्रति अनादर का भाव दर्शाया।

गत आम चुनावों में भारत की जनता ने संसदीय प्रजातन्त्र में विश्वास को पुनः दृढ़ कर दिया है। उन्होंने अपने प्रतिनिधि चुन कर भेजे हैं। उन प्रतिनिधियों का कर्त्तव्य है कि वे सदन के कार्य में, चाहे वह लोक-सभा का सदन हो अथवा राज्य सभा का या दोनों सदनों की समवेत सभा हो, उचित आचरण से व्यवहार करे।

इस प्रकार के एक प्रस्ताव पर पहले भी भली भांति चर्चा हो जा चुकी है। वर्ष 1963 में एक समिति नियुक्त की गई थी तथा उस समिति ने सिफारिशें की थीं तथा 1966 में समिति द्वारा की गई सिफारिशों के बारे में एक ऐसे ही प्रस्ताव पर इस सदन में चर्चा की गई थी। अतः मेरा सदन से अनुरोध है कि वह इस बात पर गम्भीरता पूर्वक विचार करे।

यद्यपि 1963 में नियुक्त की गई समिति द्वारा कोई ऐसी सिफारिश नहीं की गई थी कि नियमों के अनुसार किस प्रकार का दंड दिया जाये। यह बात सदा सदन पर ही छोड़ दी जाती है। माननीय सदस्य द्वारा जान बूझ कर उस दिन राष्ट्रपति के अभिभाषण में बाधा डाली गई थी, इत बात पर गम्भीरता पूर्वक विचार करते हुये सदन को चाहिये कि वह यह तय करे कि माननीय सदस्य को किस प्रकार का दण्ड दिया जाये।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (ग्वालियर) : मैंने एक संशोधन की सूचना दी है।

श्री कल्याण सुन्दरम् (तिरुचिरापल्ली) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। दोनों सदनों की समवेत सभा में राष्ट्रपति का अभिभापण एक संवेधानिक दायित्व है परन्तु यह इस सदन की सभा नहीं है। अतः क्या यह सदम समवेत सभा में हुई घटना पर कार्यवाही कर सकता है? यदि राष्ट्रपति के अभिभाषण को इस सदन के सभा-पटल पर रखा जाता है तभी वह इस सदन की कार्यवाही का अंग बनता है। क्या यह सदन उस घटना पर कार्यवाही कर सकता है जो कहीं अन्यत्र हुई हो...... **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : अब शान्त रहिये। पहली बात तो यह है कि प्रस्ताव की उचित

सूचना दी गई थी तथा अध्यक्ष महोदय ने इसे विचार करके स्वीकार किया था। दूसरी बात यह है कि केन्द्रीय सभागार (सेन्ट्रल हाल) अध्यक्ष महोदय के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत है अतः यह प्रस्ताव कार्य सूची में है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : खड़े हुये।

उपाध्यक्ष महोदय : आपका संशोधन मेरे पास अभी ही आया है। नियमानुसार स्थिति यह है। मैं नियम पढ़ कर सुनाता हूँ। यह इस प्रकार है :

"यदि किसी विधेयक के खण्ड अथवा अनुसूचि पर संशोधन की सूचना उस दिन से एक दिन पहले नहीं दी जाती है जिस दिन उस विधेयक पर विचार होना होता है तो संशोधन के रखने पर कोई भी सदस्य आपत्ति उठा सकता है।"

श्री राम सहाय पाण्डे (राजनन्दगांव) : मुझे आपत्ति है।

उपाध्यक्ष महोदय : आपने इसे नियमानुसार पेश नहीं किया।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : यदि सदन इसे स्वीकार करता है तो हम इस पर कार्यवाही कर सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : इस सम्बन्ध में मुझे नियमानुसार कार्यवाही करनी चाहिये।

Shri Atal Bihari Vajpayee : I think there is a directive and according to that directive the chair may suspend the rule. Secondly, you want to take the opinion of the House but my amendment has not yet been cirulated. I want that amendment should be read out so that hon. members may know to what amendment they are opposing.

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे सदन का मार्गदर्शन चाहिये। नियम के अनुसार यदि कोई आपत्ति न हो तो मैं संशोधन स्वीकार कर सकता हूँ परन्तु इस पर आपत्तियां हैं अतः मुझे खेद है।

अटल बिहारी वाजपेयी : आपत्ति किस पर ?

श्री सन्त बख्श सिंह (फतेहपुर) : आपत्ति से पहले हम यह तो जानें कि संशोधन क्या है ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : सदन की राय लेने से पहले संशोधन को पढ़ तो दिया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरी समझ में नहीं आता कि आपत्ति करने से उनका क्या तात्पर्य है।

संसद-कार्य पोतपरिवहन तथा परिवहन मन्त्री (श्री राजबहादुर) : जहां तक सदन की गरिमा का सम्बन्ध है, हम सब सहमत संशोधन के बारे में ....

उपाध्यक्ष महोदय : हम इस समय संशोधन पर चर्चा नहीं कर रहे हैं।

श्री राज बहादुर : संशोधन के प्रस्तुत किये जाने पर हमें कोई आपत्ति नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या श्री राम सहाय पांडे अपनी आपत्ति वापस लेते हैं ?

श्री राम सहाय पांडे : जी हां मैं अपनी आपत्ति वापस लेता हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री अटल बिहारी वाजपेयी को संशोधन प्रस्तुत करने की अनुमति देता हू।

अटल बिहारी वाजपेयी : में अपना संशोधन संख्या 1 तथा 2 प्रस्तुत करता हूँ।

श्री ए० के गोपालन (पालघाट) : प्रस्ताव में स्पष्ट कहा गया था कि सदन माननीय सदस्य के आचरण और राष्ट्रपति के प्रति दर्शाये गये अनादर का निरनुमोदन करता है। मेरे विचार से राष्ट्रपति के प्रति अनादर का भाव नहीं दर्शाया गया था यदि राष्ट्रपति के प्रति अनादर व्यक्त किया जाता है तो इसके लिये सत्तारूढ़ दल उत्तरदायी होता है ऐसी स्थिति पहले भी उत्पन्न हुई थी और सत्तारूढ़ दल पुनः शान्ति बनाये रखने के लिये कोई प्रक्रिया अपनाने पर विचार कर सकता था अध्यक्ष महोदय भी वहां उपस्थित थे। उन्हें स्थिति पर नियन्त्रण करने प्राधिकार दिया जाना चाहिये था लेकिन न तो प्राधिकार दिया गया और न ही इस सम्बन्ध में कोई विचार किया गया।

प्रस्ताव का ध्येय विपक्षी दल को आतंकित करने का है। अतः इस प्रस्ताव को लाया गया है। जनता ने हमें निर्वाचित किया है। ऐसी कोई बात नहीं है। शोभा तथा गरिमा के लिये कोई नियम है। किसी के आचरण पर प्रश्न करना, एक कठिन स्थिति हो जायेगी।

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये**
Mr. Speaker *in the Chair*]

प्रत्येक सदस्य को अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार है। देश में बहुत सी अरुचिकर बातें सदन के बाहर हो रही है। कोई क्रोध भी करता है जो दूसरे को अच्छा नहीं लगता है। मैं प्रस्ताव का पूर्णतः विरोध करता हूँ।

श्री इन्द्रजीत गुप्ता : मैं प्रस्ताव का विरोध करता हूँ तथा श्री वाजपेयी द्वारा प्रस्तुत संशोधन का समर्थन करता हूँ।

इसमें कोई सन्देह नहीं कि उस दिन श्री रामदेव सिंह का व्यवहार अशिष्ट तथा अभद्र था किन्तु श्री गोपालन का यह कहना भी ठीक नहीं है कि चुंकि सभा से बाहर देश में कुछ विशेष घटनाएं हो रही है अतः जैसे भी कोई चाहे उन्हें उस अवसर विशेष पर किसी ढंग से उठा ले। यह उचित नहीं है। इस प्रकार तो दोनों सदनों के 750 सदस्य जिस किसी भी विषय को वह महत्वपूर्ण समझते हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण के समय उठा सकते हैं अतः ऐसी स्थिति में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के समय राष्ट्रपति के अभिभाषण की आवश्यकता नहीं रहेगी।

इस सभा के कुछ सदस्य जो चौथी लोकसभा के सदस्य रह चुके हैं यह अच्छी तरह जानते हैं कि किस प्रकार पिछली लोकसभा के कार्यकाल में अध्यक्ष की अवज्ञा की जाती थी

किन्तु तब इसके विरोध में कोई कार्यवाही नहीं की गई, क्या इसका कारण यह है कि सत्तारूढ़ दल को उस समय इतना अधिक बहुमत प्राप्त नहीं था जितना कि उसे आज प्राप्त है।

मेरे विचार में प्रक्रिया संबन्धी नियमों के अथवा संविधान में कुछ न कुछ कमी है। वैधानिक कार्य के लिए जब दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है तो लोकसभा के अध्यक्ष पीठासीन अधिकारी होते हैं। किन्तु जब दोनों सदनों की बैठक राष्ट्रपति के अभिभाषण के लिए होती हैं इस बारे में नियम स्पष्ट नहीं है कि बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा। क्या राष्ट्रपति उस समय पीठासीन अधिकारी होंगे ? उस दिन कुछ ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी गई थी कि ऐसा लगता था कि राष्ट्रपति ही पीठासीन अधिकारी हैं जबकि मेरे विचार में राष्ट्रपति का यह कार्य नही है किन्तु दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के समय जिसमें राष्ट्रपति अपना अभिभाषण दे रहे हों लोकसभा के अध्यक्ष की क्या स्थिति होगी क्या उस समय भी वह पीठासीन अधिकारी होंगे इस सम्बन्ध में कहीं भी स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहा गया है अतः नियमों की इस कमी को दूर किया जाना चाहिए अन्यथा हमें इससे भी अधिक कठिन तथा गम्भीर स्थिति का बार-बार सामना करना पड़ेगा।

मैं कुछ माननीय सदस्यों द्वारा उठाये गए इस विशिष्ट विषय की लाभ हानियों मे नहीं जाना चाहता किन्तु यह आशा करता हूँ कि एक दिन अवश्य आएगा जब राष्ट्रपति अपनी मातृ-भाषा में ही अभिभाषण देंगें और तब उसके भाषान्तरण की सुविधा भी प्रदान की जाएगी और सदस्यों को उसे समझने में किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होगी हमें इस तथ्य की ओर भी ध्यान देना चाहिए कि श्री रामदेव सिंह एक नए सदस्य है। शायद यह उस तरह का व्यवहार न करते यदि उनके दल के वरिष्ट नेता उन्हें ऐसा करने के लिए प्रोत्साहन न देते। में उनका नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि वह इस सभा के सदस्य नहीं है किन्तु निश्चय ही मैं उन्हें माफ नहीं कर सकता हमें थोड़ा यथार्थवादी भी बनना चाहिए अतः में सरकार से प्रार्थना करता हूँ कि वह अपना प्रस्ताव वापिस ले लें तथा श्री वाजपेयी द्वारा प्रस्तुत संशोधन को स्वीकार कर ले, संशोधन काफी उचित है क्योंकि इसमें यह बात नीहित है कि जो समिति नियुक्त की जाएगी वह श्री रामदेवसिंह के आचरणों की जाँच करने के अतिरिक्त इस व्यापक प्रश्न की भी जाँच करेगी कि जब राष्ट्रपति दोनों सदनों के समक्ष अपना अभिभाषण देते हैं तब इस सम्बन्ध में जो प्रक्रिया निर्धारित की गई है क्या वह सभी आकस्मिकताओं के लिए पर्याप्त है अथवा नहीं और क्या इस प्रक्रिया में कुछ त्रुटियां या कमियां हैं?

हम संशोधन का समर्थन करते हैं।

श्री के० मनोहरन (मद्रास दक्षिण) : इस प्रस्ताव के प्रस्तावकों में से मैं भी एक हूँ। मुझे ज्ञात हुआ है कि श्री राम देव सिंह नये सदस्य हैं। एक माननीय सदस्य ने कहा है कि कि यदि राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को भाषण कर रहे हैं। तो भी सदस्यों को अपनी बात कहने का अवसर दिया जाना चाहिये। मैं उनकी इस बात से सहमत नहीं हूँ। संसद् के किसी भी सदन में जब राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा हो रही होती है। उस समय सदस्यों को बोलने का अवसर मिलता है। अतः हमें आचरण के नियमों का पालन करना चाहिए।

मुझे ज्ञात हुआ है कि वह नये सदस्य हैं परन्तु उन्होंने यह अपराध किया है। उन्हें यह मालूम नहीं था कि ऐसा आचरण कितने गम्भीर स्वरूप का है अतः सदन को उनके आचरण के लिए उन्हें क्षमा कर देनी चाहिये। केवल इसी कारण श्री वाजपेयी जी द्वारा प्रस्तुत किए गये संशोधन को मैं स्वीकार करता हूँ।

जब संसद् के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति अभिभाषण करते हैं तो उसमें बाधा डालना न केवल अवसर की पवित्रता को ही नष्ट करना है अपितु एक भयावह तथा घृणास्पद प्रथा आरम्भ करना भी है।

ऐसी घटना ..। बार पहले भी घटी थी और वर्ष 1963 में एक समिति नियुक्त की गई थी जिसकी सिफारिशें 1968 में सदन द्वारा स्वीकार कर ली गई थी।

मेरा विश्वास है कि जो नियम बने हुये हैं उनका पालन करने की हमें आदत डालनी चाहिये।

श्री आर० डी० भण्डारे (बम्बई-मध्य) : कतिपय माननीय सदस्यों ने इस सम्बन्ध में संवैधानिक महत्ता के बारे में कुछ बातें कहीं। परन्तु किसी भी सदस्य, चाहे वह नये हों अथवा सबसे वरिष्ठ, का गलत आचरण क्षम्य नहीं होना चाहिए। मैं कुछ दूसरे कारणों से संशोधन का समर्थन करता हूँ।

पहली बात तो यह है कि हमें सदस्य को स्पष्टीकरण देने का अवसर देना चाहिए। यदि सदस्य को यह अवसर नहीं दिया जायेगा तो इसका अर्थ माननीय सदस्य की भर्त्सना करना होगा। अतः यदि समिति गठित की जाती है तो सदस्य स्पष्टीकरण दे सकते हैं।

दूसरी बात यह है कि इस बात से कोई इन्कार नहीं करता है कि उनका आचरण स्वतः उपेक्षा है क्योंकि यदि वह समिति के समक्ष क्षमा याचना करते हैं तो इस मामले का अन्त हो जाता है।

तीसरा कारण यह है कि यदि वह बिना किसी शर्त के क्षमा याचना करते हैं तो इसका प्रभाव अन्य सदस्यों पर भी होगा। इन तीन कारणों से मैं संशोधन का समर्थन करता हूँ।

श्री श्याम नन्दन मिश्र (बेगूसराय) : दोनों सदनों के समक्ष राष्ट्रपति के भाषण के समय हुई गड़बड़ी की बात बड़ी ही खेदजनक है। पर उसके ही साथ मुझे उस घटना में राष्ट्रपति के स्वयं भाग लेने का भी खेद है। हमें राष्ट्रपति के स्थान की महानता का मान है पर साथ ही हम यह भी चाहते है कि सदस्यों के सम्मान की भी रक्षा की जाये। पर कभी-कभी ऐसा लगता है कि सदस्यों के सम्मान की रक्षा नहीं हो रही है। मैं अपने मित्र के इस कथन से सहमत हूँ कि हम यहां सार्वजनिक कर्त्तव्य निभाने आते हैं। और यदि हमें यहां अपने भाव व्यक्त करने का साधन नहीं मिलता तो फिर हमारा नाराज होना स्वाभाविक है।

इसके लिये जब हमें सामान्य मार्ग नहीं मिलता तो विचारों का विस्फोट होता है। जो समिति इस घटना की जांच करने जा रही है वह इस सबको ध्यान में रखे।

मैं अपने आपको एक अजीब सी स्थिति में पाता हूँ। राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण के आरम्भ के वाक्य में कहा कि यह हमारे गणतंत्र की पाँचवी संसद का संयुक्त सत्र हैं। यहां हम संयुक्त बैठक से तो परिचित हैं पर संयुक्त सत्र से नहीं। यह एक संविधानिक प्रश्न है। अब यह आपके निर्देष के लिए है कि क्या संयुक्त सत्र का अर्थ संयुक्त बैठक से ही है। यदि हम राष्ट्रपति के शब्दों को सही माना जायें तो यह अध्यक्ष महोदय का अपना कर्त्तव्य भली प्रकार न निबाहना होगा। अध्यक्ष महोदय आप यह कह सकते हैं कि यह किसी छोटी सी बात को मूल देना है। यदि यह एक गलती है तो अभि भाषण का प्रारूप बनाने वाले को इनके लिये जिम्मेदार ठहराना चाहिये तथा इस गलती को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया जाना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : आप अंग्रेजी के अच्छे विद्वान हैं पर अब आप संविधान और कानून कि जटिलताओं में फंस रहे हैं।

श्री श्याम नन्दन मिश्र : मैं 21 वर्ष से सदस्य रहा हूँ और मैंने अंग्रेजी कार्य नहीं वरन् संविधान की समस्याओं का भी अध्ययन किया है। मैं आपका ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूँ यह प्रस्ताव वहा इकट्ठे हुये लोगों से सम्बन्धित है। इसलिये या तो राष्ट्रपति के अभिभाषण के अनुरूप करने के लिये प्रस्ताव में परिवर्तन किया जाये अथवा उन्हें संयुक्त सत्र नहीं कहना चाहिये था।

जैसा कि श्री इन्द्रजीत गुप्त ने कहा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में आपस में एक अन्तर बना रहता है। हमें इस अन्तर को समाप्त करना है। ऐसा ही एक मामला जब राजस्थान विधान सभा में उठा था तो उसे राजस्थान उच्चन्यालय के समक्ष लाया गया था। पर मामला विशेषाधिकार समिति के समक्ष होने के कारण न्यायालय ने इस पर अपना कोई फैसला नहीं दिया।

हमें सम्बन्धित व्यक्ति श्री राम देव सिंह को सुनने का अवसर भी नहीं दिया गया। साथ ही जहां तक हमें याद पड़ता है उस अवसर पर माननीय राष्ट्रपति ने भी कुछ आदेश दिया था। अत. यह एक गम्भीर मामला है और हमें यह देखना है कि क्या राष्ट्रपति का कोई आदेश देना विधि सम्मान था। इसलिये श्री अटल बिहारी वाजपयी के संशोधन के अनुसार जो समिति के नियुक्त किए जाने की प्रार्थना की गई है वह इस मामले की पूरी-पूरी और विस्तृत जाँच करे। इन शब्दों के साथ मैं श्री वाजपयी के संशोधन का समर्थन करता हूँ और आशा करता हूँ यह समिति पिछली चार समितियों की तरह नहीं होगी।

डा० कर्ण सिंह (बीकानेर) : उस दिन जो कुछ हुआ मैं उनकी गम्भीरता समझता हूँ पर मुझे विश्वास है उसमें राष्ट्रपति का अपमान करने की भावना नहीं थी। यदि एक बात जैसा कि मेरे मित्र ने पहले कहा है, जो आपको कह सकते है उसे ही अगर केन्द्रीय कक्ष में कह दिया जाये तो उसे वहां अपमानजनक क्यों माना जाये।

मैं मानता हूँ कि माननीय सदस्य भावना में बह गये। यह अच्छा होता यदि उन्होंने ऐसा न कहा होता। ऐसी ही एक घटना पहले भी हुई थी पर उस समय कुछ और बात थी। समय के साथ अब वे बाते जो पहले अपमान थी अब नहीं रही हैं। अब हवा बदल चुकी है। आजकल चारों ओर सत्ता के खिलाफ विद्रोह है। और फिर संसद सदस्य स्कूली छात्र नहीं हैं कि उन्हें मार-मार कर सिखाया जाये।

मेरा विनम्र निवेदन है कि श्री अटल बिहारी वाजपयी के संशोधन को मान लिया जाये, जो कि एक भयानक मार्ग है। पर मैं यह अनुभव करता हूँ कि इस प्रकार की बाते हमारे देश में और वह भी जिम्मेदार नागरिकों द्वारा नहीं होनी चाहिये।

हो रहे परिवर्तन के सम्बन्ध में बहुत कुछ कहा गया है। हमें उसे समझना चाहिये। हम संसद सदस्य भी इससे अछूते नहीं रह सकते। अगले 10 या 20 वर्षों में बहुत परिवर्तन आ जायेगा। आज जो हम अपमान की बात समझते हैं हमारे बच्चे उसे वैसा नहीं समझेंगे। (व्यवधान)......... ।

डा कर्ण सिंह (बीकानेर) : जारी मैं नेहरू जी के समाजवाद में विश्वास करता हूँ। मैं जाति प्रथा में विश्वास नहीं करता।

अब समय बदल गया हैं, 20 वर्ष पहले संसद सदस्य के साथ जिस प्रकार का व्यवहार किया जाता था आज उस प्रकार का व्यवहार नहीं किया जा सकता।

श्री नरेंद्र कुमार साल्वे (बेतूल) : मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ। जिस घटना को सर्व सम्मति से दुर्भाग्यपूर्ण और बुरा बनाया गया हैं इस सदन को उसकी निन्दा करने वाले प्रस्ताव का समर्थन करना चाहिये। यह दुःख की बात है कि सर्व श्री गोपालन, गुप्ता डा० कर्ण सिंह और श्याम दत्त मिश्र ने इस प्रस्ताव के उद्देश्य और परिप्रेक्ष्य को ठीक से नहीं समझा है। श्री गोपालन ने स्वीकार किया है कि यद्यपि सम्बन्धित सदस्य का आचरण अशोभनीय, अनुचित और संसद सदस्य की गनीमा के अनुकूल नहीं था तथापि सदन यदि उसे दण्ड देता है तो वह विरोधी पक्ष को, जो अब बहुत दुर्बल हो गया हैं, आंतकित करने के समान होगा। यह असाधारण दलील है। दोषी को, चाहे वह किसी भी दल का हो, दण्ड मिलना हीं चाहिये। श्री गोपालन ने सम्बन्धित सदस्य के लोक-सभा में नये होने का जिक्र भी किया है और कहा है कि उन्होंने जो कुछ कहा वह भावोद्रेक में कहा हैं, श्री इन्द्रजीत गुप्ता ने कहा कि चौथीं लोक-सभा में कई बार अध्यक्ष की अवज्ञा की गयी थी। यदि इस बार भी अवज्ञा की गयी तो क्या हुआ। हम इस दृष्टिकोण को समाप्त करना चाहते हैं। इसलिये यह प्रस्ताव पारित किया जाना चाहिये। चौथी लोक-सभा में हमने राजनीति की कोई आचरण संहिता नहीं बनाई। हमें अब ऐसी आचरण संहिता बनानी चाहिये राष्ट्रपति के अभिभाषण में जिस स्थिरता का उल्लेख हुआ है यदि उसे सार्थक बनाना है तो स्थिरता सबसे पहले इस सभा में आनी चाहिये। न तो हम अध्यक्ष की अवज्ञा करे न ही किसी को करने दें।

अब श्री वाजपेयी जी के संशोधन के सम्बन्ध में भी कुछ शब्द कह दू । न्याय, समता और सद् विवेक की बहुत चर्चा हो चुकी है । मेरे विद्वान मित्र श्री भन्डारे ने एक अन्यत भावपूर्ण दलील दी है कि यदि हम श्री बाजपेयी द्वारा सुझाई गई समिति की स्थापना नहीं करते तो हम स्पष्टतया दोषी को न्याय नहीं देते, मैं केवल यह कहना चाहता हूँ कि जब सम्बन्धित सदस्य मेरी कुर्सी के पास से गुजर रहे थे तो वे हमें बेशर्म, अंग्रेजों और अंग्रेजी भाषा का गुलाम कहते जा रहे थे । इसलिये मैं विरोधी पक्ष द्वारा पेश किये गये संशोधन का पूर्ण रूप से निरनुमोदन करता हूँ ।

हिन्दी के प्रचार से भी इन लोगों का कोई सम्बन्ध नहीं है, मैं उन लोगों में से हूँ जो हिन्दी का विकास चाहते हैं और चाहता हूँ कि हिन्दी यथासंभव शीघ्र आये, लेकिन ऐसे लोग हिन्दी के भविष्य को बिगाड देते हैं । ये लोग केवल सस्ते प्रचार और सस्ती लोकप्रियता के लिये ही ऐसे ढंग अपनाते हैं ।

श्री उन्नी कृष्णन (बडापरा) : हम इस प्रस्ताव द्वारा राजनारायणवाद या जिसका दूसरा नाम धूर्तवाद है, की निन्दा कर रहे हैं । यह हमारे प्रजातन्त्र के लिये एक छोटा-सा संकट पैदा कर रहे है । यदि केवल श्री राजनारायण की ही बात होती तो हम उसे सहन कर लेते किन्तु अब यह संक्रामक रोग फैल रहा है । इसलिये इसकी निन्दा की जानी चाहिये ।

श्री अ० कु० गोपालन ने यह प्रश्न उठाया है कि इस बात का निर्णय कौन करे कि कौन सा आचरण अच्छा है और कौन सा बुरा, निश्चय ही ब्रह्म की यह दूसरी परिभाषा नहीं की जा सकती ।

आधारभूत बात यह है कि क्या प्रजातन्त्रात्मक संस्थाओं के कुछ मानदण्ड होने चाहिये । आज राजनारायणबाद द्वारा इन्हीं मानदंडों को चुनौती दी जा रही है । मैं श्री रामदेव सिंह की निन्दा नहीं कर रहा हूँ, मैं उन्हें नहीं जानता संभव है, वे बहुत भले आदमी हो किन्तु मैं उनके परामर्शदाता को जानता हूँ । उनके बचाव करने की आवश्यकता नहीं हैं, इसलिये मैं इस प्रस्ताव का जोरदार समर्थन करता हूँ और इस प्रस्ताव पर पेश किये गये सभी सशोधनों का पूर्ण रूप से विरोध करता हूँ ।

श्री सेझियान (कुम्बकोणम्र) : क्या सरकार श्री अटल बिहारी वाजपेयी के संशोधन को स्वीकार कर रही हैं ?

श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा (जम्मू) : यह सरकारी प्रस्ताव नहीं है, यह प्रस्ताव मैंने पेश किया है ।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रस्ताव सरकार ने नहीं अपितु तीन सदस्यों ने पेश किया है । यह एक अनियत दिल वाला प्रस्ताव है

मोहन धारिया (पूना) : मैं श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा से अनुरोध करता हूँ कि वे श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा पेश किये गये संशोधन पर विचार करें । यदि इस सम्बन्ध में कोई

समिति नियुक्त की जाये तो वह विषय के विभिन्न पहलुओं की जांच करके सभा के समक्ष इतनी सिफारिशें रख सकती है ताकि भविष्य में ऐसी घठनायें न हो सके ।

दूसरी बात यह है कि एक सदस्य द्वारा किये गये दुर्व्यवहार के लिये सम्पूर्ण विपक्ष को गैर जिम्मेदार ठहराना उचित नहीं है, मैं ऐसे व्यवहार की भर्त्सना अवश्य करता हूँ

मैं श्री मल्होत्रा से अनुरोध करता हूँ कि वे संशोधन को स्वीकार कर लें और यह मामला जांच के लिये समिति को भेजा जाये ताकि समिति भविष्य में सदस्यों के व्यवहार के विषय में मार्ग-दर्शी सिफारिशें कर सके ।

अध्यक्ष महोदय : श्री वाजपेयी के संशोधन में केवल यह कहा गया है कि अध्यक्ष द्वारा नाम निर्देशित किये गये इस सभा के 15 सदस्यों की एक समिति नियुक्त की जाये जो श्री रामदेव सिंह द्वारा किये गये व्यवहार की जाँच करे जब कि श्री मोहन धारिया ने सदस्यों द्वारा भविष्य में किये जाने वाले व्यवहार के सम्बन्ध में व्यापक पुर्नविलोकन का सुझाव दिया है ।

श्री अमृत नाहटा (बाड़मेर) : मैं यह आपत्ति उठाना चाहता हूँ कि यह संशोधन वास्तव में संशोधन नहीं है अपितु यह एक स्थमापन्न प्रस्ताव है, जिसको पुरस्थापित करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये । श्री मल्होत्रा के प्रस्ताव में घटना की केवल निन्दा ही की गई है इसमें किसी दण्ड की सिफारिश नहीं की गई है, यदि एक समिति स्थापित कीं जाती है तो वह सारे मामले की जांच करेगी जिसका अर्थ यह है कि अभी इस बात का निश्चय किया जाना है कि यह घटना अभद्र है भी या नहीं

अध्यक्ष महोदय : यह पहले ही गृहीत हो चुका है इतः इस विषय में मैं कुछ नहीं कह सकता ।

श्री सुरेन्द्र माहन्ती (केन्द्रपाडा) : यद्यपि मेरी यह दृढ़ आस्था है कि सभा की जरिमा बनाई रखनी चाहिये किन्तु साथ ही मैं यह अनुरोध करता हूँ कि इस सभा को गलती करने वाले सदस्यों को दण्ड देने का स्थान न बनाया जाये । मेरा विचार है कि माननीय सदस्य ने जानबूझ कर समवेत सभा की कार्यवाही में बाधा नहीं डाली अपितु उन्होंने अपने विचारों की अभिव्यक्ति कुछ अधिक नाटकीयता से की जिसे सभा अथवा राष्ट्रपति जी का अनादर नहीं समझा जाना चाहिये ।

अत: मैं आग्रह करता हूं कि अनुशासनहीनता की निन्दा करते हुये इस मामले को समाप्त समझा जाये, मैं यह कहना चाहता हूँ कि इस मामले की जांच के लिये कोई समिति नियुक्त न की जाये, सदन द्वारा किया गया निरनुमोदन ही दोषी सदस्य के लिये पर्याप्त दण्ड है,

Shri Ram Sahay Pandey (Rajnand Gaun) : By this motion we seek to condemn the behaviour of Hon. member Shri Ramdeo Singh. It has been argued that he is a new member.

Being a new member he is expected to show a much better conduct. It has always been the attitude of the SSP to disregard the President for gaining cheap popularity which must be condemned. I have no objection if you accept the amendment moved by Shri Vajpayee.

अध्यक्ष महोदय : श्री मोहन धारिया ने दुर्व्यवहार करने वाले सदस्य को दण्डित करने की प्रक्रिया से उत्पन्न स्थिति के परिणाम स्वरूप संशोधन का एक संशोधित रूप मुझे दिखाया है यदि आप लोगो की अनुमति हो तो वे इसे पेश कर सकते हैं ।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे (बेतूल) : मेरा विचार है कि यह संशोधन ठीक है यद्यपि मैंने इसका विरोध किया है श्री राज बहादुर आये तथा उन्होंने कहा कि इस संशोधन के परिणाम-स्वरूप यदि मामला समिति के पास जाता है तो समिति न केवल इस विशेष घटना की ही जांच कर सकेगी बल्कि हमें मार्गदर्शक सिद्धान्त भी दे सकेगी । अत: मेरा अनुरोध यह है कि अध्यक्ष महोदय समिति को निदेश दे सकते हैं कि वह हमें मार्गदर्शक सिद्धान्त दे और यह मामला यहीं समाप्त हो जायेगा । आगे कार्यवाही करने की कोई आवश्यकतां नहीं हैं ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने उन्हें सुझाव दिया था कि इस संशोधन के बजाय कोई सामान्य व्यापक संशोधन लाया जाना चाहिये । किसी समिति को इस बात पर विचार करना चाहिये कि जब राष्ट्रपति संयुक्त बैठक आदि में अभिभाषण कर रहा हो तो उस समय बैठक की अध्यक्षता कौन करे तथा उस समय सदस्यों को कैसा व्यवहार करना चाहिये । ऐसे मामलों पर राज्य विधानमण्डलों में कई बार विचार किया गया हैं । इस सभा ने भी इस मामले पर 1963 में तथा 1964 में विचार किया था । लेकिन इस सम्बन्ध में अनेक विचार व्यक्त किये गये हैं । इसलिये संशोधन ऐसा होना चाहिये जिससे हम समूचे मामले पर पुन: विचार कर सके । यदि संविधान में संशोधन की आवश्यकता पडे तो भी हमें नहीं चूकना चाहिये । हमें इस मामले का सदा के लिये कोई हल ढूंढना चाहिये ।

श्री मोहन धारिया : महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूँ प्रस्ताव की प्रथम पंक्ति में, "का पुरजोर निरनुमोदन करती है" शब्दों का लोप कर दिया जाये तथा इनके स्थान पर "पर गहरी चिन्ता व्यक्त करती है" शब्द रखे जायें ।

प्रस्ताव की पहली पंक्ति में, "जिन्होंने" के स्थान पर "जिनके विरूद्ध आरोप लगाया गया है कि उन्होंने" प्रतिस्थापित किया जाये

पंक्ति 4 में, "और" शब्द के पश्चात् शेष शब्दों का लोप कर दिया जाये तथा निम्नलिखित जोड़ा जाये—

"इसलिये संकल्प करती है कि इस मामले की विस्तृत जांच करने के लिये तथा उपयुक्त कार्यवाही का और साथ ही भविष्य के लिये मार्गदर्शी सिद्धान्तों का अगले सत्र के पहले सप्ताह तक सुझाव देने के लिये माननीय अध्यक्ष द्वारा इस सभा के 15 सदस्यों की एक समिति गठित की जाये ।"

अध्यक्ष महोदय : यदि आवश्यक हो तो राज्य सभा के सदस्यों को भी सहयोजित किया जाये। इसे एक पृथक प्रस्ताव समझा जायेगा तथा दूसरे प्रस्ताव को वापस लिया जाये।

श्री ए० के० गोपालन : यदि संशोधन यह है कि इस प्रश्न की जांच करने के लिये एक समिति नियुक्त की जाये कि नियन्त्रक प्राधिकारी कौन हो तो हमें कोई आपत्ति नहीं है लेकिन यदि इसका उद्देश्य सदस्यों के व्यवहार के प्रश्न पर भी विचार करना है तो हम इसका विरोध करते हैं।

श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा : यदि श्री मोहन धारिया का संशोधन प्रस्ताव के अन्त में जोड़ा जाता है तो मुझे इस संशोधन को स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है।

श्री आर० डी० भण्डारे : यह मूल प्रस्ताव का एक नया पृथक संशोधन है।

अध्यक्ष महोदय : यदि इसे एक अलग प्रस्ताव समझा जाता हैं तो आप इसका श्री मल्होत्रा के वर्तमान प्रस्ताव से कैसे मेल बिठायेंगे।

श्री आर० डी० भण्डारे : इसे पृथक प्रस्ताव समझा जाता है तो यह एक स्थानापन्न प्रस्ताव होगा जो नियमों के अन्तर्गत ग्राह्य नहीं है। परन्तु प्रस्ताव का कोई नया संशोधन लाया जा सकता है।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : हमें प्रस्ताव के अन्तिम भाग का लोप कर देना चाहिये तथा इसमें परिवर्तित संशोधन जोड़ना चाहिये।

श्री राज बहादुर : दो संशोधन रखे गए हैं। एक संशोधन श्री बाजपेयीं ने तथा दूसरा संशोधन श्री मोहन धारिया ने रखा है। श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा इन दो संशोधनों में से कोई संशोधन स्वीकार कर सकते हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : महोदय, मैं नियम 340 के अन्तर्गत प्रस्ताव करता हूं कि इस विषय पर वाद-विवाद स्थगित कर दिया जाये ताकि हम अधिक महत्वपूर्ण मामलों पर विचार कर सकें।

अध्यक्ष महोदय : मैं श्री ज्योतिर्मय बसु के सुझाव से सहमत हूँ। हमें अगले सत्र तक इस प्रस्ताव पर विचार स्थगित कर देना चाहिये। इस दौरान हम इसकी जांच करेंगे। मुझे आशा है कि आप सब इससे सहमत हैं।

श्री राज बहादुर : हम इससे सहमत नहीं हैं। हमने इस पर चर्चा की है तथा इस पर इतना समय लगाया है। हमें इसे निपटा देना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : यदि आप अगले सत्र तक इसे स्थगित करने के लिये सहमत नहीं तथा यदि इस बात पर विचार करने के लिये कि इस संशोधन को मुख्य प्रस्ताव में किस

तरह सम्मिलित किया जाये, कुछ समय चाहते हैं तो हम फिलहाल इस चर्चा को स्थागित करते हैं तथा अगली मद को हाथ में लेते हैं। हम इस पर बाद में विचार करेंगे।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये।)
[Mr. Deputy Speaker in the Chair.]

भारतीय खाद्य निगम में सेवा के बारे में सांविधिक संकल्प—स्वीकृत
Statutory Resolution Re. Service in Food Corporation of India—Adopted

खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना साहेब शिंदे) : महोदय, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव पेश करता हूँ :

"अत्यावश्यक सेवायें अनुरक्षण, अधिनियम, 1968 (1968 का संख्या 59) की धारा 2 की उपधारा (2) के अनुसरण में, यह सभा खाद्य विभाग में भारत सरकार की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 152 का अनुमोदन करती है, जो भारत के असाधारण राजपत्र दिनांक 29 जनवरी, 1971, में प्रकाशित हुई थी तथा जो 23 मार्च 1971 को लोक सभा के पटल पर रखी गई थी तथा जिसके द्वारा उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिये भारतीय खाद्य निगम में सेवा को अत्यावश्यक सेवा घोषित किया गया था।

इस सभा तथा माननीय सदस्यों को मालूम है कि भारतीय खाद्य निगम ने देश की समाज के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान ग्रहण कर लिया हैं। भारतीय खाद्य निगम ने 1964 में स्थापित होने के पश्चात् अब अनाज का आयात करने, अनाज के संग्रहण, वितरण, तथा वसूली के लिए एक अभिकरण के रूप में कार्य कर रहा है। यह दोनों उत्पादकों तथा उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा करने की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है।

देखने में आता है कि कुछ ऐसी वस्तुओं की सप्लाई बन्द हो जाने का खतरा है जो समाज के जीवन के लिए अत्यावश्यक है। इसलिए भारतीय खाद्य निगम तथा कुछ राज्य ने अनुरोध किया है कि अनाज की सप्लाई सुनिश्चित करने की दृष्टि से भारतीय खाद्य निगम में सेवा को अत्यावश्यक सेवायें अनुरक्षण अधिनियम, 1968 की धारा 2 के अतर्गत अत्यावश्यक सेवा घोषित किया जाये। कुछ दिन हुये मैंने सभा पटल पर एक अधिसूचना रखी थी। नियमों के अनुसार यदि कोई अधिसूचना सभा पटल पर रखी जाती है तो 40 दिनों के भीतर अधिसूचना का अनुमोदन करने वाला एक संकल्प संसद् द्वारा पारित किया जाना होता है। इसलिये मैं इस सभा से अनुरोध करता हूं कि इस संकल्प को सर्वसम्मति से पारित किया जाये। उपाध्यक्ष महोदय, सांविधिक संकल्प सभा के समक्ष है।

श्री एस० एम० बनर्जी : यदि इस संकल्प का उद्देश्य यह होता कि अनाज की सप्लाई में कोई बाधा न हो तथा इसका उपयोग जमा खोरी के कारण समाज विरोधी तत्वों के विरुद्ध किया जाता तो मुझे इसमें प्रसन्नता होती लेकिन यह भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल के पश्चात किया गया है। उन लोगों को वचन दिया गया था कि उनकी सेवाओं की

भारतीय खाद्य निगम में स्थानान्तरित कर देने के पश्चात उन्हें कुछ लाभ पहुँचाये जायेंगे। मुझे खेद है कि भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों को दण्ड देने अथवा उनसे हड़ताल करने का अधिकार छीनने के लिये ऐसा किया जा रहा है। इसलिये मैं इसका विरोध करता हूँ।

श्री डी० एन० भट्टाचार्य (सेलमपुर): जहां तक श्रम-प्रबन्ध संबंधों का संबन्ध है, खाद्य निगम में इन सम्बन्धों में पूर्णतया परिवर्तन हो चूका है। कुछ समय पूर्व इस बात को लेकर कि खाद्य निगम में ठेका श्रमिकों की नियुक्तियां जारी हैं, देश-व्यापी हड़ताल हुई थी। और सभा में भी यह आश्वासन दिया गया था कि श्रमिक प्रणाली पूर्णतया समाप्त की जायेगी। किन्तु सरकार अपने ही उपक्रमों में ठेके के आधार पर मजदूर रख रही है। इसका अभिप्राय यह है कि सरकार मजदूरों को उनके वैध अधिकारों से वंचित रखना चाहती है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस अधिसूचना का उद्देश्य मजदूर संघों के अधिकारों को कम करना है। यदि खाद्य निगम के मजदूरों और कर्मचारियों के प्रति न्याय करना है तो उनकी सेवा की शर्तों और उनकी मजदूरी में सुधार करने के लिये कदम उठाये जाने चाहिये। इसके विरोध के साथ साथ मेरा अन्य माननीय सदस्यों से यह अनुरोध भी है कि वे इसका विरोध करें ताकि यह अवैधानिक कानून खाद्य निगम के कर्मचारियों पर न लागू किया जा सके।

Shri K. N. Tiwari (Batia): I support the motion. Services in Food Corporation should be declared essential so that there may not be any dislocation of supplies of food grains due to strike or mismanagement. I also request the Hon. Minister to look after the welfare of the employees of the corporation.

श्री चिंतामणि पाणीग्रही (भुवनेश्वर): भारतीय खाद्य निगम में ठेके पर कर्मचारी रखने की प्रणाली समाप्त की जानी चाहिये थी और कर्मचारियों को स्थायी बनाना चाहिये था, किन्तु ऐसा नहीं किया गया। भारतीय खाद्य निगम तथा देश के विभिन्न भागों में इसकी शाखाओं में कुछ ऐसे अधिकारी हैं जिनके विरुद्ध गम्भीर आरोप लगाये गये हैं, किन्तु उनकी जांच तक भी नहीं की जा रही। सरकार तथा जनता की आंखों में धूल झौंकने के लिये उन्होंने मन्त्रालय को इस प्रकार की अधिसूचना जारी करने के लिये आग्रह किया है और उसके बाद इस प्रकार का प्रस्ताव लाया गया है। अच्छा तो यह होता कि सरकार भारतीय खाद्य निगम में कार्य करने वाले कर्मचारियों से परामर्श करती ताकि वे यह महसूस करते कि मन्त्री महोदय भारतीय खाद्य निगम के उच्च अधिकारियों के बहकावे में नहीं आये हैं।

Shri Hukam Chand Kachwai: This motion will do a great harm to the employees of Food Corporation of India. It will deprive them of their legitimate rights. Besides it will be used as an instrument to harass the employees of the corporation. There are a number of employees in the Food Corporation, who are still temporary and Government have not taken any step to make them permanent.

श्री अन्ना साहिब शिन्दे: सदस्यों ने जो आशंकाएं व्यक्त की हैं, वे किसी प्रकार से उचित नहीं हैं क्योंकि भारतीय खाद्य निगम सरकारी क्षेत्र का एक संगठन है और इस बात का

कोई प्रश्न नहीं पैदा होता कि गैर सरकारी संस्थाओं की तरह उसमें कर्मचारियों का शोषण किया जा रहा है या उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही की जा रही है ।

जहां तक भारतीय खाद्य निगम का सवाल है, वह कर्मचारियों के साथ पूरी सहानुभूति रखने का प्रयत्न कर रहा है और वास्तविक स्थिति यह हैं कि जब खाद्य निगम तथा खाद्य विभाग के कर्मचारियों के विलयन तथा उनकी सेवाओं को नियमित करने आदि का प्रश्न आ गया तो इस निगम ने प्रश्न पर सहानुभूति पूर्वक विचार किया था ।

यदि कोई विशेष प्रकार की शिकायतें हों तो वास्तविक शिकायतों को दूर करने के लिये रास्ता निकालने हेतु श्रम मंत्रालय के साथ चर्चा की जा सकती है । भारतीय खाद्य निगम के मजदूरों और कर्मचारियों की समस्याओं पर विचार करने के लिए सरकार किसी निष्पक्ष संगठन की स्थापना करने के किसी भी प्रस्ताव का समर्थन करेगी ।

Shri Hukam Chand Kachwai : May I know whether they can resort to strike after the peration of the Act ?

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : कभी कभी ऐसी स्वार्थ भावना विदित रहती है कि खाद्यान्नों की सप्लाई रोक दी जाती है अथवा ऐसी स्थिति पैदा कर दी जाती है जिससे सारे देश की खाद्यान्नों की सप्लाई में बाधा पड़ जाती है । अतः मेरा आपसे अनुरोध है कि इस पर ठण्डे दिमाक से विचार करें और एक मत होकर इस संकल्प का समर्थन करें ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"अत्यावश्यक सेवायें अनुरक्षण अधीनियम, 1968 (1968 का सख्या 59) की धारा 2 की उपधारा (2) के अनुसरण में यह सभा खाद्य विभाग में भारत सरकार की अधि सूचना संख्या जी० एस० आर० 152 का अनुमोदन करती है, जो भारत के असाधारण राजपत्र दिनांक 21 जनवरी, 1971 में प्रकाशित हुई थी तथा जो 23 मार्च, 1971 को लोकसभा के पटल पर रखी गई थी तथा जिसके द्वारा उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए भारतीय खाद्य निगम में सेवा को अत्यावश्यक घोषित किया गया था ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted

दण्ड प्रक्रिया संहिता विधेयक

CODE OF CRIMINAL PROCEDURE BILL

संयुक्त समीति में शामिल होने के लिए राज्य सभा में की गई सिफारिश पर सहमति लेने के बारे में प्रस्ताव

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा राज्य द्वारा अपनी 31 मार्च, 1971 की बैठक में स्वीकृत प्रस्ताव में की गई तथा 31 मार्च, 1971 को इस सभा को भेजी गई इस सिफारिश से सहमत हो कि यह सभा दण्ड प्रक्रिया सम्बन्धी विधि को समेकित और संशोधित करने वाले विधेयक सम्बन्धी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और संकल्प करती है लोक सभा के निम्नलिखित 30 सदस्यों को उक्त संयुक्त समिति में कार्य करने के लिये नामनिर्दिष्ट किया जाये, अर्थात्:—

(1) श्री सत्य चरण बेसरा

(2) श्री सोमनाथ चटर्जी

(3) श्री मधु दन्डावते

(4) श्री पी० के० देव

(5) श्री सी० सी० देसाई

(6) श्री देवेन्द्र सिंह गर्चा

(7) श्री घनश्यामभाई

(8) श्री भोगेन्द्र झा

(9) श्री लीलाधर कटकी

(10) श्रीमती टी० लक्ष्मीकान्तम्मा

(11) श्री प्रियरंजन दास मुंशी

(12) श्री कृष्ण चन्द्र पन्त

(13) श्री अनन्त राव पाटिल

(14) श्री बनमाली पटनायक

(15) श्री एस० राधाकृष्णन

(16) श्री गार्गीशंकर रामकृष्ण

(17) श्री पी० अंकीनीडु प्रसाद राव

(18) श्री एम० सत्यानारायण राव

(19) श्री वायालर रवि

(20) श्री इब्राहिम सुलेमान सेट

(21) श्री इरस्मोद सेक्वीरा

(22) श्री शम्भू नाथ

(23) श्री नवल किशोर शर्मा

(24) श्री शिव चण्डिका

(25) श्री केदार नाथ सिंह

(26) श्री मुख्तियार सिंह

(27) श्री टोम्बी सिंह

(28) श्री तैयब हुसैन

(29) श्री एच० डी० तुलसीदास

(30) श्री जी० विश्वनाथन्"

उपाध्यक्ष महोदय : यह विवाद रहित विषय है। इसलिये मैं इस प्रस्ताव को सभा में मतदान के लिए रखूँगा।

प्रश्न यह है :—

"कि यह सभा राज्य सभा द्वारा अपनी 31 मार्च, 1971 की बैठक में स्वीकृत प्रस्ताव में की गई तथा 31 मार्च, 1971 को इस सभा को भेजी गई इस सिफारिश से सहमत हो कि यह सभा दण्ड प्रक्रिया सम्बन्धी विधि को समेकित और संशोधित करने वाले विधेयक सम्बन्धी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और संकल्प करती है कि लोक सभा के निम्नलिखित 30 सदस्यों को उक्त संयुक्त समिति में कार्य करने के लिए नामनिर्दिष्ट किया जाये, अर्थात् :—

(1) श्री सत्य चरण बेसरा

(2) श्री सोमनाथ चटर्जी

(3) श्री मधु दन्दावत

(4) श्री पी० के० देव

(5) श्री सी० सी० देसाई

(6) श्री देवेन्द्र सिंह गर्चा

(7) श्री घनश्याम भाई

(8) श्री भोगेन्द्र झा

(9) श्री लीलाधर कटकी

(10) श्रीमती टी० लक्ष्मीकान्तम्मा

(11) श्री प्रियरंजन दास मुन्शी

(12) श्री कृष्ण चन्द्र पन्त

(13) श्री अनन्त राव पाटिल

(14) श्री एस० राधाकृष्णन

(15) श्री बनमाली पटनायक

(16) श्री गार्गीशंकर रामकृष्ण

(17) श्री पी० अंकीनीडु प्रसाद राव

(18) श्री एम० सत्यानारायण राव

(19) श्री वायालर रवि
(20) श्री इब्राहीम सुलेमान सेट
(21) श्री इरस्मोद सेक्वीरा
(22) श्री शम्भू नाथ
(23) श्री नवल किशोर शर्मा
(24) श्री शिव चण्डिका
(25) श्री केदार नाथ सिंह
(26) श्री मुख्तियार सिंह
(27) श्री टोम्बी सिंह
(28) श्री तैयब हुसैन
(29) श्री एस० डी० तुलसीदास
(30) श्री जी विश्वनाथन"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted

गैर सरकारी सदस्यों का कार्य

PRIVATE MEMBER'S BUSINESS

संविधान (संशोधन) विधेयक
Constitution (Amendment) Bill

अनुच्छेद 120, 210, 343 आदि का संशोधन
(Amendment of Articles 120, 210, 343 etc)

श्री मुरासोली मारन (मद्रास दक्षिण) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान का और सशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted

श्री मुरासोलीं मारन : मैं विधेयक पुरस्थापित करता हूँ ।

संविधान (संशोधन) विधेयक

Constitution (Amendment) Bill

(अनुच्छेद 81 और 82 का, संशोधन तथा नये अनुच्छेद 281 क का जोड़ा जाना)

(Amendment of articles 81, 82, and insertion of new article 281 A)

श्री मुरासोली मारन : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक के पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted

श्री मुरासोली मारन : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूँ ।

संविधान (संशोधन विधेयक)

Constitution (Amendment) Bill

अनुच्छेद 120, 210 तथा भाग 17 का संशोधन

(Amendment of articles 120, 210 and Part XVII)

श्री मुरासोली मारन : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

श्री मुरासोली मारन : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूँ ।

संविधान (संशोधन) विधेयक

Constitution (Amendment) Bill

(अनुच्छेद 368 का संशोधन)

(Amendment of article 368)

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही (भुवनेश्वर) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

(The Motion was adopted)

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : मैं विधेयक पुरः स्थापित करता हूं।

कम्पनी (संशोधन) विधेयक

Companies (Amendment) Bill

(नई धारा 224 क, 224 ख, और 224 ग का अन्तः स्थापन)

(Insertion of new sections 224 A, 224 B, and 224 C)

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही (भुवनेश्वर) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि कम्पनी अधिनियम, 1956 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि कम्पनी अधिनियम, 1956 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted.

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : मैं विधेयक पुरः स्थापित करता हूं।

संविधान (संशोधन) विधेयक

Constitution (Amendment) Bill

(अनुच्छेद 391, और 362 आदि का लोप)

(Omission on of articles 391 and 362 etc)

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही (भुवनेश्वर) : मैं अपने अगले विधेयक को पुरः स्थापित करने का प्रस्ताव नहीं कर रहा हूँ।

संविधान (संशोधन) विधेयक

Constitution (Amendment) Bill

(नये अनुच्छेद 16 क का अन्त: स्थापन)

(Insertion of new article 16 A)

डा० करणी सिंह (बीकानेर) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाए ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाय ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted

डा० करणी सिंह : मैं विधेयक पुरः स्थापित करता हूं ।

संविधान (संशोधन) विधेयक

Constitution (Amendment) Bill

(नये अनुच्छेद 23 क, तथा 23 ख का अन्त: स्थापन)

(Insertion of new articles 23 A and 23 B)

डा० करणी सिंह (बीकानेर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted

डा० करणी सिंह : मैं विधेयक पुरः स्थापित करता हूं ।

संविधान (संशोधन) विधेयक

Constitution (Amendment) Bill

(अनुच्छेद 335 का संशोधन)

(Amendment of article 335)

श्री एस० एम० सिद्धया (चमराजनगर) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर: स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पूर: स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted

श्री एस० एम० सिद्धया : मैं विधेयक पुरः स्थापित करता हूं।

संविधान (संशोधन) विधेयक

Constitution (Amendment) Bill

(अनुच्छेद 338 का संशोधन)

(Amendment of article 338)

श्री एस० एम० सिद्धया (चमराजनगर) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted

श्री एस० एम० सिद्धया : मैं विधेयक पुरः स्थापित करता हूँ।

संविधान (संशोधन) विधेयक

Constitution (Amendment) Bill

(नये अनुच्छेद 330 क का अन्त: स्थापन और अनुच्छेद 332 आदि का संशोधन)

(Insertion of new Art. 330 A and amendment of Art. 332 etc.)

श्री एस० एम० सिद्धया (चमराजनगर) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

श्री एस० एम० सिद्धया : मैं विधेयक पुरः स्थापित करता हूँ।

सिविल विमानन (लाइसेंस देना) विधेयक

Civil Aviation (Licensing) Bill

श्री एस० सी० सामन्त (तामलुक) : में प्रस्ताव करता हूँ कि कतिपय उड़ान के लिये लाइसेंस देने तथा वायु निगम अधिनियम, 1953 की संगत धाराओं के निरसना का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि कतिपय उड़ानों के लिये लाइसेंस देने तथा वायु निगम अधिनियम, 1953 की संगत धाराओं के निरसन का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted

श्री एस० सी० सामन्त : मैं विधेयक पुरः स्थापित करता हूँ।

संसद ग्रन्थालय विधेयक

PARLIAMENT LIBRARY BILL

श्री एस० सी० सामन्त : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि संसद के लिये एक आधुनिकतम तथा बहुविस्तीर्ण ग्रन्थालय तैयार करने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि संसद के लिये एक आधुनिकतम तथा बहुविस्तीर्ण ग्रन्थालय तैयार करने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted.

श्री एस० सी० सामन्त : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूँ।

(Insertion of section 43 B and Amendment of sections 224, 237 etc.)

कम्पनी (संशोधन) विधेयक—
Companies (Amendment) Bill—

(धारा 43 ख का अन्त:स्थापन और धारा 224, 237 आदि का संशोधन)

श्री एस० सी० सामन्त (तामलुक) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि कम्पनी अधिनियम, 1956 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि कम्पनी अधिनियम, 1956 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The Motion was adopted.

श्री एस० सी० सामन्त : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं ।

(Amendment of sect, 22, 23 etc.)

(दान कर (संशोधन) विधेयक
Gift Tax (Amendment) Bill

(धारा 22, 23 आदि का संशोधन)

श्री एस० सी० सामन्त : मैं प्रस्ताव करता हूं कि दान कर आधिनियम, 1958 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि दान कर अधिनियम, 1958 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The Motion was adopted

श्री एस० सी० सामन्त : मैं विधेयक पुरस्थापित करता हूँ ।

विधिक सहायता विधेयक
Legal Assistance Bill

डा० कर्णी सिंह (बीकानेर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि पर्याप्त साधनों से विहीन नाकरिकों को सिविल वादों में विधिक सहायता देने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि पर्याप्त साधनों से विहीन नागरिकों को सिविल वादों में विधिक सहायता देने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted

डा० कर्णी सिंह : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

मृत्यु दण्ड उत्सादन विधेयक

Abolition of Capital Punishment Bill

श्री एन० के० सांघी (जालोर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि मृत्यु दण्ड के उत्सादन के लिये उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि मृत्यु द्रण्ड के उत्सादन के लिये उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरास्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted

श्री एन० के० सांधी : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

संविधान (संशोधन) विधेयक–

Constitution (Amendment) Bill

(अनुच्छेद 368 का संशोधन)

(Amendment of art, 368)

श्री मधु दन्दावते (राजापुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह हैं :

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted

श्री दन्दावते : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

राष्ट्रपति के अभिभाषण के समय सदस्य के आचरण सम्बन्धी प्रस्ताव के बारे में

Re : Motion on Conduct of Member during President's Address.

उपाध्यक्ष महोदय : अब श्री मल्होत्रा जी के द्वारा प्रस्तावित संकल्प पर आगे चर्चा की जायेगी।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : अध्यक्ष महोदय ने इसे आगामी सत्र तक स्थगित करने का पहले ही आदेश दे दिया है।

श्री ए० के० गोपालन (पालघाट) : यदि यह वही प्रस्ताव है जो कुछ क्षण पूर्व प्रस्तुत किया गया था तो मैं सर्वप्रथम प्रक्रिया के बारे में कुछ कहना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : जो कुछ मैं करूंगा वह सम्पूर्ण सदन की सहमति से ही करूंगा और सदन के निर्देशानुसार चलूंगा क्योंकि सदन सर्वोपरि है। सदन को ज्ञात होगा कि श्री मल्होत्रा जी द्वारा प्रस्तावित प्रस्ताव पर चर्चा को स्थगित करने की सदन में सहमति हो गई थी। परन्तु कितने समय तक चर्चा स्थगित की जाये यह नहीं बताया गया था।

संसद-कार्य मन्त्री और पोतपरिवहन तथा परिवहन मन्त्री (श्री राज बहादुर) : मैंने केवल 10 मिनट तक चर्चा स्थगित करने का अनुग्रह किया था।

उपाध्यक्ष महोदय : सचिव ने मुझे बताया है कि अध्यक्ष महोदय ने कहा था कि या तो चर्चा कुछ समय के लिए स्थगित की जाये अथवा इसे आगामी सत्र तक स्थगित किया जाये। इस सम्बन्ध में सहमत समझा जाने वाला एक संशोधन मेरे पास आया है; जिसे मैं सदन की अनुमति से पढ़कर सुनाता हूँ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : सर्वप्रथम इस बात का निर्णय किया जाना चाहिए कि क्या इस मामले को उठाया जाये अथवा नहीं और तभी आप इसे पढ़कर सुना सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : सुझाव आया है कि कुछ समय पूर्व स्थगित की गई चर्चा पुनः आरम्भ की जानी चाहिए।

श्री श्याम नन्दन मिश्र (बेगुसराय) : क्या गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य की अवहेलना करके इसे आरम्भ किया जा सकता है ?

उपाध्यक्ष महोदय : इस बात का निर्णय तो सदन ही करता है। मैं आरम्भ में ही कह चुका हूं कि यह सदन सर्वोच्च है। परन्तु यदि इस सम्बन्ध में कुछ नियम कठिनाई उत्पन्न करते हैं तो बहुमत से उनका उलंघन किया गया है।

श्री श्याम नन्दन मिश्र : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि जब एक बार गैर सरकारी सदस्यों का कार्य आरम्भ हो जाये तो उसे कम से कम $2\frac{1}{2}$ घण्टे से पूर्व समाप्त नहीं करना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : हमने कार्य के एक भाग को समाप्त कर दिया है अर्थात विधेयक पुर:स्थापित किये जा चुके हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (ग्वालियर) : गैर सरकारी सदस्यों का कार्य पूर्ण नहीं हुआ है।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : यह उचित नहीं है। यदि सरकार ने पीठासीन अधिकारी पर दबाव डालने का प्रयास किया तो हमें इस मामले पर बड़ी गम्भीरता से विचार करना पड़ेगा।

श्री राज बहादुर : सरकार ने कभी पीठासीन अधिकारी पर दबाव नहीं डाला है। सम्पूर्ण सदन के द्वारा व्यक्त किये गये विचारों को दृष्टि में रखते हुए ही अध्यक्ष महोदय ने इस विशिष्ट संकल्प पर विचार स्थगित करने और इस सम्बन्ध में पुनः संशोधन करने हेतु कुछ समय देने की अनुमति दी है। अब सदन की स्वीकृति के लिए, हमने संशोधन को दुबारा आपके सामने प्रस्तुत किया है। यदि यह संशोधन सदन को मान्य नहीं है तो मूल संकल्प सदन के मतदान के लिए प्रस्तुत किया जायेगा।

Shri Atal Bihari Vajpayee : On a point of order, Sir. According to rule 26. the last two and a half hours of a sitting on friday shall be allotted for the transaction of private member's business. Now you have no right to adjourn private member's business when this has already been taken up and private members, Bills have been moved in the House. Moreover no resolution can be moved in the House as only two and half a hours remain to be spent on private members business. Nothing will happen to the dignity of the House if the discussion on this resolution is adjourned till the next Session.

उपाध्यक्ष महोदय : नियम के अन्तर्गत स्थिति बिल्कुल साफ है। यह ठीक है कि हमने गैर सरकारी सदस्यों का कार्य आरम्भ कर दिया है और हम सदन की पूर्ण सहमति के बिना गैर सरकारी सदस्यों के कार्य के बीच में अन्य और कार्य नहीं कर सकते। यह सदन पर निर्भर करता है कि क्या हम अन्य कार्य कर सकते हैं अथवा नहीं।

श्री आर० डी० भण्डारे (बम्बई-मध्य) : श्री मल्होत्रा द्वारा प्रस्तावित संकल्प के बारे में अध्यक्ष महोदय ने पहले ही कह दिया है कि जब तक इस सम्बन्ध में कोई सहमत संशोधन अथवा कोई दूसरा संशोधन नहीं आता तब तक इस पर चर्चा स्थगित की जा सकती है। अब श्री मोहन धारिया ने एक संशोधन प्रस्तुत किया है। अब यह प्रश्न है कि क्या अध्यक्ष महोदय को इस संकल्प पर पुनः चर्चा आरम्भ करने का अधिकार है अथवा नहीं। नियम 389 के अन्तर्गत अपने अवशिष्ट अधिकारों का प्रयोग करते हुए अध्यक्ष महोदय ने इस बारे में अपना निर्णय दिया है कि एक संशोधन लाया जाना चाहिए। यह संशोधन मुख्य संकल्प के ही अनुरूप है जो आपके सम्मुख प्रस्तुत है और आपको श्री धारिया के इस संशोधन को प्रस्तुत करने की अनुमति दे देनी चाहिऐ। यह नियमों के अन्तर्गत जायज़ है। अतः सदन के सामने दो संशोधन हैं---एक श्री वाजपेयी तथा श्री मनोहरन का और दूसरा श्री मोहन धारिया का।

श्री एस० एम० बनर्जी : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

उपाध्यक्ष महोदय : जब मैं खड़ा हूं तो आप क्यों बोलते हैं। मैं आपके व्यवस्था के प्रश्न को भी सुनूंगा। पहले मुझे सदन के सम्मुख स्थिति स्पष्ट कर लेने दीजिए। नियम 25 के अनुसार सरकारी कार्य के सम्पादन के लिए नियत किये गये दिनों में ऐसे कार्य को पूर्ववर्तिता होगी और सचिव उस कार्य का विन्यास ऐसे क्रम में करेगा जैसा कि अध्यक्ष सदन के नेता से परामर्श करने के बाद निर्धारित करे।

यह अनिवार्य है कि :—परन्तु जिस दिन वह कार्य निबटाने के लिए रखा गया हो उस दिन कार्य के ऐसे क्रम में तब तक परिवर्तन नहीं किया जायेगा जब तक अध्यक्ष का समाधान न हो जाये कि ऐसे परिवर्तन के लिए पर्याप्त आधार है। और नियम 26 में कहा गया है कि शुक्रवार की बैठक के अन्तिम ढाई घंटे गैर-सरकारी सदस्यों के ऐसे कार्य के सम्पादन के लिए नियत किये जायेंगे जिसका आरम्भ सभा में हो। इस नियम में "नियत किये जायेंगे अनिवार्य है।

अतः इससे स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है। मुझे यह पता नहीं है कि अध्यक्ष महोदय ने इस कार्य को पुनः आरम्भ करने के लिए कोई विशेष समय नियत किया है अथवा नहीं, यह बात मुझे सरकारी तौर पर भी नहीं बताई गई है। मुझे यह भी नहीं बताया गया है कि अध्यक्ष महोदय ने एक सम्मत संकल्प प्रस्तुत करने के लिए कहा है। मुझे इन सब बातों का बिल्कुल पता नहीं है। अब आप अपना व्यवस्था का प्रश्न उठा सकते हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मूल मामला तो यह है कि अध्यक्ष का निर्णय नियम 340 पर आधारित है, जिसमें बताया गया है कि किसी प्रस्ताव के प्रस्तुत किये जाने के बाद किसी समय कोई सदस्य प्रस्ताव कर सकेगा कि प्रस्ताव पर वाद-विवाद को स्थगित कर दिया जाये अध्यक्ष महोदय ने कृपा पूर्वक इस समस्त मामले को कुछ समय तक स्थगित करने को कहा था। परन्तु शंका है कि अध्यक्ष महोदय के अनुपस्थित होने के कारणवश गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य के समय को काटा जा रहा है जो उचित नहीं है।

श्री एस० एम० बनर्जी : मेरा यह व्यवस्था का प्रश्न है कि जब कि अध्यक्ष महोदय की अनुमति की आवश्यकता नहीं है फिर भी अध्यक्ष महोदय रद्द कर सकता है। परन्तु अध्यक्ष महोदय ने इस मामले को आगामी सत्र में उठाने की सहमति दे दी थी। परन्तु तत्पश्चात् उन्होंने कहा कि यदि यह मामला सर्व सम्मति से उठाया जाये तो इस पर आज ही चर्चा हो सकती है। परन्तु आज का दिन गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य निपटाने का है। श्री मल्होत्रा द्वारा प्रस्तावित यह विशेष प्रस्ताव भी गैर-सरकारी सदस्य का ही प्रस्ताव है क्योंकि जितने सदस्यों ने इसे प्रस्तावित किया है वे सब गैर-सरकारी सदस्य ही हैं। यह प्रस्ताव सदन के नेता अथवा किसी माननीय मंत्री ने प्रस्तुत नहीं किया है।

संसद कार्य मन्त्री महोदय से अनुरोध किया जाता है कि वह इसे आगामी सत्र के लिये स्थगित करें। इससे कोई हानि नहीं होगी।

उपाध्यक्ष महोदय : हम इसकी चर्चा गैर सरकारी सदस्यों के कार्य के बीच में तो नहीं करेंगे ।

गैर सरकारी सदस्यों के कार्य के अन्त में हम आज इस चर्चा को आरम्भ कर देंगे ।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : जब तक नियम का उत्सर्जन नहीं किया जाए ऐसा नहीं हो सकता ।

श्री राज बहादुर : श्री वाजपेयी द्वारा प्रस्तावित संशोधन पर हमने इसलिये आपत्ति नहीं उठाई थी । क्योंकि वह एक महत्वपूर्ण मामला माना गया था और हमें इस मामले में अधिक से अधिक सहमति लानी चाहिये और एक मत होना चाहिए । केवल मतैक्य के लिये ही हमने इस संशोधन पर अपत्ति नहीं उठाई थी परन्तु फिर भी हम अब उनकी अपील पर विचार करेंगे । अध्यक्ष महोदय ने इस मामले की व्यापक रूप से जांच करने के लिये कहा है । हमने इस मामले की जांच कर ली है और अब हम चाहते हैं कि आज इस पर चर्चा करके इस मामले का सम्पादन कर लिया जाये ।

पश्चिम बंगाल से केन्द्रीय बल को हटाने के बारे में संकल्प—(जारी)

Resolution Re : Withdrawal of Central Forces from west Bengal—(Contd)

उपाध्यक्ष महोदय : अब सदन में श्री ज्योतिर्मय बसु के पश्चिम बंगाल से केन्द्रीय बल के हटाये जाने सम्बन्धी संकल्प पर आगे विचार किया जायेगा । इस संकल्प के लिये नियत किये गए समय में से दो घन्टे से अधिक समय पहले ही लग गया है । इसलिये मन्त्री महोदय अपना उत्तर देंगे ।

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री और इलेक्ट्रोनिक्स अणुशक्ति और विज्ञान तथा तकनीकी विभागों के राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : चर्चा आरम्भ होने के पश्चात् दो नई बाते घटी हैं । एक तो पश्चिम बंगाल में चुनाव हुए और वहां के लोगों का निर्णय अब हमारे सामने है । श्री ज्योतिर्मय बसु ने वहां लोगों के सामने वैसे ही तर्क दिए जिस प्रकार के तर्क वह यहां इस सदन में देते हैं । वह केरल भी गये और वहां भी ऐसे ही तर्क लोगों के सामने दिये । परन्तु लोगों के अपने निर्णय से स्पष्ट है कि वहां के लोग चिकनी-चुपड़ी बातों के चक्कर में नहीं आये अपितु वे शान्ति, स्थिरता, विकास और शान्तिपूर्ण परिवर्तन चाहते हैं और वे उन शक्तियों का साथ देने के लिये तैयार है जो देश में हिंसा और अव्यवस्था नहीं चाहती ।

केरल में जो कुछ भी हुआ वह तो सभा को मालूम ही है । वहां लोगों में संसदीय लोक-तन्त्र में अपना पूर्ण विश्वास व्यक्त किया है तथा हिंसा को पूरी तरह अस्वीकार किया है । केरल और पश्चिम बंगाल के चुनाव परिणाम इसी अभिप्राय के परिचायक हैं । मुझे खेद है कि श्री ज्योतिर्मय बसु तथा उनके अन्य सहयोगियों ने इन तथ्यों की अपेक्षा की है ।

इस चर्चा के आरम्भ होने के समय से अब तक दो बातें हुई हैं । एक तो पश्चिम बंगाल में नई सरकार बनी है तथा दूसरे वहां राष्ट्रपति-शासन समाप्त हुआ है । परन्तु श्री ज्योतिर्मय

बसु को न जाने इस पर क्यों आपत्ति है। क्या वह चाहते हैं कि वहां राष्ट्रपति का शासन जारी रहे तथा कोई लोक-प्रिय सरकार न बने ! श्री ज्योतिर्मय बसु वहां एक लोक प्रिय सरकार के गठन पर आपत्ति करते हैं तथा साथ ही लोकतन्त्र की रक्षा की दुहाई देते हैं। मैं उनका मतलब नहीं समझता। लोकतन्त्र का तो यही अर्थ है कि बहुमत की सरकार बने यदि उनके दल के पास बहुमत है तो वह भी सरकार बना लें। परन्तु यहां सभा में चीखने-चिल्लाने से तो उनका अल्पमत बहुमत में नहीं बदल सकता।

अपने संकल्प में उन्होंने वही दलीलें पेश की हैं। जिन का प्रयोग वह अनेक बार पहले भी कर चुके हैं। उन्हें ही वे बार बार दोहरा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में अब नई सरकार बन चुकी है तथा अब वहां सारी परिस्थिति भी बदल गई है।

अनेक सदस्यों ने कुछ प्रश्न भी पूछे हैं जो कि बड़े ही संबंधित प्रश्न हैं तथा उनका उत्तर दिया जाना है। मैं उनका उत्तर दूंगा। परन्तु विपक्षी लोग जरा धैर्य से सुनने की आदत डालें। श्री समर गुह ने पूछा था कि पश्चिम बंगाल में केन्द्रीय आरक्षित पुलिस तथा अन्य सेवाओं को भेजने की क्या आवश्यकता थी। कुछ सदस्यों ने पूछा है कि रूस से पहले पश्चिम बंगाल में किसने अराजकता तथा हिंसा का वातावरण पैदा किया ? एक अन्य प्रश्न यह भी था कि पश्चिम बंगाल में हिंसा को राजनीति को ही वैध बनाने के लिये पूरा जोर लगाया ताकि वहां के प्रशासनिक ढांचे को ठप्प किया जा सके। इन प्रश्नों का उत्तर देने का केवल एक ही मार्ग है कि तथ्य सामने रख दिये जायें।

आज श्री ज्योतिर्मय बसु तथा अन्य लोग शिकायत करते हैं कि वे नक्सलवादियों की हिंसा का निशाना बन रहे हैं। परन्तु जो आग उन्होंने स्वयं लगाई है उसकी झुलस तो स्वयं उन तक भी पहुंचेगी। आखिर पश्चिम बंगाल में हिंसा किसने आरम्भ की ? किसने नक्सलवादियों को पेश किया ? सबसे पहले संयुक्त मोर्चा सरकार ने उन लोगों को मुक्त किया जिन्हें हत्या तथा डकैती आदि के आरोप में पूर्व वर्ती सरकार ने बन्दी बनाया था। संयुक्त मोर्चा सरकार ने ही इन नक्सलियों को मुक्त किया था।

मैं जानता हूं कि नक्सलवादी लोग साम्यवादी मार्क्सवादी दल से निकले लोग हैं। ये लोग फिर धीरे धीरे पनपते गये। संयुक्त मोर्चा सरकार से पहले की सरकार ने इन्हें दबा तो दिया था, परन्तु संयुक्त मोर्चा सरकार ने उन्हें फिर मुक्त कर दिया तथा उन्हें संगठित और सुदृढ़ हो जाने का अवसर दिया यही प्रमुख कारण है कि अप्रैल 1970 से अब तक हिंसात्मक घटनायें बढ़ती गईं।

यदि साम्यवादी मार्क्सवादी लोग नक्सलियों के प्रति इतनी गलत उदारता न दिखाते तो ये लोग इतने सुगठित नहीं हो सकते थे। यह बात पहले ही समझ ली जानी चाहिये थी। अत: साम्यवादी मार्क्सवादी लोग जरा अपना हृदय तो टटोलें।

राष्ट्रपति शासन के दौरान रही स्थिति का विवेचन करने से पूर्व उस अवधि से पूर्व की स्थिति को भी समझ लेना जरूरी होगा। वहां सर्वथा अराजकता क्या थी। राष्ट्रपति शासन

की 2-3 मास की अवधि में भी श्री ज्योतिर्मय बसु के दल ने राज्य के प्रशासन को ठप्प कर देने के लिये कोई प्रयास उठा नहीं रखे, श्री बसु द्वारा जिन घटनाओं का जिक्र किया गया है वे उसी अवधि से सम्बन्धित हैं। फिर नक्सलियों तथा अन्य समाज-विरोधी तत्वों द्वारा की गई हिंसात्मक गतिविधियों के कारण स्थिति और बिगड़ गई। मास अगस्त में तो नक्सलियों की हिंसात्मक गतिविधियो और भी अधिक भयंकर हो उठी जिसमें पुलिस कर्मचारियों सहित अनेक लोगों की हत्यायें हुईं। दिसम्बर मास से योजना बद्ध तरीके से ये गतिविधियाँ आरम्भ हो गईं। सबसे बड़ी विड़म्बना तो यह है कि कुछ लोग मानवता की निर्मम हत्या पर हंसते हैं, क्या यही सभ्यतापूर्ण आचरण है ?

यही कारण था कि वहां केन्द्रीय रिजर्व पुलिस तैनात करनी पड़ी ताकि राज्य में शांति, कानून तथा व्यवस्था स्थापित करने में राज्य की पुलिस की सहायता की जा सके। यह पुलिस वहां शांति स्थापित करने में सहायता देने भेजी गई थी और जो दल अथवा व्यक्ति शांतिपूर्ण ढंग से राजनीति या अन्य काम चलाना चाहते हैं उन्हें हम केन्द्रीय रिजर्व पुलिस का कोई डर नहीं होना चाहिये। अतः केन्द्रीय सशस्त्र दल को वहा तैनात किये जाने का विरोध करने की बात समझ में नहीं आती।

अपने संकल्प में श्री ज्योतिर्मय वसु ने आरोप लगाया है कि केन्द्रीय रिजर्व पुलिस ने अवैध ढंग से तथा अपनी सीमा से बाहर हो कर कार्य किया। उनकी ये दोनों बातें गलत हैं। केन्द्रीय सशस्त्र बलों के अधिकार तथा कार्य सीमाओं को यह सभा भली प्रकार जानती है। इस सेवा का कार्य शांति तथा कानून और व्यवस्था बनाये रखने में स्थानीय सेनाओं की सहायता करना होता है। वे लोग किसी आटंकित अथवा डराने धमकाने के लिये वहाँ नहीं भेजे जाते।

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस ने वहां बड़ी योग्यता तथा सहन शक्ति के साथ अपना दायित्व निभाया तथा बड़ी ही विकट परिस्थितियों में रह कर अपना कर्त्तव्य-पालन किया। हो सकता है इतनी बड़ी सेवा में से एक-आध व्यक्ति उछृन्खल होकर कुछ गलत बात कर बैठा हो; परन्तु उसके लिये सारी की सारी सेना पर लांछन लगाना न्याय संगत नहीं है। यहां सभा में कानून और व्यवस्था बनाये रखने के लिये उत्तरदायी सभी सेवाओं की निन्दा करने के प्रयास किये गये हैं। यह बात बड़ी गम्भीर है क्योंकि ये सेवाये बड़ा ही महत्वपूर्ण कर्त्तव्य निभाती हैं तथा ये कर्त्तव्य उन्हें इसी संसद केन्द्र सरकार तथा अन्य सुगठित सरकारों द्वारा सौंपे गये हैं। उनका कार्य तो केवल शांति और व्यवस्था बनाये रखना होता है। अतः यह अनुचित होगा कि कुछ एक-दो घटनाओं का सहारा लेकर सारी की सारी सेना को बदनाम किया जाये।

श्री ज्योतिर्मय बसु ने कुछ शिकायतों के बारे में पूछा है कि क्या कार्यवाही की गई है। मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूँ कि जब कभी भी कोई आरोप लगाया गया उसकी भली भांति जांच की गई तथा दोषी व्यक्ति को उचित दण्ड दिया गया। केन्द्रीय रिजर्व पुलिस के बारे में सरकार को 22-3-70 से 22-3-71 के बीच कुल 36 शिकायतें प्राप्त हुईं जिनमें से 31 शिकायतें बिल्कुल बे बुनियाद, झूठी तथा तर्क हीन सिद्ध हुईं। एक शिकायत के बारे में एक कर्मचारी दोषी पाया गया तो उसे तुरन्त निलम्बित कर दिया गया था। शेष शिकायतों की जांच की जा रही है।

श्री ज्योतिर्मय बसु ने बड़े ही गम्भीर आरोप लगाये। उन्होंने आरोप लगाया कि मालदा में एक 14 वर्षीय लड़की के साथ बलात्कार किया गया। इसी प्रकार और भी दो तीन स्थानों पर उन्होंने बलात्कार का आरोप लगाया। परन्तु जांच पर पता चला कि ये सभी आरोप बिल्कुल बे बुनियाद थे तथा सम्बन्धित लड़कियों के सम्बन्धियों ने तथा स्वयं उन लड़कियों ने ही उक्त आरोपों का खण्डन किया। जांच से यह भी पता चला कि केन्द्रीय रिजर्व पुलिस ने कहीं भी छापे नहीं मारे तथा न ही इस सेवा के कर्मचारियों ने किसी के साथ बलात्कार आदि जैसा दुर्व्यवहार किया। परन्तु श्री बसु तथ्यों को नहीं मानते। तथ्यों का तो उन पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता।

यह सच है कि जादवपुर विश्वविद्यालय के होस्टलों में पुलिस टुकड़ी ने तलाशी ली भी परन्तु वहाँ उस टुकड़ी पर बमों आदि से हमला किया गया। तलाशी के दौरान वहाँ से 60 बम, 4 हथगोले तथा 3 पाईप-गनें बरामद हुईं और भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री उपलब्ध हुई। यह पाया गया कि वहाँ ऐसे नक्सलवादी रहते थे जिनका होस्टलों से कोई सम्बन्ध नहीं था। क्या वे नक्सली लोग श्री ज्योतिर्मय बसु के दल से सम्बन्धित थे ? श्री ज्योतिर्मय बसु पुलिस की इस कार्यवाही को गैर-कानूनी समझते हैं।

तथ्य तो यह है कि श्री बसु तथा उनके दल के लोगों की ही नीयत साफ नहीं है। वे अपने आप में जरा झांक कर तो देखे। क्या वह हिंसा तथा आतंक से भरी राजनीति का विरोध करने को तैयार हैं ? क्या वह कानून तथा व्यवस्था की स्थिति को बनाये रखने में सहायता करने को तैयार हैं ? वह स्वयं क्या उनके सहयोगी नेता होकर यह बात यहां सभा में कहें तो !

पुलिस का उपयोग कानून और व्यवस्था तथा शांति की स्थापना के लिये किया जाता है, शांति प्रिय नागरिकों की रक्षा के लिये किया जाता है।

आज बंगाल में बेतहाशा खून-खराब हो रहा है। क्या श्री बसु के दल ने कभी इन हत्याओं की निन्दा करते हुए कोई शब्द कभी कहा ? वहां कितने पुलिस कर्मचारियों तथा कांग्रेस जनों की हत्यायें हुईं। अन्य अनेक लोग भी मारे गये। श्री बसु तथा उनका दल इन हत्याओं की निन्दा क्यों नहीं करता ?

श्री समर मुखर्जी (हावड़ा) : जब श्री हेमन्त कुमार बसु की हत्या हुई थी तो सर्व प्रथम हमारे दल ने इसके विरूद्ध आम हड़ताल का आह्वान दिया था।

श्री कृष्ण चन्द पन्त : मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी यदि मेरे माननीय मित्र खड़े होकर यह कहदें कि वह हिन्सा की निन्दा करते हैं।

श्री समर मुखर्जी : जब सेना अथवा केन्द्रीय रिजर्व पुलिस किसी व्यक्ति की हत्या करती है तो वह हिंसा होती है अथवा नहीं ? पश्चिम बंगाल में आतंक फैला हुआ है। श्री हेमन्त बसु

के दल के सदस्यों की संख्या सभा में 10 से कम होकर तीन रह गई है। श्री अजय मुखर्जी के दल के सदस्यों की संख्या केवल पांच रह गई है। उनको श्री ज्योति बसु द्वारा ग्यारह हजार मतों के बहुमत से पराजित किया गया है।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : श्री ज्योति बसु कलकत्ता में इसी लिये विजयी हुए है क्योंकि हम लोकतन्त्र में विश्वास रखते हैं। श्री डा० रानेन सेन ने इस सभा में कुछ ऐसे मामलों का उल्लेख किया था जिनमें भारत के साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) कार्यालयों से अवैध हथियार तथा गोला बारूद बरामद हुआ था। सिलीगुड़ी स्थित भारत के साम्यवादी (मार्क्सवादी) कार्यालय से एक पाइपगन, गोलियां, बम तथा दो छुरे बरामद हुए थे। इस बात को सभी जानते हैं कि इस दल द्वारा राजनीति में हिंसा को शामिल किया गया है। पश्चिम बंगाल में हाल में चुनाव के दौरान तीन उम्मीदवारों को कत्ल कर दिया गया था। 11 मार्च से लेकर 27 मार्च तक हमारे दल के समर्थकों पर अनेक पर हमले किये गये तथा कुछ सदस्यों को कत्ल भी किया गया है। 27 मार्च को एक भूतपूर्व विधायक श्री ध्यानेश्वर राय की जलपायी गुड़ी में हत्या की गई। सभा को 30 मार्च को कलकत्ता में श्री नेपालराय की हत्या के बारे में भी जानकारी है। क्या इन हत्याओं का निन्दा के लिए इनके द्वारा एक शब्द भी कहा गया है ?

कुछ माननीय सदस्य बार-बार यह कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल विधान सभा में उनके सदस्यों की संख्या में वृद्धि हुई है। मैं जानता हूँ कि उनके सदस्यों को संख्या 83 से बढ़कर 111 हो गई है। परन्तु हमारे दल के सदस्यों की संख्या भी 55 से बढ़कर 105 हो गई है। इसी प्रकार इनके दल को पिछले चुनाव की तुलना में इस बार कम मत प्राप्त हुये हैं। प्रश्न यह है कि कलकत्ता में उनके कितने उम्मीदवार पराजित हुए हैं ?

{ अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए / Mr. Speaker in the Chair }

इस समय आवश्यकता यह नहीं हैं कि पश्चिम बंगाल से सेना को हटाया जाये। यदि शान्तिपूर्ण परिस्थितियां स्थापित हो जाती हैं तो सेना को किसी भी समय वहां से वापस बुलाया जा सकता है। इस बारे में राज्य सरकार को अपना अनुमान लगाना है परन्तु हम सब का यह ध्येय होना चाहिये कि प्रशासन मजबूत हो तथा वहां पर शान्ति स्थापित हो। विकास तथा उत्पादन को बढ़ाने के लिये वहां पर शान्ति स्थापित करना बहुत आवश्यक है। वहां पर विकास के लिए जनशक्ति का लाभ उठाने की आवश्यकता है। विधि व्यवस्था की स्थिति को बनाये रखना पर्याप्त नहीं है। सामाजिक तथा आर्थिक समस्याओं को हल करना बहुत आवश्यक है। और इन सबके लिये शान्ति स्थापित करना आवश्यक है। इनके बिना उत्पादन लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता। उत्पादन तथा धन में वृद्धि किये बिना पश्चिम बंगाल में स्थिति में सुधार नहीं किया जा सकता। राष्ट्रपति शासन के दौरान विकास की प्रक्रिया को तेज पाने के लिये अनेक कदम उठाये गये हैं भूमि सुधार कानून भी लागू किया गया है। यह कानून संयुक्त मोर्चा सरकार के समय के दौरान बनाये गये कानून की तुलना में अधिक प्रगतिशील है। ग्रामीण निर्माण कार्य आरम्भ करके बेरोजगारी की समस्या को हल करने का प्रयास किया

गया है। इसी प्रकार उद्योग के पुनर्निर्माणों के लिये भी परिस्थितियां उत्पन्न की गइ ह। राष्ट्रपति शासन के दौरान काफी अच्छा कार्य किया गया है। इन सभी बातों को देखते हुए में सकंल्प तथा डा० रानेन के संशोधन का विरोध करता हूँ। इस बात की उपेक्षा नहीं की जा सकती कि सेना तथा रिजर्व केन्द्रिय रिजर्व पुलिस के अच्छे कार्य के कारण ही हम पश्चिम बंगाल में शान्तिपूर्ण ढंग से चुनाव करा सकते हैं तथा वहां के लोगों ने लोकतन्त्र में अपना विश्वास प्रकट किया है। हमें इस बात की प्रसन्नता है कि अल्प संख्यक लोग जो बल तथा हिंसा से बहुसंख्यक लोगो पर अपनी इच्छा थोपना चाहते थे ऐसा नहीं कर सके हैं। लोगों ने निर्भय होकर हमें अपना मत व्यक्त किया है जिसके फलस्वरूप वहां पर ऐसी सरकार बन गई है जो कि आगे अच्छा कार्य करेगी।

श्री सेझियान (कुम्बकोणय) : मेरा सुझाव है कि इससे पूर्व कि नियम 193 के अन्तर्गत चर्चा उठाई जाये श्री मुरासोलीमार को जिनके नाम पर दूसरा संकल्प हैं, प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाये ताकि इस पर कल चर्चा की जा सके।

अध्यक्ष महोदय : उन्हें उत्तर देता है।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमन्ड हार्बर) : श्री एस० सी० जामीर ने हाल में कहा है कि मैं समझता हूँ कि यही मेरी पराजय का एक कारण नागालैंड में सेना की कार्यवाही है। सेना की उपस्थिति से तनाव उत्पन्न होता है और इस प्रकार सरकार जो भी अच्छा कार्य करती है वह निष्प्रभाव होकर रह जाता है उन्होंने आगे कहा है कि हमें सेना का सहयोगी समझा जाता है हालांकि सेना को गतिविधियों पर राज्य सरकार को कोई प्राकार प्राप्त नहीं है। उन्होंने मांग की है कि सेना कि गतिविधियों को बन्द किया जाना चाहिए और कि सेना को केवलअन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर ही तैनात किया जाना चाहिये।

जहां तक आन्तरिक सुरक्षा का प्रश्न है इसको नागालैंड सशस्त्र पुलिस, आसाम राइफल्स तथा पुलिस की सहायता से बनाये रखा जाना चाहिये। यह सभी बातें एक भूतपूर्व उपमन्त्री द्वारा कही गइ हैं।

श्रीमती रोहतगी ने कहा कि कांग्रेस ने अपने हितों के लिये लोगों का शोषण किया है। वे अधिक भ्रष्ट तथा लोगों को परेशान करने का साधन बने है। उन्होंने आगे कहा है कि संयुक्त मोर्चे विशेषकर श्री ज्योतिवसु ने जबकि वह गृह-कार्य मन्त्री थे, इनको रोका है अथवा रोकने का प्रयास अवश्य किया है।

जहां तक रवीन्द्र सरोवर का प्रश्न है पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के आदेशों के आधीन एक आपेण नियुक्त किया गया था जिसका कार्य कलकत्ता उच्च न्यायालय के कार्यवाहक न्यायाधीश को सोंपा गया था। महिलाओं से छेड़-छाड़ की कहानी मनगडन्त थी तथा राजनीतिक लाभ उठाने के लिये कही गई थी। आयोग के प्रतिवेदन में कहा गया था कि उक्त साक्ष्य में यह सिद्ध नहीं होता कि 6 अथवा 7 की सुबह को रविन्द्र सरोवर के अन्दर अथवा बाहर किसी महिला से

छेड़-छाड़ की गई थी । अतः आयोग का मत है कि अशोक कुमार नाइट के समारोह के समय रवीन्द्र सरोवर स्टेडियम में महिलाओं से छेड़-छाड़ का कोई मामला नहीं हुआ ।

डा० रानेन सेन को इस बात का पता होना चाहिए कि ई० पी० आर० प्रोविनशियल आर्मड कान्स्टेबलरी एक अंग है । श्री ज्योतिबसु ने यह मांग की थी और वह इस में सफल भी हुए थे कि केन्द्रीय रिज़र्व पुलिस को बैरकों में भेज दिया जाये । पश्चिम बंगाल के किसी भी हमारे नेता ने पुलिस गार्ड की मांग नहीं की । डा० रानेन सेन ने कोलीपुर में प्लास्टिक के बमों के मिलने की बात कही है । यह बात बिल्कुल झूठ है । मैं तो यह कहूंगा कि भारत के साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) दल के अहातों में चोरी छिपे बम तथा अन्य हथियार रखने का प्रयास किया गया है परन्तु हमने ऐसे प्रयासों को विफल बना दिया । लोगों की भावनाओं को उत्तेजित करने तथा ज़्यादतियां करने के लिये हाल में एक गलत समाचार प्रसारित किया गया कि बर्दवान जिले में हाट गोविन्दपुर में एक प्राइमरी के अध्यापक के घर से, जो कि मार्क्सवादी है, तलाशी लेने पर मुंहरबन्द मतपत्र तथा चार बन्दूकें भी बरामद हुई है । इस बात को सभी लोग जानते हैं कि मतपत्रों के इन सन्दूकों को कुछ वर्ष पूर्व बर्दवान कचहरी से क्रय किया गया था । इनका हाल के चुनावों से कोई सम्बन्ध नहीं है तथा जो बन्दूकें प्राप्त हुई है उनके लिए उसके पास लाइसेंस थे ।

जहां तक उखरा के मामले का सम्बन्ध है मेरे पास प्रमाणित प्रति है जिससे सिद्ध होता है कि बंगला कांग्रेस के उम्मीदवार श्री देवदत्त मण्डल का वध नाभा कांग्रेस के लोगों द्वारा किया गया था ।

श्री कृष्णचन्द्र पन्त : स्वर्गीय देवदत्त मण्डल तथा कोष के मामले में सात व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है । मैं इस बारे में अभी कुछ नहीं कहना चाहता कि वे किस दल के हैं ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या आपने इन दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है जिन्होंने न्यायालय में वक्तव्य दिया है । यदि आप इकनामिक टाइम्स पढ़े तो आपको पता लगेगा कि श्री हेमन्त बसु की हत्या के लिये कौन व्यक्ति जिम्मेदार है तथा जिन व्यक्तियों को बन्दी बनाया गया है वे कौन हैं ।

श्री हेमन्त कुमार बसु की हत्या का हमें दुःख है । हमने इस हत्या की निन्दा की है । सर्वप्रथम हमने हड़ताल का आह्वान किया था । फारवर्ड ब्लाक ने जब से श्रीमती इन्दिरा गान्धी का अनुसरण करना आरम्भ किया तब से उनके स्थान 3 रह गये हैं जबकि वर्ष 1969 में विधान सभा में फारवर्ड ब्लाक के 21 सदस्य थे । जहां तक जनसंघ के सदस्यों द्वारा की गई आलोचना का सम्बन्ध है हम उनकी साम्प्रदायिकता की प्रवृत्ति को जानते हैं । परन्तु इनके विचार भी श्रीमती इन्दिरा गान्धी के विचारों से मिलते हैं । निःसंदेह श्रीमती गान्धी धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक विचार रखती हैं । फारवर्ड ब्लाक का एक भी सदस्य इस सभा में नहीं आ सका है । श्री दास चौधरी और उनके एक मित्र अब कांग्रेस दल में शामिल हो गये हैं ।

श्री नेपाल राय की मृत्यु पर भी हमें दुःख है। परन्तु उनकी हत्या किसने की है ? आप जानते हैं कि × × × मैं कहता हूं कि उनके समाज विरोधी मित्रों ने उनकी हत्या की है।

संसद कार्य, और पोतपरिवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। इस सभा की एक परम्परा हैं कि किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता जो यहां पर उपस्थित न हो। माननीय सदस्य एक ऐसे व्यक्ति के बारे में कह रहे हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है। वह कह रहे हैं कि × × ×

अध्यक्ष महोदय : यह बहुत बुरी बात है। अब यह व्यक्ति जीवित नहीं है। किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में भी इस प्रकार की बातें कहने की अनुमति नहीं है जो इस सभा में उपस्थित न हो। इस प्रकार की बातें नहीं कही जानी चाहिये।

श्री ज्योतिर्मय बसु : उनकी मृत्यु पर मैंने पहले दुःख व्यक्त किया है। हमारे विरुद्ध कहानियां बनाने से कोई लाभ नहीं होगा। "स्टेट्समैन" और "टाइम्स ऑफ इण्डिया" नामक समाचार पत्रों में श्री नेपाल राय की मृत्यु के बारे में ब्यौरा दिया गया है। उनके हत्यारे को 'समाज विरोधी' तत्व बताया गया है। टाइम्स आफ इण्डिया द्वारा किये गये बिश्लेषण के अनुसार वर्ष 1969 में कांग्रेस को 41 प्रतिशत मत प्राप्त हुए थे जो वर्ष 1971 में घट कर 28 प्रतिशत रह गये हैं। वर्ष 1969 में साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) को 20 प्रतिशत मत मिले थे परन्तु अब 37 प्रतिशत मिले हैं। इसी से स्थिति स्पष्ट हो जाती है। प्रजा समाजवादी पार्टी के विधान सभा में 7 सदस्य थे जो अब 3 रह गये हैं। आज सरकार पश्चिम बंगाल में हत्याएं करवा रही हैं, पुलिस में एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है कि साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) को समाप्त करने के लिए हत्या करने वाला एक दल गठित किया गया है। यह काम गृह मंत्रालय का रिसर्च एण्ड एनीलेटिकल विंग कर रहा है। यह कार्यबाही श्री अजय मुकर्जी और श्री यशवन्तराव चव्हाण के अक्तूबर 1967 के षडयंत्र का परिणाम है। पश्चिम बंगाल में एक नई सरकार बनी है जिसका नेता 280 सदस्यों वाली सभा में 5 सदस्यों के एक दल का नेता है। परन्तु मैं बता देना चाहता हूँ कि इस प्रकार की गतिविधियों से सरकार स्वयं कठिनाई में पड़ जायेगी।

श्री पी० आर० दास० मुन्शी (कलकत्ता दक्षिण) : उन्हें ये शब्द वापिस लेने चाहिये कि × × ×

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैंने यह बात कभी नहीं कही।

अध्यक्ष महोदय : उन्हें कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया जायेगा।

× × × अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया

× × × Expunged as ordered by the chair.

अध्यक्ष महोदय द्वारा डा० रानेन सेन का संशोंधन सभा के मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ

The amendment was put and negatived.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"यह सभा इस बात को देखते हुए कि पश्चिमी बंगाल में केन्द्रीय आरक्षित पुलिस बल तथा अन्य केन्द्रीय बल अपने क्षेत्राधिकार से आगे बढ़ कर गैर-कानूनी ढंग से कार्यवाही कर रहे हैं जिससे वहां की जनता में अति रोष व्याप्त है, मांग करती है कि पश्चिमी बंगाल से ऐसे बलों को तुरन्त हटाया जाये।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ

The motion was negatived.

केन्द्रीय ऋण आयोग के बारे में संकल्प

Resolution Re : Federal Debt Commission

श्री मुरासोली मारन (मद्रास दक्षिण) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"यह सभा केन्द्रीय करों, ऋणों, अनुदानों तथा योजनागत सहायता के बंटवारे के वर्तमान तरीके से उत्पन्न विभिन्न राज्यों की वित्तीय कठिनाइयों पर विशेष रूप से तमिलनाडु की समस्याओं के संदर्भ में जिसके न्यायसंगत दावों की उपेक्षा की गई है चिन्ता व्यक्त करती है और विशेष रूप से संकल्प करती है कि राज्यों को ऋण-ग्रस्तता की समीक्षा करने तथा ऋण भार को हल्का करने हेतु मार्गोपाय सुझाने के लिये एक केन्द्रीय ऋण आयोग स्थापित किया जाये।"

राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान सदस्य का आचरण – जारी

Conduct of Member During President's Address—Contd.

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री वाजपेयी का संशोधन सभा में मतदान के लिये रखता हूँ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन सभा में मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

The motion was put and negatived.

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री मोहन धारिया का संशोधन सभा में मतदान के लिये रखता हूँ। प्रश्न यह है :

"प्रस्ताव की पहली पंक्ति में "का पुरजोर निरनुमोदन करती है" शब्दों स्थान के पर "पर बहुत चिन्तित है' शब्द प्रतिस्थापित किये जायें। पंक्ति चार में "के कार्य में" शब्दों के पश्चात "कथित" शब्द जोड़ा जाये। पंक्ति 5 में "और" शब्द के बाद शेष भाग निकाल दीजिये और उसके स्थान पर निम्नलिखित जोड़ दीजिये—

"इसलिये यह संकल्प करती है कि इस मामले की विस्तृत जांच करने के लिये तथा उपयुक्त कार्यवाही का और साथ ही भविष्य के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्तों का अगले सत्र के पहले सप्ताह तक सुझाव देने के लिए माननीय अध्यक्ष द्वारा इस सभा के 15 सदस्यों की एक समिति गठित की जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

अध्यक्ष महोदय : अब मैं प्रस्ताव को, संशोधित रूप में, सभा के मतदान के लिये रखता हूं। प्रश्न यह है—

"कि यह सभा श्री राम देव सिह के आचरण पर बहुत चिन्तित है, जिन्होंने संविधान के अनुच्छेद 87 के अधीन 23 मार्च, 1971 को एक साथ समवेत संसद की दोनों सभाओं के समक्ष राष्ट्रपति के अभिभाषण के पुनीत अवसर पर, राष्ट्रपति के कार्य में कथित बाधा डाली और उनके प्रति अनादर का भाव दर्शाया और इसलिये यह संकल्प करती है कि इस मामले की विस्तृत जांच करने के लिये तथा उपयुक्त कार्यवाही का और साथ ही भविष्य के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्तों का अगले सत्र के पहले सप्ताह तक सुझाव देने के लिए माननीय अध्यक्ष द्वारा इस सभा के 15 सदस्यों की एक समिति गठित की जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted

गन्ना उत्पादकों की देय गन्ने के मूल्य की बकाया राशि के बारे में चर्चा

Discussion Re. Arrears payable to Sugarcane growers

श्री कल्याण सुन्दरम (तिरुचिरापल्ली) : पिछले दिन मंत्री महोदय ने बताया था कि बकाया राशि लगभग 41 करोड़ रुपये है और इन में से भी 20 करोड़ रुपये का भुगतान शीघ्र किये जाने वाला है। मैं बताना चाहूँगा कि तमिलनाडु में कुछ बड़े एकाधिकारवादियों के दो बड़े बड़े कारखाने हैं— एक पैरी एन्ड कम्पनी और दूसरा श्री कोठारी की है, इन दो कारखानों ने ही गन्ना उत्पादकों को 1 करोड़ रुपये की राशि देनी है, ये कारखाने 22 रुपये के हिसाब से भुगतान कर देते हैं और 50 रुपये प्रतिटन की शेष राशि बकाया रखते हैं और केवल रसीदें दे देते हैं। अब मुझे पता चला है कि चालु वर्ष में वे पूरी मात्रा के लिये केवल चिटें ही दे रहे हैं और एक पाई का भी भुगतान नहीं किया जा रहा है।

पिछले पिराई मौसम का 88 प्रतिशत तथा वर्तमान वर्ष के सारे पैसे का मिलों को भुगतान करना शेष है। लगभग 41 करोड़ रुपया गन्ने का मिल मालिकों की ओर बकाया पड़ा है। पिछले वर्ष उन्होंने 40 लाख टन का उत्पादन किया और 20 लाख टन पहला अतिरिक्त उत्पादन था इस प्रकार 1970-71 के लिए मिलों के पास 60 लाख टन चीनी थी। पर हमारी उपभोग क्षमता बढ़ने के बजाय घटी है।

ये मिल मालिक जो पिछले कुछ वर्षों से जितना लाभ उठा रहे थे अब भी उतना ही लाभ उठाना चाहते हैं और अब वे उस भार को गन्ना उत्पादकों और मजदूरों के ऊपर डालना चाहते हैं तथा सरकार और रिजर्व बैंक के ऊपर भी वे और ऋण सुविधा के लिए दबाव डाल रहें हैं। इस प्रकार ये चीनी के एकाधिकार गृह ब्लैक मेल करने का प्रयत्न कर रहे हैं। इसलिए यदि कोई कठोर कार्यवाही नहीं की जाती तो मुझे डर है कि वे गन्ना उत्पादकों को नहीं बचा सकते और न ही मजदूरों के लिए मजूरी बोर्ड के पंचाट को लागू कर सकते हैं। और अब सरकार पर चीनी का मूल्य बढ़ाने के लिए दबाव डाला जा रहा है। पर सरकार क्या कर रही है? उन्होंने राज्य सरकारों को उनके विरुद्ध कार्यवाही करने को कहा है। पर मैं नहीं जानता कि वे किस कानून के अन्तर्गत यह कार्यवाही कर सकते हैं।

तामिल नाडु की मिलों में इतनी अधिक चीनी का स्टाक क्यों जमा है जबकि महाराष्ट्र में बिल्कुल भी नहीं है। तामिल नाडु के साथ क्या यह पक्षपात पूर्ण व्यवहार नहीं है। तामिल नाडु के मिल मालिक गन्ना उत्पादकों को उनका पैसा नहीं दे सकें हैं और न ही वे मजूरी बोर्ड पंचाट को लागू कर सके हैं। बल्कि सहकारी क्षेत्र में भी वे गन्ना उत्पादकों से बचत निधि के रूप में उगाही कर रहे हैं।

Shri Hukam Chand Kachwai (Morena) : Mr. Speaker, Sir. there is no quoram.

अध्यक्ष महोदय : घण्टी बज रही है। अब गणपूर्ति है। माननीय सदस्य भाषण जारी रखें।

श्री कल्याणसुन्दरम : क्या मंत्री महोदय चीनी सम्बन्धी नीति में परिवर्तन करने पर विचार कर रहें हैं? कन्ट्रोल की चीनी और खुले बाजार में बिकने वाली चीनी में क्या अन्तर है? कहीं-कहीं खुले बाजार में बिकने वाली चीनी सस्ती है जबकि कन्ट्रोल वाली मंहगी है। यह अजीब बात क्यों? इस प्रकार मिल मालिको की ही मदद होती है। उपभोक्ताओं की नहीं।

{ उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy Speaker in the chair }

गन्ना उत्पादन करने के लिये अपनी भूमि रजिस्टर कराने में सारी शर्तें मिल मालिकों के पक्ष में है उत्पादकों के नहीं। उत्पादकों के लिये अलानकारी शर्तों को बदलना चाहिए। यदि

आवश्यक हो तो गन्ने की सप्लाई के एक निश्चत समय के बाद भुगतान किए जाने के सम्बन्ध में भी कानून बनाये जायें। यह कार्य करना बड़ा ही आवश्यक है।

गन्ना उत्पादकों, मजदूरों और उपभोक्ताओं की कीमत पर मिलमालिकों ने अप्रत्याशित लाभ कमाया है। मिलों की मदद करने के बजाय सरकार को उन्हें अपने हाथ में ले लेना चाहिये। यदि आवश्यक हो तो इसके लिये संविधान में संशोधन दिया जाये।

यह स्थिति तामिल नाडु में ही नहीं है। मुझे अपने मित्रों से पता चला है कि उत्तर प्रदेश में स्थिति और भी भयंकर है चीनी के उत्पादन मूल्य का जिक्र तो मंत्री महोदय ने किया पर उन्होंने गन्ना उत्पादकों के उत्पादन मूल्य का कोई जिक्र नहीं किया। सरकार को उनकी कोई चिन्ता नहीं है। यह उनके विरुद्ध एक जालसाजी है। गन्ना उत्पादक गन्ने की मूल्य बढ़ाने के लिये कब से आन्दोलन कर रहे हैं। कम से कम अब सरकार को तुरन्त कोई कठोर कार्यवाही करनी चाहिए।

Shri Anand Singh (Gonda): Sugar cane is called a cash crop, but the situation is this that a lot of money is in arrear with the sugar factories of the country. The cane growers are not getting the worth of their product and nothing has been done by the Government for the payment to the growers. They are in great difficulty. They cannot purchase fertilizer and other inputs. This will affect the coming crop. They are asked to pay all other taxes and loans but they are not setting the money of their produce. Under these circumstances how can they make the payments.

One thing I want to say in this connection is this, if the idea of nationalizing the sugar factories has faded out, at least government should nationalise payment of cane prices to the growers. Government should make the payments and then realise it from the factories.

The growers have to give their cane to the factories in the prescribed time limit where they are asked to do so. But on the other hand they do not get correct price of their product in time.

So the Government should take solid steps for the payment to the growers. State Governments do not have that capacity. It is to be done by the Central Government.

Shri Narsingh Narain (Gorakpur): Mr. Deputy Speaker, Sir, I am pained to hear the views of Shri Anand Singh about the cane farmers of Uttar Pradesh. It is a pity that the payment of cane for year 1969-70 and 1970-71 are in arrears with regard to 71 Sugar Mills of Uttar Pradesh. The Rabi Crop is not yet ready but the revenue officers have reached the villages for recovery. The greatest inset of the farmer was cane but today when he is not getting its price, how can he pay off the revenue. He is being sent to jail for this default.

It has also been stated by Shri Anand Singh that it is not the responsibility of the state to pay the farmer for cane. But under the sugar cane Regulation of Supplies and purchase Act, 1953, it becomes the responsibility of the cane Commissioner to force the millowners

for making payment to the farmers. I strongly feel that there is a conspiracy between the Government of Uttar Pradesh and Cane Commissioner. They are hand-in-glore with Millowners. It is felt that not to speak of old arrears, the millowners are not willing to pay even the arrears of current season. Do you know the reason behind it? The reason is that S. V. D. Government entered into a Conspiracy with the millowners during elections. They never wanted that Sugar industry should be nationalised and that is why millowners gave financial help to State Government during elections. There are mills whose arrear is more than one crore. But I want to know why recovery certificates are not being issued the Cane Commissioner against such Sugarmills.

Now, S. V. D. Government has come to an end in Uttar Pradesh. The Congress Government is likely to be formed. I will therefore request the Government and specially the Food Minister to take strict action against the millowners who are harassing the poor farmers. The nationalisation of the Sugar Industry will put an end to all the irregularities.

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : श्रीमान् मैं पहले ही कह चुका हूँ कि इस देश में चीनी का स्वाद मीठा नहीं अपितु कड़वा होता है। यहां गन्ने का उत्पादन करने वाले किसान और मिल में काम करने वाले मजदूर का शोषण करने वाले पूंजीपतियों की इस समाजवादी सरकार द्वारा 250 करोड़ रुपये का ऋण दिया गया है। अभी कुछ ही महीने पूर्व इसी सभा में चीनी के बारे में चर्चा हुई परन्तु उसमें सरकार ने अपने किसी इरादे को स्पष्ट नहीं किया था परन्तु यह बात समझ में नहीं आती कि लोकसभा के भंग होने के तुरन्त बाद, कुछ ही दिनों में, उन्होंने निर्बाध बिक्री कोटे की मात्रा 10 प्रतिशत बढ़ा दी। सम्भवत: इसका यही कारण था कि इन एकाधिकारियों को चुनाव के लिए धन एकत्रित करने के लिए कहा गया था। मैं पूछना चाहता हूँ कि अब तक चीनी मजदूरी बोर्ड के पंचार को क्रियान्वित क्यों नहीं किया गया? सरकार ने उन लोगों को दण्ड क्यों नहीं दिया जिन्होंने कि गन्ना उत्पादकों की बकाया धन राशि देनी है? 15 नवम्बर तक 15 करोड़ रुपये की धनराशि बकाया थी और आज तो वह और भी अधिक होगी। मैं सरकार से यह पूछना चाहता हूँ कि वह इस्पात की तरह ही गन्ने के धारण मूल्य नियत क्यों नहीं कर देती? यह भेदभाव की नीति क्यों अपनाई जाती है। इस उद्योग का जल्दी से जल्दी राष्ट्रीयकरण कर दिया जाना चाहिए।

कुछ समय पूर्व श्री फखरुद्दीन अली अहमद ने अपने एक वक्तव्य में बताया था कि मिल मालिकों के विरुद्ध कार्यवाही करना राज्य सरकार का काम है। मैं सरकार के इस बहाने को भली भांति जानता हूँ। यह सरकार स्वयं एकाधिकारवादियों के साथ मिली हुई है और वह उनके विरुद्ध कोई भी कार्यवाही नहीं करना चाहती। सरकार की उनके साथ मिली भगत है।

Shri Genda Singh (Padrauna) : Mr. Deputy Speaker. Sir, our main concern is the non-payment of sugar-cane price to farmers. The Millowners of Uttar Pradesh are to pay 40 Crores rupees to sugarcane farmers. Shri Shinde has given a detail of 50 crores. But I am sorry to say that Government of India has failed to know the actual position of

U. P. I estimate that the total arrears of Purchase Tax, Cane Co-operative Commission and the price of cane to rupees 40 crores. There are factories who took advance from the Government but did not make any payment to the farmers. Such people did their best to defend Congress and they were hand-in-glore with S. V. D. Government of the State. The Government of India should try to understand their conspiracy and every effort should be made to make payment to farmers.

Secondly, I want to emphasise that sugar Industry must be nationalised. The sugar industry must be brought under public sector at all costs.

Dr. Laxmi Narain Pandey (Mandsaur) : Mr. Speaker, Sir, we have just discussed the Sugarmills of Uttar Pradesh and Andhra, Who have failed to make payment to cane growers. I take this apportunity to submit that same thing is happening in Madhya Pradesh also and that too for the last so many years.

Sir, When we form regulation for reserve zone and force the cane grower to sell a percentage of cane to millowners, it becomes the responsibility of the Government to arrange its immediate payment to cane growers. Whenever this issue is raised, Central Government tries to shift the responsibility the State Governments.

I am very much pained to point out that the mill-owners, who are not only the supporters of congress, but one congress men themselves do not make payment. It is high time when we must try to understand the serious reaction of their attitude. The farmers are becomming reluctant to grow cane crop and if ultimately the agriculture of cane is stopped by them, it will lead to a heavy national loss.

Many a time the millowners force the cane growers to accept sugar or wheat in lieu of rupee payment. On the one hand, the millowners are not making payment to cane grower and on the other hand Government is granting credit of lakhs to them. This loan in utilised by mill-owners for other projects. The poor farmers resort to strike for their cause, submit memorandum to Collector and State Government but no heed is paid to their hue and ery. Inspite of several existing laws, no action has ever been taken against any millowner because they are the supporters of ruling party.

It is my humble request that we should take into consideration the payment aspect of this issue. The cane crop is considered to be cash crop. The farmers fully depend upon it. If he is not paid intime, he will not be able to fulfil his responsibilities towards the Government. How he will pay back to Government ?

I would like to submit that the issue of mills does not relate to a particular state. It is a national issue. It is the responsibility of the centre to ensure payment to farmers within 14 days. Incase the mill-owners fail to do so they should be forced to make payment with interest. If payment is not made by the mill-owners, the state or Central Government should take necessary action against them.

Lastly I want to add that if Government fails to ensure prompt payment to farmers, the reserved zone ban should he lifted. There should be no restriction upon farmers for selling their cane in a particular area. They should be allowed to have a free hand in disposal of their cane.

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय मे राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहब शिन्दे) : इतने महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा उठाने के लिये मैं माननीय सदस्यों का आभारी हूं । वस्तुत : यह एक गम्भीर समस्या है और इसका सम्बन्ध देश के लाखों करोड़ों किसानों से है ।

चीनी कारखानों पर, गन्ने के मूल्य की बकाया राशि के सम्बन्ध में, सदस्यों ने जो चिन्ता व्यक्त की है सरकार उससे सहमत है और भारत सरकार का यह विचार रहा है कि गन्ना उत्पादक को किसी प्रकार की कोई हानि न हो । दुर्भाग्यवश इस वर्ष गन्ने के मूल्य की बकाया राशि बहुत अधिक हो गई है दो दिन पहले इस सम्बन्ध में मैंने सदन में कुछ आंकड़े प्रस्तुत किए थे । गन्ना उत्पादक तो सारा गन्ना चीनी के कारखानों को दे देते हैं किन्तु कारखाने वाले गन्ना उत्पादकों को उसका मूल्य नहीं चुकाते । परिणामतः बकाया राशि इकट्ठी होती जाती है । इस बार भी कुछ कारखानों के मालिक यह बहाना कर रहे हैं कि सारी चीनी की बिक्री न हो पाने के कारण उनके पास चीनी का भंडार अत्यधिक बढ़ गया है अत: वह गन्ना उत्पादकों को उनकी पूरी राशि चुकाने में असमर्थ हैं किन्तु मेरा यह अनुभव है कि इस देश में, चाहे चीनी खुले आम ऊंचे दाम पर बिके अथवा कम कीमत पर बिके, गन्ना उत्पादकों की दशा हर स्थिति में समान रहती है । उन्हें हर दशा में नुकसान ही नुकसान है ।

अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत जो गन्ना नियन्त्रण आदेश जारी किया गया है, उसमें यह व्यवस्था की गई है कि गन्ने के मूल्य का, गन्ने के वितरण की तिथि से 14 दिन के भीतर भुगतान करना होगा और गन्ना नियन्त्रण आदेश में निर्धारित समय के भीतर यदि गन्ने की कीमत का भुगतान नहीं किया जाता तो कड़े उपाय अपना कर इस राशि को भूमि राजस्व की बकाया राशि के रूप में वसूल किया जा सकता है । किन्तु यह कार्य राज्य सरकारों को करना होगा ।

हमारा विचार था कि कुछ राज्य सरकारों ने जो विधान पहले बनाए हैं उनके अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार को भी कुछ कानून बनाने चाहिये, किन्तु दुर्भाग्यवश विधि मंत्रालय ने हमें इसके विपरीत सलाह दी है । उन्होंने बताया कि अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत जिसके अन्तर्गत गन्ना नियन्त्रण आदेश पारित किया गया था, इस प्रकार का कानून बनाना उचित नहीं होगा वास्तव में उन्होंने यह कहा है कि इस प्रकार का कोई कानून बनाने के लिए केन्द्रीय सरकार सक्षम नहीं ।

सभी राज्य सरकारों को गन्ने की बकाया राशि वसूल करने के लिये अपने अपने राज्यों में कानून बनाने चाहिये और यदि आवश्यकता पड़े तो कड़े उपाय अपनाए जाएं और यदि कोई चूक करे तो उससे उसके लिये ब्याज भी वसूल किया जाए ।

मैं समस्या की गम्भीरता से भली भांति परिचित हूँ और इस सम्बन्ध में अधिक गवेषणा की भी आवश्यकता नहीं मैं गन्ना उत्पादकों के प्रतिनिधियों और संसद सदस्यों की सलाह लेना चाहता हूँ ताकि उनसे विचार विमर्श के उपरान्त मामले पर पूर्ण रूप से विचार करने के लिये

विधि मंत्रालय के प्रतिनिधियों से भी चर्चा की जा सके और फिर केन्द्र इसका कुछ न कुछ हल निकाल सकें।

कुछ कारखाना मालिकों का कहना है कि ऋण सुविधाएं पर्याप्त नहीं। केवल दो सप्ताह पहले ही हमने इस मामले को भारतीय रिजर्व बैंक के समक्ष रखा था। हमने जो कठिनाइयाँ बतायी उन पर रिजर्व बैंक ने काफी ध्यान दिया और उन्हें अच्छी तरह समझा। गत वर्ष चीनी उद्योगों के लिये उधार की अधिकतम सीमा 254 करोड़ रुपये मंजूर की गई थी। अब रिजर्व बैंक यह सीमा बढ़ाकर 275 करोड़ रुपये करने के लिये सहमत हो गया है। रिजर्व बैंक के साथ जो बात तय हुई है उसके परिणाम स्वरूप अब गन्ने के मूल्य की बकाया राशि देना चीनी उद्योग के लिये सम्भव होगा। गन्ने के देय मूल्य का भुगतान करने से इन्कार करने के लिये अब कोई बहाना नहीं बनाया जा सकता।

जहाँ तक राज्य सरकारों का सम्बन्ध है हमने उन्हें स्पष्ट रूप से बताया है कि यदि कोई राज्य सरकार चीनी उद्योग का राष्ट्रीयकरण करना चाहेगी तो हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी और न ही हम इसमें कुछ अड़चन डालेंगे।

गन्ने के मूल्य की बकाया धनराशि वसूल करने के लिये कड़े उपाय केवल राज्य सरकारें ही कर सकती हैं। क्योंकि यह विषय उनके क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आता है और केन्द्र सरकार इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती। हमारी संवैधानिक सरकार है और हमें संविधान के अनुसार चलना होगा। अत: राज्य सरकारें गन्ने के मूल्य की बकाया राशि को वसूल करने के लिये जो कड़े उपाय अपना रही है हम उसमें बाधा नहीं डाल सकते और न डाल रहे हैं। हमने सभी राज्य सरकारों से आवश्यकता कानून बनाने के लिए अनुरोध किया है। हम स्वयं ऐसी संभावनाओं का पता लगाने का प्रयत्न कर रहे हैं जिससे राज्य सरकारों के हाथ मजबूत करने हेतु कोई केन्द्रीय कानून बनाया जा सके।

मेरे मित्र श्री ज्योतिर्मय बसु द्वारा यह आरोप लगाया गया है कि संसद के विघटन के तुरन्त बाद, चुनावों से पहले खुली बिक्री की चीनी की मात्रा काफी बढ़ा दी गई किन्तु मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूँ कि कुछ एक थोड़े से क्षेत्रों को छोड़कर खुले बाजार में चीनी के भाव नियन्त्रित दामों से अधिक नहीं थे इसके अलावा कुछ महीने पहले हुए मुख्य मन्त्रियों के सम्मेलन में भी यह मत व्यक्त किया गया था तथा बाद में इसे क्रियान्वित किया गया। इस सम्बन्ध में सभा में भी एक वक्तव्य दिया गया था। अत: अनावश्यक रूप से निराधार आरोप नहीं लगाए जाने चाहिये।

इसके पश्चात लोक सभा अनिश्चित काल के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then abjourned Sine die.

———

Ashoka Printing Works, Modinagar